लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

[खंड 47 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 21 to 28]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, बुधवार, 16 दिसम्बर, 1970/25 अग्रहायण, 1892 (शक)

No. 26, Wednesday, December 16, 1970/Agrahayana 25, 1892 (Saka)

विषय — Subject

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTION

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
751.	नारियल जटा उद्योग का विकास	Development of Coir Industry.	1—7
753.	गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात	Export of Non-traditional Items.	7—12
754.	बिहार में आणविक शक्ति केन्द्र	Atomic Power Station in Bihar.	12—13
757.	नक्सलियों के हत्या अभियान के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव का कथित वक्तव्य	Alleged Statement by Home Secretary of West Bengal Government re : Murder Campaign by Naxalities.	14—17
759.	चन्डीगढ़ में शहरी किराया प्रतिबन्ध अधिनियम लागू करने की मांग	Demand for enforcing Urban Rent Restriction Act in Chandigarh.	18—19

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
752.	मद्रास में बाढ़ से क्षति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी राहत	Damage caused by floods in Madras and relief given by the Centre.	19
755.	नेपाल में मोर के पंखों और अभ्रक का चोरी-छीपे ले जाया जाना	Smuggling of Peacock Feather and Mica into Nepal.	19—20
756.	वर्ष 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान प्रकाशित की गई पुस्तिका के बारे में जांच	Enquiry into the Pamphlet published during Presidential Election in 1969.	20—21
758.	कलापूर्ण आभूषणों का निर्यात	Export of Artistic Jewellery.	21
760.	दिल्ली विश्वविद्यालय के लापता छात्र	Missing Students of Delhi University.	21—22

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

This sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

अता.प्र.संख्या
S.Q.Nos.

761. पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण — Modernisation of Jute Industry. — 22—23

762. पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के मामले की जांच को निलम्बित करने के निर्णय के बाद मरे व्यक्ति — Persons killed after suspension of enquiries into Police firings in West Bengal. — 23

763. उत्तर प्रदेश को बिजली की प्रति व्यक्ति सप्लाई — Per Capita Supply of Power in U.P. — 23—24

764. वित्तीय संस्थ ओं के धन को सरकारी क्षेत्र में लगाना — Division of Funds of Financial Institutions into Public Sector. — 24

765. राजस्थान के गृह मंत्री का जासूसी गतिविधियों के बारे में कथित वक्तव्य — Reported Statement by Home Minister of Rajasthan re : Espionage Activities. — 25

766. मेवों के आयात के लिए योजनाएं — Import Schemes for Dry Fruits. — 25—26

767. राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को पहुंचाई गयी क्षति — Damages done to Statues of National Leaders. — 26

768. आयात, निर्यात व्यापार-करारों में परिवर्तन — Changes in Import/Export Trade Agreements. — 26—27

769 सिंचाई के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप का उपयोग — Utilisation of Radio Isotopas in the sphere of Irrigation. — 27

770. नक्सलवादियों के हमले के शिकार बने सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाएं — Government Offices and Educational Institutions raided by Naxalites. — 27

771. दिल्ली की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार — Extension of Territorial Limits of Delhi. — 28

772. पश्चिम बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में संसद् सदस्य का पत्र — Letter from a Member of Parliament about Pension to Freedom Fighters from West Bengal. — 28

773. श्री ज्योति बसु की हत्या के कथित प्रयास की जांच — Enquiry into Alleged attempt to murder shri Joyti Basu. — 28—29

774. रूई की मिलों को समूहों (ब्लाक) में बन्द करना — Block Closure of Cotton Mills. — 29

अता.प्र.संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
775.	बिड़ला बंधुओं द्वारा इंजीनियरिंग संवर्द्धन परिषद् पर प्रभुत्व पाने का प्रयास	Attempt by the Birlas to capture Engineering Promotion Council.	29—30
776.	पूर्व यूरोपीय देशों के साथ वैगनों सम्बन्धी करार	Wagon Deal with East European Countries.	30
777.	पश्चिम बंगाल में आदिम जातियों के लोगों की कथित हत्या	Reported killing of Tribals in West Bengal.	30—31
778.	नेशनल प्राजेक्टस कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली को हुई हानि	Losses sustained by National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi.	31—32
779.	राजस्थान पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर अधिकार रहित क्षेत्र बनाना	Creation of No-mans Land on Rajasthan West Pakistan Border.	33
780.	पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों को पुलिस संरक्षण	Police Protection to Ex-Minister of U. F. Government of West Bengal.	33
अता०प्र०संख्या S. Q. Nos.			
4774.	राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कच्चे माल का मूल्य कम किया जाना	Lowering of Prices of Raw Material by S.T.C. and M.M.T.C.	33—34
4775.	मंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय	Expenditure incurred on Perquisites of Ministers.	34
4776.	फैरस स्क्रेप का व्यापार	Business in Ferrous Scrap.	34—35
4777.	निर्यात के लिये स्क्रेप की स्वीकृति	Clearance of Scrap Items for Export.	35—36
4778.	खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खान मालिकों से लौह अयस्क की खरीद	Purchase of Iron-ore from Mine-owners by M.M.T.C.	36—37
4779.	काजू की गिरी के संचित भण्डारों का निपटान	Disposal of Accumulated Stocks of Cashew Kernel.	37
4780.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा कम्प्यूटरों का निर्माण	Manufacture of Computers by Bharat Electronics.	37—38
4781.	भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान के प्रांगण में स्थित डा० टी० एस० गुलराजाजी के निवास स्थान पर देशी बम का विस्फोट	Explosion of a Crude Bomb at the Residence of Dr. T.S. Gulrajani in the Campus of I.V.R.I.	38

अता. प्र. संख्या
S.Q.Nos.

4782.	राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधियों तथा विटामिन का आयात	Import of Drugs and Vitamins by S. T. C.	38—39
4783.	राजस्थान में लोगों का धर्म परिवर्तन	Conversions in Rajasthan.	39
4784.	भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड iv में चयन से पूर्व विभागीय अभ्यार्थियों के लिये अलग संवर्ग	Separate Cadre for Departmental Candidates before Selection to Grade IV of Indian Statistical Service.	39—40
4785.	विदेशों से आने वाले भारतीय डाक्टरों के लिए उचित नौकरियां	Suitable jobs for Indian Doctors coming from abroad.	40—41
4786.	जूतों के निर्यात व्यापार में आने के लिए अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रोत्साहन	Encouragement to Scheduled Castes people to enter Export Trade of Shoes.	41—42
4787.	फ़ीडर सूचि में भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड iii और iv पदों का सम्मिलितन किया जाना	Grade III and Grade IV posts of Indian Statistical Service not included in Feeder List.	42
4788.	केरल में पुलिस–मैनों द्वारा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार	Raping of Harijan women by Policemen in Kerala.	42—43
4789.	बाढ़ संरक्षण योजनाओं के लिए धन जुटाना	Raising of funds for flood protection Schemes.	43
4790.	जमीदारों द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के भूमिहीन व्यक्तियों को गोली से मारा जाना	Landless persons of Muzaffarpur District shot dead by Zamindars.	43—44
4791.	नई दिल्ली में ग्रीन पार्क स्थित शिकागो इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी के प्राध्यापक की गिरफ्तारी	Arrest of Principal, Chicago Institute of Technology, Green Park, New Delhi.	44—45
4792.	मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड	M/s. Dodsal Pvt. Ltd.	45
4793.	रूई के उत्पादन तथा उसके आयात का अनुमान	Estimates of Cotton Production and Import thereof.	45
4794.	गणतन्त्र दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार देना	Awarding of National Awards on Republic Day.	45—46
4795.	राष्ट्रीय आय	National Income.	46
4796.	'भारत छोड़ो' आदेश प्राप्त करने वाला विदेशी	Foreigners ordered to leave India.	47—48

अता. प्र. संख्या
S.Q.Nos.

4797.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों का नई दिल्ली में हुआ सम्मेलन	Conference of Scientists working in Public and Private Sectors held in New Delhi.	48
4798.	दिनमान साप्ताहिक में प्रकाशित समाचार	News published in the Dinman Weekly.	48—49
4799.	रूई मंत्रणा बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक	Meeting of Standing Committee of Cotton Advisory Board.	49
4800.	जोधपुर के राव हनुत सिंह की लंदन में अर्जित आय	Earning of Rao Hanut Singh of Jodhpur in London.	49—50
4801.	राजस्थान के लिये चौथी योजना का आकार	Size of Fourth Plan for Rajasthan.	50
4802.	किराया नियंत्रक न्यायालय, दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Court of Rent Controller, Delhi.	50—51
4803.	अफगान राष्ट्रजनों का छपड़ा (बिहार) में महाजनी व्यापार	Money/Lending Business by Afghan Nationals in Chapra (Bihar).	51—52
4804.	छपड़ा (बिहार) जिले में अफ़गान ऋणदाता	Afghan Money Lenders in Chapra (Bihra)	52
4805.	आसाम सरकार में एक मंत्री की संदेहास्पद राष्ट्रीयता	Doubtful nationality of a Minister in Assam Government.	52—53
4806.	त्रिपुरा सरकार के वकीलों के पेनल द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike threat by Panel of Lawyers of Tripura Government.	53
4807.	त्रिपुरा खादी बोर्ड के अध्यक्ष का पाकिस्तान चले जाना	Chairman of Tripura, Khadi Board fled away to Pakistan.	53—54
4808.	नेपाल में भारत के माल की सप्लाई के बारे में गलत धारणा	Misunderstanding in Nepal about Indian supplies.	54
4809.	इंडियन शूगर मिल्स एसोशिएशन की ओर से प्रचार-पुस्तिका	Propaganda pamphlets on behalf of Indian Sugar Mills Association.	54—55
4810.	पंजाब, हरयाणा तथा हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारों का प्रबन्ध	Management of Gurdwaras of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh.	55
4811.	पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में सरकारी चाय कारखाने की स्थापना	Setting up of Co-operation Tea factory at Palampur (Himachal Pradesh).	55—56
4812.	फिल्म निर्यात निगम	Film Export Corporation.	56

अता.प्र.संख्या
S.Q.Nos.

4813.	केला निगम की स्थापना	Setting up of a Banana Corporation.	56—57
4814.	चाय के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन परामर्शदात्री समिति	F. A. O. Consulative Committee on Tea.	57
4815.	भारत में रेशम का उत्पादन	Production of Silk in India.	57—58
4816.	दिल्ली के कोषों में गबन	Embezzlements in Delhi Treasuries.	58
4817.	प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि	Increase in per capita income.	58—59
4818.	बेरोजगार इंजीनियरों को कुछ भत्ता देने की योजना	Scheme to provide allowance to unemployed Engineers.	60
4819.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट	C. S. I. R. Enquiry Committee Report.	60
4820.	व्यापार-संतुलन की स्थिति	Position of balance of trade.	60—61
4821.	अग्रिम संयंत्रों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट	Report of Committee on Pilot of C.S.I.R.	61
4822.	समुद्री क्षरण अनुसंधान केन्द्र, दिघ	Marine Corrosion Research Station, Digha.	61—63
4823.	रुपयों का अवैध रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जाना	Illegal Conversion of Rupees into Foreign Exchange.	63
4824.	दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार वाली सम्पत्ति पर गृह-कर निर्धारण	Assessment of House Tax on Properties under jurisdiction of Municipal Corporation of Delhi.	64—65
4825.	विदेशों में भारतीय औषधियों की मांग	Demand for Indian Medicines Abroad.	65
4826.	उर्वरकों के उत्पादन के लिये नोरु द्वीप राक से फास्फेट का आयात	Import of Rock Phosphate from Nauru Island for producing Fertilizer.	65
4827.	धन को स्विज बैंकों में हस्तांतरित किया जाना	Transfer of black money to Swiss Banks.	66
4828.	विद्रोही नागाओं का मनीपुर में छिपकर प्रवेश	Entry of Hostile Nagas into Manipur.	66—67
4829.	नक्सलपंथियों के एजेंसी द्वारा खनिजों तथा अन्य खोज कार्य के लिए दिए गए विस्फोटक पदार्थों का दुरुपयोग	Misuse of explosive materials meant for Mines and Exploratory work by agents of Naxalites.	67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रता. प्र. संख्या
S.Q.Nos.

प्रता. प्र. संख्या / S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4830.	तमिलनाडु में उत्तर आर्काट जिले में यूरेनियम निक्षेपों का पता लगना	Discovery of Uranium belt in North Arcot District of Tamil Nadu.	67—68
4831.	त्रिपुरा सीमावती क्षेत्र में पूर्व पाकिस्तान राइफल्स द्वारा घुसपेठ तथा अनधिकृत प्रवेश	Intrusions and Encroachments by East Pakistan Rifles on Tripura borders.	68
4832.	बैलाडिला से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Bailadilla.	68—69
4833.	यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश	Britain's entry into E.C.M.	69
4834.	छोटे निर्माताओं को कृत्रिम रेशम और रेयन धागों की सप्लाई	Supply of artificial silk and rayon yarn to small scale manufacturers.	69—70
4835.	भारतीय चप्पलों तथा जूतों का निर्यात	Export of Indian chappals and shoes.	70
4836.	निर्यात किये गये जूतों का मूल्य	Value of shoes exported.	70—71
4837.	भिन्ड, मध्य प्रदेश की कपड़ा मिल	Textile mill in Bhind, Madhya Pradesh.	71—72
4838.	जियाजीराव कपडा मिल, ग्वालियर को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial licences issued to Jiaji Rao Cotton Mills Gwalior.	72
4839.	राज्य व्यापार निगम द्वारा खोले गए रबड़ क्रय केन्द्र	Opening of rubber purchasing Centres by S.T.C.	72
4840.	नायलन का मूल्य	Nylon prices.	73—74
4841.	गत तीन वर्षों में सूती कपड़ा मिलों का उत्पादन	Production of Cotton Textile Mills during the last three years.	74
4842.	भारतीय असैनिक विमानों के अपहरण हेतु पाकिस्तान द्वारा गोरिल्लाओं को कथित प्रशिक्षण	Alleged Pak training of Guerillas to hijack Indian civil planes.	74—75
4843.	पश्चिम बंगाल की संकट ग्रस्त मिलों को चालू करने के लिये एक निगम का गठन	Corporation to run sick Mills of West Bengal.	75
4844.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा आयु में परिवर्तन के लिये आवेदन	Applications for age alteration by Judges of High Courts.	75—76
4845.	नारियल जटा उत्पादों के निर्यात के स्टीमरों में जगह	Steamer Accommodation for Coir exports.	76

अता. प्र. संख्या
S.Q Nos,

4846.	गवर्नरों के लिए सिद्धान्त नियत करने सम्बन्धी गवर्नरों की समिति की रिपोर्ट	Report of Committee of Governors of lay down norms for Governors	76
4847.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय में वैज्ञानिकों के रिक्त पद	Vacant posts of scientists in Publication and Information Directorate of C.S.I.R.	77
4848.	सहायता कार्य हेतु सैनिक हवाई जहाजों को रोकने सम्बन्धी पाकिस्तान के आरोप	Allegations made by Pakistan to delaying Military Aircraft for relief work.	77
4849.	श्रीमती महाकौर को उसके पति तथा सास द्वारा जिन्दा जलाये जाने का समाचार	Alleged burning alive of Smt. Maha Kaur by her Husband and Mother-in-law.	77—78
4850.	अगरबत्ती का निर्यात	Export of Agarbatti.	78—79
4851.	खादी का निर्यात	Export of Khadi.	79
4852.	दिल्ली में अपने आप को संसद सदस्य बताने वाले व्यक्ति के विरूद्ध जांच	Enquiry against a person posing as a member of Parliament in Delhi.	79
4853.	रिश्वतखोरी, कदाचार और धोखादेही के कारण सेना तथा सीमा शुल्क अधिकारियों के विरूद्ध मुकदमें	Prosecution of Army and Custom Official for bribery, misconduct and cheating.	79—80
4854.	राज्यपालों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय	Decisions taken at Governors' Conference.	80
4855.	गंडक तथा सोन नदी योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Gandak and Sone Rivers Plans.	80—81
4856.	राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in States.	81
4857.	राज्यों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान अफगान एवं ईरानी राष्ट्रिकों को हुई हानि	Loss sustained by Afghan and Irani Nationals during Communal Riots in States.	81—82
4858.	बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल को तैनात करने के बारे में अनुरोध	Request for Deploying C. R. P. Force in Bihar.	82
4859.	जिम्मी नागा हिन्दुओं का ईसाई धर्म में बलात परिवर्तन किया जाना	Conversion of Jimmy Naga Hindus into Christianity.	82—83
4860.	पूर्व आयोजित साम्प्रदायिक दंगे	Pre-planned Communal Riots.	83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
4861. बरगी सिंचाई परियोजना (मध्य प्रदेश)	Bargi Irrigation Project (Madhya Pradesh).	83
4863. विभिन्न राज्यों के निर्यात से आय	Export Earnings of various States.	84--86
4864. विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिये व्यापारियों को प्रोत्साहन	Incentives to Traders for Exporting various items.	86—87
4865. चंदन बांध द्वारा सिंचाई	Irrigation by Chandan Dam.	87—88
4866. पश्चिमी बंगाल में बम बनाने या उन्हें ले जाते समय मरे तथा घायल हुए व्यक्ति	Persons killed and injured in West Bengal while making or carrying Bombs.	88
4867. श्रमिक संकट के कारण चंदन जलाशय परियोजना के पूरा होने में विलम्ब की आशंका	Delay in completion of Chandan Reservior Project due to Labour trouble.	88—89
4868. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड नई दिल्ली के कर्मचारियों का उसके प्रादेशिक केन्द्रों में स्थानान्तरण	Transfer of Employees of All India Handicrafts Board, New Delhi to Regional Centress.	89
4869. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अधीक्षकों की प्रवरता सूची को अन्तिम रूप देना	Finalisation of seniority list of Superintendents in National Sample Survey Directorate.	89—90
4870. चंडीगढ़ में दुकानों को नया रूप देने तथा पार्कों को हटाने की मांग	Demand for Re-modelling of Shops and removal of Parks in Chandigarh.	90
4871. दिल्ली में नक्सलवादियों का आन्दोलन	Naxalite Movement in Delhi	90
4872. राज्यों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में की गई जांच	Enquiry made into Communal riots in State.	91
4873. 1967 की हड़ताल के दौरान निलंबित दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Delhi Policemen suspended/dismissed during 1967 strike.	91—92
4874. पश्चिमी बंगाल में हुई हत्याएं तथा हिंसक घटनाएं	Murders and acts of violence commited in West Bengal.	92
4875. महाराष्ट्र सरकार के एक उप-मंत्री का तस्करी में कथित हाथ	Alleged involvement of a Dy. Minister of Maharashtra in smuggling.	92—93
4876. पश्चिमी बंगाल सरकार के विधायी विभाग के सचिव श्री आर. आर. बिस्वास की हत्या	Murder of Shri R. R. Biswas, Secretary, Legislative Department of West Bengal Government.	93

अता. प्र. संख्या
S.Q.Nos.

4877.	चेकोस्लावाकिया के साथ व्यापार समझौता	Trade agreement with Czechoslovakia.	93—94
4878.	नर्मदा बेसिन में जल-परियोजना के लिए संयुक्त अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से तकनीकी तथा अन्य सहायता	Assistance by U.S.A.I.D. for a project of water in Narmada Basin.	94—95
4879.	अन्य देशों के उत्पादकों के लिये राष्ट्रीय उत्पादन से कोटा	Quota from national production for project of other countries.	95
4880.	देश में टर्बो-जेनरेटरों के निर्माण में प्रगति	Manufacture of Turbo-Generators.	95—96
4881.	राज्यों में ग्रामों का विद्युतीकरण	Rural electrification in States.	96—97
4882.	निर्यात के लिये इंजीनियरिंग माल बनाने वाले एककों की क्षमता में वृद्धि करना	Enhancing capacity of engineering goods for export.	97
4883.	मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल) गांवों में बिजली लगाने सम्बन्धी योजना	Scheme for rural electrification of Midnapur (West Bengal).	97—98
4884.	संसद् सदस्यों द्वारा अन्दमान की जेल कोठरी का दौरा	Visit by member of Parliament to Andaman Cellular Jail.	98—99
4885.	मंत्रालय में हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति	Recruitment of Hindi Translators in Ministries.	99
4886.	अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Temporary Government Employees.	100
4887.	कुछ श्रेणियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Post for Certain Classes.	100
4888.	1971-72 वर्ष के लिए वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Annual Plan for 1971-72.	100—101
4889.	साड़ियों का निर्यात	Export of Sarees.	101—102
4890.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा खाद्य पदार्थों के परिक्षण के लिये किरनीयन तकनीक का पता लगाना	Irradiation Technique for Food Preservation evolved by Bhabha Atomic Research Centre.	102
4891.	परमाणु विस्फोट परीक्षण के लिये स्थान	Sites for Atomic Test Explosion.	103
4892.	नक्सलवादियों को पाकिस्तान से प्राप्त हो रही सहायता	Naxalites getting help from Pakistan.	103

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्न. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
4893. दिल्ली स्थित विभिन्न कार्यालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड दो के पदों पर नियुक्तियां	Appointment of Stenographers Grade II in various Office in Delhi.	103—104
4894. श्री बलदेव सिंह की मृत्यु	Death of Shri Baldev Singh.	105
4895. वैदेशिक व्यापार मंत्रालय के अधीन निकाय	Various Bodies under Foreign Trade Ministry.	105
4896. खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से जापान को लोह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron-Ore of Japan through M.M.T.C.	105—106
4897. पश्चिम जर्मनी में हुआ 'पार्टनर्स फार प्रोग्रेस' मेला	'Partners for Progress' Fair held in West Germany.	106
4898. मनीपुर सिंचाई सर्किल के लिये इंजीनियरिंग कर्मचारियों की आवश्यकता	Engineering Staff for Irrigation Circle Manipur.	107
4899. कोटा राजस्थान में आयात निर्यात कार्यालय	Import and Export Office at Kota Rajasthan.	107
4900. मनीपुर सरकार के कर्मचारियों की वरीयता	Seniority of Manipur Government Employees.	107—108
4901. मनीपुर के विकास कार्यालयों तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Employees of Development Offices and of Revenue Department Manipur.	108
4902. केरल में समुद्री कटाव से प्रभावित तटीय भूमि की लम्बाई	Length of Coast Line affected by Sea Erosion in Kerala.	109—110
4903. रूस को कच्चे पटसन का निर्यात	Export of Raw Jute to U. S. S. R,	110
4904. अमरीका के साथ सूती कपड़े सम्बन्धी करार	Cotton Textile Agreement with U.S.A.	110—111
4905. पश्चिम बंगाल में कुछ गावों की भूमि का जल से कटाव तथा उसका संरक्षण	Erosion of Villages in West Bengal and protection thereof.	111—112
4906. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत मंडल के विचाराधीन ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाएं	Schemes of Rural Electrification pending with West Bengal State Electricity Board.	112

अता . प्र . संख्या
S.Q.Nos.

4907.	दिल्ली न्यायपालिका द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में शिकायतें	Complaints re: Victimization by Delhi Judiciary,	112—113
4908.	बम्बई में कम्बाटा के संस्थानों पर छापा	Raid on Cambata's establishments in Bombay.	113
4909.	दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार	Corruption among Judicial Officers of Delhi.	114
4910.	दिल्ली के सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध आरोप	Charges against Sub-Divisional Magistrate, Delhi.	114
4911.	ग्वालियर रेयन की बेकार क्षमता	Idle Capacity of Gwalior Rayon.	115
4912.	सरकारी सेवाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अन्तःप्रवेश	Infiltration of R. S. S. in Government Services.	115
4913.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के लिये कर्मचारियों की सूची का पुनरीक्षण	Revision of Select List of National Sample Survey Directorate Personnel.	116
4914.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के किसी अधिकारी की एक विभाग अथवा मंत्रालय में निरन्तर रूप से कार्य करने की अधिकतम अवधि	Period of stay of an Officer of Indian Statistical Service prescribed in any Department or Ministry.	116—117
4915.	दिल्ली में विद्युत की भारी कमी होने की आशंका	Apprehension of acute Power Shortage in Delhi.	117—118
4916.	वर्ष 1968-69 से राष्ट्रीय आय	National Income in 1968-69.	118
4917.	इलेक्ट्रोनिक उद्योग का बड़े तथा छोटे पैमाने के क्षेत्रों में शामिल किया जाना	Inclusion of Electronics Industry Large and Small Scale Sectors.	118—119
4918.	कम्प्यूटरों का आयात	Import of Computors.	119
4919.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात	Exports by Minerals and Metals Trading Corporation.	119—120
4920.	बगान के उद्योग के उत्पादों के मूल्यों में कमी	Decline in Prices of Products of Plantation Industry.	120
4921.	सिऊल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) में कर्मचारियों के चयन की पद्धति	Mode of Selection of Workers in Siul Project (Himachal Pradesh).	120
4922.	निर्यात प्रधान उद्योगों में बेल्जीयम के साथ सहयोग	Collaboration with Belgium in Export Oriented Industries.	120—121

अता.प्र.संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4923.	रुई के मूल्य के बारे में इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन की बैठक	Meeting Indian Cotton, Mills Federation re: Price of Cotton.	121
4924.	प्रधान मंत्री के सचिवालय में नये अधिकारियों की नियुक्ति	New Officers added to P. M's Secretariat.	122—125
4925.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों और प्रबन्धकों के बीच विवाद का निपटारा	Settlement of dispute between D. E. S. U. Engineers and its Management.	125
4926.	सांप की खाल का निर्यात	Export of Snake Skin.	125—126
4927.	सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का विद्युतीकरण	Electrification of Unnao District of Uttar Pradesh to provide Irrigational facilities.	126—127
4928.	हिन्दी को मातृ भाषा बताने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार के एक मंत्री का कथित वक्तव्य	Alleged Statement by a Minister of Punjab Government re: Action on Claiming Hindi as Mother Tongue.	127
4929.	भाखड़ा परियोजना से पैदा होने वाली बिजली में चंडीगढ़ के लिए कोटा	Quota for Chandigarh in Electric Power produced by Bhakra Project.	127—128
4930.	ब्यास परियोजना में कार्य प्रभारी कर्मचारी	Work-charged Staff in Beas Project.	128—129
4931.	ब्यास कन्सट्रक्शन बोर्ड और पंजाब के ऋण देने वाले विभाग के बीच हुई शर्तें	Terms and Conditions settled between Beas Construction Board and Lending Department of Punjab State.	129
4932.	महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से केलों का निर्यात	Export of Bananas from Maharashtra and Madhya Pradesh.	129
4933.	नवथा के निकट ताप्ती नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Dam on the Tapti River near Navtha.	130
4934.	फ्रांस के व्यापार मिशन की भारत यात्रा	Visit by French Trade Mission to India.	130
4935.	आसाम को अपने क्षेत्र में शामिल करने के पाकिस्तान के प्रयास	Pakistan's reports to include Assam in its Territory.	130
4936.	बम्बई में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गिरोह का पता लगाना	Unearthing of Foreign Exchange racket in Bombay.	131

अता. प्र. संख्या
S.Q.Nos.

S.Q.No.	विषय	Subject	Pages
4937.	केन्द्रीय मंत्रियों के वेतन, परिलब्धियों तथा उनकी यात्राओं पर व्यय	Expenditure incurred on account of Salaries perquisites and Tours undertaken by Union Ministers.	131—132
4938.	आर. के. नय्यर की फर्मों का काली सूची में सम्मिलित किया जाना	Black listing of R. K. Nayyar's concerns.	132
4939.	'अग्नि परीक्षा' पुस्तक में संशोधन करने के लिए आचार्य तुलसी का प्रस्ताव	Offer from Acharya Tulsi to amend the book 'Agni Pariksha.	132—133
4940.	चन्डीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान दिया जाना	Grant of Punjab Pay Scales to the employees of Chandigarh.	133
4941.	प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के वैज्ञानिक कर्मचारियों के संगठन द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के चेयरमैन को ज्ञापन दिया जाना	Memorandum submitted to Chairman of C. S. I. R. by Scientific Workers' Association of Regional Research Laboratory, Hyderabad.	133—134
4942.	टेल्को और टिस्को के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of workers of T. E. L. CO. and T.I.S. Co.	134
4943.	भारत तथा चेकोस्लोवाकिया द्वारा तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रम	Joint ventures by India and Czechoslovakia in Third Countries.	134
4944.	हथकरघा वस्तुओं की मांग में कमी	Decline in Demand for Handloom Products.	135
4945.	सिंचाई सुविधाओं के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि	Increase in Agriculture production due to Irrigation facilities.	135
4946.	चौथी योजना की अवधि के दौरान बेरोजगारी की स्थिति सम्बन्धी अनुमान तथा संभावित नौकरियां	Estimates of Unemployment and Jobs expected to be created during Fourth Plan.	135—136
4947.	सेवा निवृत्त हुए अस्थायी सरकारी कर्मचारी	Unconfirmed Government Employees Retired.	136
4948.	न्यू राजेन्द्र नगर, दिल्ली में एक जल पाईप लाइन की कथित चोरी	Alleged theft of a Water Pipeline in New Rajendra Nagar, Delhi	136—137
4949.	खादी ग्रामोद्योग भवन के प्रबन्धक द्वारा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत	Complaint lodged by Managar of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi with Parliament Street Police Station.	137

अता.प्र.संख्या
S.Q.Nos.

4950.	खादी ग्रामोद्योग भवन के एक कर्मचारी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया जाना	Registration of a case against an employee of Khadi Gramodyog Bhavan.	138
4951	दिल्ली स्थित दरियागंज पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई राजस्व की चोरी की शिकायत	Complaint Registered by Daryaganj Police Station, Delhi re: Theft and Leakage of Revenue.	138—139
4952.	सिविल डिफेंस तथा होम गार्ड्स निदेशालय में अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Directorate of Civil Defence and Home Guards.	139
4953.	नागरिक प्रतिरक्षा संगठन, दिल्ली, में स्टाफकारों का उपयोग	Use of Staff Car in Civil Defence Organisation of Delhi,	140
4954.	नागरिक प्रतिरक्षा निदेशालय, दिल्ली में सरकारी परिवहन का दुरुपयोग	Misuse of Government transport in Directorate of Civil Defence, Delhi.	140
4955.	तामिलनाडु में ग्राम विद्युतिकरण के लिए उपकरणों की कमी	Shortage of materials for rural electrification projects in Tamil Nadu.	141
4956.	आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के पास लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी अनिर्णीत मामले	Pending cases with Chief Controller of Imports and Exports for issue of licences.	141
4957.	केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती किये गये हिन्दी जानने वाले व्यक्ति	Hindi knowing persons recruited in Central Services.	141—142
4958.	हिमाचल प्रदेश के सहारन, जिला महासू में अहाते की दीवार का गिराया जाना	Demolition of compound wall at Sarahan, District Mahasu in Himachal Pradesh.	142—143
4959.	बुरहानपुर-ताप्ती मिल का बन्द होना	Closure of Burhanpur Tapti Mill.	143
4960	पांडिचेरी के भूतपूर्व फ्रांसीसी अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Ex. French officials of Pondicherry,	143—144
4961.	पांडिचेरी के भूतपूर्व फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा पेन्शन निधि में अंशदान	Pension fund contribution of Pondicherry ex-French Officials.	144
4962.	सीना नदी पर कोलेगांव परियोजना के कार्य में प्रगति	Progress of Kolegaon Project on River Sina,	144
4964.	कच्चा माल बैंक की स्थापना	Establishment of Raw Material Bank.	144—145

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता.प्र.संख्या S.Q.Nos.		
4965. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में सीनियर इन्वेटीगेस्टीरों की नियुक्ति	Appointment of Senior Investigators in Central Statistical Organisation.	145
4966. भारतीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जातियों के सीनियर इन्वेस्टीगेटरों के स्थायीकरण तथा पदोन्नति सम्बन्धी अनिर्णीत मामले	Promotion and Permanency Cases of Scheduled Caste Senior investigators pending in Indian Statistical Organisation,	146
4967. मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना	Completion of Major Irrigation Projects.	146—147
4968. दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों के साथ व्यापार संतुलन	Balance of Trade with Hard Currency Areas.	147
4969. दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांचाधीन पड़े पंजीकृत मामले	Registered Cases pending Investigation of CBI in Delhi.	148
4970. कृत्रिम रेशम के धागे का उचित मूल्य	Fair Prices of Art Silk Yarn.	149—150
4971 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करना	Grant of advance increments to Stenographers in C.S.I.R.	150—151
4972. भारतीय सांख्यिकीय सेवा में संवर्ग ढांचे का पुनर्विलोकन	Review of Cadre Structure of Indian Statistical Service.	152
4973 केन्द्रीय सरकार के सचिवों की नियुक्तियों में परिवर्तन	Changes in Appointment of Secretaries to Government.	152—153
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance-	
श्रीमती परिमल घोष तथा उनके पुत्र को कलकत्ता में उनके निवास स्थान पर छुरा घोंप दिये जाने का समाचार	Reported stabbing of Mrs. Parimal Ghosh and her son at their residence at Calcutta.	154—156
श्री स०मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee.	154
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant.	154—156
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table.	156—158
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha.	158

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता.प्र.संख्या S.Q.Nos.		
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions.	
70 वां प्रतिवेदन	Seventieth Report,	158
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	
16 वां तथा 17 वां प्रतिवेदन	Sixteenth and Seventeenth Reports.	158—159
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	Committee on Subordinate Legislation.	
7 वां प्रतिवेदन	Seventh Report,	159
नेविले मैक्सवेल की पुस्तक 'इन्डयाज चाइना वार' के बारे में वक्तव्य	Statement re : Neville Maxwell's Book, 'India's China War'.	159—167
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram.	159—161 and 167
सभा का कार्य	Business of the House.	168—170
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के बारे में प्रस्ताव	Motions re: Modification of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.	170—190
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Viswanatham.	182—183
श्री एम० सुदर्शनम्	Shri M. Sudarsanam.	183—184
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D.N. Patodia.	184—186
श्री स०मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee.	187—188
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma.	188—189
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S.S. Kothari.	189—190
उड़ीसा के लिये पटसन मिल के सम्बन्धमें प्रस्ताव	Motion re: Jute Mill for Orissa.	190—195
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy.	190—191 and 195
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar.	191
श्री प्र०के०देव	Shri P.K. Deo.	191—192
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray.	192
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shrichand Goyal.	192
श्री इसहाक संभली	Shri Ishaq Sambhali.	192
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu.	192—193

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता. प्र. संख्या S.Q.Nos.		
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu.	193
श्री क०ना० तिवारी	Shri K.N. Tiwary.	193
श्री रंगा	Shri Ranga.	193
डा. राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh.	193—194
श्री ल.ना. मिश्र	Shri L.N. Mishra.	194—195
आधे-घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion	
केन्द्रीय मछली पालन निगम के बारे में	re: Central Fisheries Corporation.	195—199
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhuri.	195—197
श्री अन्नासाहेब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde.	198—199
चीनी की वर्तमान स्थिति तथा गन्ने के मूल्य के बारे में चर्चा	Discussion re: Sugar Position and Cane Price.	199—205
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K.N. Pandey.	199—200
श्री क०ना० तिवारी	Shri K.N. Tiwary.	200—201
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N.K. Somani.	201—202
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam.	202—203
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri.	203
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma.	204
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshi Das Jadhav.	204—206

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 16 दिसम्बर, 1970/25 अग्रहायण, 1892 (शक)
Wednesday, December 16, 1970/Agrahayana 25, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय ठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नारियल जटा उद्योग का विकास

*751. **श्री मंगलाथूमाड्म** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल सरकार से नारियल जटा उद्योग के विकास की 15 करोड़ रु० की योजना कब प्राप्त हुई थी ;

(ख) योजना आयोग द्वारा नारियल जटा उद्योग के सम्बन्ध में अध्ययन के लिये नियुक्त अध्ययन दल को उक्त योजना कब सौंपी गई थी और इस अध्ययन दल ने जिसके अध्यक्ष डॉ० के० वी० राव थे, कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ;

(ग) अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी रामसेवक): (क) जनवरी 1968 में।

(ख) योजना आयोग ने अध्ययन दल का गठन जुलाई, 1969 में किया था और अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन अगस्त, 1970 में प्रस्तुत किया।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समिति की सब से महत्वपूर्ण सिफारिश केरल सरकार की स्कीम के लिये वित्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है । अध्ययन दल ने चौथी योजना की अवधि में इस स्कीम की वित्तीय आवश्यकता का पुन: आकलन कर के 6.99 करोड़ रु० आंका है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

	करोड़ रु० में
1. कार्यकारी पूंजी	4
2. ब्याज पर आर्थिक सहायता	1
3. शयर पूंजी में अंशदान	0.45
4. भाव उतार-चढ़ाव निधि	0.50
5. गोदाम तथा विक्रय डिपो	0.50
6. प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता	0.44
7. अतिरिक्त कर्मचारी वृन्द	0.10
योग रुपये	6.99

उपरोक्त ऋण के अतिरिक्त आरम्भ में 1 करोड़ रु० की राशि सरकारी निधियों से,देने का इरादा है जिससे कि सहकारी संस्थाएँ बैंकों से ऋण ले सकें ।

इसमें समिति से, 4 करोड़ रु० की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता को संस्थात्मक वित्त द्वारा पूरी करने का प्रबन्ध किया जायेगा । शेयर पूंजी में 45 लाख रु० के अंशदान को राज्य सरकार द्वारा पहले दिये जा चुके ऋणों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करके पूरा किया जायेगा । क्योंकि चौथी योजना में केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये 3 करोड़ रु० की व्यवस्था पहले ही शामिल है अत: 54 लाख रु० की शेष राशि के लिये केन्द्रीय सहायता का अतिरिक्त प्रावधान करने का प्रश्न विचाराधीन है । भारत ने स्टेट बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह आरम्भ में 3 करोड़ रुपये तक के ऋण 12 अर्थक्षम सहकारी संस्थाओं को देने की सुविधाएँ दे ।

अध्ययन दल की बड़ी-बड़ी सिफारिशों को सरकार ने सिद्धांतः स्वीकार कर लिया है ।

श्री मंगलाथूमाड्म : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करगे कि कौनसी सिफारिशें मंजूर कर ली गयीं है और कौनसी नामंजूर ?

चौधरी रामसेवक : अध्ययन दल ने लगभग 61 सिफारिशें की हैं। मुख्य सिफारिशें आन्तरिक व्यापार, विदेशों में प्रचार, नारियल जटा के नये प्रयोग तथा सहकारी समितियों को वित्तिय सहायता देना आदि हैं। इनमें से अधिकतर सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं।

श्री मंगलाथुमाड्म : वे सिफारिशें कौन सी हैं जो सरकार द्वारा नामंजूर कर दी गयी हैं।

चौधरी रामसेवक : मैं उन्हें बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मंगलाथुमाड्म : केरल सरकार ने जनवरी 1968 में एक योजना प्रस्तुत की थी अब तीन वर्ष पश्चात् मंत्री महोदय कहते हैं कि अध्ययन दल की बड़ी-बड़ी सिफारिशें सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गयी हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को अध्ययन दल की सिफारिशों के बारे में अन्तिम तथा स्पष्ट निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

चौधरी रामसेवक : नारियल जटा बोर्ड को स्थिति से अवगत करा दिया गया है और यह बोर्ड सिफारिशों को क्रियान्वित करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। औद्योगिक विकास मंत्रालय में औद्योगिक सहकारी समितियों के आयुक्त ने 7 दिसम्बर को, सक्षम एककों आदि के लिये ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनाई जायेगी उसे दोहराते हुये, केरल सरकार को लिखा था।

श्री लोबो प्रभु : जबकि हम इस पर चिन्तित हैं कि सरकार को इस प्रतिवेदन के विषय में निर्णय लेने में तीन वर्ष का समय लग गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रतिवेदन केवल केरल से ही सम्बन्धित हैं। मेरे जिले में समुद्र के पश्चिमी तट पर नारियल उगाया जाता है। और वहाँ केरल के किसी भी जिले के समान नारियल तथा नारियल जटा का उत्पादन होता है। इसलिये क्या इस प्रतिवेदन की सिफारिशें पश्चिमी तट के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लागू नहीं होनी चाहिये। और क्या सरकार ऐसा करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करेगी ?

चौधरी रामसेवक : यह प्रतिवेदन सम्पूर्ण नारियल जटा उद्योग पर लागू होगा।

श्री लोबो प्रभु : उद्योग से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या ये सिफारिशें सम्पूर्ण समुद्र तट के लिये मान्य होगी। दक्षिण केनरा में कोई भी सहकारी समिति तथा इस प्रकार का संगठन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न के क्षेत्र की ओर ध्यान दें।

श्री लोबो प्रभु : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा चुनाव क्षेत्र भी इस प्रतिवेदन से लाभान्वित होने का अधिकारी है।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिये आप को अलग से प्रश्न करना चाहिये। श्रीमती गोपालन।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : सरकार जो निर्णय लेती है वह सम्पूर्ण नारियल जटा उद्योग पर लागू होगा।

श्री लोबो प्रभु : धन व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है।

श्री ल० ना० मिश्र : विवरण में जो 6 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की बात की गई है वह सम्पूर्ण उद्योग को आधुनिकीकरण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए दी जायेगी । इसलिये मद्रास अथवा केरल के समुद्र तट का प्रश्न ही नहीं है, यह सम्पूर्ण उद्योग के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब मैं किसी दूसरे सदस्य का नाम पुकारूं तो वह खड़े न हों । मैंने श्रीमती गोपालन का नाम पुकारा और उसी बीच आप उठ खड़े हुए ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इस समय हम विदेशी मण्डियों में से संश्लिष्ट रेशों की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं । इन संश्लिष्ट देशों से प्रतिस्पर्धा करना बड़ी कठिन है और इस उद्योग के लिये राज सहायता नितान्त आवश्यक है । क्या इस समिति ने इस उद्योग को राज सहायता देने की कोई सिफारिश की है जिससे हम विश्व के बाजारों में संश्लिष्ट देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकें और इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

चौधरी रामसेवक : यह सच है कि हम संश्लिष्ट देशों की कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं । इस समय नारियल जटा से बनी वस्तुओं तथा नारियल जटा के धागों के निर्यात पर लगभग 15 प्रतिशत निर्यात शुल्क है । अध्ययन दल ने 7½ प्रतिशत निर्यात की सिफारिश की है इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जनवरी–अक्टूबर 1969 की अपेक्षा जनवरी–अक्टूम्बर 1970 की अवधि में नरियल जटा के निर्यात में कमी होने के बजाय उसकी मात्रा में 23 प्रतिशत तथा मूल्य में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः वित्तीय सहायता के बारे में विचार करने के लिये कोई ऐसी स्थिति ही नहीं है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इस समय नारियल से बनी वस्तुओं के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है । नारियल जटा से बनी वस्तुओं तथा नारियल जटा के धागों की दरों में बहुत बड़ा अन्तर है । भाड़े के लिये उपदान देने का क्या कोई प्रस्ताव है ?

श्री ल०ना० मिश्र : प्रश्न राज सहायता तथा नारियल जटा के उत्पादकों के निर्यात पर शुल्क लगाने के विषय में है । जहाँ तक शुल्क कम करने या इसे पूर्णतया हटा देने का प्रश्न है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पिछले तीन महीनों में हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है । इसलिये मेरे विचार से नारियल जटा के निर्यात पर शुल्क कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इस समय नारियल जटा से बनी वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री विश्वम्भरन ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : वह गलत सूचना दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था के अनुसार कार्य करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इस समय नारियल जटा से बनी वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं है ।

श्री ल०ना० मिश्र : मैं नारियल जटा के धागे तथा उनके निर्यात के विषय में बता रहा हूं । उस पर शुल्क लगाया जाता है और उस शुल्क को कम करने की मांग की जा रही है । इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया और हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि स्थिति जैसी है वैसी रहनी चाहिये ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : प्रश्न यह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आप तर्क वितर्क में नहीं पड़ सकती । यदि प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं है तो आप मुझे लिख सकती है ।

श्री इ० के० नायनार : मंत्री महोदय को तथ्यों का पता नहीं हैं ।

श्री ल०ना० मिश्र : मुझे पता है ।

श्री इ० के० नायनार : हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर ठीक नहीं है, तो प्रक्रिया के अन्दर उसका उपाय उपलब्ध है । तो आप तर्क क्यों कर रहे हैं ?

श्री ल०ना० मिश्र : यह गलत सूचना नहीं है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : नारियल जटा से बनी वस्तुओं तथा नारियल जटा के धागों के भाड़े की दरों में बड़ा अन्तर है । विश्व के बजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिये सरकार को माल भाड़े में राज सहायता देनी चाहिये, मेरा तात्पर्य पोत परिवहन भाड़े से है ।

श्री ल० ना० मिश्र : इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं है । जो स्थिति है मैं उसके बारे में बता रहा हूं । इस समय नारियल जटा के धागों के निर्यात पर 15 प्रतिशत शुल्क है । 1966 में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात नारियल जटा का 25 प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया गया था । नारियल जटा के धागों के निर्यातकों के सुझाव पर शुल्क बढ़ा घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया था । यह स्थिति अभी भी चल रही है ।

श्री पी० विश्वम्भरन : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य इस उद्योग के विकास के लिये संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । विवरण में यही कहा गया है ।

> "स्टेट बैंक आफ इन्डिया से 12 सक्षम सहकारी समितियों के लिये लगभग 3 करोड़ रुपये के ऋणों की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है"

इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं जिन्हें नारियल जटा उद्योग की सहकारिताओं

को स्वीकार कर सकना संभव नहीं है । रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में मैंने भाग लिया है । केरल सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की शर्तों का नारियल जटा उद्योग द्वारा स्वीकार किया जाना संभव नहीं है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया से कहेंगे कि वे अपनी शर्तों में ढील दें जिससे नारियल जटा उद्योग की सहकारी समितियां उन्हें स्वीकार कर सकें और संस्थागत वित्तीय पोषण का लाभ उठा सकें ?

दूसरे मैं एक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोचीन तथा एल्लेप्पी पत्तनों पर 2 करोड़ रुपये के मूल्य की नारियल जटा की वस्तुएं पड़ी हुई हैं और उनके लिये पोत परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हैं । मंत्री महोदय ने इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी रामसेवक : जहाँ तक उद्योग के लिये वित्तीय व्यवस्था का प्रश्न है, 4 करोड़ रुपये की राशि संस्थात्मक वित्तीय पोषण से उपलब्ध होगी । 45 लाख रुपये के अंशदान को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जायगा और 3.54 करोड़ रुपये की राशि राज्य की निधियों से प्राप्त की जायगी । इस प्रकार केवल 54 लाख रुपये की राशि के लिये प्रबन्ध करना शेष रह जाता है । उसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है । जहाँ तक पोत परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न है ऐसी शिकायतें हमारे पास आ चुकि हैं और हमने इसकी व्यवस्था करने के लिये पोत परिवहन मंत्रालय को लिख दिया है उन्होंने बताया है कि हाल में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री पी० विश्वम्भरन : श्रीमान मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने मंत्री से यह पूछा है कि क्या रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंड़िया से उनकी शर्तों में ढील देने के लिये कहा जायगा जिससे नारियल जटा उद्योग की सहकारी समितियों को इन बैंकों से धनराशि प्राप्त हो सके । वर्तमान शर्तों के अनुसार वे धनराशि प्राप्त नहीं कर सकती है ।

श्री ल०ना० मिश्र : मुख्य उत्तर में मैंने सिफारिशों के बारे में बताया है । संस्थात्मक वित्तीय पोषण से अध्ययन दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी । रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया भी वित्तीय संस्थायें हैं । इस विषय में कोई संदेह नहीं कि परिस्थितियों के सामान्य रहते हुए, दूसरे साधनों से भी सहायता की जा सकती है ।

श्री ए०सी० जार्ज : मंत्री महोदय ने बताया है कि अध्ययन दल की कुछ सिफारिश स्वीकार कर ली गई है तथा कुछ को नामंजूर कर दिया गया है । इस समय पोत परिवहन की सुविधा की बहुत बड़ी कठिनाई है । क्या मंत्री महोदय भारतीय जहाजरानी निगम से अनुरोध करेंगे कि वह इसके लिए विशिष्ट आरक्षण की व्यवस्था की जाय ।

चौधरी रामसेवक : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच नहीं है कि जब सरकार इस पूरी योजना के लिये संस्थात्मक वित्त के तथा अन्य दूसरे दीर्घकालीन उपायों पर विचार कर रही है ?

केरल के उद्योग मंत्री ने जो हाल ही में मंत्री महोदय से मिले थे, यह माँग की थी कि कम से कम शेष वित्त वर्ष में कार्यक्रमों को चलाने के लिए सहकारी समितियों के लिये कम से कम 75 लाख रुपये की तदर्थ अनुदान अथवा ऋण दिया जाय और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

श्री ल०ना० मिश्र : केरल के उद्योग मंत्री मुझसे मिले थे तथा हमने केरल में औद्योगिक विकास के बारे में काफी लंबी चर्चा की थी । वह कुछ वित्तीय सहायता भी चाहते थे । मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं वित्त मंत्रालय से इस बारे में पुनः जांच करूंगा ।

शायद सहायता के रूप में उन्हें 45 लाख रुपया दिया जाना है और यदि और अधिक राशि की आवश्यकता हुई तो केरल सरकार की सहायता करने का हम प्रयास करेंगे ताकि वहां की नारियल जटा का उद्योग समृद्धि पा सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 752–श्री दण्डपाणि अनुपस्थित । श्री मयावन––अनुपस्थित प्रश्न संख्या 753 ।

गैर परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

753. **श्री स० कुन्दू**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की प्रवृत्तियों से यह संकेत मिलते हैं कि चौथी योजनावधि के दौरान निर्यात का संभावित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ;

(ख) क्या निर्यात लक्ष्यों का हाल ही में कोई मूल्यांकन किया गया है, और कोई परिवर्तन सुझाये गए हैं और यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ऐसी गैर–परम्परागत वस्तुओं का पता लगाने और उनका निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किये गये हैं जिन में अधिक रोजगार की सम्भावनाएँ हैं ; और यदि हां तो उनके नाम क्या हैं ?

विदेशी व्यापार मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) से (ग), एक–विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) गत 3 वर्षों के निर्यात किसी निश्चित प्रवृत्ति के द्योतक नहीं हैं । निर्यातों पर प्रभाव डालने वाले अनेक आर्थिक कारण उत्पन्न हो जाने के फल स्वरूप यह पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है कि निर्यात के लिये चौथी योजना में प्रस्तावित 7 प्रतिशत की वृद्धि दर पूरी हो सकेगी या नहीं, किंतु इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मंत्रालय द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं और किये जाते रहेंगे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह बात उस अध्ययन दल के विचारणीय विषयों में शामिल है जो निर्यात नीति संकल्प में विहित निदेशक सिद्धांतों की क्रियान्विति के संबंध में बड़े, मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में निर्यात विपणन क्षमता का विकास करने के बारे में राय देने के लिये हाल ही में गठित किया गया है ।

श्री स० कुन्दू : यदि आप प्रश्न तथा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य को पढ़ें तो आप को संतोष हो जायेगा कि असंगत बात हम करते हैं या कि मंत्री महोदय हमेशा असंगत उत्तर देते हैं। आप इस प्रश्न तथा उत्तर को अपने अतिरिक्त समय में पढ़कर देख लें ।

अब मैं उन से एक प्रश्न पूछता हूं । सारी योजना निर्यात की कतिपय मात्रा पर आधारित है । वह उत्पादन की दर का 7 प्रतिशत है । अब उत्पादन दर के 7 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि गत पिछले तीन वर्षों में निर्यात की कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं रही है ।

मैंने पूछा था कि क्या उन्होंने उसका अध्ययन करने तथा उसमें संशोधन करने एवम् संवर्द्धन करने संबंधी अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रयास किया है ताकि लक्ष्यों की प्राप्त किया जा सके । इसके उत्तर में उन्होंने कुछ नहीं कहा है ।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या 7 प्रतिशत की विकास दर कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकेगी तथा निर्यात की विकास दर 3 या 4 प्रतिशत तक ही रहेगी; और क्या यही बात हमारे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय के कई विशेषज्ञ विकायों ने भी कही है । मंत्री महोदय इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उक्त विवरण देखा है । विवरण के अन्त में उन्होंने कहा है कि वे 7 प्रतिशत की दर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यह विवरण पढ़ लिया है मंत्री महोदय घर पर थोड़ी तैयारी करें और यह पूछे गये प्रश्नों का संगत और पूर्ण उत्तर दें ।

श्री ल० ना० मिश्र : निर्यात में वृद्धि का हमारा 7 प्रतिशत का लक्ष्य है । यह सच है कि हम अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं और हम यह भी अनुभव कर रहे हैं कि निर्यात में वृद्धि करने के संबंध में हमारे सामने कठिनाइयां हैं ।

माननीय सदस्य की यह बात सही है कि अब तक केवल 3 या 4 प्रतिशत की वृद्धि रही है । परन्तु कुछ सप्ताह के बाद कुछ जोरदार कार्यक्रम चलाने के प्रयास करने जा रहे हैं जिससे कि विरोध रूप से गत छः माह के निर्यात में जो गिरावट आई है जो कि मुख्यतः कलकत्ता गोदी में हड़ताल के कारण हुआ है जिसमें अन्य पत्तनों पर से हुए 18 प्रतिशत अधिक के निर्यात की तुलना में यहां हमने 61 दिनों की हड़ताल में 41 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात खो दिया उसे पूरा किया जा सके ।

इसका एक विरोधी पहलू भी रहा है । कच्चा माल विशेष रूप से इस्पात उपलब्ध नहीं हुआ । इसलिये हम कठिनाइयों में हैं । इस में कोई भी संदेह नहीं है । अतः निर्यात को बढ़ाने के लिये एक

प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना जरूरी है । जूट के निर्यात के लिये हम कुछ प्रोत्साहन योजनायें चालू करने जा रहे हैं ।

परन्तु यह सही है कि निर्यात लक्ष्यों के बारे में हम कठिनाई में हैं । हम 7 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगे । परन्तु निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ।

श्री स० कुन्दू : मुझे खेद है अध्यक्ष महोदय कि कभी-कभी मुझे किसी सीधे प्रश्न के लिए असंगत उत्तर की शिकायत आप से करनी पड़ती है । मेरे प्रश्न के (ग) भाग में कहा गया है—

"क्या ऐसी गैर परम्परागत वस्तुओं का पता लगाने और उनका निर्यात बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं जिनमें अधिक रोजगार की संभावनायें हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

मेरा प्रश्न रोजगार की अधिक संभावनाओं वाली मदों तथा उनके नामों से संबंधित है । यदि आप मंत्री महोदय का उत्तर पढ़ें तो उसमें लिखा है —

"यह बात उस अध्ययन दल के विचारणीय विषयों में शामिल है जो निर्यात नीति संकल्प में विदित निदेशक सिद्धांतों की क्रियान्विति के संबंध में, बड़े, मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में निर्यात विपणन क्षमता का विकास करने के बारे में राय देने के लिए हाल ही में गठित किया गया है ।

यह सब निरर्थक बात है। जब मेरा प्रश्न एकदम स्पष्ट है – उन गैर-परम्परागत वस्तुओं का नाम जानना जिनमें रोजगार की अधिक संभावनायें हैं तथा जिनमें निर्यात की अधिकाधिक संभावनायें हैं– उन्होंने वे वस्तुयें नहीं बनाई हैं । मंत्री महोदय कृपया घर भी कुछ कार्य किया करें तथा किये गये प्रश्नों का संबंधित तथा पूरा उत्तर दिया करें ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी आदत लंबी भूमिकायें बांधने की है । आप सीधा प्रश्न क्यों नहीं पूछते ? आप कहिये कि नाम बतायें । यह लंबी भूमिका क्यों ? इसका तो कोई लाभ नहीं है । कृपया ऐसा मत कीजिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं उन मदों के नाम बता सकता हूं ।

श्री स० कुन्दू : आपने पहले क्यों नहीं दिया ? इस जानकारी के लिए मुझे अनुपूरक प्रश्न क्यों पूछना पड़ता । काजू, इंजिनियरी का सामान, चमड़े का समान आदि गैर-परम्परा वस्तुओं की निर्यात क्षमताएं विदेशी बाजारों में बढ़ती जा रही हैं तथा इनसे देश में रोजगार की क्षमतायें बढ़ती हैं । सरकार इस संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है । यही मेरा साधारण सा प्रश्न है ।

श्री ल० ना० मिश्र : अनेक गैर-परम्परा वस्तुएँ हैं और मैं इनके नाम बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । यदि माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर विवरण में क्यों नहीं दिया गया। इस बारे में इतनी बेकार की बातें क्यों ?

श्री ल० ना० मिश्र: ये लगभग बीस वस्तुएं हैं। आगे से हम उन्हें विवरण में दे दिया करेंगे । ये विभिन्न वस्तुएं हैं; अरण्डी का तेल, तेल की टिकिया, पैपर, चीनी, काजू, लोह अयस्क,मेंगनीज अयस्क, लोहे तथा इस्पात की छीलन, लोहा तथा स्पात, बिजली परिवहन, उपकरण के अतिरिक्त मशीनें, फैरोमेग्नीज तथा फैरो अलॉय, खनिज पदार्थ, ईंधन–सामग्री, रसायन तथा उनसे संबंधित उत्पाद, रबड़–उत्पाद जूते, क्रोम टेन्ड, नारियल जटा यार्न तथा उनके उत्पाद, सूती धागे, इनके टुकड़ों का सामान (मिलों में निर्मित) आदि । यही वे विभिन्न मदें हैं ।

श्री श्रृद्धाकर सूपकार : क्या इन निर्यात-योग्य वस्तुओं के देशीय उत्पादन पर अधिक लागत आने के कारण ही हम विदेशी मंडियों में प्रतियोगिता नहीं कर पाते । और क्या इसी कारण हम अपना – प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते जैसा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं कह चुका हूँ कि विशेष रूप से पटसन तथा चाय के सम्बन्ध में हम कठिनाइयों तथा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं । ये प्रमुख परंपरा-वस्तुएं हैं और यही परम्परा-वस्तुएँ विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली मुख्य वस्तुएं हैं। गैर–परंपरा वस्तुओं के बारे में कच्चे माल की बात आती है और कभी कभी देश में कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है । उदाहरण के लिये इंजीनियरी सामान को ही लीजिये । यदि हमे इस्पात मिल जाय तो हम कतिपय इंजीनियरी का सामान बना लेते हैं तथा विश्व मंडियों को निर्यात कर देते हैं। यह मुख्य प्रश्न परंपरा के बारे में पाकिस्तान, थाईलैन्ड तथा श्री लंका से प्रतियोगिता का है तथा गैर-परंम्परा वस्तुओं में कच्चे माल की बात आती है।

श्री श्रृद्धाकर सुपकार : मैं तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि सरकार देश में उत्पादन लागत को कम करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि हम बाहरी देशों के साथ प्रतियोगिता में आ सकें ।

श्री ल० ना० मिश्र : सभी मदों में उत्पादन लागत बहुत ऊँची नहीं है । यह कहना गलत होगा कि सभी मदों में उत्पादन लागत अत्यधिक है । देश में यह गलत धारणा व्याप्त है कि देश में उत्पादन लागत बहुत ऊंची है बल्कि अधिकांश मदों में उत्पादन लागत बहुत ऊंची नहीं है और हम प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं परम्परा वस्तुओं में, जूट के मामले में हमारी स्थिति खराब है चाय के बारे में गत वर्ष से, हमने अपनी स्थिति में सुधार किया है क्योंकि चाय के बारे में हमारी स्थिति खराब थी । इसलिये, यह कहना सही नहीं है कि उत्पादन लागत अधिक होना ही निर्यात में गिरावट होने का कारण है ।

श्री ई० के० नायनार : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत सदैव ही लगातार हानि उठाता रहा है । गत 9 वर्षों में, अर्थात् वर्ष 1960 से 1969 तक, हमारा निर्यात लगभग 506 4 करोड़ रुपय का रहा जिसका अर्थ है कि औसतन 56 4 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष । मैं यह जानना

चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देश कुछ गैर-पारंपरिक निर्यात मदों जैसे इंजीनियरिंग की वस्तुएं, कच्चा लोहा तथा इस्पात इत्यादि के देश में आने पर रोक लगा रहे हैं। सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि चौथी योजना में निर्धारित सात प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर पाने के सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की आशा है कि निर्यात में 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

श्री ल० ना० मिश्र : निस्संदेह हमारा लक्ष्य 7 प्रतिशत की प्राप्ति करना है। मैं पिछले तीन वर्षों में लिये गये कर्ज के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1967-68 में 1199 करोड़ रुपये के मूल्य का और 1968-69 में 1358 करोड़ रुपये का तथा 1969-70 में 14-13 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात हुआ था। अतः कुछ वर्षों में यह वृद्धि 4 प्रतिशत हुई थी और कुछ में 13 प्रतिशत किन्तु इस वर्ष इस्पात की कमी तथा हड़ताल के कारण हम अपना निर्यात बढ़ा नहीं पाये हैं।

श्री रंगा : क्या तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है ; मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तम्बाकू के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ किया जा रहा है। क्या राज्य व्यापार निगम तम्बाकू के एक बड़े खरीददार के रूप में मंडी में भाग लेगा जिससे केवल पूर्वी यूरोपीय देशों में हमारा निर्यात न बढ़े अपितु पश्चिमी देश में भी बढ़े।

इस बात के क्या कारण हैं कि अधिकांश निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से क्यों नहीं करने दिया जाता जबकि यह आशा की गई थी कि इसी के माध्यम से पूर्वी यूरोपीय देशों में हमारे निर्यात में प्रगति होगी किन्तु अब इसके विपरीत कुछ गैरसरकारी एजेन्सियों को यह व्यापार करते रहने की अनुमति दी गई है जिससे हमारे निर्यातकर्ताओं तथा तम्बाकू उत्पादकों को कठिनाई हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न बहुत सामान्य प्रश्न है और इसका किसी विशेष वस्तु से सम्बद्ध नहीं है।

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने गैर पारम्परिक मदों का उल्लेख किया था तथा उनके विषय में जानकारी नहीं दी थी, यदि उनके पास इस समय जानकारी नहीं है तो वह उसे बाद में दे सकते हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : तम्बाकू के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश में कुछ कठिनाई है। आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से तम्बाकू का स्टाक पड़ा है। मैं चाहता था कि राज्य व्यापार निगम इस तंबाकू की खरीद ले और जब राज्य व्यापार निगम के लोग उधर गए और तम्बाकू को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह बेचने योग्य नहीं है और उनके द्वारा तम्बाकू न खरीदे जाने का यही एक मुख्य कारण है किन्तु राज्य व्यापार निगम तम्बाकू के बाजार में भाग ले रहा है और यदि कोई गैर सरकारी लोग वहां दिखाई देते हैं तो वह केवल राज्य व्यापार निगम के एजेन्ट है अतः हम चाहते हैं एक राज्य व्यापार निगम मैदान में आए किन्तु निर्यात के क्षेत्र में हम नहीं चाहते कि सरकारी क्षत्र भाग ले क्योंकि हमें सामूहिक रूप से राष्ट्रीयस्तर पर निर्यात के लक्ष्य प्राप्त करने हैं।

श्री रा०कृ० बिड़ला प्रश्न का शीर्षक है "गैर-पारम्परिक मदों का निर्यात" अल्यूमीनियम तथा ऊनी धागा भी गैर-पारम्परिक मदों के अन्तर्गत आते हैं। हमारे इस उद्योग ने विश्व की अत्यधिक स्पर्धा के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में अपना स्थान बना लिया है किन्तु मुझे पता चला है कि भारत सरकार ने इन दो मदों के निर्यात को रोक दिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन दो मदों के निर्यात को क्यों रोक दिया गया है जबकि विशेषकर हम विश्व मंडी में इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।

श्री ल० ना० मिश्र जहाँ तक अल्यूमीनियम और ऊनी धागे का सम्बन्ध है मेरे पास इस समय इसके तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं।

Shri Tulshidas Jadhav : Keeping in view that thes handloom and handicraft articles also come under the category of non-traditional items. May I know how much in what proportion subsidy is being given to this industry because there is a complaint that they are not being subsidised.

Shri L. N. Mishra : Handicraft and handloom board should not have such complaint becausethey enjoy concession, It is very difficult for me to tell now that what are the concessions.

Atomic Power Station in Bihar

*754. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Bihar has raised a demand for the setting up of an Atomic Power Station in Bihar because of the availability of Uranium in the State ;

(b) whether he has also sent any proposal to the Government of India in this regard;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State (Shrimati Nandni Satpathy: (a) No, Sir.

(b) to (d). Does not arise.

Shri Ramavtar Shastri : From the answer given by the hon. minister it seems that she is not fully posted with the facts. Because of due to drought Bihar has to face famine every year and there are lack of irrigation facility.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या मुख्यमंत्री ने आण्विक विद्युत केन्द्र की स्थापना की माँग की है और उसका उत्तर है, नहीं। अब दूसरा प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है।

Shri Ramavtar Shastri : Mr. Speaker, sir, when every other member can raise questions why should I be not allowed. Let me also ask. I want to know whether it is a fact that Bihar Electric Board has raised a demand for setting up of an Atomic Power Station in Bihar, if so whether the hon. minister known this and what are its details. so far I know they have sent a letter but if she does not know then it is different thing.

Mr. Speaker : How does there arise out of the question ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री ने एक आण्विक विद्युत केन्द्र की स्थापना की मांग की है और जिसका उत्तर हमने दिया है कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई है किन्तु यह सच है कि बिहार क्षेत्र के श्री विभूति मिश्र तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इसके लिए बार-बार मांग की है किन्तु इस समय मैं यह नहीं कह सकती कि क्या विद्युत बोर्ड ने भी इस सम्बन्ध में कुछ लिखा है ।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : उत्तर प्रदेश को बाद में लिया जाएगा बिहार पूर्वी ग्रिड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और इस क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है अतः इस क्षेत्र में आणविक विद्युत केन्द्र की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं में दिया गया है किन्तु अब एक असंगत प्रश्न का उत्तर दे देने से अन्य कई अनुपूरक प्रश्नों के उठने की संभावना है ।

Shri Ramavtar Shastri : My another question is that it is mentioned in the main question also that Uranium is found in large quantities in Jaduguda. I want to know what is its annual production there and how much of it is exported to foreign countries. It is a fact that an hon. member of this house has moved a Private Bill, if so whether Government is ready to accept it.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं पता कि कोई गैर-सरकारी विधेयक पेश किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संगत नहीं है अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Shiv Chandra Jha : This matter is so important that a few supplementary questions should be allowed.

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह था "क्या बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य में यूरेनियम की उपलब्धता के कारण राज्य में एक आणविक विद्युत केन्द्र की स्थापना की माँग की है – – –" किन्तु प्रश्न पर ध्यान न देकर अनेक असंगत प्रश्न कोयले तथा यूरेनियम पर उठाए जा रहे हैं ।

Shri Ramavtar Shastri : A mention has been made in this question about the availability of Uranium in Bihar and that is what I am asking about it. I do not understand why my question is being considered as irrelevant.

Shri Shandra Jha : This is a very important matter. If the Government does not set up an atomic plant in South Bihar the public is bound to agitate.

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिहार एक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है । अतः इस प्रश्न की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न पूछने के लिए कह दिया है ।

नक्सलियों के हत्या अभियान के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव का कथित वक्तव्य

*757. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने कलकत्ता में 4 नवम्बर, 1970 को या इसके आसपास यह कहा था कि नक्सलियों के पत्र "देशवृत्ति" के अनुसार नक्सलियों ने निकट भविष्य में अपने "हत्या अभियान" की गति बढ़ाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या जो कुछ उस पत्र में कहा गया है उसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार को किसी अन्य स्त्रोत से कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे उपरोक्त वक्तव्य की पुष्टि होती हो ; और

(ग) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल में जीवन स्वातन्त्र्य को सुनिश्चित करने और शांति एव व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग): नक्सलियों की अपनी गतिविधियों को तेज करने की योजनाओं की रिपोर्ट ध्यान में आई है। इस सम्बन्ध में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है और स्थिति से निपटने के लिये कानून के अन्तर्गत सभी संभव कार्यवाही की जाती है ।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker sir, Naxalites deserve my thanks for they commit the acts of murder, plunder and arson openly and before committing such acts they not only make them public through the newspaper but also by writing them on the walls in each and every city in West Bengal. On the face of it, the hon. Minister says that he has received the information about their activities and suitable steps are being taken.

I fail to understand the usefulness of such actions when fatal attacks are made with daggar on the wife and son of a central minister like shri Parimal Ghosh and on several other citizens. With this background, I want to kow from the hon. Minister the reasons for which the Government are unable to check the activities of the Naxalites even after getting the Preventine Detention Act passed as demanded by it. May I also know the member of Naxalites and miscreants perpetrating violence apprehanded so far since the adoption of Preventive Detention Act ?

Shri K. P. Pant : I do not have the correct figures of the person apprehanded so far. According to the information received two or three days back about 100 persons were to be detained. Now, the information as to howmany of them have been arrested so far is yet to be collected from Bengal Government. I want to assure the hon. Member that every care is taken while making such arrests so that no innocent person is detained and arrests are made after proper examination.

Shri Beni Shanker Sharma : May I know from the hon. Minister whether they are able to solve the problems of the people of West Bengal in a proper way ? May I also know whether these incidents are attributed to the lust for land or these activities are of the unemployed persons or of our enemies ? In my view the Guerilla warfare is going on by these elements under the guidance and on the instigation of our enemies. May I know whether the hon. Minister is agreed with me and, if so, the steps taken in this respect ?

Shri K. C. Pant : This situation has not developed from unemployment only but certain foreign forces are also interested in creating disturbances in Bengal. However, there is no evidence to prove that they have given any help to these elements directly. But it is certainly correct that certain view-points of China are attributable to all these activities. These incidents are based on the idiology of China.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : नक्सलवादियों की गतिविधियों ने एक नया मोड़ लिया है जिसका परिचय दो दिन पहले की उस घटना से प्राप्त होता है जब दस व्यक्तियों ने माननीय मंत्री श्री परिमल घोष के निवास स्थान में दिन दहाड़े घुसकर उनकी पत्नी तथा पुत्र पर छुरे का प्रहार किया। क्या सरकार को उनकी गतिविधियों में इस नई प्रवृत्ति के बारे में पता है। इस सम्बन्ध में सरकार के आसूचना विभाग ने क्या सूचना दी है तथा सरकार का इन घटनाओं पर नियंत्रण करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनसे सरकार अभी तक नियंत्रित नहीं कर पाई ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार से नक्सलवादियों का यह रवैया नया नहीं है। वे जिनको अपना शत्रु मानते हैं उन्हें खुले आम समाप्त करते हैं तथा उन्होंने अपनी इसी नीति के अनुसार पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों पर आक्रमण किये है। सामान्यतः उन्होंने उन व्यक्तियों की सूची बना ली है जिन पर आक्रमण किया जाता है। इस प्रक्रिया को वे गुप्त भी नहीं रखते और वे कुछ नामों को प्रकाशित भी करते हैं। यह उनकी नई प्रक्रिया नहीं है तथा इससे हमें भारी चिंता है। जैसा कि मेरे मित्र जानते हैं हमें अपनी पूरी शक्ति से इन बातों का मुकाबला करना है।

डा० राम सुभग सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि निवारक निरोध अधिनियम के साथ अन्य सभी कार्यवाइयों से स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है तथा माननीय मंत्री की इस स्वीकृति को देखते हुये कि इन गतिविधियों को चीन से प्रोत्साहन मिल रहा है, मैं पूछना चाहता हुँ कि इस बिगडी हुई स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरा आशय यह था कि वे चीन से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मैंने यह भी निवेदन किया था कि कुछ मामलों को छोड़कर हथियारों की सीधी सप्लाई के बारे में कोई सूचना नहीं है तथा उनसे सम्बन्धित जानकारी पिछले प्रश्नों के उत्तर में सदन के समक्ष रख दी गई है। इस बात को भी समझ लेना चाहिये कि पश्चिम बंगाल में हो रहें हिंसा तथा अव्यवस्था के कार्य नक्सलवादियों के द्वारा ही नहीं किये जा रहे हैं। इन हिंसात्मक गतिविधियों में कुछ समाज विरोधी तत्वों का भी सामान्य रूप से हाथ है। उनमें से बहुत से व्यक्ति नक्सलवादियों की आड़ ले रहे हैं। इस पहलु को भी ध्यान में रखना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether it is a fact that since the enforcement of stringent measures to deal with Naxalites some of them are drifting to

the contiguous states, especially Bihar, and are making attempts to eliminate those persons who are against their idiology ? Have the Government asked for the reports from the concerned states on the same; and if so, what are these reports ? May I know the action being taken by the Government to prevent thes activities from spreading to other states ?

Shri K. C. Pant : It is correct that Naxalites activities are also increasing in Bihar for the last few days. We are also informed that certain Naxalites have gone to Bihar. We have made correspondance with the Government of Bihar and steps are being taken to check such activities with their consultation.

श्री ही. ना. मुकर्जी : साम्यवादी आन्दोलन तथा फूट डालने की गतिविधियों सहित राजनीतिक दलों में सी० आई० ए० की घुसपैठ के बारे में एक बोर्ड अधिकारी ने मेरे विचार से कोई गुप्त रिपोर्ट ही थी तथा साम्यवादी गतिविधियों से सम्बद्ध राजनीतिक नेताओं द्वारा वामपंथी गतिविधियों के स्वरूप को बिगाड़ने के बारे में, जो मुख्य रूप से तथाकथित नक्सलवादी गतिविधि के पीछे कार्य कर रही है, सी० आई० ए० घुसपैठ के बारे में दिये गये सार्वजनिक वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस मामले की जाँच करने का प्रयत्न किया है तथा इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है ?

श्री कृणचन्द्र पंत : अभी तक इस आशंका की कोई पुष्टि नहीं हुई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत एक महीने में पुलिस ने नक्सलवादी-विरोधी संक्रियाओं में पश्चिम बंगाल में कितने युवकों को अपनी गोली से मारा है तथा सच्चाई जाँचने के लिये कितने मामलों की अदालती जाँच कराई जा रही है ; मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने के बाद राज्यपाल ने अपने सलाहकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार की पूरी सहमति के बाद ही अदालती जाँच न कराये जाने का निर्णय किया ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नवम्बर के महीने में पश्चिम बंगाल में 45 व्यक्तियों की हत्या की गई । दलगत झगड़े . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : पुलिस के द्वारा की गई हत्या ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पुलिस के 16 कर्मचारी मारे गये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पुलिस ने कितने व्यक्तियों को गोली से मार दिया । आप यहाँ क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप कृपया दिनांक पहली नवम्बर के अपने पत्र को पढ़िये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे जो जानकारी प्राप्त है उसे दे रहा हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें सदन में तथ्य बताना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सही जानकारी प्राप्त करने का यह कोई ढंग नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनके दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने पहले भी सभा को बताया था कि उनकी यह गलत आशंका है कि प्रधान मंत्री के पास उससे अधिक जानकारी भी है जो उन्होंने अपने उत्तर में सदन के समक्ष रखी थी ।

Shri S. M. Joshi : West Bengal is facing a serious problem and the voilence is increasing there day by day. If this situation is not controlled through the peaceful measures, there is every possibility of its endangering our democratic system. I do not intend to go into the details of the factors responsible for this situation. My submission is that prevailing situation can not be improved by passing the legislations only. May I know whether any initiative is being taken by the Government to mobilize the public opinion against this kind of violence ? Unless and until the common people of West Bengal do not assert their resistance police alone can not control it. May I know as to what initiative is being taken by the Government in this regard ?

Shri K. C. Pant : It is indeed basic question. It is also a fact that by maintaining the law and order we can not solve this problem permanently. It is necessary for the political parties, persons having faith in democratic set-up, and the general public to protest against the violent attitude of the miscreants. All of us here are also supposed to make attempts to check this situation. It is a matter of great pleasure that certain such persons have taken and are still taking initiative in Bengal to rasist this violence. For example, Chhatra Parishad, Shri Ajoy Mukerjee and certain workers of Congress Party have been putting up their resistence against these activities. They are going from door to door inspite of sustaining attacks in Calcutta. As the House was informed by me yesterday, an eighteen years old girl encountered the miscreants who were going to explode a bumb. Several such instances have been noticed whereby it is hoped that the people of West Bengal have also started to condemn the acts of violence. If the hon. Members of this House also raise their voice against this kind of violences they will certainly feel encouraged.

Shri Onkar Lal Bohra : My friend, Shri, Joshi, has stated that the people should be encouraged and inspird to raise their voices against the voilence. But in view of the fact that the people of West Bengal are so much terrified that it is not possible for them to control this situation. Will the hon. Minister clearly explain the steps being taken to awaken the people of West Bengal ? Besides, in view of the deterioreting situation in the state, do you propose to impose military rule in Calcutta for same days ?

SHRI K. C. PANT : I am unable to agree to the statement that the people have lost their moral power and that their moral can not be raised. I hope, that law and order can be maintained there. Through these methods and the people of West Bengal have not lost their moral.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that some literature, which was published in Nepal, has been sent to West Bengal for propogating the principles of Mao-tse-tung ? It is also a fact that Government is aware of those people who have been trained in guerilla warfare in East Pakistan for polluting the atmosphere in West Bengal ? It is also a fact that some false currency notes printed in foreign countries have been recovered and it was found that Chinies hand was behind this ? May I also know whether some persons who believe in violence were recruited in West Bengal Police and that they are taking active part in violent activities ? I would further like to know the steps being taken by Government to creat all these activities ?

Shri K. C. Pant : It is true that Mao's literature has been recovered in West Bengal and from other places also. I cannot say whether it has been published in Nepal or at any other place. Some Mizo rebels are getting training in East-Pakistan. There are some people in police in West Bengal who consider themselves close to some political parties. We hope that in the changed atmosphere they will work as Government employees work and raise their standard.

चण्डीगढ़ में शहरी किराया प्रतिबन्ध अधिनियम लागू करने की मांग

+759. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनैतिक दलों ने चण्डीगढ़ प्रशासन से चण्डीगढ में शहरी किराया प्रतिबन्ध अधिनियम लागू करने अथवा विशेषरूप से दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का किराया निर्धारित करने की माँग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस माँग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मामले की जाँच की जा रही है।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सरकार को जानकारी है कि चण्डीगढ़ में किराये बहुत बढ गये हैं। एक कमरे के 70 रुपये किराया है तथा दो कमरों के लिए 120 रुपये से 130 रुपये प्रतिमास तक किराया है। व्यापारियों के सामने भी यही स्थिति है। इन बातों को देखते हुए वहाँ पर किराया प्रतिबन्ध अधिनियम को लागू करने में क्या कठिनाई है जो कि भारत के सभी कस्बों तथा नगरों में लागू है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय मिश्र ने हाल में इस प्रश्न को गृह-कार्य मन्त्रालय की सलाहकार समिति में उठाया था। यह बतलाया गया था कि पंजाब सरकार ने आश्वासन दे रखा है कि 25 वर्षों के लिए चण्डीगढ़ में किराया नियंत्रण लागू नहीं किया जायेगा। परन्तु मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम इसकी जाँच करेंगे। हम इस प्रश्न पर निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विचार करेंगे। इस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री श्रीचंद गोयल : क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ प्रशासन ने यह सिफारिश की है कि किराया प्रतिबंध अधिनियम को चण्डीगढ़ में अवश्य लागू किया जाये। यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने में क्या कठिनाई है जबकि चण्डीगढ़ प्रशासन ने सभी को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केन्द्रीय सरकार की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं और उसे उन्हें निभाना है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Shri Goyal has asked as to what are the hurdles in the way of implementing the recommendations made by Chandigadh Administration after taking all circumstances into consideration ? The hon. Minister has replied that they have some responsibilities towards union territories. This is not a proper answer.

Shri K. C. Pant : The Central Government have to take dicision on the recommendation made by the Administration of any Union Territory keeping in view its own responsibilities.

Shri Atal Bihari Vijpayee : The hon. Minister has not stated whether he has received their recommendations on it and whether they will consider it over ?

Mr. Speaker : There is nothing objectable in the.....

Shri Gurcharan Singh : The hon. Minister has stated that keeping in view the assurance given by Government of Punjab in this regard, rent control will not be enforced there 25 years. May I know whether central Government had not made any commitment to the ex-rulers. (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESRIONS

मद्रास में बाढ़ से क्षति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राहत

*752. **श्री दंड पाणि :**
श्री मयावन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में गत नवम्बर में भारी बाढ़ के कारण 70,000 लोग बेघर हो गए थे तथा बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी क्षति हुई; और

(ग) बाढ़ से पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी सहायता दी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० व० राव) : (क) और (ख). मद्रास शहर में और तमिलनाडु के चिंगलपुट, उत्तर और दक्षिण अर्काट और तंजावूर जिलों में 19 और 23 नवम्बर के बीच भारी वर्षा हुई थी। मद्रास शहर में, 30,000 झोपड़ियां या तो बह गई या फिर गिर गई और एक लाख व्यक्ति प्रभावित हुए। चिंगलपुट जिले में 3,500 परिवार बेघर हो गए। तंजावूर जिले में 10,000 मकानों को क्षति पहुंची, 48,000 एकड़ फसली क्षेत्र पानी में डूब गया और सात व्यक्ति मरे।

(ग) राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिये केंद्र को नहीं लिखा है।

नेपाल में मोर के पंखों और अभ्रक का चोरी छिपे ले जाया जाना

*755. **श्री शशि भूषण** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नेपाल से मोर-पंख तथा श्रेष्ठ किस्म के अभ्रक का अन्य देशों में निर्यात किया जाता है हालांकि ये चीजें वहां नहीं होती;

(ख) क्या सरकार को पता है कि नेपाल से कितनी मात्रा में इन चिजों का निर्यात किया जा रहा है और ये किन स्थानों को नेपाल से पहुंचाई जा रही हैं; और

(ग) नेपाल में मोर-पंख तथा अभ्रक के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि भारतीय अभ्रक तथा मोर-पंख नेपाल के माध्यम से अन्य देशों को पुनर्निर्यात किये जाते हैं।

(ख) नेपाल के चालू निर्यात आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते हैं। फिर भी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1970–71 (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान अन्य देशों को हवाई जहाज द्वारा नेपाल से 6,000 कि०ग्रा० अभ्रक और 7,600 कि०ग्रा० मोर-पंख का निर्यात किया गया था। जिन स्रोतों के माध्यम से ये वस्तुएं नेपाल को चोरी छुपे जाती हैं उनके संबंध में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) नेपाल को अभ्रक का निर्यात, 8 सितम्बर, 1969 से निर्यात व्यापार नियंत्रण के अंतर्गत रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त नेपाल के मार्ग से अन्य देशों को भारतीय माल का, जिसमें अभ्रक तथा मोर-पंख भी शामिल हैं, तस्करी से जाना रोकने के लिये, अन्य उपायों के अलाव निम्नलिखित कार्यवाही की गई है —

(1) सीमा पर अतिरिक्त सीमा शुल्क अमले की नियुक्ति;

(2) सीमा पर कार्यरत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अन्य प्रवर्त्तन अभिकरणों का सहयोग लेना;

(3) समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने के लिये और भारत-नेपाल सीमा के आर–पार तस्करी को रोकने के लिये उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिये केन्द्रीय तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन;

(4) ऐसे कार्यकलापों की, जो व्यापार तथा पारिवहन संधि की भावना के अनुरूप नहीं हैं, संयुक्त जांच करने और ऐसी व्यावहारिक व्यवस्था तैयार करने के लिये नेपाल सरकार के सहयोग की अपेक्षा की गई है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापार के व्यापक विपथन की सम्भावना नहीं रहे।

वर्ष 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान प्रकाशित की गई पुस्तिका के बारे में जांच

*756. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में एक उम्मीदवार डा०नी० संजीव रेड्डी के विरुद्ध जारी की गई पुस्तिका के बारे में उन्हें जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं जिसके बारे में उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि मंत्रालय को जांच करने का आदेश दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). अगस्त, 1969 में श्री एन० सन्जीव रेड्डी के विरुद्ध छपा हुआ एक इश्तिहार डाक में प्रधान मंत्री सचिवालय में प्राप्त हुआ और प्रधान मंत्री के ध्यान में आया । उन्होंने शीघ्र जांच का आदेश दिया कि इसको किसने निकाला है । तद्नुसार आसूचना विभाग द्वारा मामले की पूर्ण जांच की गई किन्तु किस प्रेस ने वह इश्तिहार छापा था अथवा वह व्यक्ति, जिन्होंने इसे निकाला था, को पहचानना सम्भव नहीं हुआ ।

कलापूर्ण आभूषणों का निर्यात

+758. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्वर्णकारों द्वारा और विशेषकर राजस्थान के स्वर्णकारों द्वारा सुघड कलापूर्ण, किन्तु सस्ते, आभूषण तैयार किये जा सकते हैं, जिनसे विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है; और

(ख) क्या सरकार इस मामले पर विचार कर रही है अथवा करेगी जिससे दोहरा लाभ हो सकता है अर्थात् विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा बेरोजगार, स्वर्णकारों के लिये रोजगार की व्यवस्था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). कलात्मक आभूषण पहले से ही विदेशों को निर्यात किये जा रहे हैं । इन निर्यातों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है और भारत में शिल्पियों के लिए रोजगार के सुअवसर भी सामने आए हैं ।

अर्जित विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने के लिए तथा इस निर्यात क्षेत्र में और भी रोजगार सम्बन्धी अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार, किसी भी ठोस सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लापता छात्र

+760. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र काफी समय से लापता हैं; और यदि हां, तो ऐसे छात्रों के नाम क्या हैं और उनके कालिजों के क्या नाम हैं;

(ख) इस संबंध में यदि पुलिस द्वारा कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या वे छात्र नक्सलवादियों के अभियान में शामिल हो गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) . दिल्ली पुलिस द्वारा किन्हीं माता पिता । संरक्षक या कालेज अधिकारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि सरकार को सूचना है कि कुछ छात्र अपने होस्टल छोड़ गये हैं और यह विश्वास करने के कारण हैं कि वे नक्सल-वादियों के प्रभाव में आ गये हों । फिर भी उनके और कालेजों के नाम प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा । इस संबंध में आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है ।

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

*761. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण और विविधीकरण करने के विस्तृत कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व नियुक्त की गई तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तकनीकी समिति द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने तकनीकी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) से (घ) . पटसन उद्योग को जिन दिशाओं में अपनी मशीनों के पुन: स्थापन तथा आधुनिकीकरण करना चाहिये और हाल ही की खपत सम्बन्धी प्रवृत्तियों और प्रोद्योगिकीय तथा अन्य उपलब्धियों का यथोचित ध्यान रखते हुए अपने उत्पादन का विविधीकरण करना चाहिये, उनके संदर्भ में उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने और आवेदनपत्रों की तकनीकी जांच सम्बन्धी उपयुक्त क्रियाविधि की सिफारिश करने के लिए सरकार ने दिसम्बर 1967 में एक समिति का गठन किया था ।

2. समिति ने 43.47 करोड़ रुपये की आवश्यकता कूती है । समिति ने उन दिशाओं का उल्लेख भी किया है जिनमें उद्योग को अपनी मशीनों का पुन:स्थापन और आधुनिकरण और अपने उत्पादन का विविधीकरण करना चाहिये और इसके अतिरिक्त ऋण सहायता सम्बन्धी आवेदनपत्रों पर विचार करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

3. पटसन मिलों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से ऋण दिये जाते हैं । सहायता प्रदान करने की क्रियाविधि को दो वर्ष पूर्व अन्तिम रूप दे दिया गया है । इस क्रियाविधि के अन्तर्गत पटसन मिलों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर (समिति द्वारा अनुशं-सित 6 प्रतिशत तथा औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सामान्यत: लिये जाने वाले 8 प्रतिशत के स्थान पर) ऋण दिये जाते हैं ।

4. पुनः स्थापन आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण सम्बन्धी योजनाएं अलग-अलग मिलों द्वारा तैयार की जाती हैं।

पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के मामले की जांच को निलम्बित करने के निर्णय के बाद मरे व्यक्ति

+762. **श्री समर गुह** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के मामले की जांच न करने के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद से अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की जांच न करने के सरकार के सामान्य निर्णय के परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा राज्य में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये अधिक बार तथा अधिक संख्या में गोली चलाई गई; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी इस नीति का पुनः मूल्यांकन करेगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश को बिजली की प्रति व्यक्ति सप्लाई

+763. **श्री एन०एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब से बड़े व पिछड़े राज्य उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति केवल 46 प्रतिशत विद्युत शक्ति प्राप्त हो रही है जबकि पंजाब व हरियाणा को प्रति व्यक्ति 150 प्रतिशत से अधिक विद्युत शक्ति प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) अभी तक विशेष आवंटन क्यों नहीं किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). 1969–70 के दौरान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत क्रमशः 180,87 और 52 यूनिट थी। पंजाब में नंगल उर्वरक कारखाने की खपत को निकालकर, पंजाब की प्रति व्यक्ति खपत 1969–70 के दौरान 79 यूनिट थी। प्रत्येक राज्य में अपेक्षित विद्युत की मात्रा वार्षिक बिजली सर्वेक्षण समितियों द्वारा किए गए भार सर्वेक्षणों द्वारा तय की जाती है। कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी बिजली की परिकलित मात्रा के लिए अपेक्षित धन लगाने में समर्थ नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, बिजली में कमी हो गई है। राज्यों में विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए परिव्यय, समस्त केंद्रीय सहायता समेत, राज्यों को योजना के लिए संसाधनों से पूरे किए जाते हैं।

संसाधनों की तंग स्थिति के कारण, विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए अपेक्षित समस्त धन राशि देना संभव नहीं हुआ है । चतुर्थ योजना के दौरान परिव्ययों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 232 मैगावाट, पंजाब में 263 मैगावाट और हरियाणा में 164 मैगावाट कमी की प्रत्याशा है । कृषि तथा औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश में चतुर्थ योजना के दौरान विद्युत कार्यक्रमों को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है । कुल योजना परिव्यय का 39 प्रतिशत, जो कि 177-73 करोड़ रुपये के बराबर है, विद्युत स्कीमों के लिए आवंटित किया गया है । इसमें से, विद्युत उत्पादन के लिए, 177.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चतुर्थ योजना के दौरान लाभों के लिए विद्युत उत्पादन स्कीमों की प्रगति तेज कर के उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को यथा व्यवहार्य पूरा करने के लिए, पाचवीं योजना के प्रारम्भिक भाग में सम्भावित लाभ देने वाली स्कीमों पर अग्रिम कार्यवाही के लिए तथा सहवर्ती राज्यों से बिजली लेने के लिए अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों के निर्माण के लिए उपाय किए गए हैं । केंद्रीय सरकार अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों के निर्माण के लिए ऋण सहायता देती है । गिरि-यमुना और देहरी-मुगलसराय अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों के निर्माण के लिए इस संबंध में उत्तर प्रदेश को 1969–70 में 9 लाख रुपये तथा 1970–71 में 28 लाख रुपये का विशेष आवंटन किया गया।

वित्तीय संस्थाओं के धन सरकारी क्षेत्र में लगाना

*764 **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग चौथी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए पहिले से स्वीकृत कार्यक्रमों को हानि पहुंचा कर अनुचित रूप से वित्तीय संस्थाओं के धन को सरकारी क्षेत्र में लगाने के पक्ष में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने सरकार को भेजे गये हाल के एक पत्र में यह तर्क दिया है कि योजना में दिये गये क्षेत्रों में राजकीय क्षेत्र में नई परियोजनाओं को सम्मिलित न किया जाये;

(ग) यदि हां, उसके तर्कों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ) : सरकारी क्षेत्र से वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों के आवेदन पत्रों पर विचार करने की अनुमति देने के सरकार के निर्णय का अनुसरण करते हुए इन प्रस्तावों पर कारवाई करने के लिए प्रक्रियाएं तैयार की जा रही हैं । योजना आयोग उन सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं, जिनके लिए वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त की जानी है, के ताजे प्रस्तावों के बारे में केन्द्रीय मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त करेगा तथा जीवन क्षमता, प्राथमिकता तथा संस्थागत वित्त की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार करेगा । राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थान उन्हें योजना आयोग को भेजेंगे ।

राजस्थान के गृह मंत्री का जासूसी गतिविधियों के बारे में कथित वक्तव्य

*765. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री रा० बरुआ :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान राजस्थान सरकार के गृह मंत्री श्री दामोदर लाल व्यास द्वारा 21 नवम्बर, 1970 को विधान सभा में दिये गये कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा आधुनिक किस्म के ट्रांसमीटरों से लैस पाकिस्तानी जासूसों की जासूसी गतिविधियों तथा राजस्थान के सैकड़ों लोगों को पश्चिमी बंगाल में नक्सल-वादी हिंसा का प्रशिक्षण दिये जाने का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार राजस्थान में कुल कितने पाकिस्तानी जासूसों का पता लगाया गया; और

(ग) देश में जासूसों के जाल को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों (31-10-70 को समाप्त होने वाले), में राजस्थान राज्य में 9 पाकिस्तानी राष्ट्रकों और 11 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है । वर्षवार सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है । विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है ।

Import Schemes for Dry Fruits

*766. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether dry fruits were imported in huge quantities before the Independance;

(b) whether Government have announced that import licences would be granted to those who had been dealing in dry fruits in the past; and

(c) if so, the basis and outlines thereof?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra): (a) During the year 1946-47 *i. e.* the year on the even of independence, the value of dry fruits imported in undivided India was Rs. 4.91 crores.

(b) & (c). Import licences are granted to:

(i) In the case of imports from Afghanistan, registered approved importers *i. e.* those who participated Indo-Afghan Trade during the four years ending 30-6-1956, and to the nominees of the Royal Afghan Government.

(ii) Registered exporters of non-traditional commodities to Afghanistan.

(iii) In the case of imports from Iran, established importers of dry fruits from Iran, established importers of fresh fruits from Afghanistan the General Currency Area ,and established importers of dry fruits from Pakistan in terms of the Public Notice issued from time to time.

राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को पहुंचाई गयी क्षति

*767. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को जिन घटनाओं में क्षति पहुंची उनका विशेष रूप से घटनास्थल, घटना की तारीख तथा मूर्तियों के नाम सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी घटनाओं के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) क्या ऐसी मूर्तियों की रक्षा के लिए सरकार ने कोई उपाय किए हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आयात निर्यात व्यापार करारों में परिवर्तन

*768. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक विकास की प्रगति के कारण अब तक आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं का इस समय देश में ही निर्माण होने लगा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मदों/वस्तुओं के बारे में विदेशों के साथ किये गये आयात/निर्यात के कुछ करारों में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई निर्णय किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) . स्वीकार्य गुणत्व की मशीनों तथा उपस्करों के वर्धित उत्पादन के फलस्वरूप पूंजीगत माल के मामले में आयात प्रतिस्थापन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पूंजीगत माल और भारी विद्युतीय संयंत्र के आयात की अनुमति, इस प्रकार के उपस्कारों की स्वदेशी स्रोतों से अप्राप्यता का पता लगा लेने के पश्चात ही दी जाती है, और ऐसा करते समय मांग की अनिवार्यता, उपलब्ध उपस्कर के गुण, सुपुर्दगी की तिथियों और इस प्रकार की अन्य बातों को ध्यान में रखा जाता है । पूंजीगत माल के भावी निर्यातकों को, जहां उनकी आवश्यकताएं 7.5 लाख रु० से अधिक की हों, अपनी आवश्यकताओं का विशिष्टियों आदि के पूरे ब्यौरों सहित 'इंडियन ट्रेड जर्नल' अथवा 'इंडियन एक्सपोर्टस सर्विस बुलेटिन' में अब विज्ञापन देना पड़ता है । 7.5 लाख रु० से कम के आयातों के लिए विज्ञापन अपेक्षित नहीं हैं, परन्तु उनके आयात की अनुमति देने से पूर्व तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा स्वदेशी प्राप्यता की दृष्टि से आवेदन पत्रों की जांच की जाती है।

अपनाई जाने वाली क्रियाविधि को देखते हुए प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट मामलों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग

*769. **श्री सु०कु० तापड़िया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई अनुसंधान संस्था, रुड़की तथा भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे ने एक दूसरे के सहयोग से सिंचाई के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप्स के उपयोग के ढंगों का अनेक लाभपूर्ण कार्यों के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग तथा प्रदर्शन करने का दावा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन उपायों के बड़े पैमाने पर सामान्य हित के लिये उपयोग करने के व्यावहारिकता पर कब विचार किया जाएगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल०राव) : (क) जी हां । सिंचाई अनुसंधान शाला, रुड़की ने भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र के साथ मिलकर निम्नलिखित विशिष्ट विषयों के संदर्भ में कई एक संयुक्त अध्ययन किए हैं:--

1. गंगा नहर के खास-खास भागों में नि: स्राव संबंधी हानियों का अनुमानन ;

2. गंगा नहर का प्रवाह मापन; और

3. टोंस नदी का प्रवाह मापन ।

इस संबंध में अग्रेसर अध्ययनों का आयोजन भी किया गया है।

(ख) इस पक्ष पर तब विचार किया जाएगा जब इस क्षेत्र में चल रहे अध्ययनों को पूरा करके उनके परिणामों का मूल्यांकन हो जाएगा ।

नक्सलवादियों के हमले के शिकार बने सरकारी कार्यालय तथा शिक्षण संस्थाएं

+770. **श्री रा०कृ० बिरला** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नवम्बर, 1970 में पश्चिमी बंगाल में नक्सलवादी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई;

(ख) क्या उस महीने में नक्सलवादियों ने अनेक सरकारी कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं पर आक्रमण किया था और उन्हें लूटा था; और

(ग) यदि हां, तो कितने कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं पर आक्रमण किये गये और इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख) . जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सूचना प्राप्त की जा रही है ।

दिल्ली की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार

*771. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप-राज्यपाल ने हाल ही में यह सुझाव दिया था कि दिल्ली में जल प्रदाय व्यवस्था के समुचित विकास के हित में दिल्ली की सीमा हिंडन नदी तक बढ़ा दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में संसद सदस्य का पत्र

*772. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दो स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्हें अन्दमान में कारावास दिया गया था, राजनीतिक पेंशन देने के बारे में उन्हें किसी संसद् सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने श्री दिनेश दास गुप्त तथा सुकुमार घोष को जो सरकार को इस बारे में पहले ही पत्र भेज चुके हैं पेंशन देने के बारे में क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) श्री दिनेश दास गुप्त से 26-10-1970 को उनके मामले में कार्यवाही करने के लिये उनसे उनकी राजनीतिक गतिविधियां तथा कारावास की अवधियों का एक शपथ पत्र देने का अनुरोध किया गया है। शपथ पत्र प्रतीक्षित है।

श्री सुकुमार घोष की पेंशन 20-4-1970 को स्वीकृत की गई थी। उनसे पत्र प्राप्त होने पर जिसमें कहा गया था कि उन्हें पेंशन की रकम प्राप्त नहीं हुई है, पश्चिम बंगाल के महा लेखाकार से मामले की जांच करने तथा पेंशन के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया था।

श्री ज्योति बसु की हत्या के कथित प्रयास की जांच

*773. **श्री गणेश घोष** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु की हत्या

के कथित प्रयास की जांच के लिये कोई जांच आयोग नियुक्त किया था; और हां, तो उसका ब्यौरा क्या है :

(ख) क्या जांच आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । कानून के अनुसार मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

रूई की मिलों को समूहों (ब्लोक) में बंद करना

*774. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के मिल मालिक एसोसियेशन की समिति ने सरकार से कहा है कि रूई की वर्तमान स्थिति का एक मात्र समाधान मिलों को समूहों में बन्द रखना है तथा उसने यह भी सुझाव दिया है कि अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में आगामी अप्रेल में 15 और दिनों के लिए इनको बन्द रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) मिलों को एक साथ बन्द करने का सुझाव एक विकल्प के रूप में ही दिया गया था ।

(ख) इस सम्बन्ध में 8 दिसम्बर, 1970 को सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

बिड़ला बंधुओं द्वारा इंजीनियरिंग संवर्धन परिषद पर प्रभुत्व लाने का प्रयास

*775. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिड़ला बंधुओं द्वारा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् पर प्रभुत्व कायम किये जाने के प्रयासों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उन्होंने इस परिषद् के कुल 33 स्थानों में से 8 स्थान प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) क्या वे अपने मनोनीत व्यक्तियों को उक्त परिषद् का अध्यक्ष तथा सचिव नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इंजीनियरिंग संवर्धन परिषद् तथा अन्य परिषदों पर बिड़ला बंधुओं तथा अन्य एकाधिकारियों के प्रभुत्व को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) जहां तक सरकार को जानकारी है, बिड़ला उद्योग समूह द्वारा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् पर प्रभुत्व कायम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

(ख) परिषद् की कार्यकारी समिति के 32 निर्वाचन योग्य स्थानों में से, जिनके लिए निर्वाचन किया जा चुका है, केवल पांच स्थान उन व्यक्तियों को गये हैं जो बिड़ला समूह से संबंधित फर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनमें से चार निर्विरोध चुने गये हैं ।

(ग) अध्यक्ष का निर्वाचन कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से किया जाता है। दोनों प्रतियोगियों में से, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी बिड़ला उद्योग समूह से संबंधित नहीं है । सचिव के पद का निर्वाचन नहीं होता । वर्तमान सचिव को बदलने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ वैगनों संबंधी करार

*776. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रेलवे वैगनों को सप्लाई करने के लिए कुछ पूर्व यूरोपीय देशों के साथ ऐसे करार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ ऐसे करार हुए हैं;

(घ) इन करारों के अनुसार कितने वैगन सप्लाई किये जायेंगे तथा उनका मूल्य क्या होगा; और

(घ) इन वैगनों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जी हां, राज्य व्यापार निगम के लगभग 45.9 करोड़ रुपये कुल मूल्य पर पोलैण्ड को 500 माल डिब्बों, हंगरी को 1000 माल डिब्बों और युगोस्लाविया को 3600 माल डिब्बों की पूर्ति के लिए संविदाएं की हैं ।

(घ) माल-डिब्बों का निर्माण गैर सरकारी क्षेत्र में किया जाना है ।

पश्चिम बंगाल में आदिम जातियों के लोगों की कथित हत्या

*777. **श्री देवेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 नवम्बर, 1970 के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के गोपी वल्लवपुर थाने के अन्तर्गत बादामकुटी स्थान पर आदिम जातियों के एक जत्थे पर पुलिस ने गोली चलाई जिससे दो व्यक्ति, जिनमें एक महिला थी, मारे गये, और छह अन्य जख्मी हो गये; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख) . जी हां, श्रीमान् । एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक पुलिस दल ने जमानत न किये जाने वाले वारंट के आधार पर एक आपराधिक मामले में 7 दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 29 नवम्बर, 1970 को वह उन्हें एक सार्वजनिक परिवहन बस में स्थानीय पुलिस स्टेशन में ले जा रही थी । जब संरक्षण दल बरनचानी गोपीवल्वपुर थाने के क्षेत्राधिकार में पहुंचा तो लगभग 400-500 व्यक्तियों की एक भीड़ ने संरक्षण दल पर हमला किया और गिरफ्तार व्यक्तियों को बचाने की कोशिश की । भीड़ ने संरक्षण करने वाले कांसटेबल के साथ मारपीट करने के पश्चात् उनकी राइफलें भी छिनने के प्रयास किये। तब कांसटेबलों में से एक ने सात गोलियाँ चलाई जिस के परिणामस्वरूप दो व्यक्ति अर्थात लाल मोहन सिंह और श्रीमती पुन्ता मुन्डी की मृत्यु हो गई । 29-11-70 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/353/225/307 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया और उसकी जांच की जा रही है । ऐडिशनल एस०पी०, एस०डी०पी० ओ० तथा सर्किल इंसपेक्टर जरग्राम शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थल की ओर अग्रसर हुये। बताया जाता है कि स्थिति अब शांतिपूर्ण है ।

नेशनल प्राजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली को हुई हानि

*778. **श्री प्र०कु० घोष** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली विद्युत नेशनल प्राजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड को निरन्तर हो रही करोड़ों रु० की हानि को कम करने के लिए क्या कारगर कार्यवाही की गई है;

(ख) इसके मुख्यालय में प्रशासन तथा कर्मचारी-वर्ग आदि पर होने वाले खर्च के विभिन्न मदों के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 1970 तक कितनी बचत की गई है; और

(ग) प्रशासनिक तथा अन्य ऊपरी खर्चों में कमी करने के लिए और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु०ल० राव) : (क) निगम को निम्नलिखित रूप से हानियां हुई हैं:--

1967-68	रु० 29.21 लाख
1968-69	रु० 104.99 लाख
1969-70	रु० 100.17 लाख

निगम ने अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने के लिये आवश्यक पग उठाए हैं। निविदा मंगाने की प्रक्रिया सरल कर दी गई तथा विभागीय और उजरती कारीगर प्रणाली के युक्तियुक्त

संयोजन को सुनिश्चित करने के लिये कार्यों की कार्यान्वयन प्रणाली का पुनरवलोकन भी किया गया है । इस खाते के बंधे खर्चों को कम करने के लिये मुख्यालय और क्षेत्रीय यूनिटों में कर्मचारियों को नियुक्त करने की पद्धति का पुनः मूल्यांकन किया गया है। इस पुनरावलोकन के परिणाम-स्वरूप कई एक पद समाप्त कर दिये गए हैं और कुछ रिक्त पदों को भरा नहीं गया है । लाभ-दायक मशीनों के अधिकतम समुपयोजन और फालतू, बेकार और किफायती मरम्मत से बाहर समझे गए उपकरणों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिये मशीनों और उपकरणों के वर्तमान स्टाक का पुनरावलोकन भी किया गया । विभिन्न उपायों के अपनाने से लगभग 20 लाख रु० की प्रतिवर्ष बचत हुई है ।

(ख) और (ग). मुख्यालय पर व्यय के लिये 1970–71 के दौरान किया गया प्रावधान वर्ष 1969–70 के लिये किये गए प्रावधान के मुकाबले में लगभग 4 लाख रु० कम है । अप्रेल–नवम्बर, 1969 की अवधि के दौरान हुए व्यय के मुकाबले में निम्नलिखित शीर्षों के अधीन किफायतें की गई हैं जिन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:—

	अप्रेल–नवम्बर, 1969 के दौरान हुआ व्यय	अप्रेल नवम्बर, 1970 के दौरान हुआ व्यय
	रु०	रु०
कर्मचारियों का वेतन	7,92,805	7,03,201
यात्रा भत्ता	70,469	63,936
चिकित्सा संबंधी व्यय	19,723	17,640
कार्यालय का किराया	52,992	49,300
मुद्रण व्यय	5,681	2,207
विज्ञापन	7,829	4,472
टेलीफोन का खर्च	24,730	14.215
समाचार पत्र	3,023	409
फुटकर व्यय	9,963	5,500

भाग (क) के उत्तर में बताए गए उपायों की क्रियान्विति में तेजी लाई जा रही है । निगम की कार्य-पद्धति पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है।

राजस्थान-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर अधिकार रहित क्षेत्र बनाना

†779. **श्री मीठा लाल मीना**
श्री न०कु० सांघी :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने यह सुझाव दिया है कि राजस्थान-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर पांच मील का अधिकार-रहित क्षेत्र बनाया जाये ताकि दूसरी ओर से होने वाली जासूसी की कार्यवाहियों को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या राजस्थान में सीमा के साथ लगने वाले भारतीय क्षेत्र में तथा पश्चिमी भारत-पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में पाँच मील चौड़ी पट्टी में रहने वाले व्यक्तियों का कोई सरकारी रिकार्ड है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

पश्चिम बंगाल की संयुत मोर्चा सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों को पुलिस संरक्षण

†780. **श्री हेम बरूआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री ज्योति बसु के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के उन भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्हें पुलिस संरक्षण दिया गया है ; और

(ख) उस पर कितना धन व्यय किया गया हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों के नाम जिनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई हैं प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) आवश्यक कर्मचारियों को राज्य पुलिस अधिकृत संख्या में से तैनात किया गया है ओर इस प्रकार अतिरिक्त खर्च का कोई प्रश्न नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कच्चे माल का मूल्य कम किया जाना

4774. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस बीच लघु

उद्योगों को दिये जाने वाले कच्चे माल के मूल्य को कम करने के लिये अपने लाभ के अनुपात को कम करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) (क) तथा : (ख). वास्तविक उपभोक्ताओं को, जिनमें लघु क्षेत्र के उपभोक्ता भी शामिल हैं, वितरण करने के लिए कच्चे माल का विक्रय मूल्य राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं । देश में प्राप्त कच्चे माल या उनके प्रतिस्थानापन्न पदार्थों के बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विक्रय मूल्य यथा सम्भव कम होते हैं ।

मंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय

4775. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1970 में शुरू होने वाले छः महिनों में प्रत्येक मंत्री द्वारा उसके निवास स्थान पर लगे टेलीफोन पर की गई स्थानीय तथा ट्रंक कालों के लिये कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) प्रत्येक मंत्री के साथ उसके निवास स्थान पर कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ग) ऐसे कर्मचारियों को कुल कितना वेतन तथा अन्य उपलब्धियां दी जाती है; और

(घ) उक्त अवधि में प्रत्येक मंत्री को अलग-अलग यात्रा व्यय तथा अन्य भत्तों के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

फैरस स्क्रेप का व्यापार

4776. **श्री गजराज सिंह राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैरस स्क्रेप के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में प्रति वर्ष 10 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में अब फैरस का निर्यात केवल 3 करोड़ रु० का भी नहीं रह जाएगा;

(ख) यदि हां, तो स्क्रेप निर्यात के लिये भारतीय प्रशासनिक व्यय वाला एक पृथक निगम बनाये रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस अलाभप्रद उद्यम को बन्द करने अथवा इसका खनिज तथा धातु व्यापार निगम अथवा राज्य व्यापार निगम में विलय करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) फैरस स्क्रेप का निर्यात निर्यात है। घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात् उपलब्ध स्क्रेप के देशी स्टाक का निर्यात किया जाता है। हाल ही में स्क्रेप के कई प्रकारों की घरेलू खपत में व्यापक वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप इनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। स्क्रेप की निर्यात योग्य किस्मों का जाना यथापूर्व जारी है और अप्रैल–सितम्बर, 1970 के दौरान 4.25 करोड़ रु० मूल्य के माल का निर्यात किया गया। विगत दो वर्षों में निर्यात इस प्रकार थे : 1968–69 में 8.61 करोड़ रु० तथा 1969–70 में 8.59 करोड़ रु०।

(ख) तथा (ग). धातु स्क्रेप व्यापार निगम मार्गीकृत निर्यातक होने के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करने वाली एजेंसी भी है :

(1) फैरस स्क्रेप प्राप्त करना ,खरीदना और उसका अभिसंस्कार, संपरिवर्तना, विपणन तथा आयात करना;

(2) देश में स्क्रेप के अधिकाधिक तथा सुधरे हुए संग्रह के लिये उपायों को बढ़ावा देना तथा उनका विकास करना;

(3) तय की गई शर्तों पर घरेलू प्रयोक्ताओं को सप्लाई विनियमित तथा सुनिश्चित करना।

निगम को सौंपे गये मामलों के सम्बन्ध में निगम बहुत ही लाभदायक कार्य करता रहा है। इसे बन्द करने अथवा इसका अन्य किसी निगम में विलय करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

निर्यात के लिये स्क्रेप की स्वीकृति

4777. **श्री गजराज सिंह राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्क्रेप के किन मदों के निर्यात की स्वीकृति दी गई है तथा यह स्वीकृति किन तिथियों को दी गई थी;

(ख) क्या स्क्रेप व्यापारियों की शिकायत तथा निवेदन के बावजूद 2 ए तथा 2 नम्बरों की चादरों की कतरनें तथा पंचिंग के निर्यात की अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) यदि आंतरिक मांग के कारण मंजूरी नहीं दी गई है तो 2 ए तथा 2 नम्बरों की चादरों की कतरनें तथा पंचिंग के आन्तरिक प्रयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं और अप्रेल–सितम्बर, 1970 के दौरान उन्होंने इन ग्रेडों का कितनी मात्रा में प्रयोग किया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). फैरस स्क्रेप की निम्न श्रेणियों के लिये उनके प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों को स्वीकृति दी गयी थी:—

सी आई बोरिंग मिल स्केल स्क्रेप डिटिंड स्क्रेप सिलीकोन चादर की कतरनें	31-8-1970
न० 3 बंडल चादर की कतरनें	17-9-1970
न० 2 बंडल चादर की कतरनें 10,000 मे० टन न० 2ए बंडल चादर की कतरनें 14,750 मे० टन	3-11-1970

पहले ही अनुमत मात्राओं के अलावा न० 2 तथा न० 2ए चादर कतरनों की निर्यात की मंजूरी के प्रश्न पर सम्बन्धित विभागों से सलाह ले कर विचार किया जा रहा है।

(घ) घरेलू प्रयोक्ताओं द्वारा की गयी बाजार खरीदारियों के बारे में जानकारी नहीं है। धातु स्क्रेप व्यापार निगम के, जिसने 30-6-1970 तक प्रभावी संलेख आबंटन पर पूर्तियों की व्यवस्था की थी, अभिलेखों के अनुसार भट्टी मालिकों द्वारा न० 2 बंडलों के लिये कोई मांग-पत्र नहीं भेजे गये थे। 30-6-1970 को संलेख की समाप्ति के बाद, घरेलू प्रयोक्ताओं द्वारा स्क्रेप के प्रयोग किये जाने के कोई अभिलेख धातु स्क्रेप व्यापार निगम द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खान मालिकों से लौह अयस्क की खरीद

4778. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बल्लरी-हास्पेट सैक्टर में उन खान मालिकों के नाम क्या हैं जिनसे खान तथा धातु व्यापार निगम लौह अयस्क की खरीद करता है तथा निगम द्वारा प्रतिवर्ष कितने मूल्य का तथा कितना लौह अयस्क खरीदा जाता है और निर्यात किया जाता है ;

(ख) खान तथा धातु व्यापार निगम लौह अयस्क की किस कसौटी पर खरीद रता है ;

(ग) क्या खान तथा धातु व्यापार निगम ने कुछ खान मालिकों से पक्षपात किया है तथा अन्य की उपेक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उन खान मालिकों ने जिनसे भेद-भाव किया गया है सरकार से शिकायत की है और यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है, और यदि मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) बल्लरी हाम्पेट सेक्टर में उन खान मालिकों के नाम, जिनसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम लौह अयस्क की खरीद करता है तथा निगम द्वारा, 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 (अक्टूम्बर, 1070 तक के दौरान, इन खान मालिकों से प्रतिवर्ष कितने मूल्य का तथा कितना लौह अयस्क खरीदा गया और उपरोक्त अवधि के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये गये लौह अयस्क की कुल मात्रा तथा मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-4586/70.]**

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, विदेश स्थित खरीदारों द्वारा अपेक्षित अयस्क की विशिष्टियों के अनुसार तथा निगम की बिक्री सम्बन्धी वचन बद्धताओं के अनुरूप, लौह अयस्क की खरीदारियां करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

काजू की गिरी के संचित भंडारों का निपटान

4779. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू व्यापारी इस बात से चिंतित हैं कि विवलोन में अनबिकी काजू की गिरी की 2½- लाख पेटियां जमा हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां तो विदेशी बाजारों में इन भारी भण्डारों को बेचने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा कम्प्यूटरों का निर्माण

4780. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कपा करेंगी कि :

(क) भारत इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में इलेक्ट्रोनिक्स संबंधी कलपुर्जों का आयात किया गया ;

(ख) क्या कम्प्यूटरों कों निर्माण से पूर्व ही बेच दिया गया है अथवा किराये पर दे दिया गया है तथा सम्बन्धित पार्टियां उनकी सप्लाई के लिये दबाव डाल रही है और यदि हाँ, तो अब तक कितने मूल्य की बिक्री हो चुकी है ; और

(ग) कम्प्यूटरों को सप्लाई कब की जायेगी और उनका मूल्य तथा किराया कितना है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) . (क) मैसर्स इन्टरनेशनल कंम्प्यूटर्स एण्ड टेबूलेटर्स (प्राइवेट) लि० को चार वर्षों में 56 कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्त है । जनवरी 1970 में उन्हें 7 कम्प्युटर प्रणालियों के निर्माण के लिए कच्चे माल और उपकरणों के आयात के लिए 59, 85,000 रु० का पहला आयात लाइसेंस जारी किया गया था । इन कम्प्यूटरों के इलेक्ट्रानिक भाग का उत्पादन भारत इलेक्ट्रानिक लि० करेगा ।

(ख) और (ग) . इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में स्थित डा० टी० एस० गुलराजानी के निवास स्थान पर देशी बम का विस्फोट

4781. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में स्थित बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स डिवीजन के अध्यक्ष डा० टी० एस० गुलराजानी के निवास स्थान के पीछे के आंगन के बरामदे की सीड़ियों पर 9/10 अक्तूबर को अर्द्ध-रात्रि से पूर्व किसी देशी बम का विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में से किस प्रकार के तथा कितने बम बरामद किये गये ;

(ग) इन बमों के बारे में सरकार के विस्फोट पदार्थों के विशेषज्ञों की क्या राय है;

(घ) इस संबंध में किन किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ङ) सरकारी संस्थानों में बमों को बनाये जाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) . जी हां, श्रीमान् । डा० गुलराजानी के निवास स्थान के पीछे दिनांक 8-10-70 को रात्र के 11 बज कर 20 मिनट पर एक हस्तनिर्मित बम का विस्फोट हुआ और विस्फोट के स्थान के निकट एक बिना चला बम भी पड़ा पाया हुआ गया था । इस बम को सेना के विध्वंसक दल की सहायता से नष्ट कराया गया जिनकी राय थी कि हस्तनिर्मित बम के बारूद और कील इत्यादि पदार्थ थे । विस्फोट हुए बम के टुकड़े विस्फोटक निरीक्षक, आगरा के पास उनकी राय के लिए भेजे गए हैं ।

(घ) मामले की जांच की जा रही है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

(ङ) राज्य सरकारों को कहा गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारी कारगर उपाय करें ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधियों तथा विटामिन का आयात

4782. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा 1968-69 में कितनी तथा कितने मूल्य की औषधियां तथा विटामिन का आयात किया गया ;

(ख) इस अवधि में आयात की गई महत्वपूर्ण औषधियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) पेनीसिलिन जैसी औषधियों तथा विटामिन का आयात किया जाने के कारण क्या हैं जब कि देश में इनका निर्माण होता है ;

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1968-69 में राज्य व्यापार निगम द्वारा 16.92 लाख रु० मूल्य की औषधियों का आयात किया गया। राज्य व्यापार निगम द्वारा उपरोक्त वर्ष में विटामिन का आयात नहीं किया गया था।

(ख) पी० ए० एस० सोडियम, टेट्रासाइक्लीन, नमक का तेजाब तथा एनालिजन ।

(ग) केवल उन्हीं औषधियों तथा विटामिन का आयात करने की अनुमति है जिनका स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त है । पेनीसिलिन के आयात की अब अनुमति नहीं है।

राजस्थान में लोगों का धर्म परिवर्तन

4783. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, विशेषकर आदिमजाति क्षेत्रों में, जबरन तथा लालच देकर लोगों का धर्मपरिवर्तन करने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अबतक कुल कितने लोगों का धर्मपरिवर्तन किया गया है ;

(ग) इस प्रकार लोगों का धर्मपरिवर्तन कराने के लिये जिम्मेदार मिशनरियों के नाम तथा उनकी राष्ट्रीयता क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि और लोगों का धर्मपरिवर्तन न हो ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में चयन से पूर्व विभागीय अभ्यर्थियों के लिये अलग संवर्ग

4784. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में चयन से पूर्व विभागीय अभ्यर्थियों के लिये अलग संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ रहा है,

(ग) योजना का मोटे रूप से ब्यौरा क्या है और किस तारीख तक इसे क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है कि जो व्यक्ति भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में पहले से कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) (ख) तथा (ग). भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के गठन की समीक्षा श्रेणी II सेवा में चालू करना सरकार के विचाराधीन है, जिससे सेवा में उच्च योग्यता के व्यक्तियों को लिया जा सके तथा अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में सुधार हो जो कि श्रेणी II 'फीडर' पद पर कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इस अवस्था में यह निर्दिष्ट करना संभव नहीं है की समीक्षा कार्य कब तक पूरा होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखकर की भारत सरकार के बहुत से विभाग / मंत्रालय इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(घ) चूंकि कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, तथा ब्यौरा अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, इस समय यह कहना संभव नहीं है कि कार्यक्रम ग्रेड 4 में कार्य कर रहे लोगों को हानि पहुंचायेगा अगर ऐसा हो तो किस सीमा तक ।

विदेशों से आने वाले भारतीय डाक्टरों के लिए उचित नौकरियां

4785. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत दो वर्षों में, वर्ष वार तथा अक्टूबर 1970 के अन्त तक विदेशों से आने वाले कितने भारतीय डाक्टरों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्था द्वारा कुल 'आफिसरों' की नौकरियां दी गई थीं ;

(ख) उक्त अवधि में वर्ष-वार उनमें से कितने डाक्टर अपनी योग्यताओं के अनुसार उपयुक्त नौकरियां प्राप्त करने में सफल हुए ;

(ग) क्या उनमें से पचास प्रतिशत डाक्टर परेशानी तथा उपयुक्त नौकरियों के अभाव के कारण उन स्थानों को वापस चले गये हैं जहां से वे आये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है जो उक्त अवधि में वापस चले गये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) विदेशों से लौटने के बाद जिन भारतीय डाक्टरों ने वैज्ञानिक पूल अधिकारियों की सेवा में प्रवेश किया उनकी वार्षिक संख्या इस प्रकार है :—

1968	....	99
1969	....	104
1970 (31.10.70 तक)		86
	योग:—	289

(ख) जिन पूल अधिकारियों ने पूल छोड़कर अन्य उपयुक्त नियमित सेवाओं में प्रवेश किया है उनका वार्षिक ब्यौरा इस प्रकार है:—

1968	13
1969	37
1970	27
योग:—	77

इसके अतिरिक्त 53 चिकित्सक पूल अधिकारियों ने बिना कोई कारण बताये पूल का परित्याग कर दिया तथा 51 पूल अधिकारियों ने अपनी कार्यावधि समाप्त होने पर पूल का परित्याग किया।

(ग) वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी विभाग सी० एस० आई० आर० में प्राप्त सूचना के अनुसार 11 (3.8 प्रतिशत) चिकित्सक पूल अधिकारियों ने पूल त्याग दिया और वे अपनी कार्यावधि के बीच में ही विदेश चले गये। (उनमें से एक भारत वापिस आ गया है और उसने पुनः पूल में प्रवेश कर लिया है)

(घ) 11 अधिकारियों का वार्षिक ब्यौरा निम्नलिखित है—

1968	2
1969	5
1970 (31.10.70 तक)	4
योग:—	11

जूतों के निर्यात व्यापार में आने के लिये अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोत्साहन

4786. **श्री सूरजभान** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को अपने परम्परागत व्यवसाय, अर्थात् जूता निर्माण के निर्यात व्यापार में शामिल होने के लिये प्रोत्साहन करने हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो जूतों का निर्यात कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अपनी क्षमता तथा विश्व बाजार में प्रतियोगिता करने की योग्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वह लघु क्षेत्र में या वृहत क्षेत्र में हो, अनुसूचित जाति या अन्य किसी जाति का हो, किसी भी देश को जूतों का निर्यात कर सकता है।

फीडर सूची में भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड III और IV पदों का सम्मिलित न किया जाना

4787. **श्री घो० ना० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 30 नवम्बर, 1970 को ऐसे कितने अधिकारी भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड III और IV पदों अथवा उनके समकक्ष निःसंवर्ग पदों, पर काम कर रहे थे जिन्हें फीडर सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(ख) ऐसे पद किन-किन विभिन्न कार्यालयों में विद्यमान है?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए 'फीडर' सूची भारत सरकार में श्रेणी II के सांख्यिकीय डिसीप्लीन पदों की एक सूची है, जिन्हें उनके पदाधिकारियों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा की ग्रेड IV में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई है। चूंकि भारतीय सांख्यिकीय सेवा ग्रेड III और IV पदो अथवा उनके समकक्ष निःसंवर्ग पदों की जो श्रेणी I में हैं, शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पुलिस मैनों द्वारा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार

4788. **श्री सूरजभान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर, 1970 के 'ब्लिट्ज' के अन्तिम पृष्ठ पर छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केरल में पुलिसमैनों द्वारा 15 हरिजन महिलाओं से बलात्कार किया गया था;

(ख) क्या उक्त समाचार-पत्र में लगाये गये विभिन्न आरोपों के बारे में सरकार ने कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अलेप्पी में तीन कृषि मजदूर महिलाओं से एक शिकायत मिली थी कि ड्यूटी में तैनात पुलिसमैनों ने 2 नवम्बर, 1970 की रात को उनके साथ बलात्कार किया। दो अन्य महिलाओं ने शिकायत की है कि पुलिसमैनों द्वारा उनका

शील-भंग किया गया । महिलाओं को जिला अस्पताल अलेप्पी में 3 नवम्बर, 1970 को भर्ती किया गया। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ने भी मामले दर्ज किए हैं जिनकी कानून के अनुसार जांच की जा रही है ।

बाढ़ संरक्षण योजनाओं के लिए धन जुटाना

4789. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केन्द्रीय सरकार के गृह-कार्य मंत्री द्वारा "बाढ़ के पूर्व सूचना, नियन्त्रण" और "बाढ़-क्षति से संरक्षण" तथा "विद्युत पद्धति में ऊर्जा की हानि" के सम्बन्ध में गोष्ठी का उद्घाटन करते समय, जिसको केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड द्वारा गठित किया गया था, दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने देश में बाढ़ संरक्षण योजनाओं के लिये धन जुटाने हेतु, बाढ़-संरक्षण कर तथा अनिवार्य बाढ़ बीमा योजना लागू करने की बात कही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों को बाढ़ सुरक्षा उगाही और बाढ़-बीमा लागू करने की बात का ज्ञान है । बाढ़-नियंत्रण से सम्बन्धित मंत्रियों की समिति ने 1964 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को यह सिफारिश की थी कि वे अध्ययन करके बाढ़-बीमा के लिये एक उपयुक्त स्कीम निकालें। इस समिति की रिपोर्ट राज्यों को परिपत्रित की गई है और अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक बाढ़ सुरक्षा उगाही का सम्बन्ध है, आंध्र प्रदेश (कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र) जलनिकास उपकर अधिनियम 1968 के अधीन कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं में बाढ़ नियंत्रण और जलनिकास की स्कीमों से लाभ उठाने वालों से अंशदान इकट्ठा करने की व्यवस्था है ।

Landless Persons of Muzaffarpur District shot dead by Zamindars

4790. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that three landless persons of District Muzaffarpur (Bihar) had been shot dead by the Zamindars in the first week of October, 1970 and no action has been taken by the Police inspite of an appeal sent to the Prime Minister by the District Communist Party for appropriate action;

(b) whether any action has been taken to give justice to the poor and to prevent cullusion of the Police with the murderers;

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of home affairs and Minister of State Departments of Electronics and Scientific and Industries Research (Shri K. C. Pant): (a) to (b).

According to information received from the Government of Bihar, four eprsons died of gun shot injuries on October 11,1970 in a clash arising out of a claim of batai dari rights over apiece of land. A case under Sections 147/148/149/302/324 I. P. C. was instituted by the police and six accused persons have already been arrested. Action was being taken to arrest the 16 accused persons. The investigation of the case is in progress.

नई दिल्ली में ग्रीन पार्क स्थित शिकागो इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के प्राध्यापक की गिरफ्तारी

4791. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में ग्रीन पार्क स्थित शिकागो इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के प्राध्यापक को हजारों रुपये की राशि की धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोग के आरोपों में गिरफ्तार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त व्यक्ति ने ऐसा करने के लिये क्या ढग अपनाया था;

(ग) क्या देश के सभी भागों से उक्त इंस्टीटयूट में प्रवेश पाने वाले छात्र विदेशों में लाभ-प्रद नौकरियों हेतु भेजे जाने की झूठी आशा दिलाये जाने पर उनके द्वारा खर्च करायी गई भारी धन राशि के कारण बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन छात्रों को किसी प्रकार सहायता करने हेतु कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ) . नई दिल्ली ग्रीन पार्क स्थित शिकागो इन्स्टीटयूट आफ टेक्नालाजी के प्राध्यापक को इन्स्टीटयूट के एक भूतपूर्व छात्र की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्रथम सूचना रपट मामला सं० 411 दिनांक 13-5-1970 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/420 के अन्तर्गत दिनांक 23-5-1970 को गिरफ्तार किया था। मामले की छानबीन की जा रही है।

यह आरोप है कि इस इन्स्टीटयूट के प्राध्यापक का, कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ, तीन अन्य फर्मों, नामतः शिकागो रेडियो कार्पोरेशन, ग्लोव एडवर्टाईजिंग एजेन्सी और गवर्नमेंट लाटरी हाउस का भी स्वामित्व है। कहा जाता है कि इन व्यक्तियों ने विभिन्न समाचार पत्रों में टेलिविजन, टेप-रिकार्डर, रेडियोग्राम और इन्टर-कम्युनिकेशन सेटों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए।

आरोप लगाया गया है कि उन्होंने झूठे प्रलोभनों द्वारा युवकों को इन्स्टीट्यूट में प्रवेश करने और प्रशिक्षण की अवधि में सफलता प्राप्त करने पर लाभकारी पद पाने और सरकारी विभागों में ऊंचे पदों में चयन के लिए इन संस्थाओं के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने का धोखा भी दिया। इन विज्ञापनों में यह दावा किया गया था कि इन संस्थानों की परीक्षा का स्तर बी० ई० डिग्री के बराबर है। बताया जाता है कि विदेशों में नौकरी दिलाने का वचन नहीं दिया गया था।

यह सूचना दी गई है कि देश के विभिन्न भागों से छात्रों ने झूठी आशा के कारण इन संस्थानों में प्रवेश किया और कठिनाई सही । मामले की पहले ही जांच की जा रही है और छात्र जिनको इस संस्था में प्रवेश करने का प्रलोभन दिया गया था सरकार के लिए उनकी कोई अन्य सहायता करना संभव नहीं है ।

मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड

4792. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रवर्तन विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी अगस्त, 1970 में सरकारी व्यय पर मैसर्स डीडसाल प्राइवेट लिमिटेड को प्रवर्तन निदेशक के आदेश के विरुद्ध उनकी अपील का प्रारूप बनाने में सहायता करने के लिये विमान द्वारा बम्बई गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Estimates of Cotton Production and import thereof

4793. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Forfign Trade** be pleased te state:

(a) whether Government have prepared any estimate of the indigenous cotton produced during the current season;

(b) if so, the total quantity thereof along with the quantity of imported cotton and the balance of indigenous cotton produced during the last season; and

(c) the total quantity of cotton likely to be left at the end of the current season after meeting the requirements of the mills including the exports thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). No official estimate of cotton crop is yet available. It is confirmed by the representatives of trade, textile industry and cotton growers on the Cotton Textiles Consultative Board that the crop estimate is not less than 57 Lakh bales during the current season. The original import programme prepared in June, 1970 was for 8.25 lakh bales of cotton. Additional imports of cotton are being considered. Import of 1.5 lakh bales of staplefibre on an immediate basis has also been arranged.

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार देना

4794. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री द० रा० परमार :
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या को भारत के राष्ट्रपति के नाम से कुछ राष्ट्रीय पुरस्कारों तथा उपाधियों जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की घोषणा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुरस्कारों तथा उपाधियों के देने का क्या मापदंड है; और

(ग) गत तीन वर्षों में विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ऐसी कितनी उपाधियां और पुरस्कार दिये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार न कि उपाधियां दी जाती हैं।

(ख) व्यक्तियों को पुरस्कार उनके कार्य क्षेत्रों में की गई विशिष्ठ सेवा के लिए दिये जाते हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में दिये गये पुरस्कारों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	भारत रत्न	पद्म विभूषण	पद्म भूषण	पद्मश्री
1968	—	5	28	44
1969	—	5	29	55
1970	—	7	28	69

राष्ट्रीय आय

4795. **श्री धी० ना० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में क्या राष्ट्रीय आय है;

(ख) क्या चालू वर्ष की तुलना में गत दो वर्षों की राष्ट्रीय आय अधिक थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 1970-71 के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान अभी तक तयार नहीं किया गया है।

(ख) इस समय इस प्रकार की तुलना करना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत छोड़ो आदेश प्राप्त करने वाले विदेशी

4796. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1969 और 1970 के दौरान अवाछनीय गतिविधियों के आरोपों पर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं; और

(ख) ऐसे प्रत्येक विदेशी कर्मचारी की राष्ट्रीयता क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	नाम	नागरिकता
1.	श्री डेनियल शाकेम्बो	कांगोलीय
2.	को दा सउंग	बर्मी
3.	पा देइन ला	बर्मी
4.	पा चाउ सू	बर्मी
5.	एमजी प्या थान	बर्मी
6.	एमजी सैइन तुन	बर्मी
7.	थान थान या	बर्मी
8.	एमजी तुन पेइन्त	बर्मी
9.	को ओन प्याइंग	बर्मी
10.	मा मेय काई	बर्मी
11.	माउंग सी तिन्त	बर्मी
12.	माउंग तुन ओकी	बर्मी
13.	पसांग	तिब्बती
14.	मिर्गमेल	तिब्बती
15.	फारबू	तिब्बती

1	2
16. नवांग	तिब्बती
17. चाउ वाई यू	चीनी
18. प्रोमोते जैजगत	थाई
19. श्री कुर्तो दोसिनिको	इटेलियन
20. श्री हरबर्त मार्तोलिनो	इटेलियन

टिप्पणी : बिहार, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों की सूचना इसमें सम्मिलित नहीं है । यह एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Conference of Scientists working in Public and Private Sectors held in New Delhi

4797. **Shri Raghuvir Singh Sastri:**
Shri Dhanda Pani:
Shri N. R. Laskar:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether a conference of the Scientists working in the Public and Private sectors was held in November, 1970 in New Delhi to review the implementation of the Scientific Policy Resolution adopted in March, 1958 and to suggest amendments therein;

(b) if so, the decisions and recommendations thereof and the reaction of Government; and

(c) the changes contemplated to be made by Government in their Scientific Policy?

The Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The Committee on Science and Technology after discussing the ideas, suggestions and recommendations of the conference, will submit its report for consideration by the Standing Group of Ministers on Science and Technology.

News published in the 'Dinman' Weekly

4798. **Shri Molahu Prasad:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a)w hether Government's attention has been drawn to the news-item published under the caption 'Jas Jas Bheeje Kali Kamaria' (the more a blanket is soaked, the heavier it becomes) at page 15 of the Dinman Weekly dated the 1st November, 1970; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action being taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) **Yes, Sir.**

(b) In order to intensify the drive against corruption, the Central Bureau of Investigation as well as departmental vigilance organisations have been strengthened. The Lokpal and Lokayukta Bill which is presently before the parliament is yet another measure calculated to combat the evil. An annual programme of vigilance and anti-corruption work is also drawn up and implemented. This includes surprise checks and intesified action in certain sensitive departments to prevent delays. Suggestions made by the Central Vigilance Commissioner from time to time for combating the evil of corruption are given utmost consideration and appropriate remedial measures are taken by Government.

रुई मंत्रणा बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक

4799. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम० ए० रंगस्वामी की अध्यक्षता में बम्बई में 4 नवम्बर, 1970 को रूई मंत्रणा बोर्ड की स्थाई समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रूई मिल उद्योग के प्रतिनिधियों ने अक्टूबर मास में रूई के मौसम के प्रारम्भ से रूई के मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि को 'बहुत ऊंचा' बताकर चिन्ता व्यक्त की थी;

(ग) क्या उन्होंने समिति को बताया कि जब तक मूल्यों को स्थिर नहीं किया जाता तब तक मिल लाभप्रद ढंग से कार्य नहीं कर सकती;

(घ) क्या इस प्रकार का कोई सुझाव दिया गया था कि पी०एल० 480 के अन्तर्गत सरकार को अमरीका से रूई की 2 लाख अतिरिक्त गांठों का आयात करने की अनुमति देनी चाहिये; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बैठक में अन्य कौन से निर्णय किये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). बैठक के कार्यवृत की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–4587/70.**]

जोधपुर के राव हनुमंत सिंह की लंदन में अर्जित आय

4800. **श्री जार्ज फरनान्डीज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर के राव हनुमंत सिंह द्वारा लंदन में पाउंड स्टर्लिंग में अर्जित कुल आय के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) क्या राव हनुमंत सिंह ने आय से संबंधित विवरणिका भेजी है और विदेशी मुद्रा विनिमय के अधीन आवश्यक घोषणाएं की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). प्रवर्तन निदेशालय यू०के० की किसी व्यापार-संस्था द्वारा जोधपुर के राव हनुमंत सिंह को लंदन में पौंड स्टर्लिंग के तथाकथित भुगतानों से संबंधित कुछ सूचना मिली। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1947, की धारा 19 (2) के अन्तर्गत राव हनुमंत सिंह को एक निर्देश जारी करके प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आवश्यकीय जांच पड़ताल की गई है। मामले पर आगे जांच चल रही है, तथा धन के संबंध में दृढ़ निष्कर्ष, यदि कोई हो, जांच के पूरे होने पर प्राप्त हो सकते हैं।

आय कर विभाग ने इसी बीच संबंधित अवधि के लिये पार्टी के आयकर तथा सम्पत्तिकर के मूल्यांकन के मामले को पुनः खोलने की उचित कार्यवाही की गई है।

राजस्थान के लिए चौथी योजना का आकार

4801. **श्री मु०कु० तापड़िया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दो वर्ष की अवधि के उपरान्त भी अभी तक योजना आयोग और राजस्थान सरकार में राज्य के लिए चौथी योजना के आकार के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका है; और

(ख) वित्त मंत्रालय और राज्य योजना आयोग के प्रतिनिधियों के बीच हाल में हुई वार्ता की असफलता का क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) योजना आयोग ने चौथी योजना का परिव्यय 302 करोड़ रुपये स्वीकार किया था। राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 316 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया था। दृढ़ संसाधन दृष्टिगत न होते हुए राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

(ख) वित्त मंत्रालय तथा राज्य योजना विभाग के मध्य इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

किराया नियंत्रक न्यायालय, दिल्ली के विरूद्ध शिकायतें

4802. **श्री दे० अमात :**
श्री गु० च० नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, दिल्ली के जिलाधीश के रूप में, किराया नियंत्रक न्यायालय और लघु विवाद न्यायालय तथा किराया न्यायाधिकरण के विरूद्ध अपीलों, रोक के प्रार्थनापत्रों और शपथ-पत्रों के गायब हो जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या उन्होंने शिकायत करने वालों को कहा है कि वे उक्त अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं और अपराधों के सम्बन्ध में न्यायिक जांच करने के लिये एक और शपथ-पत्र प्रस्तुत करें; और

(ग) क्या ऐसी जांच की गई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीकर की सूजना के अनुसार 9 मई, 1959 और 5 मई 1962 के मध्य जब माननीय श्री न्यायाधीश एच०आर० खन्ना, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति ने दिल्ली में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, 5 अधिकारियों ने किराया नियंत्रक न्यायालय ट्रिब्यूनल्स के रूप में, 6 अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में लघु विवाद कोर्ट में नियुक्त किया था और 5 अधिकारियों को किराया नियंत्रक के रूप में तैनात किया था। उन्होंने लिखा है कि अंधता या अपीलों में गायब होने। रोक के प्रार्थनापत्रों या इस अवधि के शपथ पत्रों से संबंधित शिकायत के कागजात सत्र न्यायालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं। माननीय न्यायाधिपति को स्मरण नहीं है कि ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अफगान राष्ट्रजनों का छपड़ा (बिहार) में महाजनी व्यापार

4803. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफगान राष्ट्रजनों के भारत में महाजनी व्यापार को 31 दिसम्बर, 1954 से बन्द कर दिया था;

(ख) क्या अफगान महाजनों को अपने धन वसूल करने के लिये कुछ समय दिया गया था और वह अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है;

(ग) क्या कुछ अफगान बिहार के सारान जिले के छपड़ा कस्बे में अब भी महाजनी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का छपड़ा के अफगान महाजनों का महाजनी व्यापार बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). नीति यह रही है कि अफगान महाजन, जो 31 दिसम्बर, 1954 से पहले से भारत में रह रहे हैं, अपना महाजनी व्यापार जारी रख सकते है। जो उस तारीख के बाद भारत आये उन्हें नया व्यापार नहीं करना चाहिए अपने वर्तमान व्यापार को भी समाप्त कर देना चाहिए। प्रत्येक मामले पर उसके गुण दोष के आधार पर विचार किये जाने के नाते इस प्रयोजन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई।

(ग) तथा (घ). छपड़ा शहर में चार अफगान राष्ट्रिक है जो 31 दिसम्बर, 1954 से पहले से भारत में रह रहे हैं और इसलिए वे नये व्यापार समेत अपने महाजनों व्यापार को

जारी रख सकते हैं। छपड़ा शहर से किसी अन्य अफगान राष्ट्रजन के बारे में जो नया महाजनी व्यापार कर रहा है, कोई सूचना नहीं है।

छपड़ा (बिहार) जिले में अफगान ऋणदाता

4804. **श्री राम शेखर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छपड़ा (बिहार) के अफगान ऋणदाताओं ने अभी तक अपने ऋण लेने वालों की सूची प्रस्तुत नहीं की है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अफगान ऋणदाता कोई आयकर नहीं दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो अफगान ऋणदाताओं को अपना बकाया धन उगहाने और अपना व्यापार बन्द करने के लिये कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

आसाम सरकार में एक मंत्री की संदेहास्पद, राष्ट्रीयता

4805. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 14 नवम्बर, 1970 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार की जानकारी है जिसमें बताया गया है कि आसाम के भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री होइमल हक चौधरी ने मुख्य मंत्री के नाम, श्री अल्ताफ हुसैन मजूमदार नाम के एक मंत्री की संदेहास्पद राष्ट्रीयता की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच किये जाने की मांग करते हुए पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि श्री मजुमदार कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान चले गये थे और वहां पर कुछ समय तक वकालत करते रहे थे;

(ग) यदि हां, तो वह कब पाकिस्तान गये और कब भारत वापस आये;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) श्री मजुमदार ने पाकिस्तान से पुनः भारत लौटने के पश्चात भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिये कब आवेदन किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ). असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, श्री अल्ताफ हुसैन मजूमदार 28 जनवरी, 1950 को ढ़ाका गये । वहां पर उसने एक वकील के अधीन परिवीक्षाधीन के रूप में काम किया और फरवरी, 1952 में भारत वापिस आये । ढाका का उसका दौरा अस्थाई था वहां पर बसने के इरादे से नहीं था । उस समय भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच यात्रा निर्बाध थी और पारपत्र की तरह के किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं थी । सरकार को सलाह दी गई है कि श्री मजूमदार के पाकिस्तान जाने से उसकी भारतीय नागरिकता न तो समाप्त हुई है अथवा न उसको हानि हुई है ।

त्रिपुरा सरकार के वकीलों के पेनल द्वारा हड़ताल की धमकी

4806. **श्री किरति विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार के वकीलों का पेनल सरकारी मुकद्दमों की पैरवी के सम्बन्ध में फीस की दरों में वृद्धि करने की सरकार की निष्क्रियता के विरोध में सरकारी मुकद्दमों की पैरवी न करके हड़ताल करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वकीलों की संक्षिप्त मांगें क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है कि विधिवत्ताओं के एक भाग द्वारा निम्नलिखित मांगों को स्वीकार कराने के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है :—

(i) दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों के शुल्क में बढ़ोतरी की जाय,

(ii) कुछ मूल्यों तक के मामलों का दैनिक शुल्क निर्धारण,

(iii) अगरतल्ला से बाहर न्यायालय में पेशी के लिए प्रतिदिन के शुल्क का भुगतान सामान्य दर से दुगुणित और यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की दरें प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के समान की जाय,

(iv) दीवानी फौजदारी और रिट मामलों में परामर्श और परिशीलन शुल्क दिया जाय,

(v) सभी सैशन मामलों और रिट मामलों में दो वकीलों को नियुक्त किया जाय ।

त्रिपुरा सरकार द्वारा इन मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

Chiaraman of Tripura, Khadi Board fled away to Pakistan

4807. **Shri Hukamchand Kachwai** : ll the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Chairman of the Tripura Khadi Board fled away to Pakistan during this year along with huge amount of money and valuable papers belonging to the Khadi Borad;

(b) if so, the deatails thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of the State in Ministry of Home Affairs and Minister of State Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) The Government of Tripura have intimated that this is not correct.

(b) & (c). Do not arise.

नेपाल में भारत के माल की सप्लाई के बारे में गलत धारणा

4808. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में यह गलत धारणा फैलाई जा रही है कि चूंकि भारत-नेपाल संधि का नवीकरण नहीं हो पाया इस लिये नेपाल को भारत कपड़े, मिट्टी के तेल तथा नमक की सप्लाई नहीं करेगा;

(ख) क्या नेपाल में भारत के माल के बहिष्कार करने का कोई संठिगत अभियान चल रहा है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप नेपाल को भारत के निर्यात में कमी हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत की सप्लाई के सम्बन्ध में नेपाल में फैली गलत धारणा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). व्यापार तथा परिवहन की एक नई संधि करने के लिये भारत तथा नेपाल के बीच 21 दिसम्बर 1970 को फिर से बातचीत शुरू की जाएगी, जब कि भारतीय तथा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलों के नेता, जो अब काबूल में हैं, नई दिल्ली वापिस लौट आयेंगे। पारस्परिक व्यापार तथा परिवहन सुविधाओं सम्बन्धी मामलों पर सम्मत सूत्र तैयार करने में काफी प्रगति हुई है यद्यपि इन में से कुछ मामलों के सम्बन्ध में अभी हल ढूंढना बाकी है।

इसी बीच यह तय हो चुका है कि व्यापार तथा पारिवहन के सम्बन्ध में विद्यमान व्यवस्थाएं 31 दिसम्बर, 1970 तक जारी रहेगी। अतः किसी भी गलत धारणा का प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन की ओर से प्रचार पुस्तिका

4809. **श्री स०चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने सर्विसेज प्रेस और हरियाणा मेल के कैप्टेन अनन्तसिंह के विरूद्ध इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन की ओर से मुद्रक और मुद्रणालय का नाम बताये बिना कुछ प्रचार पुस्तिकाएं प्रकाशित करने के कारण कोई मुकदमा दायर किया है;

(ख) क्या इस प्रचार पुस्तिका में प्रधान मंत्री और सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध निराधार एवं बदनाम करने वाली बातों का उल्लेख था; और

(ग) इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन और उसके जन सम्पर्क सलाहकार 'हौरस' के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से तौरस इंडिया प्रा० लि० के जन सम्पर्क सलाहकार, नई दिल्ली द्वारा कुछ इश्तिहार निकाले गये जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा उन राज्यों में चीनी उद्योग को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में इंडियन शूगर मिल्स एसोसिएशन के दृष्टिकोण का प्रचार सरकार के ध्यान में आया है। इश्तिहारों में समाविष्ट टीका टिप्पणी प्रधान-मंत्री और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध है। प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

पंजाब, हरयाणा तथा हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारों का प्रबन्ध

4810. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पंजाब, हरयाणा और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारों का प्रबन्ध फिलहाल पंजाब श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को सौंप दिया गया है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब संयुक्त सम्पत्तियों का बटवारा किया जा चुका है, क्या सरकार का विचार गुरुद्वारों का प्रबन्ध क्रमशः इन तीन राज्यों को सौंप देने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में पंजाब, हरयाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों के मत का पता लगाया है; और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). अविभाजित पंजाब राज्य के पुनर्गठन से शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी एक अन्तर्राज्यीय निगम बन गई और पंजाब पुनर्गठन अधि-नियम 1966 की धारा 72 के अन्तर्गत कार्य करती है और कानून द्वारा जब तक कोई अन्य प्रबन्ध न किए जाएं वह संयुक्त राज्य के क्षेत्रों में कार्य करती तथा बनी रहेगी। कमेटी की बदलती हुई परिस्थितियों में कैसे कार्य करना चाहिए इस प्रश्न पर संबंधित सरकार के परामर्श में साथ विचार किया जा रहा है।

(घ) जबकि पंजाब सरकार का विचार है कि कमेटी का वही कार्य क्षेत्र रहना चाहिये जैसा पहले था परन्तु हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों का विचार है, कमेटी का कार्य क्षेत्र उनके क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए।

पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में सहकारी चाय कारखाने की स्थापना

4811. **श्री हेमराज** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 5 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में सहकारी चाय कारखाना स्थापित करने का निर्णय इस बीच किया गया है और इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने की स्थापना कब की जायेगी और उक्त कारखाने के लिये ऋण तथा अनुदान कब मंजूर किये जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) पालमपुर में सहकारी चाय कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना विचाराधीन है ।

फिल्म निर्यात निगम

4812. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्यात निगम के कर्मचारियों ने निगम के कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध नैतिक भ्रष्टाचार जैसी अन्य कोई गम्भीर शिकायतें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों की इस बीच कोई जांच की है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का फिल्म निर्यात निगम के कार्यों की जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रास सेवक) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

केला निगम की स्थापना

4813. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केलों का निर्यात विनियमित करने के लिये केला निगम स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा केलों के निर्यात के लिये कितनी मात्रा में निर्यात व्यापार किया जा रहा है; और

(ग) जब गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा इसका प्रबन्ध किया जायेगा तो निर्यात व्यापार को विनियमित करने के लिये निगम की स्थापना का औचित्य क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा वर्ष 1969-70 के दौरान 37.29 लाख रु० मूल्य तथा अप्रैल से जुलाई, 1970 के दौरान 10.70 लाख रु० मूल्य के केलों का निर्यात किया गया था। सरकारी क्षेत्र द्वारा केलों का कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन पर परामर्शदात्री समिति

4814. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में चाय के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन परामर्शदात्री समिति का दूसरा अधिवेशन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो अधिवेशन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय किये गये; और

(ग) कितने देशों ने अधिवेशन में भाग लिया था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) अधिवेशन में निम्नांकित प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श हुआ था :—

(1) अल्पकालिन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही,

(2) दीर्घकालीन व्यवस्थाएं,

(3) संवर्धन।

इस पर सहमति प्रकट की गई कि 1971 में काली चाय के लिये विश्वव्यापी निर्यात कोटा उसी स्तर पर बनाये रखा जाए जैसा कि 1970 के लिये तदर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में तय किया गया था और साथ ही 1971 के शुरू में एक समीक्षा बैठक बुलाने की व्यवस्था भी की जाए और उस समय, यदि बाजार स्थिति को देखते हुए उपयुक्त हो तो अतिरिक्त निर्यात कोटों का, जो 10,000 टन से अधिक के न हों, आवंटन किया जाए। चाय की खपत को सामान्यतः बढ़ाने के मार्गोपायों के अध्ययन; विभिन्न बाजारों की सम्भाव्यताओं की जांच करने तथा संवर्धनात्मक निधियों के आवंटन के लिये प्राथमिकताओं का सुझाव देने और सामान्यतः संवर्धनात्मक विषयों और प्रत्येक देश में संवर्धनात्मक मामलों की समीक्षा करने हेतु संवर्धन सम्बन्धी एक स्थायी दल स्थापित किया गया था।

(ग) 29 देशों ने।

Production of Silk in India

4815. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether 55 per cent of the total production of silk in the world is produced in Japan, 25 per cent in China and only 5 per cent in India; and

(b) whether the climate of India is the most suitable in the world for the production of silk and various types of silk can be produced at every place in India; and

(c) if so, the reasons for not achieving required progress in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary) Ram Sewak) : (a) In the total global output of raw silk Japan accounts for 55%, China 23%, USSR 8%, India 5% and other countries 9%

(b) The climatic conditions are most conductive for mulberry sericulture in the Mysore plateau, Jammu & Kashmir State and parts of sub-Himalayan State like Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh and for Tasar in Bihar, Madhya Pradesh and Orissa and for Eri and Muga in Assam.

(c) In India sericulture is mostly dependent on seasonal rains and a scheme based on minor irrigation is proposed to be launched in the Mysore state shortly.

दिल्ली के कोषों में गबन

4816. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री मीठालाल मीना :
श्री शंकर राव माने :

(क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या दिल्ली प्रशासन के कोई अनुभवी अधीक्षक, एस० ए० एस०, लेखा अथवा कोष अधिकारी न होने के कारण हाल ही में लगभग कई हजार रुपया का गबन हुआ है;

(ख) क्या संबंधित कोष अधिकारियों द्वारा गबन के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रतिवेदनों की दिल्ली प्रशासन के कुछ विशेषज्ञों अथवा महालेखापाल के कर्मचारियों द्वारा जांच कर ली गई है; और यदि हां, तो उन्होंने क्या टिप्पणियां की हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं, श्रीमान । दिल्ली प्रशासन के कोषों में, बताया जाता है, योग्यताप्राप्त और अनुभवी पर्यवेक्षी कर्मचारी हैं ।

(ख) और (ग). ए० जी० सी० आर०, नई दिल्ली के परामर्श में दिल्ली प्रशासन द्वारा रिपोर्टों की जांच की जा रही है । जैसे ही यह जांच पूरी हो जायगी कोष अधिकारियों की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Increase in Per Capita Income

4817. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) the extent of increase in the per capita income on All India basis during 1968-69; and

(b) the figures of per capita income in different states during the said year ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Per capita income (Rs. 321.4) of India during 1968-69 at constant (1960-61) prices shows a decrease of 0.3 per cent as per compared to the per capita income during 1967-68.

(b) the figures of per capita income of different States, as available up-to-date, during 1968-69 are given in the attached Statement.

Statement

State	At current prices	At constant prices (base year in brackets)
	Rs.	Rs.
Andhra Pradesh	N.A.	N.A.
Assam	556	282 (1948-49)
Bihar	395	226 (1948 49)
Gujarat	N.A.	325 (1960-61)
Jammu & Kashmir	N.A.	299 (1955-56)
Haryana	N.A.	N.A.
Kerala	N.A.	N.A.
Madhya Pradesh	473	250 (1952-53)
Maharashtra	690	419 (1960-61)
Mysore	500	293 (1956-57)
Orissa	N.A.	N.A.
Punjab	N.A.	N.A.
Rajasthan	419	247 (1954-55)
Tamil Nadu	543	375 (1960-61)
Uttar Pradesh	N.A.	248 (1960-61)
West Bengal	547	334 (1951-52)
Others	N.A.	N.A.

N.B. (1) N.A. Not = Available

(2) Owing to differences in concepts, methodology and source materials, these figures of *PER CAPITA* income of different States are not comparable. In the case of figures of *PER CAPITA* income at constant prices the base years are also different.

बेरोजगार इंजीनियरों को कुछ भत्ता देने की योजना

4818. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्हता प्राप्त बेरोजगार इंजीनियरों को कुछ भत्ता देने की एक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संबंध में जांच समिति की रिपोर्ट

4819. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) समिति ने सी०एस०आई०आर० के कर्मचारियों की नीति से संबंधित प्रतिवेदन का प्रथम खण्ड प्रस्तुत कर दिया है । अन्य विचारार्थ विषयों पर जिनमें सी० एस० आई० आर० के कार्य-कलाप भी शामिल हैं, अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । (प्रथम विचारार्थ विषय) ।

(ख) प्रतिवेदन का प्रथम भाग जो प्रतिवेदन के उस भाग से संबंधित है जिसमें समिति की सिफारिशें शामिल है, को लोक-सभा के सभा पटल पर 10 मार्च 1970 को रखा गया था ।

Position of balance of trade

4820. **Shri Maharaj Singh Bharti**: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) the position of the balance of foreign trade so far during the current financial year;

(b) whether it is a fact that various essential items of import are being affected adversely because of the adverse balance trade; and

(c) whether Government are reviewing the position and, if so, the time by which the position is expected to improve?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) India's balance of trade for the period April. September. 1970 for which export

statistics are so far available was Rs.(—)143,04 lakhs as compared to Rs.(—) 10,806 lakhs during the corresponding period of last year.

(b) No Sir.

(c) It has been indicated in the Draft Fourth Plan that the adverse balance of trade will continue to exist till the end of 4th plan and the position is likely to improve by the end of the 5th plan when we expect a surplus of about Rs. 100 crores.

अग्रिम संयंत्रों के संबंध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट

4821. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की अग्रिम संयंत्रों से संबंधित समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसमें बहुत कम अग्रिम संयंत्रों का उपयोग वाणिज्यिक एककों की स्थापना में किया गया है;

(ख) क्या समिति ने इसका यह कारण बताया है कि अधिकांश मामलों में अग्रिम संयंत्रों की जांच के निष्कर्षों का अंततोगत्वा लाभ उठाने वालों का उचित ढंग से चयन नहीं किया गया;

(ग) क्या समिति ने यह भी कहा है कि अग्रिम संयंत्र इसीलिए असफल रहे क्योंकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में अग्रिम संयंत्रों संबंधी संकल्पना के बारे में ही बड़ा भ्रम है; और

(घ) यदि (क) से (ग) के प्रश्नों का उत्तर हां में है, तो इस स्थिति के कायम रहने के क्या कारण हैं और इसको सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). संयत्र संरचना समिति की उपपत्तियों तथा सिफारिशों के प्रतिवेदन की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई है।

(घ) दिनांक 30 सितम्बर 1970 को हुई वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड की बैठक में संयत्र संरचना समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशकों की टिप्पणियों के साथ विचार विमर्श किया गया था। बोर्ड ने यह अनुभव किया कि समिति की अधिकांश सिफारिशें उपयोगी थीं और इसलिये कार्यकारी परिषदें तथा निदेशक प्रयोगशालाओं के कार्यक्रमों में उक्त समिति की सिफारिशों को अपने कार्यक्रमों में लागू करने के लिये सावधानी के साथ विचार करें। ऐसा करते समय, प्रतिवेदन पर निदेशकों की टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा जाये।

समुद्री क्षरण अनुसंधान केन्द्र, दिघा

4822. **श्री स०चं० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में दिघा में स्थित समुद्री क्षरण अनुसंधान केन्द्र (राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला) में कुछ विशेष समस्याओं को अध्ययन के लिये लिया गया है;

(ख) क्या कोई सुनिश्चित निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तटीय क्षेत्रों में इनसे क्या व्यवहारिक लाभ उठाये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृण चन्द्र पन्त) : (क) डीघ स्थित समुद्री संभरण अनुसंधान स्टेशन इस समय जिन समस्याओं पर काम कर रहा है, वे है :

(1) विभिन्न धातुओं और मिश्र धातुओं की विशेषकर इस्पात की, समुद्री वातावरण में संभरण से बचाने वाले लेप अथवा लेप के बिना, कार्यक्षमता का मूल्यांकन।

(2) समुद्र के किनारे पर स्थित स्थानों में भूमिगत धातुओं और मिश्रधातुओं पर संभरण का प्रभाव।

(3) संरक्षण प्रणाली के लिए सर्वश्रेष्ठ योगिक प्राप्त करने हेतु जस्त अथवा एल्यूमीनियम चढे अथवा अन्य धातुओं के रंग रोगन के सहित अथवा उनके बिना संरक्षक गुणों का मूल्यांकन करना।

(4) राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला द्वारा तैयार किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की धातु सामग्री जैसे : एल्यूमीनियम इस्पात, उच्च संवाहकता वाले एल्यूमीनियम के मिश्र धातु, निकलयुक्त स्टेनलेस स्टील का इस स्टेशन पर परीक्षण किया जाता है।

(ख) और (ग). इनसे जो ठोस नतीजे प्राप्त हुए हैं और डाटा का जो व्यावहारिक उपयोग किया गया है उसका विवरण संलग्न बयान में निहित है।

विवरण

(ख) **डीघ स्थित समुद्री संभरण अनुसंधान स्टेशन द्वारा जिन समस्याओं पर काम किया गया है उनसे प्राप्त व्यावहारिक परिणाम।**

संभरण के सम्बन्ध में किये जाने वाले अधिकांश परीक्षण दीर्घकालीन है और उन पर अभी भी काम चल रहा है। उनसे जो अंतरिम परिणाम प्राप्त हुए हैं, वें हैं :

1. समस्त भारत वर्ष के विभिन्न स्थानों पर एकत्रित किये गये डाटा के आधार पर डीघ के वायुमंडल को सर्वाधिक संभरण पाया गया।
2. मुलायम इस्पात, तांबा, पीतल, जिंक, एल्यूमिनियम मिश्र, धातु एस.एस. और एम.एस. पर किए गए संभरण। सम्बन्धीत अध्ययनों से पता चला है कि मोनेल के बाद एल्यूमीनियम मिश्र धातु सर्वाधिक संभरण रोधी है।
3. समुद्र तट के निकट और उससे दूर के स्थानों में संभरण की रफ्तार में बड़ा अन्तर पाया गया है।

(ग) **उपरोक्त (ख) के सम्बन्ध में प्राप्त डाटा का व्यावहारिक उपयोग**

1. वायुमंडलीय संभरण परीक्षणों से जो डाटा प्राप्त किया गया उसका भारतवर्ष का संभरण सम्बन्धी नक्शों में उपयोग किया गया है। इन नक्शों को संभरण सलाहकार

व्यूरों तैयार कर रहा है। संरक्षण प्रणाली की कार्यक्षमता के संबंध में वायुमंडलीय संभरण परीक्षणों से जो डाटा उपलब्ध हुआ है वह समुद्र तट से दूर पैट्रोल निकालने की संरचना तैयार करने में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी०) और पैट्रोल उद्योग, तटीय प्राधीकरण और समुद्र तट के निकट स्थित अन्य उद्योगों को उपयोगी रहेगा।

2. समुद्री संभरण अनुसंधान स्टेशन पर जो विशेषज्ञ और सुविधायें उपलब्ध हैं वें उद्योगों के लिए अपने उत्पादनों को समुद्र में बुरी से बुरी स्थिति में परीक्षण करने के लिए उपलब्ध की जाती हैं।

3. इस स्टेशन में जो डाटा संग्रहीत किया जाता है वह समुद्र तट के निकट स्थित उद्योगों के लिए बड़ा काम का होता है ताकि उसके आधार पर संभरण से बचाव के लिए उपाय किए जा सके।

4. इसमें जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन०एम०एल०) तैयार किए भरणरोधी मिश्रधातुओं का परीक्षण करने में उपयोग किया जाता है।

रुपयों का अवैध रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जाना

4823. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री मनुभाई पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एनफ सिमेंट डायरेक्टोरेट तथा डायरेक्टोरेट ग्राफ रेवन्यू इंटेलीजेंस द्वारा बम्बई के एक एडवोकेट के घर में जून, 1970 में विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के सिलसिले में छापा मारा गया था;

(ख) क्या इस छापे में कुछ अभियोगात्मक कागजात पकड़े गये थे;

(ग) क्या सम्बद्ध एडवोकेट का किसी स्विस बैंक से कोई संबंध है;

(घ) यदि हां, तो सम्बद्ध पार्टी द्वारा कितने रुपये को अवैध रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया; और

(ङ) क्या सरकार ने इस अवैध व्यापार से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). एनफ सिमेंट डायरेक्टोरेट द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उपबन्धों के संदेहास्पद उल्लंघनों के संबंध में 6 मई, 1970 को बम्बई के किसी विधि-व्यवसायी के निवास-स्थान की तलाशी ली गई थी और तलाशी लेने पर कुछ प्रलेख अपने अधिकार में ले लिए। चूंकि मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए अभी और आगे विवरण देना वांछनीय नहीं समझा जाता है, क्योंकि इसमें जांच कार्य में बाधा पड़ सकती है।

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार वाली सम्पत्ति पर गृह-कर निर्धारण

4824. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार वाली सम्पत्ति पर गृह-कर निर्धारण के बारे में 22 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4922 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 116 में जैसा निर्धारित है, जायदाद से वास्तव में प्राप्त किराये को, यदि वह किराया उचित समझा जाता है, उनके क्षेत्राधिकार के भीतर जायदादों का गृह-कर निर्धारित करने के लिये आधार माना जाता है । दिल्ली नगर निगम के अनुसार सामान्यतया वास्तविक किराये को न्याय संगत तथा उचित किराये के रूप में स्वीकार किया जाता है और केवल आपवादिक मामलों में ही वास्तविक किराये को न्यायसंगत तथा उचित नहीं माना जाता है । तथापि चूंकि निजी जायदादों की संख्या 250238 है, अतः दिल्ली नगर निगम के लिये आपवादिक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले मामलों का पता लगाने के लिये इतनी अधिक फाइलों को देखना सम्भव नहीं हुआ है । पुनर्वास कालोनियों में 47191 जायदादें हैं जिनमें दुकानें, कोयला डिपों आदि सम्मिलित हैं । इनमें से 29604 मामलों में निगम ने पुनर्वास विभाग द्वारा निर्धारित किराये को जायदाद-कर के निर्धारण के लिये आधार नहीं माना है । अधिकांश जायदादों के प्रयोग तथा स्वामित्व में परिवर्तन हुए हैं और तदनुसार निगम द्वारा गृह-कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए किरायों का पुनरीक्षण किया गया है । (क्षेत्रवार आंकड़े अनुलग्नक में दिये गये हैं) । 1291 जायदादें ऐसी हैं जहां निगम ने निरीक्षण के समय कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा और वास्तविक निर्धारित किराये के आधार पर कर-योग्य मूल्य निर्धारित किया गया ।

विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	कुल निर्मित जायदादें	उन जायदादों की संख्या जिनके लिए मंत्रालय द्वारा कोई किराया निर्धारित नहीं किया गया ।	उन जायदादों की संख्या जिन में मंत्रालय द्वारा निर्धारित किराया कर-निर्धारण के प्रयोजन के लिए निगम द्वारा स्वीकार नहीं कीया गया ।	उन जायदादों की संख्या जिनमें मंत्रालय द्वारा निर्धारित किराया निगम द्वारा कर-निर्धारण के आधार के रूप में स्वीकार कीया गया है ।
1	2	3	4	5	6
1.	नगर क्षेत्र	161	शून्य	120	41
2.	शाहदरा क्षेत्र	3,200	3,200	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
3.	सिविल लाइन्स क्षेत्र	6,431	शून्य	6,431	शून्य
4.	करोलबाग क्षेत्र	11,795	शून्य	11,795	शून्य
5.	पश्चिम क्षेत्र	13,106	13,106	शून्य	शून्य
6.	सदर पहाड़गंज क्षेत्र	2,020	शून्य	1,508	512
7.	नई दिल्ली दक्षिण क्षेत्र	10,478	शून्य	9,750	728
		47,191	16,306	29,604	1,281

विदेशों में भारतीय औषधियों की मांग

4825. **श्री शंकर राव माने** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में भारतीय औषधियों की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को निर्यात की गई भारतीय औषधियों के ब्यौरे, महा-निदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रति मास प्रकाशित भारतीय विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़ों की पत्रिका के खण्ड 1 में उपलब्ध हैं ।

उर्वरकों के उत्पादन के लिये नोरु द्वीप से राक फास्फेट का आयात

4826. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन उर्वरकों के उत्पादन के लिये दक्षिण प्रशान्त सागर में एक छोटे गणराज्य दीप, नोरू से, राक फास्फेट का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) जी हां । नोरु से इसका आयात करने से पहले, सुपर-फास्फेटों तथा फास्फेटिक एसिड के उत्पादन के लिए, राक फास्फेट की उपयुक्तता की जांच करने का विचार है ।

धन को स्विज बैंकों में हस्तांतरित किया जाना

4827. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रहे एजेन्टों द्वारा अवैध रूप से अनुमानतः 1000 करोड़ रुपये के काले धन को स्विज बैंकों में हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या ये हस्तांतरण भारत मे चांदी के अवैध व्यापार के जरिये किये जाते हैं;

(ग) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की हैं;

(घ) क्या प्रवर्तन निदेशालय (एनफ सिमेंट डायरेक्टोरेट) और राजस्व जांच निदेशालय (डायरेक्टोरेट आफ रेवन्यू इंटलीजेंस) द्वारा इस सिलसिले में कोई जांच की गई अथवा किसी को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). स्विज बैंकों द्वारा गोपनीयता बर्ते जाने के कारण विदेशों को अवैध रूप से स्थानांतरित की गई राशियों के बारे में स्वभावतः कोई अनुमान लगाना अथवा ऐसे धन के श्रोत का संबंध चांदी की तस्करी जैसी किसी विशिष्ट अवैध गतिविधि से जोड़ना संभव नहीं है।

(ग) सरकार ने समय समय पर स्थिति से निबटने के लिए यथावश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक तथा अन्य उपाय किए हैं।

(घ) तथा (ङ). प्रवर्तन निदेशालय तथा राजस्व जांच निदेशालय ऐसी अवैध गति विधियों के संबंध में आवश्यक सतर्कता बरतते हैं। ऐसी सतर्कता के परिणाम स्वरूप ध्यान में आने वाले धन के अवैध हस्तान्तरण अथवा तस्करी के विशिष्ट मामलों की उनके द्वारा जांच की जाती है तथा जांच के निष्कर्षों के संदर्भ में संबंधित कानून के अनुसार उन मामलों में आगे कार्यवाही की जाती है।

विद्रोही नागाओं का मनीपुर में छिपकर प्रवेश

4828. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 80 विद्रोही नागाओं ने, जिन्होंने चीन में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, मनीपुर में छोटे-छोटे दलों में छिपकर प्रवेश किया है ; और

(ख) भारतीय क्षेत्रों में विद्रोही नागाओं की वर्तमान घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार को मालूम है कि चीन में प्रशिक्षण प्राप्त कुछ नागा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहे हैं। किन्तु ऐसे विद्रोहियों

के बारे में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है जिन्होंने वास्तव में हाल के महीनों में वर्मा से मनीपुर में प्रवेश किया हो।

(ख) सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

नक्सलपंथियों के एजेंटों द्वारा खनिजों तथा अन्य खोज कार्य के लिये दिए गए विस्फोटक पदार्थों का दुरूपयोग

4929. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि जिनका खान के कार्यों तथा अन्य खुदाई कार्यों के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले विस्फोटकों का देश में नक्सलपंथियों की सहायता हेतु दुरूपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नक्सलपंथियों के कितने एजेन्ट वहां काम करते हैं और उनकी सेवा की अवधि कब तक है ; और

(ग) क्या सरकार विस्फोटकों के वितरण और प्रयोग की जांच करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) खान के कार्यों तथा अन्य खुदाई कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विस्फोटकों की मार्ग में खो जाने या चोरी हो जाने के संबंध में सरकार को कुछ सूचनाएं मिली है। जहां तक नक्सलवादियों द्वारा ऐसे विस्फोटकों के दुरूपयोग की बात है पंजाब, असम, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों तथा त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है ऐसा कोई उदाहरण उनके ध्यान में नहीं आया है । बिहार सरकार ने सूचित किया है कि कोयला खान के एक कर्मचारी द्वारा नक्सलवादियों को विस्फोटक पदार्थ देने का एक उदाहरण उनके ध्यान में आया है । केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों की सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायगी ।

(ग) भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 में पहले ही आवश्यक उपबन्ध विद्यमान हैं और विस्फोटकों के बनाने, रखने और बेचने के लिए उन नियमों के अन्तर्गत यथोचित नियंत्रण की व्यवस्था है । फिर भी इन उपबन्धों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और उनको इन कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने के लिए मंत्रणा दी गई है।

तमिलनाडु में उत्तर आर्कोट जिले में यूरेनियम निक्षेपों का पता लगना

4830. **श्री रा० कृ० विड़ला** :
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल में तमिलनाडु के उत्तर आर्कोट जिले में यूरेनियम निक्षपों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन निक्षेपों को वाणिज्यिक आधार पर निकालने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) . परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप यद्यपि कार्बोनाइट के भण्डारों में कुछ रेडियोधर्मीता पाई गई है परन्तु कोई भी यूरेनियम निक्षेप नहीं पाया गया है ।

(ग) उत्तर आर्कोट जिले के कार्बोनाइट भण्डारों की विस्तृत जांच की जा रही है तथा धर्मपूरी जिले में पाई गई रेडियोधर्मीता की प्रारम्भिक जांच करने का काम शुरू कर दिया गया है ।

त्रिपुरा सीमावर्ती क्षेत्र में पूर्व पाकिस्तान राइफल्स द्वारा घुसपैठ तथा अनधिकृत प्रवेश

4831. **श्री किरत विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों में तथा वर्ष 1970 से अब तक पूर्व पाकिस्तान राइफल्स द्वारा त्रिपुरा सीमावर्ती क्षेत्रों में कितनी बार घुसपैठ तथा अनधिकृत प्रवेश किया गया ; और

(ख) क्या लगातार इस आतंक को देखते हुये सरकार का विचार त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा सुरक्षा उपायों को और मजबूती करने का है ; और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्रि, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) 1-1-67 से 30-11-70 तक की अवधि में घुसपैठ के 34 मामले हुए । वे मामूली किस्म के तथा अनधिकृत प्रवेश का कोई दृष्टान्त नहीं हुआ था ।

(ख) ये घटनाएं छुटपुट तथा कभी-कभी होती हैं और इनसे निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह समर्थ है । सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल सतर्क तथा सावधान है और अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः सजग है । सीमाओं पर नियमित रूप से कड़ी गश्त लगाई जाती है । सीमा से संबंधित समस्याओं का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और सीमा को सशक्त करने हेतु, आवश्यकता पड़ने पर, उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

बैलाडिला से लौह अयस्क का निर्यात

4832. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रेल, 1968 से बैलाडिला के खान भंडारों से कच्चा लोहा के निकालने सम्बन्धी कार्य के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में कच्चा लोहा निर्यात किया गया है और वह किन श्रेणियों का है तथा विदेशी मुद्रा मूल्य जो कि प्रत्येक आयात करने वाले देश से प्राप्त होता है, क्या है ; और

(ख) देश में कच्चे लोहे का इस्पात बनाने में उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अप्रैल, 1968 से 30 नवम्बर, 1970 की अवधि में बैलाडिला खानों से 47.09 करोड़ रु० मूल्य का 65/63 प्रतिशत ग्रेड के 66 लाख मे० टन लोह अयस्क का जापान को निर्यात किया गया।

(ख) बेलाडिला से प्राप्य अयस्क के आधार पर विशाखापतनम् के तटीय क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र लगाने के निर्णय की घोषणा प्रधान मंत्री द्वारा 17 अप्रैल, 1970 को लोक-सभा में की गई थी। निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही सरकारी स्तर पर पहले ही शुरू की जा चुकी है।

Britain's entry in to E.C, M.

4833. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the likely effect of Britain's entry in to Europen Common market on India's trade; and

(b) the action being taken by the Government of India in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) The possible impact of U.K. S. entry into the European Economic Community on India's trade was explained in the Commerce Minister's statement to the Lok Sabha on 24.5.1967 (copy enclosed). It is too early to assess the pricese effects on India's trade as the terms and conditions of Britain's entry into the E.E.C. are still under negotiation. [*Placed in Libirory see No. L.T.* 4588/74]

(b) The Government of India is doing its best to secure from these negotiations the best possible safeguards for India's interests.

छोटे निर्माताओं को कृत्रिम रेशम और रेयन धागों की सप्लाई

4834. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशम और रेयन कपडे के छोटे निर्माताओं ने शिकायत की है कि बड़े उद्योगपतियों के कारण, जिनका धागे पर एकाधिकार है, उन्हें धागा बिल्कुल नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पंजाब तथा अन्य स्थानों के छोटे निर्माताओं को रियायती दर में नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में धागे की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कृत्रिम रेशम के बुनकरों (पंजाब के बुनकरों सहित) द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के विषय में सरकार के पास कुछ अभ्यावेदन आए हैं।

(ख) कीमतों तथा वितरण के सम्बन्ध में विस्फोट फिलामेंट धागे के बुनकरों तथा उत्पादकों के बीच अगस्त, 1969 में तय किया गया एक स्वेच्छिक करार अब भी लागू है।

इस करार के अन्तर्गत इस धागे के उत्पादन का 45 प्रतिशत निश्चित कीमतों पर बुनकरों को सप्लाई किया जाता है जब कि उत्पादन का 10 प्रतिशत, वस्त्रों के निर्यातों के बदले प्रतिपूर्ति के रूप में, और भी कम कीमत पर कर दिया जाता है । नायलन फिलामेंट धागे की कीमतों तथा उसके वितरण के सम्बन्ध में भी एक स्वैच्छिक करार इस वर्ष के मध्य से लागू है ।

Export of Indian Chappals and Shoes

4835. **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the firms exporting shoes abroad themselves manufacture these chappals and shoes ;

(b) whether the poor workers manufacture these chappals and shoes and sell them to big firms, which export them to foreign countries and in this way big businessmen get all the profits whereas the persons who actually manufacture these shoes are deprived of their real share of the profit ; and

(c) whether Government would effect any changes in the present system, and if so, the details thereof and the time by which they are likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak : (a) & (b). Chappals and shoes are exported by manufacturers as well as merchant exporters.

Everyone whether in the small, medium or large sector can export shoes and chappals at prices acceptable to foreign buyers. Whether they are actually able to do so depends on their ability to enter the export field on their own. If they are not competent to do so for any reason, they can take the advantage of exporting through other competent exporters, export houses or the State Trading Corporation. The pricing for such supplies to the actual exporters is a matter of negotiation between the two parties. Export assistance levels under the Registered Exporters Policy is uniform for all exporters, whether large or small.

(c) Does not seem necessary, since under the present arrangements, persons who actually manufacture shoes and happals can participate in the export trade.

Value of shoes exported

4836. **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of shoes exported to each of the foreign countries during the year 1968 and 1969 and the total value thereof ; and

(b) the total amount of foreign exchange earned by India as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) & (b) : A statement is enclosed.

Statement

Export of Footwear

Qty. in 000 Pairs.
Value in Rs. '000'

S. No.	Country	1967-68		1968-69		1969-70	
		Qty.	Val.	Qty.	Val.	Qty.	Val.
1.	Bulgaria	179	6149	43	1546	..	..
2.	Belgium	1011	3973	721	2334	239	720
3.	Canada	1442	4696	1571	5608	1491	6387
4.	Nepal	409	2896	678	5202	537	4244
5.	Netherlands	172	622	260	862	415	1456
6.	Saudi Arab.	217	1377	297	2263	83	639
7.	Tanzania Rep.	117	451	11	81	14	160
8.	Trinidad	153	750	53	402	62	532
9.	U S A	2251	15991	2616	17674	2900	19603
10.	U S S R	913	34168	914	28799	914	28678
11.	U K	2051	8130	2724	10882	2277	8932
12.	Kuwait	119	1080	180	1517	77	680
13.	Australia	262	2072	257	2034	360	3109
14.	Bahrein Island	162	974	148	952	70	617
15.	Qtr. Trl. Oman/Qatar	44	257	25	142	47	257
16.	German Fed. Rep.	371	1160	599	1786	955	2660
17.	France	93	423	175	721	144	643
18.	Denmark	90	386	292	1173	288	1229
19.	Sweden.	25	112	72	206	17	179
20.	Poland.	78	815	64	704	8	85
21.	Others.	811	5139	1343	6945	1904	11491
	Total :	10970	91621	13041	91833	12802	92301

Textile mill in Bhind, Madhya Pradesh.

4837. **Shri Atam Das** : : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the textile mill in district Bhind, Madhya Pradesh for which a licence was granted by the Department of Industries, has start functioning ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) & (b). The industrial licence which was granted in April, 1962 for setting up of a new cotton spinning mill at Bhind was later on surrendered by the party concerned and the licence was cancelled in July, 1967.

Industrial licences issued to Jiaji Rao Cotton Mills Gwalior

4838. **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of Industrial licences granted to Jiaji Rao Cotton Mills Ltd. Gwalior during the year 1969-70 ;

(b) whether there are any new licence-holder in the said Mill who have obtained licences in their individual capacity, but their entire working being done through the J. C. Mills ;

(c) whether any investigations have been conducted in this regard and, if so, the result thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No industrial licence was granted to Jiaji Rao Cotton Mills during the year 1969-70.

(b) Government have no information to this effect.

(c) & (d). Do not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा खोले गए रबड़ क्रय केन्द्र

4839. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार कुछ अन्य स्थानों पर और रबड़ का क्रय केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम को इन क्रय केन्द्रों से प्रति माह कितने टन रबड़ प्राप्त होने की आशा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने पहले कोचीन से आरम्भ करके बाद में कोट्टायम तथा कालीकट में खरीदारियां कीं । पाराकोडे पर शीघ्र ही एक और क्रय-केन्द्र प्रारम्भ करने की भी प्रस्थापना है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने प्रथम मास में लगभग 900 मे० टन रबड़ खरीदा ; और चार केन्द्र के कार्य करने के फलस्वरूप रबड़ की खरीद और भी बढ़ जाने की आशा है ।

Nylon prices

4840. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minster of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the international prices and the prices prevalent in India of various types of nylon ;

(b) the reasons for difference between the international prices of nylon and the prices prevailing in India ; and

(c) the measures proposed to be taken by Government to stabilise the prices of nylon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) & (b) . Foreign manufacturers have different prices for home markets and export markets. Domestic prices in U. K., and U. S. A. exclusive of duties and levies and C.I.F. prices for Indian markets for a few deniers of nylon yarn are given below :

			Domestic prices (Rs. per kg.)	C. I. F. prices (Rs. per kg.)
Deniers	In U K	In U S A	From U K	From U S A
15	34.23	45.30	16.88	20.17 (Second quality)
20	26.95	43.82	12.00	..
40	18.68	33.23	..	13.39

The prices of imported nylon yarn are obtained by adding import duty, excise duty, sales tax, clearance and transport etc. The prices of indigenously manufactured yarn are inclusive of excise duty, sales tax, octroi, insurance and freight. The prevailing prices of a few deniers of nylon yarn in India are :

Deniers	S. T. C. release	Indigenously produced
15	75.00 (2nd quality)	76.00
20	69.00 ,,	70.00
40	66.00 ,,	66.75/68.75

(c) The measures taken by the Government to stabilise the prices of nylon yarn are given below :—

(i) With a view to bringing down the prices of nylon yarn discussions were held by the Government with the spinners and actual users of nylon yarn and as a result of such discussions the voluntary agreement between spinners and actual users was made resulting in a reduction of Rs. 5/—in mono-filament yarn

(15 and 20 denier) and a reduction ranging Rs. 4.25—7.75 per kg. in respect o multifilament yarn effective from 1st July 1970 upto 28th February 1971.

(ii) To augment the supplies of indigenous production STC import nylon yarn to meet local demand.

(iii) The question of fixation of fair prices for nylon yarn was referred to the Tariff Commission and their report is under consideration of the Government.

Production of Cotton Textile Mills during the last three years

4841. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri N. R. Laskar :
Shri Gadilingana Gowd :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of cotton textile mills in the country has gone down and the cost of production has increased during the last few years;

(b) if so, the reasons therefor and the figures of production and the cost of production during the last three years ; and

(c) the measures being taken by Government to put the cotton textile industry on a sound footing ?

The Deputy Minister of in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The cases where mills were closed or mills are on the verge of closure or ailing mills due to financial or other difficulties, are examined on merits. The management of such mills as are expected to become viable with investment of limited funds is taken over by Central Government under the Industries (Development and Regulation) Act. The State Governments have also reopened a few units and are running them as unemployment relief undertakings.

A special scheme for modernisation of export-oriented units is being formulated. A working group has been appointed to go into the working of weak and marginal mills and to make recommendations with regard to the modernisation requirements of such mills, with special references to the margins, rate of interest, terms of repayment, etc., for loans.

भारतीय असैनिक विमानों के अपहरण हेतु पाकिस्तान द्वारा गौरिल्लाओं को कथित प्रशिक्षण :

4842. **श्री देवैन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जम्मू के एक स्थानीय उर्दू दैनिक 'सन्देश' में प्रकाशित इस सनसनी खेज समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने जम्मू ओर श्रीनगर के बीच उड़ान भरने वाले भारतीय असैनिक विमानों का अपहरण करने के लिये चार गौरिल्लाओं को प्रशिक्षित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कण्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय उड्डानों के अपने विमानों के अपहरण की धमकियों के प्रति सजग है । अपने विमानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

पश्चिम बंगाल की संकट-ग्रस्त मिलों को चालू करने के लिये एक निगम का गठन

4843. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में संकट-ग्रस्त मिलों को चालू करने के लिये एक वस्त्र निगम स्थापित करने की सलाह दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). राज्य में कमजोर वस्त्र मिलों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से दिसम्बर, 1968 में पश्चिम बंगाल सरकार को एक राज्य वस्त्र निगम स्थापित करने की सलाह दी गई थी । राज्य सरकार का विचार प्रस्तावित राज्य वस्त्र निगम स्थापित करने का तो है परन्तु वह इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था नहीं कर सकी है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा आयु में परिवर्तन के लिये आवेदन

4844. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री 19 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों ने और किस-किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने वर्ष 1970 में अपनी आयु के बदलवाने के लिये आवेदन दिये थे ;

(ख) क्या आयु बदलवाने के प्रत्येक मामले में कोई जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसका रूप क्या था ;

(घ) उन आवेदकों के नाम क्या हैं और वे किस-किस उच्च न्यायालय से सम्बन्धित हैं ; और

(ङ) किस मामलों में आयु बदलने की मांग स्वीकार कर ली गई है ?

प्रधान, मंत्री अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान उच्च न्यायालय से एक ने ।

(ख) तथा (ग). न्यायाधीश को अपने दावे के समर्थन में लिखित-साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। ऐसा साक्ष्य प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से निर्णय किया जायेगा जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 317 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

(घ) राजस्थान उच्च न्यायालय के श्री न्यायाधिपति लहर सिंह मेहता।

(ङ) जैसा कि (ख) और (ग) के उत्तर में बताया गया है, मामला अभी विचाराधीन है।

नारियल जटा उत्पादों के निर्यात के लिए स्टीमरों में जगह

4845. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नारियल जटा धागा और नारियल जटा के सामान के निर्यातकों द्वारा स्टीमरों में जगह प्राप्त करने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये है; और

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). नारियल जटा उत्पादों के निर्यातक ब्रिटेन तथा इराक के लिए समुद्री जहाज में स्थान प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव कर रहे थे। शिपिंग लाइनों ने हाल ही में इराक तथा ब्रिटेन पत्तनों को जहाजों के जाने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

गवर्नरों के लिए सिद्धान्त नियत करने संबंधी गवर्नरों की समिति की रिपोर्ट

4846. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** :
श्री दण्डपाणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नरों के लिये सिद्धांत नियत करने सम्बन्धी पांच गवर्नरों की उस समिति ने, जिसे पिछले नवम्बर में गवर्नर सम्मेलन के समय गठित किया गया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) क्या समिति ने मंत्री परिषद के बर्खास्त किये जाने और उसके गठन के सम्बन्ध में कोई निश्चित सिफारिशें की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अभी तक नहीं; श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय में वैज्ञानिकों के रिक्त पद

4847. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय में वैज्ञानिकों के कई ऐसे स्वीकृत पद हैं जो कई वर्षों से भरे नहीं गये हैं; और

(ख) उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मार्च 1969 से चार स्थान रिक्त हैं और जून 1970 और उसके बाद से पांच स्थान रिक्त हैं। इनमें से सात स्थानों के पुनर्वर्गीकरण का मामला सरकार कमेटी रिपोर्ट प्रथम-खण्ड में की गई सिफारिशों के संदर्भ में विचाराधीन है, जिसकी एक प्रति लोक सभा के सभा पटल पर 10 मार्च 1970 को रख दी गई थी।

बाकी दो स्थानों में से एक पद दिसम्बर 1969 और दूसरा जून 1970 से रिक्त है। इन पदों के लिए आवश्यक अर्हताओं के लिये प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय (पी०आई०डी०) की कार्यकारी परिषद् ने अक्टूबर 1970 में हुई अपनी बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

सहायता कार्य हेतु सैनिक जहाजों को रोकने सम्बन्धी पाकिस्तान के आरोप

4848. **श्री दन्डपाणि** :
श्री नि०र०लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि पूर्वी पाकिस्तान के समुद्री तूफान से पीड़ितों की सहायता हेतु भारतीय क्षेत्र पार करने के लिये अनुमति देने से इन्कार करके सहायता कार्यों के लिये सैनिक हवाई जहाजों को भारत रोक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) इस आरोप में कोई सत्य नहीं है क्योंकि ऐसे हवाई जहाजों को अनुमति कम से कम समय में दे दी गई हैं।

श्रीमती महाकौर को उसके पति तथा सास द्वारा जिन्दा जलाये जाने का समाचार

4849. **श्री स० कुन्दू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान 18 नवम्बर, के 'दि इण्डियन एक्सप्रैस' अखबार में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्रीमती महाकौर को उसके पति तथा सास ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिन्दा जला दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस ने घटनास्थल पर दृष्टि में आने वाले प्रथम प्रमाण दर्ज कर लिये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपने का है; और

(घ) इस मामले में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस बारे में 18 नवम्बर, 1970 के 'इन्डियन एक्सप्रैस' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। जख्मी को जिस पर जलने के घाव थे, 15 नवम्बर 1970 को विलिंगडन अस्पताल में दाखिल किया गया था और 20/21-11-70 की रात्रि को उनकी मृत्यू हो गई।

(ख) से (घ). बताया जाता है कि 16-11-1970 को पुलिस व मैजिस्ट्रैट के समक्ष अपने ब्यान में श्रीमती महाकौर ने कहा कि उसके पति व सास ने उसके कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/34 के अन्तर्गत एक मामला प्रथम सूचना-रिपोर्ट 1056 दिनांक 16-11-1970 को दर्ज किया गया। दोनों अभियुक्तों को 17-11-1970 को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमती महाकौर के मरने के बाद कानून की धारा बदल कर 302/34 भारतीय दण्ड संहिता कर दी गई। मामले की जांच-पड़ताल हो रही है तथा विशेषज्ञ की राय की प्रतिक्षा है। मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को भेजने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

अगरबत्ती का निर्यात

4850. **श्री स० कुन्दू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अगरबत्ती (खुशबूदार छड़ों) के निर्यात में कमी होने की सम्भावना है;

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में किये गये निर्यात की राशि क्या है;

(घ) क्या लपेटने वाले कागज (सिलोफेन कागज) की कमी इसका एक कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने और उस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि निर्यात लक्ष्य प्राप्त किये जायें सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान अगरवत्ती के निर्यात क्रमशः 59.41 लाख रु० तथा 97.40 लाख रु० तथा 100.74 लाख रु० मूल्य के रहे।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

खादी का निर्यात

4851. **श्री स०अ० अगड़ी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां खादी का निर्यात किया जाता है; और

(ख) 1969–70 वर्ष में इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). खादी के लिए अभी तक नियमित निर्यात-व्यापार स्थापित नहीं हुआ है । विदेशों में हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में नमूनों की बिक्री के रूप में, 1969–70 के दौरान 13,930.26 रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी ।

दिल्ली में अपने आप को संसद सदस्य बताने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जांच

4852. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने आप को संसद सदस्य बताने वाले दक्षिण दिल्ली में हाल ही में पकड़े गये व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पुलिस थाना हौज खास, नईदिल्ली में एक मामला प्रथम सूचना रपट सं० 464 दिनांक 4–11–1970 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419/420 के अन्तर्गत दर्ज किया गया ।

सूचना मिली है कि ग्रीन पार्क एक्सटेन्सन, नईदिल्ली के एक निवासी ने भारत सरकार के स्पात और भारी इंजिनियरी मंत्रालय के उपमंत्री और उप मंत्रालय के सचिव के नाम संसद सदस्यों के लेटर हेड में पत्र लिखे हैं । अभियोजित है कि उसने भारत सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले तीन नये स्पात कारखानों के प्रस्तावित स्थानों के संबंध में सूचना देने का निवेदन किया है । दिल्ली पुलीस की अपराध शाखा द्वारा मामले की जांच की गई और एक उपरोक्त मामला दर्ज किया । उसको दिनांक 4–11–1970 को गिरफ्तार किया गया और मैजिस्ट्रेट द्वारा 5 नवम्बर, 1970 को जमानत पर छोड़ा गया था ।

अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें

4853. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वत खोरी, कदाचार और धोखा देही के मामले में सितम्बर, 1970 में कुछ सेना एवं सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सितम्बर, 1970 में सीमा शुल्क विभाग के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध अदालत में कदाचरण और अवैध रिश्वत ग्रहण करने संबंधी अभियोग चलाये । एक भूतपूर्व सेना-अधिकारी पर भी इसी दौरान कथित झूठे यात्रा भत्ता दावे के संबंध में मुकदमा चलाया गया था । मामले अभी परीक्षण में है

राज्यपालों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय

4854. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नईदिल्ली में नवम्बर, 1970 में राज्यपालों का कोई सम्मेलन हुआ था; और

(ख) सम्मेलन में चर्चित विषयों तथा उसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). देश के सामान्य हित के मामले पर विचार विमर्श करने के लिए प्रति वर्ष राज्यपालों का सम्मेलन होता है । सम्मेलन कोई औपचारिक निर्णय नहीं करता । 20 और 21 नवम्बर, 1970 को नईदिल्ली में हुए सम्मेलन में राज्यपालों ने राज्यों में राजनैतिक और प्रशासनिक स्थिति के अतिरिक्त देश की आर्थिक स्थिति पर विचार-विमर्ष किया ।

Implementation of Gandak and Sone River Plans

4855. **Shri Ramvatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Minister of River Vallcy Project in Bihar Government invited the Members of Parliament from Bihar for a meeting in Delhi on the 19th November, 1970 which was attended by the Members belonging to all the parties ;

(b) whether the Deputy Minister in the Union Ministry of Irrigation and Power was also present in the said meeting ;

(c) whether a resolution was passed in that meeting in regard to the implementation of the Gandak and Sone Rivar Plans and if so, the details thereof and Government's reaction thereto ; and

(d) whether any other resolutions were also passed in the said meeting and, if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshiwar Prasad) : (a) Yes Sir. The Bihar Minister for River Vallcy Projects had discussions

with the Members of Parliament from Bihar on 19.11.1970 regarding irrigation projects in that State.

(b) The Union Deputy Minister for Irrigation and Power was present for some time.

(c) & (d). The Members of Parliament passed three resolutions. One of them urged the Government of India to provide an additional assistance of Rs. 4 crores to Bihar during the current year as also next year for the Gandak Project. The second resolution sought the early approval of the North Koel Reservoir Project and provision of funds for the project as also for the completion of the Sone High Level Canals. The third resolution pressed the Government of Bihar to have integrated plans of development prepared for all the river basins in Bihar and send them on to the Government of India.

Irrigation Projects form part of the State Plans and funds for these have to be arranged by the States from within their over all Annual Plan outlays. The requirments of the projects in Bihar will be kept in view if any additional resources become available for accelerating irrigation projects.

The project report for North Koel project has been recently received from the State Government and this is under examination in the Central Water and Power Commission.

राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे

4856. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 18 नवम्बर, 1970 तक हुये साम्प्रदायिक दंगों की संख्या क्या है ;

(ख) उन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के लोगों की संख्या क्या है जो इन दंगों के कारण मारे गये तथा जख्मी हुए और जिन लोगों की सम्पत्ति का नाश हुआ; और

(ग) उन लोगों की संख्या क्या है जिन्हें पकड़ा गया, जिन पर मुकदमें चले व जिन्हें सजा दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1967, 1968, 1969 और 1970 (30 जून तक) के दौरान साम्प्रदायिक दंगों की संख्या के बारे में सूचना 31-7-1970 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 876 के उत्तर में दी गई है। 1 जुलाई 1970 से 18-11-1970 तक की अवधि की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

राज्यो में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान अफ़गान एवं ईरानी राष्ट्रिकों को हुई हानि

4857. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए

साम्प्रदायिक दंगों में कुछ अफ़गान एवं ईरानी राष्ट्रिकों को हानियां हुई थीं और कुछ लोग मारे गये थे;

(ख) क्या पीड़ित लोगों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई थी; और

(ग) ऐसे अफ़गान एवं ईरानी राष्ट्रिकों की संख्या क्या है जिन्हें क्षतिपूर्ति दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क), (ख) तथा (ग). आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा मेघालय की राज्य सरकारों से तथा दिल्ली, गोवा, दमन व दीव, त्रिपुरा, लक्कदीव, मिनीकाय व अमिनदीवि द्वीप समूह, पाण्डिचेरी, नेफा तथा चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान किसी अफ़गान अथवा ईरानी राष्ट्रिकों को कोई हानि नहीं हुई अथवा कोई मारा नहीं गया। शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से सूचना प्रत्याशित है।

Request for Deploying C. R. P. Force in Bihar

4858. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have requisitioned the Central Reserve Police Force from the Central Government for suppressing Naxalite movement during the ensuing harvesting season ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ;

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a), (b) & (c). No, Sir. However, the State Government have asked the Centre from time to time for deputation of Units of the Central Reserve Police force in paid to civil power whenever they require strengthening of their own police force to meet any special law and order problems in the State.

Conversion of Jimmy Naga Hindus into Christianity

4859. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published in the newspapers that 700 Jimmy Naga Hindus were converted as Christians at gun-point on the 26th April, 1967 and the places of their worship were desecrated;

(b) whether Government propose to institute any inquiry into the said incident; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electoronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) to (c). Government has seen press reports which had appeared to this effect in

April, 1967. Information available with Government was furnished while answering unstarred question No. 3780 on 28th June, 1967. No inquiry is proposed to be instituted into this old matter. No formal complaint has also been received by the authorities.

Pre-planned communal riots

4860. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** bepleased to state:

(a) whether Government are aware that most of the communal riots which have taken place in the country so far were pre-planned;

(b) whether Government are also aware that on account of inefficiency of the Intelligence Department, Government are unable to get information about the conspiracy prior to the actual breaking out of the communal riots;

(c) whether Government propose to take steps to remove this shortcoming/lacuna in the Intelligence Department; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : (a) Government have no such definite information.

(b) to (d). Government are fully aware of the importance of adequate arrangements for the collection of intelligence relating to communal troubles, so that steps may be taken in time to prevent such troubles. The matter was considered by the National Integration Council in June, 1968 and it recommended the constitution of special units at the Central and State levels to collect intelligence about communal matters and arrangements for the regular submission of reports and assessment by the intelligence agencies to district Magistrates and district Superintendents of Police. In all States, instructions have been issued for the timely collection and prompt scrutiny of intelligence. The Intelligence Bureau has constituted a special cell at headquarters, with field units in some States to watch and report on communal elements. Arrangements for liaison with State C. I. Ds. and district authorities exist. In some of the States special cells have been constituted in the Intelligence Departments for the collection of intelligence on communal matters, while the remaining State Governments have reported that adequate arrangements in this behalf already exist.

बरगी सिंचाई परियोजना (मध्यप्रदेश)

4861. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरगी, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) उसके परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों के निर्यात से आय

4863. **श्री शशि भूषण** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 में राज्यों ने विदेशों को कुल कितनी कीमत के माल का निर्यात किया;

(ख) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1970–71 में प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी कीमत के माल का निर्यात किये जाने की सम्भावना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1970–71 में निर्यात किये जाने वाले सामान का मूल्य 1969–70 में निर्यात किये गये सामान के मूल्य से अधिक होगा अथवा न्यून और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है कि राज्यों की निर्यात आय में वृद्धि हो और कमी न हो ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). निर्यातों के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं ।

(ङ) इस विषय में किये गये विशिष्ट उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं । वे उपाय किसी राज्य विशेष को नहीं अपितु, भारत भर की निर्यात आय बढ़ाने के लिए हैं ।

विवरण

जहां तक निर्यात अभिमुख उत्पादन व्यवस्था के विकास का संबंध है, उच्च निर्यात संभाव्यता वाले ऐसे उत्पादों का, जिनका कालन्तर में देश में प्रतियोगी स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है पता लगाने के लिए विभिन्न अध्ययन शुरू किये जायेंगे और संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति, जिसका पहले ही ऐलान किया जा चुका है, इस रूप में तैयार की गयी है जिससे इन अध्ययनों के आधार पर उत्पादन के व्यवस्था को यथावश्यक पुनः व्यवस्थित किया जा सके ।

2. परम्परागत निर्यातों के सम्बन्ध में, निर्यात निष्पादन में सुधार करने के लिए उत्पादन अनुकूल की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इंस्टेंट चाय, पैकज चाय (जिसका निर्यात राष्ट्रीय चाय निगम के माध्यम से किया जाना है,) पटसन के बने कालीन अस्तर वस्त्र, तैयार परिधान और मिश्रित वस्त्र आदि जैसे उत्पादों का विकास किया जा रहा है और उनके निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

3. काजू की गिरियों के मामले में, गिरियों के रूप में निर्यात के लिए साधित करने के लिए कच्चे नटों की सहज तथा पर्याप्त पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए काजू निगम की स्थापना की गयी है ।

4. खनिजों के क्षेत्र में, लौह–अयस्क के निर्यात बढ़ाने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने आगामी 9 वर्षों में 467 करोड़ रु० के लौह अयष्क के निर्यात के लिए जापान के साथ एक दीर्घावधि संविदा की है ।

5. वस्त्र क्षेत्र में, कच्ची रूई के आयात और इसके उचित वितरण के प्रभावी आयोजन के लिए रुई निगम स्थापित किया गया है।

6. चूंकि ऐसा अनुमान है कि संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति उत्पादन को निर्यात अभिमुख बनायेगी अत: व्यापार विकास प्राधिकरण जिसकी स्थापना हो चुकी है एकाकी निर्यातकों को सूक्ष्म स्तर पर सर्वांगीण सहायता प्रदान करेगा।

7. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड वर्ष 1973–74 तक लगभग 100 करोड़ रु० का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हस्तशिल्प की रत्नाभूषण से इतर वस्तुओं के निर्यात करने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहा है।

8. इस देश की निर्यात नीतियों को पूर्ण रूप से स्थिर बनाये रखने की नीति से संगत रहते हुए, निर्यातों के लिए दी जाने वाली प्रतिपूरक सहायता की मात्रा की निरन्तर समीक्षा की जाती है और निर्यातों में वृद्धि दर को त्वरित करने के लिए, उसमें यदि और जब आवश्यक हो संशोधन किये जाते हैं।

9. परम्परागत क्षेत्र में हम, चाय के इकाई मूल्य में सुधार लाने के लिये चाय की निर्यात पूर्ति पर स्वैच्छिक प्रतिबन्ध लगाने संबंधी मारीशस करार में शामिल हो गए हैं। चाय से होने वाली निर्यात आय पर प्रभाव पड़ने भी लगा है।

10. इस देश के विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र के योगदान को धीरे–धीरे बढ़ाया जा रहा है जो इस बात से प्रकट है कि राज्य व्यापार निगम, खनिज व धातु व्यापार निगम को अधिक उत्तरदायित्व दिये गये हैं, राज्य व्यापार निगम सहायक संस्थाएं स्थापित की जा रही है जैसे कि प्रास्तावित परियोजनाएं तथा उपकरण निगम, विकास प्राधिकरण, रूई निगम, काजू निगम और प्रस्तावित समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

11. भारतीय जहाजरानी निगम की संकल रजिस्टर्ड टन–भार क्षमता को बढ़ाने के लिए निरन्तर किये जा रहे उपायों के अतिरिक्त प्रमुख पत्तनों पर माल के लादने और उतारने की क्षमता को बढ़ाने तथा इन सुविधाओं को यंत्रीकृत करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

12. अधिमानों की व्यापक योजना शिघ्र क्रियान्वयन के संबंध में जैनेवा में हाल ही में हुए करार का इस दृष्टि से अध्ययन किया जा रहा है जिससे देश के लाभ के लिए नई सुविधाओं से लाभ उठाने का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित किया जा सके।

13. संयुक्त अरब गणराज्य तथा युगोस्लाविया के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, विशेषत: सल्वानिया स्थित ब्लेड में हाल ही में हुई मंत्रिस्तरीय त्रिपक्षीय बैठक में, भारी प्रगति हुई है। इकाफे के तत्वावधान में एशिया में व्यापार उदारीकरण तथा विकास हेतु आर्थिक सहयोग संबंधी संपूर्ण रूपरेखा तैयार करने के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति की गयी है इसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा।

14. सोवियत संघ के साथ एक दीर्घावधि व्यापार करार शीघ्र ही किये जाने की संभावना है।

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिये व्यापारियों को प्रोत्साहन

4864. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 के प्रथम छः महीनों में (1) हौजरी (2) खालें (3) पटसन (4) रबड़ (5) खनिज अयस्क (6) मैंगनीज (7) कपड़ा (8) चीनी (9) मुरादाबाद में बनी वस्तुएं (10) प्लास्टिक उत्पाद (11) दरी और हिमाचल में बनी शालें तथा अन्य दस्तकारी का सामान (12) मेवे तथा ताजे फल (13) जूतों का निर्यात करने वाले व्यापारियों को कितना प्रोत्साहन दिया ; और

(ख) उक्त अवधि में देश को कितनी विदेशी मुद्रा और कितनी भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सभी लाइसेंस-कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) प्रश्नाधीन मदों के निर्यात के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इनमें से प्रत्येक मद द्वारा उपार्जित विदेशी मुद्रा और रुपयों में उपार्जित मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय (अर्थकार्य विभाग) का विषय है जिनसे कृपया अलग प्रश्न पूछा जाये।

विवरण

(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	विवरण	1969–70	1970–71 (अप्रेल–जुलाई)
1	2	3	4
1.	कपड़ा तथा सहायक सामग्री और अन्य वस्त्र (बुने हुए अथवा क्रोशेटिड)।	565	326
2.	चमड़ियाँ, खालें तथा लोमचर्म बिना साफ किया हुआ।	845	235
3.	1) पटसन से बना माल, पटसन के धागे सहित।	20665	2923
	2) पटसन, कच्चा पटसन बिमलिपत्तम तथा मेस्टा को छोड़कर।	415	183
4.	1) कच्चा रबड़, संश्लिष्ट तथा पुनः शोधित रबड़ सहित।	4	1
	2) रबड़ से बना माल (रबड़ के जूते सहित)	489	189

1	2	3	4
5.	अयस्क, खनिज पदार्थ तथा स्क्रैप (मैंगनीज अयस्क को छोड़ कर) ।	12905	4271
6.	मैंगनीज अयस्क तथा सांद्रणों	1106	498
7.	कपड़ा तथा उससे बना माल नारियल जटा तथा पटसन को छोड़ कर ।	13526	4621
8.	चीनी (सीरा छोड़कर) ।	872	484
9.	तांबा, पीतल, कांसे तथा इसी प्रकार की मिश्र धातुओं की कलात्मक वस्तुएं ।	545	182
10.	प्लास्टिक तथा प्लास्टिक से बना सामान ।	515	76
11.	1) ऊनी शाले, लोई, सफरी सामान तथा कलात्मक वस्तुएं (तांबा, पीतल, कांसे तथा इस प्रकार की मिश्र धातुओं की कलात्मक वस्तुएं ।	37	21
	2) अन्य हस्त-शिल्प (ऊनी शाले, लोई सफरी सामान तथा कलात्मक वस्तुएं ।	6747	1817
12.	फल, ताजे तथा सुखाए हुए (कृत्रिम रूप से निर्जलित सहित) ।	6018	2227
13.	जूते (रबड़ के जूतों को छोड़ कर)।	902	276

स्रोत:—वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता ।

नोट:—मदों का विवरण, संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण पर आधारित है ।

चंदन बांध द्वारा सिंचाई

4865. **श्री वेणी शंकर शर्मा** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के भागलपुर जिलों में निर्माणाधीन चंदन बांध से अनुमानतः कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ;

(ख) उक्त बांध से कितनी नहरें निकाली जायेंगी ;

(ग) क्या सिंचाई के लिये जल वितरण की छोटी नहरों का निर्माण कार्य भी बांध के निर्माण के साथ ही पूरा हो जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ). चन्दन जलाशय परियोजना खज्जर वेयर, और चन्दन विलासो स्कीम चन्दन वितरण प्रणाली (चरण–1) जो पहले ही निर्मित हो चुके थे, के लिए स्कीमों का विस्तार मात्र है । हाल ही में एक उच्च स्तरीय कन्टूर नहर को स्वीकृत किया गया है। इस समेकित स्कीम में कुल 1.74 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने की संभावना है । बांध और नहर प्रणाली का निर्माण एक साथ होगा ।

पश्चिमी बंगाल में बम बनाने या उन्हें ले जाते समय मरे तथा घायल हुए व्यक्ति

4866. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1969 से 30 सितम्बर, 1970 के दौरान पश्चिमी बंगाल में बमों के हमले से तथा बम बनाते या उन्हें ले जाते समय उनके स्वयं फट जाने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने व्यक्ति घायल हुए और प्रत्येक प्रकार की घटनाओं के पृथक्-पृथक् आंकड़ें क्या है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) मुकदमा चलाने पर कितने व्यक्तियों के विरुद्ध दोष सिद्ध हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

श्रमिक संकट के कारण चंदन जलशय परियोजना के पूरा होने में विलम्ब कि आशंका

4867. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंदन जलशय परियोजना जो लगभग पूरी होने वाली है, पूरा होने में उस क्षेत्र में श्रमिक संकट होने के कारण विलम्ब हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ;

(ग) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और योजना आयोग द्वारा उच्च तलीय नहर के कार्य की मंजूरी देने में विलम्ब किया गया है ; और

(घ) क्या उच्च तलीय और चिर नहर परियोजनाओं के बीच के क्षेत्र की उक्त परियोजना से अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा है ?

(ङ) यदि हां, तो उसको शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोई देरी प्रत्याशित नहीं है क्योंकि कार्य लगभग पूरा हो चुका है ।

(ग) बिहार सरकार ने परियोजना के लिए संशोधित प्राक्कलन में एक उच्च स्तरीय नहर के प्रस्ताव किये थे। ज्योंही राज्य सरकार से विभिन्न भागों पर, जो कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच हड़ताल के दौरान पाए गए थे, स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, त्योंही उन प्रस्तावों को स्वीकृती दे दी गई।

(घ) और (ङ). उच्च स्तरीय नहर निर्माणाधीन है और राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इसको पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा रही है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली के कर्मचारियों का उसके प्रादेशिक केन्द्रो में स्थानान्तरण

4868. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली के विकास आयुक्त द्वारा कितने कर्मचारियों का तबादला बोर्ड के दिल्ली स्थित कार्यालय से उसके प्रादेशिक केन्द्रों को किया गया और गत डेढ़ वर्ष में कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश वापस लिये गये ; और

(ख) स्थानान्तरण के आदेश देने और फिर उन्हें वापस लेने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड से तुरन्त उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिन व्यक्तियों का तबादला किया गया उनकी संख्या 3 थी तथा उन व्यक्तियों की संख्या 2 थी जिनके विरुद्ध ये आदेश वापिस लिए गए।

(ख) तबादला आदेश लोक हित में जारी किए गये थे। बाद में, रद्द करने का आदेश मानवोचित कारणों से किया गया था।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अधीक्षकों की प्रवरता सूची को अन्तिम रूप देना

4869. **श्री वाल्मीकी चौधरी** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अधीक्षकों की प्रवरता सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ;

(ग) ऐसे अधीक्षकों की संख्या कितनी है जिन्हें अधीक्षक के रूप में 10 वर्ष से अधिक की सेवा के पश्चात् भी स्थायी घोषित नहीं किया गया है ;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप स्थायी पदों वाले व्यक्तियों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा के वर्ग चार के लिए फीडर सूचियों में उनको वरिष्ठ दिखाया गया है जिसका कि उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए और कम से कम ऊपर के कुछ व्यक्तियों को स्थायी घोषित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) वरिष्ठता-सूची यथासंभव शीघ्र तैयार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, परन्तु यह बतलाना संभव नहीं है कि उक्त सूची अन्तिम रूप से किस निश्चित् तारीख तक तैयार होगी।

(ग) बीस।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चंड़ीगढ़ में दुकानों को नया रूप देने तथा पार्कों को हटाने की मांग

4870. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंड़ीगढ़ के लगभग सब सेक्टरों के बाजार प्राधिकारियों ने दुकानों के आगे के भाग को नया रूप देने और पार्कों को हटाने की चंड़ीगढ़ प्रशासन से मांग की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कुछ सेक्टरों के दुकानदारों ने इस प्रकार की मांग की है।

(ख) चण्डीगढ़ प्रशासन विभिन्न सेक्टरों में बिक्री के क्षेत्रों को नया रूप देने के लिए पहले ही कार्यवाही कर रहा है।

दिल्ली में नक्सलवादियों का आन्दोलन

4871. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली में नक्सलवादी आन्दोलन चलाने में सक्रिय हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) तथा (ग). प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य ने यह व्यक्त करते हुए प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था कि दिल्ली कालेजों के कुछ अध्यापक नक्सलपंथी प्रभाव में हैं। किसी अवैध गतिविधि को रोकने तथा उस पर कार्यवाही करने को ध्यान में रखकर आवश्यक निगरानी रखी जा रही है।

राज्यों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में की गई जांच

4872. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश मे हुए साम्प्रदायिक दंगों के कितने मामले में दंगों के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने जांच करवाई ;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में की गई जांच की रिपोर्ट क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि लगभग सभी मामलों में दंगे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा आरम्भ किये गये थे, जैसा कि गृह-मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है ;

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा दंगे कराने के क्या विशेष कारण हैं ; और

(ङ) भविष्य से साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सन् 1967 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने प्रमुख दंगों की जांच के लिए 5 आयोग नियुक्त किए हैं। आयोगों से संबंधित सूचना सदन को अलग से दे दी गई है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) केन्द्रीय और राज्य सरकारें राष्ट्रीय एकता परिषद् और साम्प्रदायिक अशान्ति जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा किए गये निर्णयों के आधार पर कार्यवाही कर रही है जिसका ब्यौरा सदन को पहले दिया जा चुका है ।

1967 की हड़ताल के दौरान निलंबित दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों की बहाली

4873. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन पुलिस कर्मचारियों को अब तक बहाल न करने के क्या कारण हैं जिन्हें पुलिस कर्मचारियों की 1967 की हड़ताल के दौरान मुअत्तिल किया, अथवा सेवा से निकाल दिया गया था जबकि सरकार ने इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ;

(ख) ऐसा आश्वासन कब दिया गया था और उसे पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) पुलिस हड़ताल के कारण कितने पुलिस कर्मचारी मुअत्तिल किये गये अथवा सेवा से निकाले गये थे; और

(घ) उनके विरुद्ध चल रहे मामलों को वापिस न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा, औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) और (घ) . मामला सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र ही एक निर्णय लिए जाने की आशा है ।

(ग) 965 (राष्ट्रपति आदेश के अन्तर्गत पदच्युत 18 पुलिस कर्मचारियों समेत नियमित विभागीय कार्यवाही के बाद 63 को पदच्युत किया गया) ।

पश्चिमी बंगाल में हुई हत्याएं तथा हिंसक घटनाएं

4874. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री पश्चिम बंगाल में हुई हत्याओं और हिंसक कार्यों के सम्बन्ध में 11 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 443 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सूचना अभी एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र सरकार के एक उप-मंत्री का तस्करों में कथित हाथ

4875. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जार्ज फरनांडीज :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के कृषि एवं नगरीय विकास उप-मंत्री श्री वी. बी. हिरे का तस्करी में और दो सप्ताह पूर्व लन्दन के एक बैंक में एक जाली चैक भुनाने में हाथ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या लन्दन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था,

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त के हस्तक्षेप के कारण ही छोड़ा गया था ;

(घ) क्या उन्होंने 600 पौंड का चैक बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर से खरीदा था, और

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र के उप-मंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य के उप-मंत्री श्री वी. बी. हिरे ने 565 पौंड की मांग-विकर्ष, जो तीसरी पार्टी के पक्ष में निकालना था, अक्टूबर, 1970 के अन्त में लंदन के एक बैंक में भुनाने के लिए पेश किया था । बैंक अधिकारियों को पता लगा कि यह विकर्ष जाली था तथा इसे भुगतान से मना किया गया ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) श्री हिरे के अनुसार उन्हें विकर्प डाक द्वारा प्राप्त हुआ, जब कि वह लंदन के एम्बैसी होटल में ठहरे हुए थे ।

(ङ) प्रश्न तभी उठ सकता हैं जब कि किसी कानून का उल्लंघन साबित हो सके ।

पश्चिमी बंगाल सरकार के विधायी विभाग के सचिव श्री आर० आर० विश्वास की हत्या

4876. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के विधायी विभाग के सचिव श्री आर० आर० विश्वास की कुछ नक्सलवादियों ने उनके निवास के निकट छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी हत्या के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था ;

(ग) क्या इस हत्या से सम्बद्ध मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ङ) सरकारी कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के लिये सरकार का क्या सतर्कता बरतने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क), (ख), (ग) तथा (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 नवम्बर, 1970 को श्री आर० आर० विश्वास, सचिव, विधान-विभाग, की उनके निवास स्थान के समीप कुछ बदमाशों द्वारा जिनके नक्सलपंथी होने का संदेह था, छुरा मारकर हत्या कर दी गई। अब तक दो गिरफ्तारियां की गई हैं तथा जांच-पड़ताल हो रही है ।

(ङ) ऐसे पूर्वोपाय, जो व्यावहार्य हैं, राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं। सामान्य स्थिति लाने के लिए निश्चित प्रयत्न भी किये जा रहे हैं ।

चेकोस्लावाकिया के साथ व्यापार समझौता

4877. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री चेंगल रायनायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चेकोस्लावाकिया ने 1971 के लिये एक व्यापार समझौते पर 18 नवम्बर, 1970 को हस्ताक्षर किये थे ;

(ख) यदि हां, तो किस व्यापार के बारे में उक्त समझौता किया गया है ; और

(ग) दो देशों के बीच हुये उक्त करार की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) से (ग). भारत सरकार तथा चैकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच नई दिल्ली में 18 नवम्बर, 1970 को वर्ष 1971 के लिए एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस संलेख में आगामी वर्ष में 100.3 करोड़ रु० स्तर तक द्विमार्गी व्यापार विनिमयों में और भी वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है।

आगामी वर्ष में चैकोस्लोवाकिया को भारत से अन्य मदों के साथ ये मदें भी निर्यात की जायेंगी : भवन निर्माण सामग्री तथा सेनिटेरी फिटिंग्ज, वस्त्र, मशीनें, मशीनी औजार तथा दस्ती और छोटे औजार, हस्पतालों के लिए साज-सामान, ट्रेक्टरों के लिए संघटक तथा फालतू पुर्जे और अन्य इंजीनियरी वस्तुएं, तैयार परिधान और ऊनी हौजरी, गलीचे, वस्त्र, सूत, लौह अयस्क, नारियल जटा के उत्पाद, तैयार चमड़ा, ग्रामोफोन रिकार्ड, लिनोलियम, रासायनिक पदार्थ, आदि।

1971 में चैकोस्लोवाकिया से आयात की प्रमुख मदें ये होंगी : ट्रेक्टर, वेल्लित इस्पात के उत्पाद, औजारी, मिश्रित तथा विशिष्ट इस्पात, प्रांगरिक तथा अप्रांगरिक रसायन, भेषज, भारत में चैकोस्लोवाकिया की सहायता से चलने वाली प्रायोजनाओं के लिए संघटक तथा कच्चे माल, इस्पात उद्योग के लिए शंटिंग इंजन तथा सहयोग-प्रायोजनाओं के अन्तर्गत मशीनें तथा उपकरण आदि।

भारत तथा चैकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार संतुलित आधार पर होगा। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक मदों के सभी भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जायेगा।

व्यापार संलेख की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

नर्मदा बेसिन में जल-परियोजना के लिए संयुक्त अमेरीका अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से तकनीकी तथा अन्य सहायता

4878. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बेसिन में जल-परियोजना को पूरा करने के लिए अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी तकनीकी जानकारी, विशेष उपकरण और मशीनें देने के लिए सहमत हो गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में नर्मदा बेसिन के कछारी भागों का जल संसाधनों के दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए एक परियोजना को हाथ में लेने का

फैसला किया है। केन्द्रीय भू-गत जल बोर्ड इस अध्ययन को, अपनी सामान्य गतिविधि के एक भाग के रूप में, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, भारतीय मौसम विभाग तथा दोनों राज्य सरकारों की सहायता से करेगा। इस कार्य के अप्रैल, 1971 से चालू होने की सम्भावना है। इस परियोजना के लिए तथा चट्टानी इलाकों में हाथ में ली जाने वाली थोड़ी सी और भूगत सर्वेक्षण परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता लेने के उद्देश्य से अमेरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण के साथ एक करार भी किया जा रहा है। इस प्रस्तावित करार के अधीन अमरीका अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण हमें दो से तीन वर्षों के लिए कुछ विशेषज्ञ देगा और कल अल्पकालीन सलाहकर देगा। अमेरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण विदेशों में विभिन्न विषयों में हमारे अधिकारियों को प्रशिक्षणार्थ कुछ शिक्षावृत्तियां भी देगा। इसके अतिरिक्त अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से कोई और सहायता नहीं ली जा रही है। इस करार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अन्य देशों के उत्पादों के लिये राष्ट्रीय उत्पादन से कोटा

4879. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य विकसित देशों के उत्पादों के लिये राष्ट्रीय उत्पादन कोटे की थोड़ी सी प्रतिशतता बनाये रखने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे ऊपरी ढांचे के मूल्यांकन में मिलने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). विकासशील देशों से आयातों पर लगे प्रतिबन्धों को उदार बनाना विकासशील देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की विभिन्न तकनीकों में से एक है जिन पर विचार किया जा रहा है और सरकार सभी विकासशील देशों से आयात करने के लिए भारत के राष्ट्रीय उत्पादन के एक अल्प प्रतिशत के बराबर कोटा देने की व्यावहार्यता पर विचार कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आयात अन्य विकासशील देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए वैसी ही रियायतें देने की पेशकश करते हैं। आपसी व्यापार के संबंध में विकासशील देशों द्वारा भेद-भाव रहित आधार पर रियायतें देने से मूलभूत परममित्रराष्ट्र सिद्धान्त के आधार पर एक वाह्य ढांचा तैयार करने में सहायता मिलने की आशा है।

Manufacture of Turbo-Generators

4880. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the progress made so far in the manufacture of Turbo-Generators of 6 lakh K. W. capacity within the country; and

(b) the time by which the first indigenous unit is expected to be ready?

The Deputy Minister of the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The position is as follows-

Name of Manufacturer.	Turbo-sets delivered.	Turbo-sets under manufacture.	Remarks
1	2	3	4
Heavy Electricals Ltd.	2 sets of 30 MW each. 1 set of 120 MW	1 set of 30 MW 7 sets of 120 MW each.	The first set of 30 MW was delivered in 1968-69; the generator was manufactured in Bhopal and the turbine imported. In respect of the second set which has been delivered, both the turbine and the generator have been manufactured in Bhopal. In respect of the 120 MW set which has been delivered, only marginal items were manufactured in Bhopal and the remaining items were imported. One 30 MW set and one 120 MW set are in an advanced stage of manufacture. The 120 MW set has been manufactured and tested. Its associate generator is in an advanced stage of manufacture and will be delivered by March, 1971.
Bharat Heavy Electricals Ltd.	5 units of 60 MW each	3 units of 60 MW each 5 units of 110 MW each. 4 units of 100 M.W. each.	The manufacture of one set of 60 MW and two stes of 110 MW would be completed in the current year. Two sets of 100 MW are in an advanced stage of manufacture. There has been progressive increase in the indigenous content of the sets manufactured by BHEL. The indigenous content is expected to increase to 70% for the manufacture of the fifth set of 110 MW and 44% for the manufacture of the fourth unit of 100 MW.

Rural electrification in states

4881. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether every village in Haryana has been electrified;

(b) the names of States where each and every village has been electrified; and

(c) the time by which every village in Uttar Pradesh is likely to be electrified?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Haryana authorities have reported that every village in Haryana has been electrified.

(b) In no other State have all the villages been electrified.

(c) During the Fourth Plan the emphasis in rural electrification continues to be laid on energisation of pumpsets and village electrification is an incidental part of this programme. With the energisation of about 1,10,000 pumpsets, about 19000 villages have been electrified so far out of a total of 1,12,624 villages in Uttar Pradesh. Rural electrification programmes in Uttar Pradesh will be accelerated from State Plan outlays and from the assistance made available by the Rural Electrification Corporation from the Central Plan outlay. It is not possible to indicate the specific period by which all the villages in Uttar Pradesh will be electrified as this would depend upon the resources available in the Fifth and subsequent Plans.

Enhancing capacity of engineering goods for exports

4882. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minster of Foreign Trade be Pleased to state whether Government propose to enhance the capacity of the engineering goods meant for export to such an extent that their prices could be brought down in hard competition, and quality improved?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : Government have set up a number of Working Groups to assess the potential for export of various engineering products and to create additional capacity for such products taking into consideration all relevant factors which would not only bring down the cost of production but also make our products compe titive enough both in price and quality in foreign markets.

मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल) के गांवों में बिजली लगाने संबंधी योजना

4883. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल व सरकार ने गांवों में बिजली लगाने की योजना आरम्भ की है ;

(ख) क्या मिदनापुर (एक) और मिदनापुर (दो) नामक दो योजनाएं मिदनापुर जिले के गांवों में बिजली लगाने के लिए आरम्भ की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाएं किन-किन क्षेत्रों में क्रियान्वित और पूरी की जाएंगी और उक्त योजनाओं से संबंधित अन्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें हाथ में ली गई हैं ।

(ख) और (ग). ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों में से एक मिदनापुर जिले से संबंध रखती है; यह स्कीम, जिसकी अनुमानित लागत 96.14 लाख रुपये होगी, निम्नलिखित स्थानों के क्षेत्राधिकार में 362 ग्रामो तथा 1045 सिंचाई पम्पसेटों/नलकूपों के लिये है:—

1. देवका
2. दनतीन
3. पिंगला

4. पताशपुर

5. सवंग

6. केशपुर

7. खड़गपुर

8. चन्दरकोना

9. नरायनगढ़

10. पंसकुरा

11. नयाग्राम और

12. केसियारी

यह स्कीम लगभग 5 वर्ष में पूर्ण होनी प्रत्याशित है । मिदनापुर जिले में ग्राम विद्युतीकरण के लिए एक दूसरे स्कीम पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार की जा रही है ।

संसद् सदस्यों द्वारा अन्दमान की जेल कोठरी का दौरा

4884. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों के एक दल को अन्दमान का दौरा करने के लिये भेजा था जिसे इस बात के सम्बन्ध में सुझाव देना था कि अन्दमान जेल कोठरी और वहां बन्दी बनाये गये क्रान्तिकारियों के अवशेषों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है;

(ख) क्या उक्त दल से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह यह भी सुझाव दे कि अन्दमान, जिसका नाम बाद में "शहीद" रखा गया था और स्वराज द्वीप जिनका नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने 1943 में दौरा किया था की यादगार को किस प्रकार मनायें;

(ग) क्या उक्त दल ने अन्दमान का अक्टूम्बर, 1969 में एक सप्ताह का दौरा कर सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के बारे में सुझाव दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन का पाठ क्या है और उक्त दल के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). 20 से 28 अक्टूम्बर, 1969 तक की अवधि में 12 संसद सदस्यों के दल द्वारा अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह के दौरे का प्रबन्ध इच्छुक संसद सदस्यों के एक दल को पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल को देखने का अवसर देने के उद्देश्य से किया गया था। सेलुलर जेल को सुरक्षित रखने अथवा किसी अन्य मामले पर कोई सुझाव देने का दल से कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया था। एक सदस्य ने सेलुलर जेल को सुरक्षित रखने तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ इन द्वीप

समूहों के सम्बन्ध को स्मारक का रूप देना और इन द्वीप समूहों में बसे विस्थापितों की समस्याओं पर भी विचार करने के लिए अपने सुझावों की मसौदा टिप्पणी भेजी । सदस्य के उस सुझाव पर संसदीय मामलों के विभाग ने कोई अतिरिक्त सुझाव देने अथवा विकल्प देने के लिए, जैसा भी हो, "मसौदा" टिप्पणी को दल के अन्य सदस्यों को परिचालित किया । संसदीय मामलों के विभाग ने सूचित किया है कि अब तक केवल चार सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। अन्य सदस्यों से कोई उत्तर नहीं मिला है ।

किन्तु यह उल्लेखनीय है कि पोर्ट ब्लेयर में केन्द्रीय मीनार और सेलुलर जेल के वर्तमान तीन खण्डों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने का निश्चय पहले ही कर लिया गया है । एक विशेषज्ञ दल ने जिसके साथ भूतपूर्व राजनैतिक बन्दियों का भाईचारा सम्पर्क है, कलकत्ता भी सम्बद्ध है: इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित संरचनात्मक नवीकरणें इत्यादि के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति लगाने के लिए भी एक निर्णय किया गया है। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

Recruitment of Hindi Translators in Ministries

4885. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** :Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of Ministers, Departments and Attached Offices of the Government of India which conducted Examinations during the year 1970 for recruitment of Hindi Translators Grade I and Hindi Translators Grade II;

(b) the names of Ministers and Departments which made appointments to the said two Grades of Hindi Translators on the basis of such examinations and interviews as also the educational qualification (with division) and experience of translation in Government Service possessed by the persons thus appointed;

(c) the number of Translators among them who have been appointed in violation of the recruitment rules for the posts of Translators by ignoring more qualified and experienced candidates; and

(d) whether Government propose to make recruitment to the posts of Hindi Translators through the Union Public Service Commission and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a), (b) and (c). The required information is not readily available. It will be collected and laid on the Table of the House.

(d) The posts of Hindi Translator are isolated posts created by each Ministry/Department according to its own requirements. The posts are filled on a regular basis in accordance with the recruitment rules framed by the Ministry/Department concerned. A majority of these posts are in Class III and therefore outside the purview of the Union Public Service Commission. Only such of the posts, however, as are Class II have to be filled by the Ministry/Department concerned in consultation with the Union Public Service Commission.

अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना

4886. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक बड़ी संख्या में अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को दस वर्ष की सेवा के पश्चात् भी स्थायी घोषित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या प्रत्येक विभाग में कितनी-कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय सेवाओं में सेवा को नियमित करने के लिए ऐसा प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है कि कोई भी नियुक्ति दो वर्ष से अधिक तक अस्थायी नहीं रहेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). 30-11-1966 को ऐसे अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की संख्या 18561 थी, जिन्होंने दस वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा की है परन्तु स्थायी घोषित नहीं किये गये। ऐसे कर्मचारियों की नवीनतम स्थिति का विभाग-वार पता लगाकर संसद के पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

कुछ श्रेणियों के लिये पदों का आरक्षण

4887. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कतिपय नागरिकों की श्रेणियों के पदों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन विभागों में किया गया है तथा ऐसा किस सीमा तक किया गया है तथा ऐसा किन श्रेणियों के नागरिकों के लिए किया गया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् । वर्ष 1970 के दौरान भारत सरकार के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आपत कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सेवा पदों में आरक्षितियों के प्रतिशतों को पुनरीक्षित किया गया है । पूर्व तथा पुनरीक्षित प्रतिशतों को दिखाने वाला विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4589/70]**

1971-72 वर्ष के लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना

4888. **श्री नि० र० लास्कर** :
श्री नारायणन :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1971–72 वर्ष के लिये वार्षिक योजना तैयार करने और राज्यों के वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने यह कहा है कि संसाधन जुटाने के राज्यों के अब तक के प्रयास सन्तोषजनक नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो संसाधन जुटाने के कार्य के अपने भाग को पूरा करने में असफल रहे हैं; और

(घ) क्या 1971–72 वर्ष के लिये वार्षिक योजना तैयार करते समय राज्य सरकारों के मत भी ध्यान में रखे जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि कुल मिलाकर वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान राज्यों के संसाधन, इन वर्षों की वार्षिक योजनाओं में दिखाये गए अनुमानों की तुलना में कम नहीं होंगे। अतः योजना आयोग द्वारा राज्यों से यह कहने का प्रश्न नहीं उठता कि उनका समस्त कार्य संचालन अच्छा नहीं रहा है ।

(ग) स्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। परन्तु अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि समस्त चौथी योजना अवधि में कोई राज्य योजना में परिकल्पित पूरी सीमा तक संसाधन जुटाने में असमर्थ होगा।

(घ) जी, हां।

साड़ियों का निर्यात

4889 **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में विदेशों को भारतीय निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को और इससे प्रतिवर्ष प्रत्येक देश से कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). विगत दो वर्षों के दौरान भारत से मिल निर्मित साड़ियों के निर्यात प्रायः स्थिर रहे। 1968–69 तथा 1969–70 के दौरान भारत से इन साड़ियों के निर्यातों का मूल्य क्रमशः 127.3 लाख रु० तथा 125.2 लाख रु० था। उपरोक्त दो वर्षों के दौरान, जिन प्रमुख देशों को इन साड़ियों का निर्यात किया गया था और उनसे जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी वह नीचे दी गई है:—

देना	निर्यातों के मूल्य 1968–69	(लाख रु०) 1969–70
अदन	8.0	2.0
सऊदी अरब	3.0	4.0
मलयेशिया	2.4	5.1
सिंगापुर	3.7	2.1
मारिशस	11.2	4.5
सूडान	84.0	98.7

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिये किरणीयन तकनीक का पता लगाना

4890. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिये किरणीयन तकनीक का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त तकनीक को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मन्त्री अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां।

(ख) किरणीयन तकनीकों का उपयोग करके भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में किये गये विकास कार्यों के निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं:—(क) भंडार में रखे अनाज को कीड़ा लगने से बचाना (2) आलूओं तथा प्याज में अंकुर निकलना (3) समुद्री खाद्य पदार्थों तथा अन्य ताजा खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक ताजा बनाये रखना (4) आम तथा केले का देरी से पकना। किरणीयित गेहूं तथा झींगा मछली के पौषाणिक तथा पौष्टिक अध्ययन पूरे हो गये हैं।

(ग) तथा (घ). जी, नहीं, क्योंकि किरणीयित खाद्य पदार्थों के उत्पादन तथा विक्रय के लिये निष्कासन सम्बन्धी नियम तथा मानक निर्धारण करना आवश्यक है। इसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

परमाणु विस्फोट परीक्षण के लिये स्थान

489 1. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परमाणु विस्फोट परीक्षण के लिये भारत में उपयुक्त स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या है?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारत ने परमाणु विस्फोट परीक्षण के लिये उपयुक्त स्थान नहीं चुने हैं क्योंकि इसकी अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नक्सलवादियों को पाकिस्तान से प्राप्त हो रही सहायता

489 2. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नक्सलवादी एक तरीके या दूसरे तरीके से पाकिस्तान से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). उग्रवादियों द्वारा मिजो विद्रोहियों से सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्नों तथा पाकिस्तान द्वारा विद्रोहियों को सहायता दिए जाने की सरकार को जानकारी है। सरकार को नक्सलवादियों (साम्यवादी दल मार्क्सवादी लैनिनवादी) तथा पूर्वी पाकिस्तान की मार्कसवादी लेनिनवादी पार्टी के बीच सम्पर्क की भी जानकारी है। इस अवस्था में और अधिक ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) सम्पूर्ण सीमा में गस्त तेज कर दी है और उग्रवादियों तथा विद्रोहियों की गतिविधियों में कड़ी नजर रखी जा रही है।

दिल्ली स्थित विभिन्न कार्यालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड दो के पदों पर नियुक्तियां

4893. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष 1968, 1969 और 1970 में दिल्ली में संघलोक सेवा आयोग द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड दो के पदों के लिये ली गई परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार बैठे थे;

(ख) उपरोक्त वर्षों में हुई परीक्षाओं में कुल कितने परीक्षार्थी सफल हुये और वे कुल संख्या के कितने प्रतिशत थे; और

(ग) उक्त अवधि में दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कितने उम्मीदवारों को ग्रेड दो स्टेनोग्राफर के पदों पर नियुक्त किया गया ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ? (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :–

	परीक्षा का वर्ष	1968	1969	1970
1	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	1929	2038	2129
2.	उपर्युक्त (i) में से जो दिल्ली केन्द्र से बैठें	1364	1377	1420
3	पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या	263	280	परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है।
4	परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों के प्रतिशत में संबंध ।	13.63	13.74	—तदैव—

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आशुलिपिक परीक्षा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी दो के लिए, तथा मंत्रालयों के सम्बद्ध कार्यालयों में एवम् ऐसे अन्य कार्यालयों में, जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं है, इसी प्रकार के पदों पर आशुलिपिकों की भर्ती के लिए ली जाती है । रेलवे बोर्ड सचिवालय, सशस्त्र सेना मुख्यालय, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, पर्यटन विभाग तथा निरीक्षण निदेशालय दिल्ली में स्थित हैं । जहां तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का संबंध है भर्ती चूंकि केन्द्रीय सचिवालय तथा मंत्रालयों के सम्बद्ध कार्यालयों दोनों के लिये की जाती है अतः आशुलिपिक सम्बद्ध कार्यालयों में सेवा करने के लिये बाध्य हैं जो दिल्ली से बाहर भी स्थित हो सकते हैं । भारतीय विदेश सेवा की अवस्था में आशुलिपिक विदेशों में नियुक्त किए जाने के लिए भी बाध्य है । आसूचना विभाग तथा राजस्व आसूचना निदेशालय के मामले में, आशुलिपिकों को दिल्ली में अथवा दिल्ली से बाहर इन संगठनों के किसी अन्य शाखा कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है । केवल दो ही ऐसे कार्यालय हैं जो पूर्णतया दिल्ली से बाहर हैं, और ये लखनऊ स्थित अनुसंधान, रूप रेखा तथा मानक संगठन और कलकता स्थित आयुद्ध कारखानों का महानिदेशालय है । तीनों प्रकार के कार्यालय में नामांकित अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :–

		1968	1969
1.	केवल दिल्ली के कार्यालयों में पद स्थापना	44	76
2.	दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर कार्यालयों में पद स्थापना	178	177
3.	दिल्ली से बाहर कार्यालय में पद स्थापना	36	23

टिप्पणी :– 5 अर्हतावान उम्मीदवार 1968 की परीक्षा के तथा 4 अर्हतावान उम्मीदवार 1969 परीक्षा के, आरम्भ से नामांकित नहीं हुए, क्योंकि वे स्वयं आशुलिपिकों की सेवाओं । नकार्यालयों में कार्य कर रहे थे जिसके नामांकन के लिए वे पात्र थे । इसलिए उपर्युक्त आकड़ों में ये 9 उम्मीदवार शामिल नहीं है ।

श्री बलदेव सिंह की मृत्यु

4894. **श्री वंश नारायन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 18 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1311 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्संगत श्रम कानून के अन्तर्गत मृतक के उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मुआवजे के भुगतान के लिये कामिक मुआवजा आयुक्त को आवेदन करना मृतक के उत्तराधिकारियों का काम है। जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार का संबंध है वह मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों के आधार पर देहरा (हरिपुर तेहसील) थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304– क/287/201 के अन्तर्गत दर्ज मामले की जांच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय के अधीन विभिन्न निकाय

4895. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री निम्नलिखित बातों को दिखाते हुये सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन परिषदों, समितियों और अन्य संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक निकाय के सदस्यों के नाम तथा उनके सम्बन्ध में अन्य विवरण क्या है ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक निकाय के कार्यकलाप क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ग) . विदेशी व्यापार मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रही विभिन्न परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों के नाम तथा प्रत्येक के कार्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4590/70.]**

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से जापान को लौह–अयस्क का निर्यात

4896. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 से 1969–70 तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से जापान को वर्षवार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के लौह–अयस्क का निर्यात किया गया

(ख) उपरोक्त अवधि में जापान को लौह अयस्क के निर्यात के फलस्वरूप खनिज तथा धातु निगम को वर्ष-वार कितना लाभ अथवा हानि हुई ; और

(ग) जापान के साथ इस व्यापार के फलस्वरूप उपरोक्त वित्त वर्षों में हुये लाभ अथवा हानि के क्या कारण थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) 1967–68 से 1969–70 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को हुए लौह अयस्क के निर्यात तथा अर्जित लाभ या हानि नीचे दी गई है :–

वर्ष	निर्यातित मात्रा	मूल्य	लाभ/हानि
	मे० टन	करोड़ रु०	करोड़ रु०
1967–68	5.6	35.8	0.3 हानि
1968–69	6.6	45.3	हानि लाभ कुछ नहीं
1969–70	7.7	51.5	0.1 हानि

(ग) हालांकि, जापान को हुए लौह अयस्क की बिक्रियों का इकाई मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर की तुलना में अनुकूल है, फिर भी, समुद्र पत्तनों से काफी दूर के क्षेत्रों से अयस्क को प्राप्त करने में आने वाली भारी परिवहन लागत के कारण कुछ हानि उठानी पड़ती है ।

पश्चिम जर्मनी में हुआ पार्टनर्स फार प्रोग्रेस मेला

4897. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम जर्मनी में इम्पोर्ट ओवरसीज फेयर "पार्टनर्स फार प्रोग्रेस" आयोजित किया गया था ;

(ख) क्या भारतीय फर्मों ने भी इस मेले में भाग लिया था ; और

(ग) क्या इससे पश्चिम यूरोप को निर्यात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) से (ग) . जी हां । 1, 28, 000 रु० मूल्य की स्थानिक बिक्री के अलावा 75, 97, 110 रु० मूल्य तक की व्यापारिक पूछताछें प्राप्त हुई थीं जिनको भाग लेने वाली फर्मों के पास अनुवर्ती कार्य-वाही हेतु भेज दिया गया था । तथापि इससे उत्पन्न हुई कुल निर्यात संभाव्यताएं प्रगट नहीं होती हैं । हमारे मेले में भाग लेने के परिणाम स्वरूप मिले विशिष्ट क्रयादेशों के रूप में परिणामों का पूरा अनुमान कुछ समय के पश्चात ही लगाया जा सकेगा ।

मनीपुर सिंचाई सर्किल के लिए इंजीनियरिंग कर्मचारियों की आवश्यकता

4898. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के लिए किसी सिंचाई सर्किल को मंजूरी दी गई है और उसका गठन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितने इंजीनियरिंग कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ग) इस सर्किल के गठन को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार मनीपुर सरकार से कहेगी कि वह सिंचाई कार्यों के अल्प-कालिक अध्ययन के लिए मनीपुर लोक निर्माण विभाग के एस० डी० एस० और ई० ई० एस० को प्रतिनियुक्त के तौर पर भेज दे ताकि इस सर्किल की तकनीकी कर्मचारी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) . मनीपुर में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए एक व्यापक योजना का प्रारूप तैयार करने के विचार से मनीपुर प्रशासन को यह सुझाव दिया गया है कि आवश्यक अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए एक सर्किल कार्यालय स्थापित किया जाए । इस कार्य में हर प्रकार की संभव सहायता दी जाएगी जिसमें इस कार्य के लिए अपेक्षित अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति शामिल होगी ।

Import and Export Office at Kota, Rajasthan

4899. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether an Import and Export Office of the Central Government is functioning at Kota, Rajasthan;

(b) whether the traders have to wait at Delhi for months together in order to get a seal affixed on their licences; and

(c) if so, the reasons for not delegating the power of affixing seals to the said Office in Kota in order to remove the hardship caused to the traders there?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowhary Ram Sewak : (a) to (c). There is no Import & Expert Control Office functioning in Kota (Rajasthan). It is not a fact that traders have to wait in Delhi for months together to get a seal affixed on their licences. A request for the affixing of a seal on an import licence, if made in person to the Public Relations Officer of the licensing office concerned, is attended to across the counter. In case such requests are received by post, they are dealt with promptly. As there is no office of Import Control in Kota, the question of delegating power of affixing seals to an office at Kota does not arise.

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों की वरीयता

4900. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के भूतपूर्व प्रादेशिक परिषद् तथा तत्कालीन प्रशासन, दोनों के कर्मचारियों के संबंध में उनके एकीकृत ग्रेड में स्थायीकरण के आधार पर एक संयुक्त वरीयता सूची बना रखी है ;

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व प्रादेशिक परिषद् को समाप्त करने के पश्चात् जबकि सभी कर्मचारी उसी मनीपुर प्रशासन के अन्तर्गत थे, मनीपुर सचिवालय में अथवा अन्य कहीं अपर श्रेणी लिपिक तथा उच्च श्रेणी लिपिकों की वरीयता निर्धारित करने का आधार क्या है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) और (ग) . मनीपुर सरकार ने बताया है कि उन्होंने भूतपूर्व क्षेत्रीय परिषद, मनीपुर तथा तत्कालीन मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों की संयुक्त ज्येष्ठता सूची बना रखी है । यह सूची क्षेत्रीय परिषद कर्मचारियों का एकीकरण नियमावली, 1963 के नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार, जहां आवश्यक समझा गया, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार की गई थी । प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित अवर श्रेणी लिपिकों व उच्च श्रेणी लिपिकों की श्रेष्ठता भी इसी प्रकार मनीपुर सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी ।

मनीपुर के विकास कार्यालयों तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति

4901. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार के विकास कार्यालयों तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों की संयुक्त वरीयता सूची जिलेवार रखी जाती है अथवा सभी जिलों के लिए एक ही सूची रखी जाती है ;

(ख) क्या राजस्व विभाग के उच्च पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां करने के मामलों में पदोन्नति इस संयुक्त वरीयता सूची के आधार पर की जाती है, और

(ग) यदि नहीं, तो इन दोनों विभागों के कर्मचारियों की वरीयता किस आधार पर निश्चित की जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) और (ग) . मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि मनीपुर सरकार के विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की संयुक्त प्रवरता सूची नहीं है । प्रत्येक विभाग में अलग-अलग प्रवरता सूची रखी जाती है और उनमें प्रत्येक की पदोन्नति अपनी अपनी प्रवर सूची के आधार पर की जाती है ।

केरल में समुद्री कटाव से प्रभावित तटीय भूमि की लम्बाई

4902. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री अदिचन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र द्वारा तटीय भूमि के कटाव से भारत के कुल कितनी भूमि प्रभावित है है और इसमें से केरल की कुल कितनी भूमि है ;

(ख) समुद्र द्वारा कटाव के रोकथाम के उपायों पर प्रति किलोमीटर औसत खर्च क्या है ;

(ग) केरल सरकार को समुद्र द्वारा भूमि के कटाव की रोकथाम के लिए अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितना धन मंजूर किया गया है ;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सहायता के ढंग में परिवर्तन करने और राशि बढ़ाने के लिए प्रार्थना की है ; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) भारत में कुल 370 किलोमीटर की लम्बाई में समुद्र तट कटाव द्वारा प्रभावित होता है, जिसमें से 320 किलोमीटर केरल में पड़ता है ।

(ख) समुद्र-कटावरोधी कार्यों की औसत लागत लगभग 12 से 15 लाख रुपये प्रति किलो-मीटर है ।

(ग) ऋण सहायता समस्त बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के लिए दी जा रही थी जिसमें समुद्र-कटावरोधी कार्य सम्मिलित हैं । केरल सरकार को इस सैक्टर के लिए 1968-69 के अन्त तक कुल 647.69 लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई । चतुर्थ योजना से आरम्भ करते हुए, राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है और यह किसी विशेष परियोजना अथवा विकासशीर्ष के साथ बंधी नहीं होती । अतः राज्य सरकारें विविध परियोजनाओं के लिए, उनकी सापेक्ष आवश्यकता देखते हुए, अपेक्षित धनराशियां आवंटित करने में स्वतन्त्र हैं ।

(घ) और (ङ) . केरल में समुद्र-कटावरोधी कार्यक्रम को केन्द्रीय सैक्टर की स्कीम मानने के लिये राज्य सरकार से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । राज्य में कुछ तात्कालिक समुद्र-कटावरोधी कार्यों को हाथ में लेने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपये की राशि की वित्तीय सहायता के लिए भी एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

समुद्र-कटावरोधी स्कीमों को केन्द्रीय सैक्टर स्कीमें मानने के लिए पहले भी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । इन पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ सलाह करके विचार किया गया था, किन्तु इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में सम्मिलित करना सम्भव नहीं पाया गया ।

जहां तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार के अनुरोध का संबंध है, भारत सरकार राज्य की योजना के बाहर, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 50 लाख रुपये तक की विशेष ऋण सहायता देने के लिए इस शर्त पर मान गई है कि यह सहायता 1970–71 की राज्य वार्षिक योजना में सम्मिलित बाढ़ नियंत्रण और समुद्र–कटाव–रोधी कार्यक्रम पर 70 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय से वास्तविक रूप में किए गए अधिक व्यय के बराबर होगी ।

रूस को कच्चे पटसन का निर्यात

4903. **श्री शंकरराव माने** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की सरकार कच्चे पटसन के व्यापार में बहुत अधिक रूचि रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय रूस को निर्यात किये जा रहे कच्चे पटसन की मात्रा तथा उसका मूल्य क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . सोवियत संघ की सरकार भारत से कच्चे पटसन की खरीद, दोनों देशों के बीच हुए व्यापार करार के अनुसार कर रही है । 1969–70 के दौरान भारत ने सोवियत संघ को 414.8 लाख मूल्य के 17,074 मे० टन कच्चे पटसन का निर्यात किया ।

अमरीका के साथ सूती के कपड़े सम्बन्धी करार

4904. **श्री शंकरराव माने** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने सूती कपड़े संबंधी चार वर्षीय करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत–अमरीका वस्त्र करार 1 अक्टूबर 1970 से 30 सितम्बर, 1974 तक के 4 वर्षों के लिए वैध है ।

करार की अन्य मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :–

(1) करार के पहले वर्ष में भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को सूती वस्त्रों के निर्यात हेतु 11 करोड़ वर्ग गज का कोटा निर्धारित किया गया है । करार के अनुवर्ती वर्षों के लिए कोटों में 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि होगी ।

11 करोड़ वर्ग गज की कुल उच्चतम सीमा को दो ग्रुपों में विभाजित किया गया है, अर्थात् ग्रुप 1 वस्त्रों के निर्यात हेतु 8.47 करोड़ वर्ग गज तथा ग्रुप 2– परिधानों सहित अन्य उत्पादों के निर्यात हेतु 2.53 करोड़ वर्ग गज। वस्त्रों के इन दो ग्रुपों को फिर से 64 श्रेणियों में उप– विभाजित किया गया है। इन श्रेणियों में से कुछ के निर्यात के लिए विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(2) कुल सीमा के अंतर्गत, ग्रुप 1 तथा ग्रुप 2 की सीमाएं क्रमश 5 प्र० श० तथा 10 प्र० श० से अनधिक मात्रा तक बढ़ सकती। लागू सीमा के अन्तर्गत रहते हुए विशिष्ट सीमाए 5 से अनधिक मात्रा तक बढ़ सकती हैं। विशिष्ट सीमाओं वाली किसी श्रेणी के निर्यात में कोई न्यूनता रह जाये तो उसका प्रयोग उसी ग्रुप में किसी ऐसी श्रेणी के लिए किया जा सकता है जिसके लिये कोई विशिष्ट सीमा न हो।

(3) न्यूनता होने पर, स्वीकृत सीमाओं का 5 प्र० श० तक आगे ले जाने की व्यवस्था है।

(4) भारत से सं० रा० अमरीका को हथकरघा उत्पादों के निर्यात करने के लिए अतिरिक्त पृथक कोटे की व्यवस्था है। करार के प्रथम वर्ष के लिए 50 लाख वर्ग गज की सीमा निर्धारित की गई है और उसके अनुवर्ती वर्षों में 5 प्र० श० दर से वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था है। इन सीमाओं से अधिक मात्रा में हथकरघा उत्पादों के निर्यात को सुकर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच विचार–विमर्श की व्यवस्था की गई है। हथकरघा सूती वस्त्र पहले की तरह करार की परिधि से बाहर रहेंगे और इनका निर्बाध रूप से निर्यात किया जा सकता है।

(5) कुछ सूचीबद्ध मदें जिनका आधार सूती कपड़ा हो और जिन पर हाथ का काम किया हुआ हो और जो अनन्य तथा ऐतिहासिक रूप से परम्परागत भारतीय उत्पाद हैं (जिन्हें भारतीय मदें कहा गया है) इस करार के क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं। दूसरे शब्दों में, इन मदों पर, इस करार में निहित सूती वस्त्र मदों के लिए प्रस्तावित परिमाणात्मक प्रतिबन्ध, लागू नहीं होंगे।

पश्चिम बंगाल में कुछ गांवों की भूमि का जल से कटाव तथा उसका संरक्षण

4905. **श्री सरदार अमजद अली:** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल में बसीरहट के कई गांवों की भूमि का इच्छामति नदी के जल से कटाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इन गांवों की भूमि की जल द्वारा कटाव से बचाने के लिए कोई ठोस तथा प्रभावी योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक पूरी की जाएगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार को इस समय का पता है और इच्छामती नदी के कटाव से बसीरहाट के गांवों और शहर को बचाने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित स्कीमें तैयार की हैं जिन्हें राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति ने स्वीकार भी कर लिया है ।

(1) बसीरहाट थाने में मौजा इटिंडा पर इच्छामती नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ निकारीपाड़ा गांव की सुरक्षा ;

(2) बसीरहाट थाने में हरीशपुर गांव की सुरक्षा;

(3) बसीरहाट शहर की सुरक्षा ।

(ग) और (घ) . पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की चौथी योजना में इन स्कीमों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है । बहरहाल, राज्य सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या चौथी योजना में बाढ़ नियंत्रण के संशोधित प्रस्तावों में, जिन्हें अभी तक अन्तिम रूप हीं दिया गया है, इन स्कीमों के लिये कोई प्रावधान किया जा सकता है ।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् मंडल के विचाराधीन ग्राम्य विद्युती करण योजनाएं

4906. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् मंडल के पास साम्य विद्युतीकरण की कुल कितनी योजनाएं कितने-कितने वर्षों से विचाराधीन पड़ी हैं और उनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे और ऐसी योजनाओं पर अनुमानतः कितना व्यय होगा;

(ख) ऐसी योजनाओं के विचाराधीन पड़ी रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ऐसी योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप देने की उम्मीद रखती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) : 300 ग्रामों में से, जिन्हें 86 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर विद्युतीव्हुल किया जाना है, 22 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 122 ग्रामों में बिजली का कार्य पहले ही हाथ में लिया हुआ है । इनके 1971 में पूर्ण होने की संभावना है । इसके अतिरिक्त प्राय विद्युर्ती-करण निगम द्वारा हाल ही में स्वीकृत 313.90 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पांच ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है । ये स्कीमें पांच वर्ष कि अवधि में पूरी हो जाएंगी । इन स्कीमों के पूर्ण होने पर 1,172 ग्रामों को बिजली मिल जाएगी और 5,109 नलकूप/पंपसेट उर्जित हो जाएंगे ।

दिल्ली न्यायपालिका द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में शिकायतें

4907. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली न्यायपालिका द्वारा जनता को उत्पीड़ित किया जाने के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या अब तक इस संबंध में की गई कार्यवाही प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई और क्या सरकार न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा भविष्य में उत्पीड़न को रोकने के लिये किन्हीं प्रभावशाली उपायों पर विचार कर रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली में न्यायपालिका दिल्ली उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है । दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीकार की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के बारे में 1970 में दो शिकायतें प्राप्त हुई । भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पंजीकार द्वारा शिकायतकर्ता को दलाल घोषित कर दिया गया था और सर्वोच्च न्यायालय की संघटन शाखा द्वारा 7-4-1960 को एक अपील में इस आदेश की पुष्टि कर दी गई थी । इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझाया गया और उन्हें दाखिल दफ्तर कर दिया गया ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में कम्बाटा के संस्थानों पर छापा

4908. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अप्रेल, 1970 में बम्बई में मेसर्स कम्बाटा एवियेशन, कम्बाटा ट्रस्ट, ईरोज सिनेमा तथा कम्बाटा के अन्य संस्थानों पर छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त छापा किन परिस्थितियों में मारा गया था;

(ग) क्या छापे के दौरान ईरोज सिनेमा को पैरिस के ली प्रेजिडेन्ड गफ्फूर को बेचने से संबंधित कोई दस्तावेज बरामद हुए थे;

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उक्त छापे के दौरान और क्या वस्तुएं बरामद हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख), (ग), (घ) तथा (ङ) : दिनांक 2-12-1970, को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3080 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । ये तलाशियां विदेशी मुद्रा विनियम के सन्देहास्पद उल्लंघनों के संबंध में ली गई थीं । मामले पर अभी जांच जारी है। तथा तथ्यों की जांच पूरी होने के पूर्व उन्हें प्रकट करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जांच कार्य में बाधा पड़ सकती है।

दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार

4909. **श्री रा० बरुआ :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कई न्यायिक अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों से सबंद्ध है और कुछ अधिकारियों के विरूद्ध की गई जांच में भ्रष्टाचार के मामले सिद्ध होने पर भी उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरूद्ध जिनके संबंध में भ्रष्टाचार के मामले सिद्ध हो गये हैं अथवा जिनके विरूद्ध मामले विचाराधीन हैं; कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर इस प्रकार है :—

(क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस बारे में उच्च न्यायालय पूरी तरह सतर्क है और जब कभी कोई कार्यवाही करने का संकेत होता है तो इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरूद्ध आरोप

4910. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस हजारी न्यायालय के एक उपखंड दण्डनायक (सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट) ने 12 नवम्बर, 1970 को कुछ वकीलों और कुछ समान्य लोगों की उपस्थिति में एक अभियुक्त को तमाचा मारा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट का क्या नाम है ; और

(ग) उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली उपायुक्त के कार्यालय के एक कर्मचारी ने, जिसके विरुद्ध श्री एस० के० बत्रा, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है, बताया था कि इस अधिकारी द्वारा उसको तमाचा मारा गया था । बताया जाता है कि दिल्ली के उपायुक्त ने स्वयं इस मामले की जांच-पड़ताल की और इन आरोपों को गलत पाया ।

ग्वालियर रेयन की बेकार क्षमता

4911. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर रेयन ने बहुत वर्षों से अपनी स्वीकृत: क्षमता से अधिक उत्पादन करना आरंभ कर दिया है ;

(ख) क्या उक्त तथ्य सरकार के ध्यान में लाया गया था ;

(ग) क्या इससे वर्तमान नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन होता है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) क्या कोई मुकदमा दायर किया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां;

(ख) जी हां ।

(ग) प्रथम दृष्ट्या यह ऐसा ही प्रतीत होता हैं ।

(घ) कारण बताओ सूचनायें जारी की कई थीं ।

(ङ) तथा (च) संबंधित मंत्रालयों की सलाह से मामला विचाराधीन है।

सरकारी सेवाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अन्त: प्रवेश

4912. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है की नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा बसाई गई बस्तियों में सरकारी कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ "युवक मंडल" के नाम से कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी सेवाओं में इस संगठन के अन्त: प्रवेश को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सरकार को जानकारी है कि युवक मंडल नाम की एक पंजीकृत समिति ने अपनी शाखायें नई दिल्ली के कुछ क्षेत्रों जैसे लक्ष्मीबाईनगर, सरोजिनीनगर, रामकृष्णपुरम् और श्रीनिवासपुरी में स्थापित की हैं ।

(ख) पहले ही आदेश विद्यमान है कि सरकारी कर्मचारी न केवल राजनैतिक तटस्थता ही बर्तें अपितु वह ऐसे प्रतीत भी हो और वे उन गतिविधियां में भाग न लें या अपने आप को किसी ऐसे संगठन से संबद्ध न करें जिसके लिए लेशमात्र भी विश्वास करने का कारण हों कि उस संगठन का एक राजनैतिक पहलू है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के लिये कर्मचारियों की चयन सूची का पुनरीक्षण

4913. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा की श्रेणी चार में पदोन्नति के लिये तैयार की गई "चयन सूची" अभी तक तदर्थ है, अंतिम नहीं;

(ख) क्या कर्मचारियों की "चयन सूची" को पुनरीक्षित करने और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के कर्मचारियों को उक्त सूची में सम्मिलित करने से पूर्व वरिष्ठता उनके वर्तमान पदों में उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय सांख्यिकी सेवा की श्रेणी चार में की गई पदोन्नति को नियमित करते समय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत आने वाली तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित रिक्तियों को भरने के लिये भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमों के नियम 8 (क) (ii) के अंतर्गत गठित प्रवरण समिति द्वारा तैयार की गई "चयन सूची" चालू की गई है और उसमें सम्मिलित किये गये अधिकारी भारतीय सांख्यिकी सेवा के चतुर्थ वर्ग में नियुक्त किये गये हैं ।

(ख), (ग) तथा (घ) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित उन पात्र व्यक्तियों की सूची, जो भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ वर्ग पर पदोन्नति के लिये मान्य पदों पर कार्य कर रहे हैं, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग प्राधिकारी (इस संबंध में गृह मंत्रालय) द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार की गई थी और इन सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता । यह सूची विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई विभागीय वरीयता सूचियों के आधार पर तैयार की गई थी और विभाग के अन्तर्गत परस्पर वरीयता को चयन सूची में कायम रखा गया था, तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय (अथवा उस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में) प्रदायक पदों (फीडर पोस्ट्स) पर कार्य कर रहे अधिकारियों की विभागीय वरीयता में कोई परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ वर्ग की चयन सूचि में भी परिवर्तन हो सकते हैं । इस संबंध में मांगे की गई हैं तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में प्रदायक पदधारियों की वरीयता, उनके प्रदायक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त किये जाने की तारीख पर आधारित होनी चाहिए, सांख्यिकीय विभाग इन मामलों की जांच कर रहा है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में किसी अधिकारी की एक विभाग अथवा मन्त्रालय में निरन्तर रूप से कार्य करने की अधिकतम अवधि

4914. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के किसी अधिकारी की किसी मंत्रालय अथवा

विभाग में श्रेणी III अथवा श्रेणी IV में निरन्तर रूप से कार्य करने की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के श्रेणी III के कितने अधिकारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में उस सेवा के आरम्भ से ही निरन्तर रूप से काम कर रहे हैं , और

(ग) उनका उक्त संगठन में निरन्तर रूप से कार्य करते रहने के क्या कारण हैं ?

गृहकार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान । तथापि सरकार की भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों को एक मंत्रालय विभाग से दूसरे में परिवर्तित करते रहने की है जिससे उन्हें भिन्न क्षेत्रों का अनुभव दिलाया जा सके ।

(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के दो स्थानापन्न श्रेणी III अधिकारी जिन्हें उस सेवा की प्रारम्भिक गठन की श्रेणी IV में नियुक्त किया गया था, उक्त सेवा के प्रारम्भिक गठन से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में कार्य कर रहे हैं ।

(ग) चूंकि भारतीय सांख्यिकी सेवा की श्रेणी III में उनकी स्थानापन्न पदोन्नति के समय उस निदेशालय में श्रेणी III के रिक्त पद थे, अतः उन्हें कार्य करते रहने की अनुमति दे दी गई थी । तथापि इन अधिकारियों को किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग में भेजते रहने के प्रश्न पर किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग में काफी लम्बे अर्से तक काम कर रहे अधिकारीयों को दूसरी जगह भेजते रहने संबंधित सामान्य योजना के साथ-साथ विचार किया जायेगा ।

दिल्ली में विद्युत की भारी कमी होने की आशंका

4915. **श्री सु० कु० तापाड़िया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में विद्युत की मांग में अत्यधिक वृद्धि के कारण अगले दो महीनों के पश्चात् यहां विद्युत की भारी कमी होने की आशंका है ;

(ख) दिल्ली को कुल कितनी बिजली उपलब्ध है तथा आगामी छह महीने में कितनी मांग को पूरा किया जायेगा ;

(ग) क्या कतिपय पड़ौसी राज्यों को विद्युत की सप्लाई का दायित्व दिल्ली पर है; और

(घ) यदि हां, तो वह कितना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). वर्तमान भार मागों को पूरा करने के लिए दिल्ली में काफी विद्युत् उपलब्ध है। अगले छः महीनों के दौरान अधिकतम मांग 230 मैगावाट तक और विद्युत उपलब्धता 29 6 मैगावाट तक पहुंच जाने की संभावना है। दिल्ली के लिए इंद्रप्रस्थ बिजली घर विस्तार में से अपने हिस्से की बिजली हरियाणा को सप्लाई करना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त, भाखड़ा जलाशय में कम

अंतर्वाह होने के परिणामस्वरूप उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली भाखड़ा प्रणाली को बिजली की सप्लाई कर रही है। भाखड़ा सप्लाई क्षेत्र को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लगभग 15 लाख यूनिट प्रतिदिन सप्लाई की गई है जिसमें इन्द्रप्रस्थ बिजली घर विस्तार से बिजली-उत्पादन में हरियाणा का भाग शामिल है।

वर्ष 1968–69 में राष्ट्रीय आय

4916. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार वर्ष 1968–69 में 1960–61 के मूल्य स्तर पर भारत की राष्ट्रीय आय केवल 2.2 प्रतिशत बढ़ी जबकि वर्ष 1967–68 में यह वृद्धि 9.7 प्रतिशत थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह–कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, ।

(ख) 1960–61 की कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय में 1967–68 के दौरान 9.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1968–69 के दौरान 2.2 प्रतिशत की अल्प वृद्धि का मुख्य कारण 1968–69 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात् 1967–68 में 18.4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले कृषि उत्पादन (जिसमें पशुपालन, वन उद्योग तथा मत्स्य–उद्योग भी सम्मिलित है) में 0.8 प्रतिशत की गिरावट है।

इलेक्ट्रोनिक उद्योग का बड़े तथा छोटे पैमाने के क्षेत्रों में शामिल किया जाना

4917. **श्री रा० कृ० बिडला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक उद्योग को बड़े तथा छोटे दोनों पैमाने के क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस उद्योग को केवल छोटे पैमाने के क्षेत्र में भी शामिल करने के लिए इलेक्ट्रोनिक उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या इस उद्योग को केवल छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) और (ङ) : इलेक्ट्रोनिक उद्योग व्यापक महत्व का है। इस क्षेत्र में उत्पादन को वहां बढ़ावा दिया जाता है, जहां कि आवश्यक उत्पादन क्षमता हो।

(ग) जी नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्प्यूटरों का आयात

4918. **श्री रा०रा० सिंह देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने कई कम्पनियों को कम्प्यूटरों के आयात करने की अनुमति दी है ;

(ख) क्या उसके लिए उन फर्मों पर यह शर्त लगाई गई है कि उन्हें दो वर्ष में कम्प्यूटरों से दुगने मूल्य की मशीनें निर्यात करनी होंगी ; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी और ऐसे कम्प्यूटरों के आयात से हमारे उद्योग को किस प्रकार लाभ होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), से (ग). सरकार को कुछ प्रस्ताव कम्प्यूटरों को आयात करने की अनुमति के लिए प्राप्त हुए हैं ताकि कम्प्यूटरों के नाजुक उपकरणों का मूलतः निर्माण के लिए विकास किया जा सके । इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । जहां भी ऐसे कम्प्यूटरों के आयात के लिए अनुमति दी जायेगी वहां आयात करने वाले को कुछ वर्षों की अवधि में काफी मूल्य के 'नाजुक उपकरणों' को न्यूनतम निर्यात की गारन्टी देनी होगी ताकि कम्प्यूटरों के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके । इस अभिप्राय से अभी तक कम्प्यूटरों के आयात के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात

4919. **श्री चांदमल खां** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक पिछले दो वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार द्वारा कुल कितना निर्यात किया गया ;

(ख) आगामी वर्ष में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का निर्यात क्या है; और

(ख) क्या इस लक्ष्य के प्राप्त होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) :(क) विगत दो वर्षों के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये गये कुल निर्यात इस प्रकार थे :

1968–69	80.2 करोड़ रुपये
1969–70	90.2 करोड़ रुपये

(ख) 1970–71 में निर्यात के लक्ष्य 125 करोड़ रुपये मूल्य के हैं।

(ग) जी हां, ।

बागान उद्योग के उत्पादकों के मूल्यों में कमी

4920. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बागान उद्योग के उत्पादों में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). 1969 में मूल्य की तुलना में, 1970 के दौरान चाय, काफी तथा इलायची की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। फिर भी, रबड़ की कीमत में मामूली–सी कमी हुई है ।

सिऊल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) में कर्मचारियों के चयन की पद्धति

4921. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिऊल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) में कर्मचारियों के चयन की पद्धति क्या है ;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई भर्ती बोर्ड है ।

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें हिमाचल प्रदेश को कोई प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस परियोजना के लिये अब तक भरती किए गए स्थानीय लोगों अथवा हिमाचल प्रदेश के लोगों की प्रतिशतता क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिमाचल प्रदेश में सियुल परियोजना का कार्यभारित स्टाफ स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों का इन्टरव्यू करके चुना जाता है ।

(ख) से (घ). यह चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें हिमाचल प्रदेश के परियोजना अधिकारी शामिल होते हैं ।

(ङ) वर्कजार्च स्टाफ की सारी आवश्यकता स्थानीय लोगों से पूरी की जाती है। नियमित सिब्बंदी के संबंध में 83% स्टाफ हिमाचल प्रदेश सरकार से लिया गया है ।

निर्यात प्रधान उद्योगों में बेल्जियम के साथ सहयोग

4922. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने निर्यात प्रधान उद्योगों में बेल्जियम से सहयोग मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . जी हां। बेल्जियम आर्थिक मिशन द्वारा, जो हाल में भारत आया था, निर्यात अभिमुख उद्योगों में बेल्जियम सहयोग की संभावनाओं का सामान्यतः पता लगाया गया था। अभी तक सरकार द्वारा बेल्जियम से कोई विशिष्ट प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

रूई के मूल्य के बारे से इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन की बैठक

4923. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के मूल्यों को कम करने के उपाय ढूंढने हेतु नवम्बर, में इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस सम्बन्ध में, 8 दिसम्बर, 1970 को विदेशी व्यापार मंत्री द्वारा रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

विवरण

निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से किये गये:-

यदि सरकार रूई/स्टेपल रेशे की पांच लाख अतिरिक्त गांठों के निश्चित आयात कार्यक्रम के लिए तत्काल व्यवस्था नहीं कर सकती तो सरकार, उद्योग और श्रमिकों को और अधिक समय नष्ट किये बिना अपेक्षित अवधि के सामूहिकबंद का कार्यक्रम तैयार करना चाहिये ताकि रूई की सप्लाई को बनाये रखा जा सके। आरंभ में यह 15 दिन की अवधि के लिए होना चाहिए।

फिलहाल, 14 दिसम्बर, से उद्योग को रूई तथा अन्य देशों की अपनी खपत में स्वैच्छिक रूप से 15% तक कमी कर देनी चाहिए और इसके लिए प्रत्येक मिल चाहे कोई भी पद्धति अपना सकती है। सरकार से भी तत्काल अनुरोध किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक मिल द्वारा खपत में 15% कमी को सांविधिक आधार पर लागू कर दिया जाये।

सरकार से प्रार्थना की जानी चाहिए कि देश के विद्यमान एककों को स्टेपल रेशे के अधिकाधिक उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए उन्हें आवश्यक कच्चा माल दिया जाये तथा उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता में वृद्धि की जाये ताकि कमी को दूर किया जा सके और विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके।

प्रधान मंत्री के सचिवालय में नये अधिकारियों की नियुक्ति

4924. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के सचिवालय में कतिपय नये अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या, नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ग) गत छः महीनों में सचिव स्तर पर तथा परामर्शदाता स्तर पर कौन-कौन सी अतिरिक्त नियुक्तियां की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री गृह-कार्य मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री सचिवालय में वर्तमान अधिकारियों की संख्या का एक विवरण (I) संलग्न है । अवर सचिव और इससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के नाम और पद नाम विवरण (II) में दिए गए हैं । माननीय सदस्य शायद उन लोगों के नाम नहीं जानना चाहेंगें जो अवर सचिव के नीचे के वर्गों में काम कर रहे हैं ।

(ग) परामर्शदाता स्तर पर केवल एक अधिकारी बढ़ा है । यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रधान मंत्री सचिवालय में अधिकारी संवर्ग में 25-2-1966 से 28-2-1970 तक की अवधि के बीच परामर्शदाता का एक पद था ।

विवरण I

प्रधान मंत्री सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा

पद नाम	संख्या
प्रधान मंत्री का सचिव	1
प्रधान मंत्री का परामर्शदाता	1
प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव	3(+) क
निदेशक	1+1=2=ख
उप सचिव	1
प्रधान मंत्री का विशेष सहायक (विज्ञान और तकनीकी ज्ञान)	1
प्रधान मंत्री का निजी सचिव (उप सचिव वेतनमान)	2
प्रधान मंत्री का निजी सचिव (अवर सचिव वेतनमान)	2
विशेषाधिकारी	1

1	2
प्रधान मंत्री का सामाजिक सचिव	1
प्रधान मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	5
राज्य मंत्री का निजी सचिव	1
हिन्दी अधिकारी	1
प्रधान मंत्री के निजी सहायक	7
प्रधान मंत्री के परामर्शदाता का निजी सचिव	1
राज्य मंत्री का प्रथम निजी सहायक	1
वरिष्ठ निजी सहायक	2
अनुभाग अधिकारी	8
सहायक	24
लेखाकार	1
राज्य मंत्री का द्वितीय निजी सहायक	1
निजी सहायक	17
हिन्दी आशुलिपिक	1
हिन्दी अनुवादक	1
स्टैनोग्राफर ग्रेड 3	4
पुस्तकाध्यक्ष	1
अपर डिविजन क्लर्क	8
लोअर डिवीजन क्लर्क	40
स्टाफ कार ड्रायवर	4
डिस्पेच राईडर	1
सीनियर जैस्टेटनर चालक	1
जूनियर जैस्टेटनर चालक	1
सेलेक्शन ग्रेड दफतरी	1
दफ्तरी	11

1	2
जमादार	6
चपरासी	47
फर्राश	2
झाड़ू वाला	4

* योजना आयोग के संवर्ग में, लेकिन प्रधान मंत्री जी के योजना आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से जो कागज-पत्र यहां आते हैं, उन्हें यह विशेष रूप से देखते हैं ।

(+)क— इसमें निदेशक का एक पद शामिल है, जिसका 1 सितम्बर से 24 दिसंबर 1970 तक की अवधि में अस्थायी रूप से उन्नयन किया गया ।

—ख—ऊपर (क) में उल्लिखित निदेशक का एक पद शामिल नहीं है ।

विवरण II

अवर सचिव तथा इससे उपर के दर्जे के जो अधिकारी प्रधान मंत्री सचिवालय में काम करते हैं, उनके नामों और पदनामों का ब्यौरा

अधिकारी का नाम	पद नाम
सर्वश्री	
पी० एन० हकसर	प्रधान मंत्री के सचिव
पी० एन० धार	प्रधान मंत्री के परामर्शदाता
जी० रामचन्द्रन	प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव
बी० एन० टण्डन	प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव
के० नटवर सिंह	प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव
एच० वाई० शारदा प्रसाद	निदेशक
ए० आर० शंकरनारायणन*	निदेशक
सर्व प्रकाश खन्ना	प्रधान मंत्री के निजी सचिव
एन० के० शेषन	प्रधान मंत्री के निजी सचिव
एम० मल्होत्रा	उप सचिव

1	2
ए० पारथासारथी	प्रधान मंत्री के विशेष सहायक (विज्ञान और तकनीकी ज्ञान)
आर० के० गोयल	प्रधान मंत्री के निजी सचिव
वी० पी० मर्वाहा	प्रधान मंत्री के निजी सचिव
वाई० पी० आर० कपूर	विशेषाधिकारी

+ योजना आयोग के संवर्ग में, लेकिन प्रधान मंत्रीजी के योजना आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से जो कागज पत्र यहां आते हैं, उन्हें यह विशेष रूप से देखते हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरी और प्रबंधकों के बीच विवाद का निपटारा

4925. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों और प्रबंधकों के बीच देर से चले आ रहे विवाद का कोई समाधान हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अभियंताओं तथा प्रबंधकों से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय दिया गया है कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के अभियंताओं के वेतनमानों, सेवा-भविष्य आदि कि जांच करने और इस संबंध में सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित की जाए। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा समिति के लिए आवश्यक विचारार्थ विषय तैयार किए जा रहे हैं।

Export of Snake Skin

4926. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) the names of countries to which snake skin was exported during the last two years; and

(b) the value of such exports in Indian currency and foreign exchange earned during the same period?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). A statement is enclosed.

Statement

Export of Snake Skine

(Value in Rs. lakhs)

S. No.	Country	1968-69	1969-70
1.	U.K.	45.25	42.08
2.	Denmark	..	0.11
3.	Switzerland	0.17	
4.	Belgium	0.08	...
5.	France	4.62	1.49
6.	West Germany	120.86	26.51
7.	Italy	8.93	6.07
8.	Netherlands	0.38	0.34
9.	Spain	7.04	12.04
10.	Bulgaria		0.67
11.	Czechoslovakia	..	0.36
12.	Hungary	0.68	..
13.	Yugoslavia	19.77	5.34
14.	Japan	...	0.40
15.	U. S. A.	32.85	13.09
16.	Paraguay	..	0.01
17.	Venezuela	0.39	
	Total	241.02	108.51

Electrification of Unnao District of Uttar Pradesh to provide Irrigational Facilities

4927. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have extended their rural electrification programme to provide increased irrigational facilities in Unnao District of Uttar Pradesh;

(b) if so, the names of Tehsils and Village electrified;

(c) whether Government propose to electrify Mawai Khanpur in the eastern part of Purwa Tehsil of Unnao District, where irrigational facilities are negligible; and

(d) whether Government propose to provide necessary facilities thereby introducing lift Irrigation Scheme on the Sai river running between Khanpur and Aghora for the development of that backward and dry area?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad : (a) Yes, Sir.

(b) A Statement indicating the names of 61 villages in Unnao District in Uttar Pradesh, which have been electrified upto October 2, 1970, is placed on the Table. [*Placed in Library. See No. LT*—4591/70].

(c) Mawai village of Tehsil Purwa has also been included in a Scheme for Rural Electrification submitted by the State Electricity Board to the Rural Electrification Corporation.

(d) The State Government have reported that a few Lift Irrigation Schemes on the Sai River have already been energised in district Unnao; it is further reported that all the available discharge potential of this river has already been utilised by the existing schemes.

Alleged Statement by a Minister of Punjab Government Re: action on claiming Hindi as Mother Tongue

4928. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Willthe Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a Minister of Punjab has declared that if any person claims Hindi as his mother tongue during the next Census, he would be sent to jail for six months and, if so, the name of the Minister concerned;

(b) whether any complaint has been lodged with the Prime Minister in this connection;

(c) whether the public in Punjab has the right of declaring their mother tongue like other States or the Ministers of Punjab are allowed to interfere in the fundamental rights of the people by issuing such orders; and

(d) the reaction of the Central Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a), (b) and (d). Prime Minister has received a communication from the Hon'ble Member in which he has referred to certain press reports of such a statement by a Deputy Minister of Punjab. This matter has been taken up with the Government of Punjab to ascertain the facts.

(c) Every person has a right to declare his own mother tongue. There can be no question of any interference in this regard.

भाखड़ा परियोजना से पैदा होने वाली बिजली में चंडीगढ़ के लिए कोटा

4929 : **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा परियोजना से पैदा होने वाली बिजली में चंडीगढ़ के लिये कितना कोटा है;

(ख) क्या चंडीगढ़ प्रशासन को बिजली का पूरा कोटा प्राप्त हो रहा है;

(ग) क्या चंडीगढ़ प्रशासन यह मांग कर रहा है कि उसको उसका पूरा कोटा दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चंडीगढ़ संघीय प्रदेश भाखड़ा-नांगल कांप्लेक्स से उत्पन्न बिजली में पुनर्गठन-पूर्व पंजाब के हिस्से में से 3.5% बिजली लेने का अधिकार है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

व्यास परियोजना में कार्य प्रभारी कर्मचारी

4930. **श्री जय सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास परियोजना में इस समय कार्य कर रहे तकनीकी (नियमित)/कार्यालय/कार्य प्रभारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वे अवर सचिव, भारत सरकार, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा महाप्रबंधक, व्यास परियोजना, तलवारा उपनगर को संबोधित अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 10/3/70 बी० सी० बी० दिनांक 9 मार्च 1970 को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की संभावित कमी का कार्यक्रम सभा पटल पर रखेंगे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार उन फालतू कर्मचारियों को किन परियोजनाओं में अथवा अन्यत्र काम पर लगाने का है क्योंकि राज्य सरकार के पास कोई पद नहीं है तथा न उनको खपाने की क्षमता है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) व्यास परियोजना पर तकनीकी स्टाफ कार्यालय स्टाफ तथा वर्कचार्ज स्टाफ, की संख्या क्रमशः 2061, 3036 और 31912 है ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) व्यास परियोजना पर कार्य कर रहा अधिकांश नियमित तकनीकी और कार्यालय स्टाफ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यों से डेप्युटेशन पर आया हुआ है । जब व्यास परियोजना द्वारा ये कर्मचारी फालतू घोषित कर दिए जाएंगे, तो वे अपने-अपने राज्यों को वापिस चले जाएंगे । जहां तक वर्कचार्ज स्टाफ का संबंध है, इस योजना के कर्मचारियों को, जब भी वे फालतू घोषित कर दिए जाएंगे अन्य ऐसी ही परियोजना पर नियुक्तियों के लिए तरजीह दिलाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे ।

विवरण

व्यास परियोजना पर स्टाफ में कमी धन की उपलभ्यता तथा वास्तविक कार्य प्रगति के अनुसार की जाएगी । प्रत्याशित कमी का आजमायशी कार्यक्रम निम्न प्रकार से है:—

(1) कुल स्टाफ का 25 प्रतिशत जून, 1972 की अनुसूचित तारीख से एक वर्ष पूर्व ।

(2) कुल स्टाफ का 25 प्रतिशत पूर्ण करने की अनुमूचित तारीख, अर्थात जून 1973 से।

(3) कुल स्टाफ का 35 प्रतिशत जून, 1974 तक बिजली घर के अन्तिम रूप से पूर्ण होने के पश्चात फालतू कर दिया जाएगा।

(4) शेष 15 प्रतिशत परियोजना के प्रचालन और रख रखाव पर रखा जाएगा।

व्यास कन्स्ट्रक्शन बोर्ड और पंजाब राज्य के ऋण देने वाले विभाग के बीच हुई शर्तें

4931. **श्री जय सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के व्यास कन्स्ट्रक्शन बोर्ड और पंजाब राज्य के ऋण देने वाले विभाग के बीच तय हुई शर्तों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ख) क्या व्यास कन्सट्रक्शन बोर्ड पंजाब राज्य से लिये गये कर्मचारियों को डेपूटेशन भत्ता दे रहा है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके कारण क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा पंजाब सरकार के अधीन व्यास परियोजना पर कार्य कर रहे उनके कर्मचारियों के संबंध में कोई अलग से शर्तें तय नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 80 (3) में दिए गए उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो व्यास परियोजना के किसी निर्माण कार्य पर लगा हुआ था, अपने उसी कार्य पर उन्हीं सेवा शर्तों पर व्यास निर्माण बोर्ड द्वारा, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिये जाते नियुक्त रखा जाएगा जो बोर्ड की स्थापना से पहले उस पर लागू होती थीं। व्यास निर्माण बोर्ड की स्थापना से पहले व्यास परियोजना पर कार्य कर रहे पंजाब सरकार के कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) भत्ता नहीं मिलता था। अतः पंजाब राज्य के प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आए कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) भत्ता दिया जाता।

Export of Bananas from Maharashtra and Madhya Pradesh

4932. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) the quantity of bananas exported from Maharashtra and Madhya Pradesh to foreign countries during the last three years and the amount of foreign exchange earned therefrom; and

(b) the quantity of bananas proposed to be exported from these States to foreign countries during 1970-71 and the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Export Statistics are not maintained State-wise.

Construction of dam on the Tapti River near Navtha

4933. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether a Dam is being constructed on the river Tapti near the Navtha village of Burhanpur Tehsil (East Nimar District of Madhya Pradesh) for some irrigation project;

(b) if so, the details toereof and the expenditure to be incurred thereon and the time by which it is likely to be completed; and

(c) the details of the additional irrigation capacity likely to be created as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No project report and estimates for the construction of a dam at Navtha have been received from the State Government by the Central Water and Power Commission.

(b) and (c). Do not arise.

फ्रांस के व्यापार मिशन की भारत यात्रा

4934. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये फ्रांस से एक व्यापार मिशन हाल में भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) जी हां। एक 18 सदस्यीय फ्रांसीसी आर्थिक मिशन भारत तथा फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, 29 नवम्बर 1970 को भारत में आया। भारत सरकार के अधिकारियों से मिलने के अतिरिक्त, मिशन ने कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा बम्बई का दौरा किया और राज्य सरकारों के अधिकारियों, विभिन्न निर्यात संघर्ष परिषदों वस्तु बोर्डों, बैंकिंग/क्रेडिट संस्थाओं, राज्य व्यापार संगठनों, भारतीय विदेश केन्द्र, वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों आदि से मिला। मिशन अब फ्रांस चला गया है। तथा उनके प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के पश्चात ही विशिष्ट प्रस्थापनाएं, यदि कोई हों, प्रकाश में आएंगी।

आसाम को अपने क्षेत्र में शामिल करने के पाकिस्तान के प्रयास

4935. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम के एक भाग को पाकिस्तान अपने क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गिरोह का पता लगाना

4936. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रविराय :
श्री दे० अमात :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई में विदेशी मुद्रा संबंधी एक बड़े गिरोह का पता लगाया गया है जिसने 54 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा का हेर फेर किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है, तथा इस गिरोह के कार्य करने का तरीका क्या था; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा के अभिकथित लेनदेन के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर एनफोर्समेंट डाइरेक्टोरेट के बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बम्बई में दिनांक 18-11-70 को कुछ निवास स्थानों की तलाशी ली गई थी। उसी दिन श्री फिलिफ डीसूजा, जिन पर इस लेन देन में अन्तग्रस्त होने का सन्देह था, उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति की दिल्ली में तलाशी ली गई । इन तलाशियों के परिणामस्वरूप कई दस्तावेज प्राप्त किये गये, और विदेशी मुद्रा, नामत. यू. एस. डालर 7615 तथा पौन्ड 65 पकड़े गये। इन दस्तावेजों से पता चला है कि कुछ व्यक्ति विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेजने के द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन कर रहे थे। दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच से यह पता हुआ है कि 1-1-69 से नवम्बर, 1970 तक की अवधि के दौरान अवैध लेन देन हुआ प्रतीत होता है।

अभी तक 3 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, जो फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। मामले की जांच जारी है।

केन्द्रीय मंत्रियों के वेतन, परिलब्धियां तथा उनकी यात्राओं पर व्यय

4937. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रधान मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों के वेतन, परिलब्धियां देश और विदेश की यात्राओं पर अलग-अलग वर्ष वार कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या व्यय में निरन्तर रूप से वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो व्यय घटाने के उद्देश्य से सादगी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के०एस० रामस्वामी): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही और सभा पटल रख दी जायेगी ।

(ग) सरकार मंत्रियों पर होने वाले खर्च में अत्यधिक मितव्ययिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति सदा सचेत रही है। इस सम्बन्ध में पहले ही से हिदायतें हैं कि मंत्रियों पर खर्च कम से कम किये जायें। फिर भी, और अधिक मितव्ययिताएं करने की गुंजाइश विचाराधीन है।

आर०के० नायर की फर्मों का काली सूची में सम्मिलित किया जाना

4938. **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री शंकर राव माने :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माता श्री आर० के० नय्यर को, जब वह अपनी फर्म साधना फिल्म बम्बई के नाम पर 'इन्तजार' फिल्म बना रहे थे, काली सूची में डाल दिया गया था;

(ख) क्या जांच कर रहे विभिन्न विभागों से, मुख्य नियंत्रक आयात, विदेशी व्यापार मंत्रालय आदि से अनुरोध किया था कि न तो श्री नय्यर को, न उनके पिता को और न ही उनके पिता की फर्म मेसर्स शक्तिमान इन्टरप्राइज़िज को कोई अनुमति अथवा कच्चे माल के लिए कोई परमिट दिया जाये;

(ग) क्या विभिन्न विभागों के अनुरोधों का उल्लंघन करते हुए उनके पिता की फर्म शक्तिमान इन्टरप्राइजिज को कच्चे माल के लिए परमिट दिया गया था;

(घ) क्या सरकार को विदित है कि सरकार की कार्यवाही को विप्रभाव करते हुए मेसर्स शक्तिमान इन्टरप्राइजिज, बम्बई, 'इन्तजार' फिल्म के मार्च 1971 में रिलीज होने के संबंध में विज्ञापन देते रहे; और

(ङ) यदि हां, तो इस अनियमित कार्यवाही के लिए उत्तरदायी कौन है और उनके विरुद्ध सरकार से क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). मेसर्स आर०के० नायर तथा उसकी शाखाओं को, अपने निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा न करने के कारण लाइसेंस/निकासी आदेश प्राप्त करने से 5 वर्ष के लिए वंचित किया गया है। मेसर्स आर०के० नायर के हक में जारी किए गए कुछ निकासी आदेशों के संबंध में जांच की जा रही है। किसी विभाग से, आयात व्यापार नियंत्रण अधिकारों को संकेत नहीं दिया था कि इस फर्म अथवा श्री आर०के०नायर के पिता की फर्मों को लाइसेंस न दिये जायें।

(घ) से (ङ) क्योंकि संबंधित कागजात जाँच अधिकारियों के पास है अतः जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अग्नि परीक्षा पुस्तक में संशोधन करने के लिए तुलसी का प्रस्ताव

4939. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आचार्य तुलसी का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वे अपनी विवादास्पद पुस्तक 'अग्नि परीक्षा' में संशोधन करने के इच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान दिया जाना

4940. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान दे दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किस वर्ग में कर्मचारियों को अभी तक पंजाब के वेतन-मान नहीं दिये गये हैं; और

(ग) उन कर्मचारियों को मुआवजा किस प्रकार दिया जा रहा है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के वैज्ञानिक कर्मचारियों के संगठन द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के चेयरमेन को ज्ञापन दिया जाना

4941. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गत बजट सत्र के दौरान प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के वैज्ञानिक कर्मचारियों की एसोसिएशन ने अपने निदेशक के विरुद्ध वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के चेयरमेन को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) इस ज्ञापन में निदेशक के विरुद्ध कुप्रशासन, परिषद के धन का गबन, पक्षपात, भाई भतीजावाद, कर्मचारियों की पदोन्नति तथा भर्ती में गड़बड़ी, निजी प्रयोजना हेतु सार्वजनिक धन का प्रयोग, सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग तथा व्यक्तिगत अन्याय जैसे गंभीर आरोप लगाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन का पाठ क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने शिकायत के बारे में कोई जांच की है यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) मई 1970 में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैद्राबाद के साइंटिफिक वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा प्रधान मंत्री अध्यक्ष सी० एस० आई० आर० को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था ।

(ख) और (ग). ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–14592/70.]**

(घ) यह एसोसिएशन सी० एस० आई० आर० द्वारा प्रामाणिक नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा एसोसिएशनों के लिये बनाये गये सिद्धांतों की पुष्टि नहीं करता अतः किसी भी अप्रमाणिक समिति द्वारा प्रेषित सूचना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

किन्तु, सरकार जांच समिति ने भारी संख्या में दस्तावेजी प्रमाणों की तथा सी०एस०आई० आर० के० कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अभिवेदनों की जांच की है। जांच समिति ने अनेक लोगों से मिलकर व्यक्तिगत विचार विमर्श भी किया है। फिर भी, सरकार कमेटी की रिपोर्ट के प्रथम खण्ड में की गई सिफारिशों के अनुसरण में सी० एस० आई० आर० का एक स्वतंत्र अधिकारी, महानिदेशक (सर्तकता) के पद पर दिनांक 6-8-70 से मंत्रीमंडल सचिवालय में नियुक्त किया गया है। इसका काम जांच समिति को की गई इस प्रकार की शिकायतों की पूरी जांच करना है जो प्रारंभिक जांच करने पर तथ्यपूर्ण मालूम पड़े।

टेल्को और टिस्को के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

4942. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस में नक्सलवादियों के नाम पर, टेल्को तथा टिस्को के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके निर्दोष साबित होने पर भी प्रबंधक उनको परेशान कर रहे हैं और यदि हां, तो अब तक कुल कितने कर्मचारियों को परेशान किया गया; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

भारत तथा चेकोस्लोवाकिया द्वारा तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रम

4943. **डा० राजेन सेन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा चैकोस्लोवाकिया द्वारा तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) तथा (ख), भारत में निर्मित उत्पादों के अन्य देशों में संयुक्त विपणन और अन्य देशों के संयुक्त उपक्रमों में उपस्करों की पूर्ति अथवा भागीदारी के लिए संयुक्त निविदाएं देना उन सिफारिशों में शामिल है जो आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-चैकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति द्वारा की गई है। दोनों देशों के विदेशी व्यापार संगठन इस प्रकार की संभाव्यताओं पर विचार करते रहे हैं और इस सिफारिश को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

हथ करघा वस्तुओं की मांग में कमी

4944. **श्री न० रा० देवधर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में देश में हथकरघा वस्तुओं की मांग में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

सिंचाई सुविधाओं के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि

4945. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पूरी हुई प्रत्येक सिंचाई परियोजना द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सिंचाई सुविधाओं के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) 1969-70 की अवधि में पूर्ण की गई परियोजनाओं और उनके लाभों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन बहुत सी परियोजनाएं भी आंशिक लाभ दे रही हैं और अनुमान लगाया गया है कि देश में वृहत और मध्यम सिंचाई स्कीमों से सिंचित क्षेत्र जो 1951 में 239 लाख एकड़ था, मार्च 1970 तक 435 लाख एकड़ हो गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4593/70.]**

(ख) राज्य सरकारें कृषि उत्पादन का मूल्यांकन राजस्व उप मंडलों के अनुसार करती है और सिंचित तथा असिंचित भूमियों की उपज का अलग-अलग मूल्यांकन नहीं करतीं ।

चौथी योजना की अवधी के दौरान बेरोजगारी की स्थिति संबंधी अनुमान तथा संभावित नौकरियां

4946. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस प्रश्न का अनुमान अब लगा लिया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तथा अन्त में बेरोजगारी की स्थिति क्या होगी तथा इस योजना की अवधि के दौरान कितनी नौकरियों के अवसर पैदा होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री अणु शक्ति मन्त्री गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) तथा (ख). चौथी योजना के दौरान बेरोजगारी की मात्रा और संभावित रोजगार के अवसरों के बारे में योजना आयोग द्वारा कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए हैं। योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी प्राक्कलनों के लिए स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि श्रम शक्ति, उत्पन्न किए गए अतिरिक्त रोजगार तथा योजना अवधि के प्रारम्भ तथा अंत में विद्यमान बेरोजगारी के अनुमान जो कि एक विमितीय आकार में प्रस्तुत किए जाते हैं, न तो सार्थक ही होते हैं और न ही आर्थिक दशा के संकेतक के रूप में ही उपयोगी होते हैं। इस बात पर बल दिया गया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति और उसके परिणाम स्वरूप श्रमशक्ति रोजगार तथा बेरोगारी की स्थिति बहुत ही विषम है तथा एक विमितीय आयाम में इनका समुच्चय करना युक्तिसंगत नहीं है। समिति ने यह सिफारिश की है कि वर्ष के विभिन्न ऋतुओं में श्रम शक्ति के विभिन्न सजातीय संवर्गों में बेरोजगारी के आंकड़े प्राप्त करने के लिए विभिन्न अध्ययन तथा,सर्वेक्षण किए जायं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जनगणना, रोजगार बाजार सूचना तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा प्रस्तुतीकरण में विकास के लिए भी इसने विभिन्न सुझाव दिये हैं। रोजगार तथा जनशक्ति के संबंध में कार्य कर रहे विशेषता प्राप्त अभिकरणों से परामर्श करके इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

सेवा निवृत्त हुए अस्थाई सरकारी कर्मचारी

4947. **श्री न० रा० देवधरे**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि गत तीन वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या, पदनाम-वार, कितनी हैं जिनको सेवा में स्थाई नहीं किया गया था तथा परिणाम स्वरूप उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): पेन्शन के लिए पात्र होने के लिए सरकारी कर्मचारी को न केवल पेन्शन योग्य स्थापना सम्बन्धीत होना तथा स्थाई होना चाहिए, बल्कि उसकी सरकार के अधीन ऐसी स्थापनाओं में कम से कम 20 साल की लगातार सेवा होनी चाहिए। ऐसी स्थापनाओं में काम करने वाले उन सरकारी कर्मचारियों की पदवार कुल संख्या जो पिछले 3 वर्ष की अवधि में बिना स्थाई हुए, सेवा निवृत्त हुए थे और जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक सेवा की हो तथा परिणामतः जिन्हें कोई पेन्शन न मिली हो, ऐसी सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायगी।

न्यू राजेन्द्र नगर, दिल्ली में एक जल-पाईप लाईन की कथित चोरी

4948. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 दिसम्बर, 1969 को दुर्गा कालोनी, न्यू राजेन्द्र नगर, दिल्ली के समीप टैंक की सीमा के अन्दर से अनुसूचित जातियों के सम्बन्धीत लगभग 400 जल-पाईप लाईनों की चोरी हो गई थी तथा पुलिस ने उन्हें बरामद भी कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो यह चोरी करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या है ;

(ग) चुराई गई पाईपलाईनें कहां से बरामद की गई तथा पुलिस ने चोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ;

(घ) क्या 24 अगस्त, 1969 को उसी स्थान से लगभग 70 फुट पाइपलाइनें चोरी की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), से (ग). पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार महानगर परिषद के एक सदस्य के आदेश से दुर्गापुर कालोनी से लगभग 400 फीट लम्बी जल पाइप लाईन निकाल कर नगर निगम दिल्ली में जमा की गई जिससे कालोनी के दो परस्पर विरोधी दलों के बीच पानी के नल के प्रयोग के बारे में चल रहे निरन्तर झगड़े को टाला जा सके।

(घ) और (ङ). एक मामला प्रथम सूचना रपट सं० 253 दिनांक 26-8-1969, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत पुलिस थाना राजेन्द्रनगर में दुर्गा कालोनी के एक निवासी की 70 फीट पानी के नल की चोरी की शिकायत के बाबद दर्ज किया गया।

साक्ष न होने के कारण 25-12-1969 को 'पता न लगा' मामले के रूप में दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

खादी ग्रामोद्योग भवन के प्रबन्धक द्वारा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत

4949. **श्री अ० दीपा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन के प्रबन्धक ने टेलीफोन करके दिल्ली पुलिस के फ्लाइंग् स्क्वैड को बुलाया था तथा नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है और इस मामले सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री(श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस नियंत्रण कक्ष से टेलीफोन संदेश प्राप्त होने पर पार्लियामेंट पुलिस थाने का एक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, पहुंचा। बताया जाता है कि इस संस्था के विक्रेता ने कहा कि एक ग्राहक ने 90.00 रुपये के मूल्य का ऊनी कोट चुरा लिया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन एक मामला प्रथम सूचना-रिपोर्ट 2410 दिनांक 24 नवम्बर, 1970 को दर्ज किया गया था। बताया जाता है कि चोरी किया गया कोट ग्राहक से बरामद कर लिया गया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

खादी ग्रामोद्योग भवन के एक कर्मचारी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया जाना

4950. **श्री अ० दीपा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने खादी ग्रामोद्योग भवन के एक कर्मचारी के विरुद्ध उक्त संस्था के प्रबन्धक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर सरकारी धन के दूर्विनियोग का एक मामला दर्ज किया है ;

(ख) क्या इस मामले के इतने गंभीर होने के बावजूद भी पुलिस ने तुरन्त ही कोई कार्यवाही नहीं की तथा इस मामले की ओर उचित ध्यान नहीं दिया ;

(ग) इस बारे में पुलिस ने कब कार्यवाही आरम्भ की तथा इस मामले के बारे में पूरा ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का उक्त मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करा कर तथ्यों का पता लगाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) . खादी ग्रामोद्योग, रीगल बिल्डिग, नई दिल्ली के प्रबन्धक की लिखित शिकायत होने पर पुलिस थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में इस संस्था के खजांची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 408 के अन्तर्गत एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट, 1839 दिनांक 9-9-1970 का दर्ज किया गया । यह आरोप लगाया गया था कि उसने 3-10-1969 से 21-5-1970 तक लेखा पुस्तकों में प्रविष्ठियां नहीं की और 4037.16 रुपये की राशि का गबन किया ।

चूंकि तथाकथित गबन का सम्बन्ध छः महीने से अधिक अवधि से है और शिकायत काफी देर से की गई थी अतः पुलिस में सम्बद्ध रिकार्डों को एकत्र करने तथा उनकी संविक्षा करने में कुछ समय लिया । अभियुक्त ने 12 अक्तूबर, 1970 को न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और अन्तरिम जमानत पर स्वीकृत की गई जिसकी 14 अक्तूबर, 1970 को उसी न्यायालय द्वारा पुष्टी कर दी गई थी ।

(घ) मामलें को केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो के पास भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

दिल्ली स्थित दरियागंज पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई राजस्व की चोरी की शिकायत

4951. **श्री अ० दीपा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन के प्रबन्धक द्वारा शिकायत किए जाने पर दिल्ली के दरियागंज पुलिस स्टेशन ने राजस्व की चोरी की कोई शिकायत दर्ज की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायत किस तारीख को दर्ज की गई थी ;

(ग) इस बारे में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा उक्त मामले की जांच कराने तथा तथ्यों का पता लगाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (घ) . नई दिल्ली खादी ग्रामोद्योग भवन के प्रबन्धक से उनके आसफअली रोड के गोदाम से एक कर्मचारी द्वारा कुछ रेशमी वस्त्र अनधिकृत रूप से ले जाने की रिपोर्ट 9 जून 1970 को दर्यागंज पुलिस स्टेशन द्वारा प्राप्त की गई । भारतीय दंड विधान की धारा 408 के अन्तर्गत एक मामला प्रथम सूचना रपट सं० 654 दिनांक 9 जून 1970 को दर्ज किया गया । इस संस्था के प्रबन्धक से 24 जून 1970 को एक दूसरा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सुचित किया गया था कि वास्तव में 3906.12 रु० के रेशमी वस्त्र घटे हैं । पुलिस ने प्रबन्धक से कहा कि विश्वसनीय कर्मचारियों द्वारा गोदाम की पूर्ण वस्तुओं की पड़ताल करायें । मामले की जांच की जा रही है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का प्रस्ताव नहीं है ।

सिविल डिफेंस तथा होम गार्डस निदेशालय में अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण

4952. **श्री अचल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968, 1969 और 1970 में सिविल डिफेंस तथा होम गार्डस निदेशालय दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पदों पर गैर-अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है तथा इसके लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण (1969) पर गृह-कार्य मंत्रालय की विवरणिका के परिशिष्ट 14 में सूचिबद्ध संबधित संगठनों को इसकी सूचना नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) . दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली के नागरिक सुरक्षा निदेशालय और होम गार्ड द्वारा अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था । अनुसूचित जातियों तथा अनुचित आदिम जातियों और रोजगार कार्यालय द्वारा प्रवर्तित व्यक्तियों में से 1968, 1969 व 1970 में 13 व्यक्ति भर्ती किये गये । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित 9 रिक्तियां गैर-अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्त करके अस्थायी रूप से भर दी गई थीं ।

दिल्ली प्रशासन से गैर-अनुसूचित जाति । अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियों को समाप्त करने को कहा गया है क्योंकि वे नियुक्तियां सभी निर्धारित कदम उठाये बिना और इन रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना की गई थी । उनसे इन पदों को विज्ञापित करने को भी कहा गया हैं ।

नागरिक प्रतिरक्षा संगठन, दिल्ली में स्टाफकारों का उपयोग

4953. **श्री अचल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अधीन सरकार की पूर्वानुमति के बिना नगर से बाहर स्टाफकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो स्टाफ कारों के उपयोग संबंधी नियम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या नागरिक प्रति रक्षा संगठन, दिल्ली के मेजर जनरल भगवती सिंह ने 1 अप्रेल 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की अवधि में 1832 बार विभिन्न स्थानों का दौरा किया ; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं तथा उन्होंने प्रत्येक स्थान का कितनी बार दौरा किया ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). नियमों में व्यवस्था है कि मुख्यालय के बाहर ऐसी सरकारी यात्राओं के लिए जिनके लिए यात्रा भत्ता मिल सकता हो, दफ्तरी गाड़ियां तब तक इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि मंत्रालय का सचिव ऐसा करने की लिखित मंजूरी न दे दे। जहां तक संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों की दफ्तरी गाड़ियों का प्रश्न है, प्रशासन के मुख्य सचिव द्वारा अथवा, ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें वह लगाना चाहे, प्रशासन के किसी सचिव द्वारा, जिनको ये अधिकार सौंपे जा सकते हैं, इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है।

(ग) 1 अप्रैल 1968 से 30 सितम्बर, 1969 तक की अवधि में मेजर जनरल भगवती सिंह, नागरिक सुरक्षा के निदेशक तथा होम गार्ड, दिल्ली के महासमादेष्टा ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में 2081 बार विभिन्न स्थानों का दौरा किया।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी।

नागरिक प्रतिक्षा निदेशालय दिल्ली, में सहकारी परिवहन का दुरुपयोग

4954. **श्री अचल सिंह** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित नागरिक सुरक्षा निदेशक के कार्यालय में सरकारी परिवहन के दुरुपयोग के विरुद्ध जनवरी, 1970 में कोई मामला दर्ज किया गया था जिसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एकक संख्या 4 ने की थी ;

(ख) यदि हां तो इस मामले सम्बन्धी रिपोर्ट तथा इसमें प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, कोई ऐसा मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में ग्राम विद्युतीकरण के लिए उपकरणों की कमी

4955. **श्री मुरासोली मारन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में ग्राम विद्युतीकरण परियोजना को चलाने के लिए उपकरणों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) (क) . और (ख). ई० सी० ग्रेड के अल्युमीनियम और इस्पात जैसे कच्चे माल की देश व्यापी कमी का ग्रामविद्युतीकरण की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। आवश्यकतानुसार देश में उत्पादित माल में से प्राथमिकता के आधार पर कोटे अलाट करके तथा आयात की व्यवस्था करके आवश्यकतायें पूरी करने के लिए उपाय किए गए हैं। ग्राम विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित देश में बने नरम इस्पात के गोल पुलिदों की सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिए, तमिलनाडु सरकार 10, 000 मीट्रिक टन इस्पात के आयातार्थ विदेशी मुद्रा के विमोचन का अनुरोध किया था । भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा मांगी गई विदेशी मुद्रा का विमोचन कर दिया है।

आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के पास लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

4956. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के पास अनिर्णित पड़े तमिलनाडु सरकार के विभिन्न उपक्रमों के मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या करण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक): (क) तथा (ख), जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती किये गये हिन्दी जानने वाले व्यक्ति

4957. **श्री मुरासोली मारन** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर , 1967 में संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत भाषा-नीति संकल्प के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) केवल हिन्दी जानने वाले ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार सूची क्या है जिन्हें उक्त संकल्प के स्वीकृत किए जाने के बाद से मार्च, 1970 तक केन्द्रीय सेवाओं में या पदों पर भर्ती किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) . एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

पैरा 1 व 2 :

हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिये उसके प्रागामी प्रयोग के कार्यक्रम के सम्बन्ध में 1968–69 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 29 अगस्त, 1969 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। 1969–70 की दूसरी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट छप रही है तथा उसकी प्रतियां छपने के बाद उपलब्ध होते ही संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी जायेंगी ।

पैरा 3 :

त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की प्रगति का नियतकालिक पुनरीक्षण किया जाता है और जहां आवश्यक होता है, राज्य सरकारों से आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया जाता है ।

पैरा 4 (क)

भाषा–नीति सम्बन्धी सरकारी संकल्प के पैरा 4 (क) के बारे में दिए गए सुझावों की जांच की गई है । तथापि सरकार का इस विषय में कोई पहल करने का विचार नहीं है किंतु वह इस विषय में राष्ट्रीय सर्वसम्मति के निर्धारण में सभी सहायता करेगी । अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

पैरा 4 (ख) :

1969 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती हेतु ली गई सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा में "निबन्ध" और "सामान्य ज्ञान" के प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देकर इस दिशा में शुरूआत की गई है ।

हिमाचल प्रदेश के सहारन, जिला महासू में आहते की दीवार का गिराया जाना

4958. **श्री प्रतापसिंह :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिमाचल प्रदेश के सहारन, जिला महासू, में नालटी नामक एक मैदान हैं जिसके चारो ओर दीवार है ;

(ख) क्या माननीय प्रधान मंत्री के 1968 के हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले के दौरे के दौरान सरहन में नियुक्त भारत-नेपाल सीमा के पुलिस कर्मचारियों ने उस दीवार को माननीय प्रधान मंत्री के हेलीकाप्टर को उतारने के लिए स्थान बनाने के बहाने गिरा दिया था ;

(ग) क्या माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सरहन का दौरा करने का कोई कार्यक्रम नहीं था और इसलिए माननीय प्रधान मंत्री के हेलीकाप्टर के उतरने के लिए स्थान बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं था ;

(घ) क्या असंख्य अनुरोधों के बावजूद भी दीवार को पहले की तरह उतना ऊंचा और उस आकार का नहीं बनाया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो लोगों की क्षुब्ध भावनाओं को शांत करने के लिए क्या सरकार का विचार उस दीवार को पहले की तरह ऊंचा और उसी आकार का बनाने का है ; यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग). चूंकि जून 1968 में हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के दौरे के समय प्रधान मंत्री के सराहन जाने की सम्भावना थी अतः सराहन समेत दौरे के सम्भावित स्थानों पर हेलिकाप्टर उतारने के स्थलों को सुधारा गया था। किन्तु कार्यक्रम में सराहन का दौरा शामिल नहीं किया गया ।

हेलिकोप्टर उतरने के स्थानों को तैयार करने के लिए सीमा दिवार को हटा दिया गया था क्योंकि इसके निर्माण के लिए कोई अन्य उपयुक्त स्थान नहीं था ।

(घ) तथा (ङ). अब दीवार फिर बना दी गई है ।

बरहानपुर ताप्ती मिल का बंद होना

4959. **श्री जार्ज फरनान्डीज** . क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी मिली है कि बरहानपुर-ताप्ती मिल को उसके प्रबंधक बंद कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मिल के बन्द होने को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ख) . मिल, हाल ही में बंद हो गई है। औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के अन्तर्गत उसकी पहले ही जांच-पड़ताल की जा चुकी है । जांच समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

पांडिचेरी के भूतपूर्व फ्रांसीसी अधिकारियों की पदोन्नति

4960. **श्री नं० सेतुरामन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व फ्रांसीसी अधिकारियों को, जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं तथा पांडिचेरी का अनुभव है, उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया जबकि वस्तुतः स्थानांतरित करने के पश्चात भरती किए गए अधिकारियों को, जिनमें पांडिचेरी के भूतपूर्व भारतीय महावाणिज्य दूतालय के कर्मचारी भी शामिल हैं, उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है यद्यपि उनमें से कुछ के पास अपेक्षित अर्हताएं नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी असंगतियों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) पांडिचेरी सरकार ने सूचित किया है कि अपेक्षित योग्यता और अनुभवी कर्मचारियों को उनके सहज भूतपूर्व फ्रांसीसी श्रेणी से संबंधित होने के कारण ऊंचे पद पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया गया है। कर्मचारियों की सभी पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की गई है चाहे वे भूतपूर्व फ्रांसीसी श्रेणी से संबंधित हों अथवा भूतपूर्व कनसुलेट जनरल या वस्तुतः विलयन के पश्चात् भर्ती किये कर्मचारी हों।

(ख) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए अनियमितताओं के सुधार का प्रश्न नहीं उठता।

पांडिचेरी के भूतपूर्व फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा पेन्शन निधि मे अंशदान

4961. **श्री नं० सेतुरामन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भूतपूर्व फ्रांसीसी कर्मचारियों द्वारा विलय-पश्चात् वेतनभर्ती के लिये अपना विकल्प दे देने पर भी वेतन के 8 प्रतिशत की दर पर स्थानीय पेन्शन निधि में उनके अंशदान को भविष्य निधि में अन्तरित करने की बजाये पांडिचेरी सरकार ने उसे अपने अधिकार में ले लिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : जी हां, श्रीमान। कर्मचारियों को पेन्शन देने के लिए फ्रेन्च नियमों के अन्तर्गत पेन्शन का अंशदान एक पूर्वापेक्षा थी जो न तो प्रत्यर्पणीय था और न हस्तान्तरणीय ही था।

सीना नदी पर कोलेगांव परियोजना के कार्य में प्रगति

4962. **श्री सोनावने** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर जिले के करमाला तालुका में सीना नदी पर कोलेगांव परियोजना के कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कमी वाले जिले शोलापुर (महाराष्ट्र) को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जानकारी महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त की जा रही है।

कच्चा माल बैंक की स्थापना

4964. **श्री मंगलाथुमाड़म** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री कच्चा माल बैंक के बारे में 2 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2964 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा योजना आयोग जरूरत उद्योगों के लिए देश की कच्चे माल की संपदा का उपयोग करने के लिए क्या-क्या विशिष्ट उपाय कर रहे हैं अथवा करने का विचार कर रहे हैं ; और

(ख) क्या अपने देशीय उद्योगों को छोड़कर कोई कच्चा माल विदेशों को निर्यात किया जा रहा है ;

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) देश में औद्योगिक उत्पादन के लिए प्राप्त कच्चे माल का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं । देशी उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने के पश्चात ही निर्यात की अनुमति दी जाती है ।

Appointment of Senior Investigators in Central Statistical Organisation

4965. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4340 on the 28th August, 1970 regarding the eligibility of Investigators for promotion to Grade IV Service and state :

(a) in the case of an appointment, where the words '*ad hoc* appointment' etc. are not mentioned either in the U. P. S. C. advertisement or in appointment order of the candidate selected through the Commission, whether it is deemed to be a regular appintment;

(b) if not; whether the definition of regular appointment together with a copy of the orders relating thereto will be placed on the Table of the House; and

(c) the reasons for treating appointments of three Senior Investigators of the Central Statistical Organisation belonging to the Scheduled Castes as *ad hoc* appointmsnts in the year 1962 and for declaring them on this very basis unsuitable for inclusion in the Select List for promotion to the Indian Statistical Service Grade-IV, particularly when 5 reserved permanent posts were lying vacant in the said organisation in 1962 at the time of their appointment ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The question whether the appointment of the Senior Investigators who were recruited through the UPSC in 1962 and in whose appointment orders the words '*ad hoc* appintment' were not mentioned, can be deemed to have been made on a regular basis, is under examination in consulation with the U. P. S. C.

(b) Does not arise.

(c) Only temporary posts of Senior Investigators had been advertised through the U. P. S. C. in 1962; and all persons recruited thereunder including the Scheduled Caste candidates were appointed only against temporary posts. The question whether the Scheduled Caste candidates who were so recruited against temporary posts can be confirmed in the reserved permanent posts, against which confirmations could not be made in 1962, is now under consideration.

Promotion and Permanency cases of Scheduled Caste Senior Investigators pending in Indian Statistical Organisation

4966. **Shri Molahu Prasad**: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the promotion and permanancy cases of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees working in the offices under her control are delayed deliberately;

(b) if so, the details of the action taken against the officers responsible for such lapses;

(c) if not, the propriety of keeping pending for the last six years the permanenyc cases of three Scheduled Caste Senior Investigators appointed in the Statistical Department, Central Statistical Organisation through the UPSC in the year 1962, when 5 permanent posts reserved for the Scheduled Caste were lying vacant at the time of their appointment; and

(d) the propriety of keeping pending for two years the cases regarding inclusion of the names of the said Senior Investigators in the Select List prepared for promotion to Indian Statistical Service Grade IV in the Department of Personnel ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). Confirmations against permanent posts of Senior Investigators were last made in 1962. Before making further confirmations the seniority list of the Senior Investigators of the Central Statistical Organisation had to be prepared and brought up to date. This could be finalised only in 1968, and action has been initiated immediately thereafter for making further confirmations against permanent posts including such posts against which confirmations could not be made in 1962 as also other posts that have since become available. There were three Scheduled Caste candidates appointed as Senior Investigators against temporary posts in 1962. Of these one has resigned. The other two were adjusted against regular vacancies only after January, 1963 and they had not completed 4 years of service in regular posts in December 1966. They could not therefore be considered for inclusion in the Select List prepared at that time for promotion to Grade IV of the Indian Statistical Service. The question whether the initial appointment of these Senior Investigators can be deemed to have been made on a regular basis, in which case, they would qualify for inclusion in the Select List referred to above, is now under examination in consultation with the U. P. S. C.

There is no reason to believe that there has been any deliberate delay in the processing of these cases.

मुख्य सिंचाई परियोजना का पूरा होना

4967. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 18 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय से दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिमी कोसी परियोजना के लिए नेपाल सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है और क्या अब तक अग्रिम (बोरिंग) परियोजना पूरी हो चुकी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय ने बताया है कि आमतौर से वाणिज्यिक बैंक ऐसी किसी स्कीम पर धन नहीं लगाते हैं जहां पर पुनः अदायगी की अवधि 10 वर्ष से अधिक हो और वाणिज्यिक बैंक बृहत सिंचाई परियोजनाओं को, धन लगाने के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाते।

(ग) पश्चिम कोसी नहर के पहले 22 मील के सरेखण के लिए नेपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर पर लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पश्चिम कोसी नहर के कमान क्षेत्र में पाइलट नलकूप परियोजना के लिए बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गए विस्तृत प्रस्तावों की खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में जांच की जा रही है।

दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों के साथ व्यापार संतुलन

4968. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 18 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से आयात की जाने वाली ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें न तो देश में पैदा किया जा सकता है तथा न ही रुपये की अदायगी वाले क्षेत्रों से आयात किया जा सकता है; और

(ख) दुर्लभ मुद्रा वाले ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ व्यापार-संतुलन में हमें हानि रहती है, तथा इस हानि को पूरी तरह दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). दुर्लभ और सुलभ मुद्रा क्षेत्रों में अब कोई अंतर नहीं किया जाता है। यह अन्तर तभी से सार्थक नहीं रहा जब से स्टर्लिंग तथा अन्य प्रमुख मुद्राएं अनेकवासी विद्यमान उपार्जनों के सम्बन्ध में परिवर्तनीय हो गई। निर्यात उपार्जनों में एक मात्र अन्तर तो अब किया जाना आवश्यक है। वह परिवर्तनीय मुद्रा के उपार्जनों में और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार योजना व्यवसायों के अन्तर्गत रुपयों में होने वाले उपार्जनों में भेद करना है। रुपये भुगतान वाले क्षेत्रों और अन्य मुद्रा वाले क्षेत्रों से आयात की जा रही विभिन्न वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी के महा निदेशक द्वारा प्रकाशित मदों के ब्यौरे। 'मंथली स्टटेस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया वाल्यूम 2 इम्पोर्टस' में दिये गये हैं। विभिन्न देशों से किये जाने वाले कुल आयातों उन देशों को किये जाने वाले निर्यातों से सम्बन्धित आंकड़े 'मंथली स्टटेस्टिक्स फारेन ट्रेड आफ इंडिया वाल्यूम 1 एण्ड 2' नामक प्रकाशन की संक्षिप्त तालिका में उपलब्ध हैं जिनकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में प्राप्य हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित निर्यातों में 7% प्रतिवर्ष की वृद्धि का उद्देश्य विदेशी लेखे में सन्तूलन प्राप्त करना तथा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक तेजी से पहुंचना है।

दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांचाधीन पड़े पंजीकृत मामले

4969. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं में, अलग-अलग, छः महीने, 9 महीने तथा एक वर्ष से जाँचाधीन पड़े पंजीकृत मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट निदेश है कि सभी पंजीकृत मामलों की जांच पंजीकरण की तारीख से छः महीने के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए;

(ग) वर्ष 1969 तथा 1970 के दौरान कितने मामलों में जांच अधिकारियों ने उक्त निर्देशों की अवहेलना की; और

(घ) क्या यह सुनिश्चय करने के लिये कोई व्यवस्था है कि जाँच अधिकारी किसी स्वार्थ को लेकर मामलों में अनावश्यक विलम्ब न करें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1 दिसम्बर, 1970 को दिल्ली में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं में जाँचाधीन पड़े पंजीकृत 118 मामले थे इन मामलों का विनियन नीचे दिया गया है:--

1.	6 माह से ज्यादा अवधि के	31 मामले
2.	9 माह से ज्यादा अवधि के	34 मामले
3.	१ वर्ष से ज्यादा अवधि के	53 मामले

(घ) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार ऐसे मामलों के पूर्ण होने के लिए 6 माह की विहित समय सीमा सामान्यता निश्चित की गई है, परन्तु अगर परिस्थितियाँ बाध्य करें तो व्यक्तिगत मामलों में पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा समय की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(ग) वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें जांच की अवधि ६ माह से ऊपर बढ़ाई जाये।
1969	189
1970 (1-12-70 तक)	115

(घ) जी हां, श्रीमान्। सब मामलों में जांच की प्रगति विशेष प्रगति रिपोर्टों, मासिक-पत्रिकाओं, पर्यवेक्षी अधिकारियों इत्यादि द्वारा पूर्णरूप से देखी जाती है जिससे अनावश्यक देरी को रोका जा सके।

कृत्रिम रेशम के धागे का उचित मूल्य

4970. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशमी धागे के उचित मूल्य निर्धारित करने का कार्य टैरिफ आयोग को सौंपा गया था, और यदि हां, तो क्या आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ख) कौन-कौन सी फर्में कृत्रिम रेशम के धागे का उत्पादन करती हैं और प्रत्येक में कितने-कितने धागे का उत्पादन होता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(मात्रा दस लाख कि.ग्रा. में)

फर्मों के नाम	वर्ष 1969 में उत्पादन
1	2
1. **रेयन फिलमेंट यार्न**	
1. ट्रायनकोर रेयन	1.9
2. नेशनल रेयन	9.0
3. केशोराय रेयन	4.5
4. सेन्च्यूरी रेयन	10.5
5. जे.के. रेयन	3.0
6. इंडियन रेयन	2.5
7. बड़ौदा रेयन	3.0
8. साउथ इंडिया विसकोन	4.0
2. **एसिटेट यार्न**	
सरसिल्क लिमिटेड	1.90
3. **महलन फिलमेंट यार्न**	
1. जे. के. सिन्थेटिक्स	2.50
2. शिरलोनस	2.20

1	2
3. गरजारे नाहलोन	0.30
4. मोदीयोन लिमिटेड	1.80
5. सेन्च्युरी हलका लिमिटेड	0.14

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करना

4971. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने 24 अप्रेल, 1970 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष को हर परिषद के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने के बारे में कोई पत्र भेजा था;

(ख) उस अभ्यावेदन में वर्णित प्रमुख बातें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में 17 नवम्बर 1970 को एक स्मरण पत्र भेजा गया था;

(घ) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में निहित स्वार्थों द्वारा रुकावट डाले जाने के कारण अभी तक इन पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो आशुलिपिकों की शिकायतों पर ध्यान देने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख). संसद के एक सदस्य ने 24 अप्रेल 1970 को सी० एस० आई० आर० के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा था जो उन्हें परिषद के जूनियर आशुलिपिकों से प्राप्त हुआ था । पत्र की एक प्रतिलिपि साथ में संलग्न है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) . संसद सदस्य को एक अंतरिम उत्तर भेज दिया गया था तथा वित्त मंत्रालय को जूनियर आशुलिपिकों को भारतीय रेलवे के समान ही अग्रिम वेतन वृद्धियां देने के लिए एक योजना स्वीकार करने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव रखा था किन्तु वित्त मन्त्रालय ने इस सुझाव को अस्वीकार करते हुए उत्तर में सुझाव दिया है कि जूनियर आशुलिपिकों के संबंध में सी० एस० आई० आर० भी केन्द्रिय सचिवालय आशुलिपि योजना के अनुसार काम करें । मामला अभी विचाराधीन है ।

विवरण

16 अप्रेल 1966 को हुई अपनी बैठक में CSIR की शासी सभा ने स्वीकार किया :

1. 80 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार पर सफल होने वाले आशुलिपिकों को कम से कम वेतनमान रु० 130–300 दिया जाय ।

2. जो 100 श० प्रति मिनट की रफ्तार पर सफल हों उनके वेतन में 4 अग्रिम वृद्धियाँ दी जा सकती हैं, और

3. जो 120 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार पर सफलता प्राप्त करें उन्हें स्वीकृत वेतन-मान में 8 अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जा सकती हैं । CSIR ने इन सिफारिशों पर निम्न कार्यवाही की :—

1. 80 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार पर सफल होने वाले आशुलिपिकों को आरंभ में रु० 130/– अर्थात वेतनमान, जो रु० 130–5–160–8–200–8–256–8–280–10–300 है, का कम से कम दिया जाए ।

2. जो आशुलिपिक 100 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार पर सफल रहें उन्हें उक्त वेतन-मान में रु० 150/–दिया जाए ।

3. जो आशुलिपिक 120 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार पर सफल रहें उन्हें उक्त वेतन-मान में रु० 176/– दिया जाए ।

शासी सभा के उपरोक्त फैसले के अनुसरण में CSIR ने पहले से चले आ रहे आशुलिपि को इस प्रकार लाभान्वित किया :—

1. ऐसे आशुलिपिकों को जिनकी अपनी लम्बी सेवा के कारण वेतन 150/– रु० मासिक पर पहुंच गया था 100 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार पर सफल होने पर 2 अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गईं, और

2. ऐसे आशुलिपिकों को जिन्होंने 120 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार पर सफलता प्राप्त की और जिनको 176/–रु० से अधिक मिल रहा था, प्रत्येक वर्ष मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखकर केवल 4 अग्रिम वृद्धियां दी गईं ।

किन्तु इनसे जो असमानता पैदा हुई वह इस प्रकार हैं :

1. नई नियुक्ति लेने वाले को 8 अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गई ।

2. ऐसे आशुलिपिक को जिसका सेवा काल केवल वर्ष का था 6 अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गईं ।

3. किन्तु एक ऐसे आशुलिपिक को जिसने 120 शब्द प्रति मिनट पर तो सफलता प्राप्त की, किन्तु जिसका सेवाकाल अधिक हो गया, केवल 4 अग्रिम वेतन वृद्धियां मिल सकीं ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग ढांचे का पुनर्विलोकन

4972. **श्री धी० न० देव :** क्या **प्रधान मन्त्री** भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नति संबंधी 21 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग ढांचे का पुनर्विलोकन इस बीच पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ख) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग ढांचे का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत आने वाले रिक्त स्थानों को, समय समय पर तदर्थ पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों में में से फीडर सेवा में उनकी वरिष्ठता तथा उनकी नवीनतम गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर भरा जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या चयन सूची की प्रति प्रकाशित की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्ग गठन की समीक्षा अभी विचाराधीन है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि इसमें भारत सरकार के कई विभाग / मंत्रालय अन्तर्ग्रस्त हैं इसलिए इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ।

(ख) पदोन्नति कोटा की रिक्तियां इस प्रयोजन के लिए मान्य पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर भरी जायेगी, संघ-लोक सेवा आयोग की परामर्श से कार्मिक विभाग, द्वारा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के आधार पर चयन उनमें से किया जायेगा, जिन्होंने इन पदों पर कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । जैसे कि, विद्यमान तदर्थ पदोन्नत किये गये सभी व्यक्ति चतुर्थ वर्ग के पदों पर पदोन्नति के लिए मान्य पदों पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके मामलों पर उनकी वरिष्ठता और गोपनीय रिपोर्टों के अनुसार विचार किया जायेगा उस सेना के चतुर्थ वर्ग ने आगे और पदोन्नतियां किए जाने के लिए नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रवर सूची, पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों का एक भाग है जिन्हें गोपनीय समझा जाता है और वे प्रकाशन के लिए नहीं होतीं ।

केन्द्रीय सरकार के सचिवों की नियुक्तियों में परिवर्तन

4973. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सचिवों के पदों में हाल ही में किन सिद्धान्तों के आधार पर परि

वर्तन किया गया और क्या परिवर्तन करते समय उनके अनुभव तथा रूझान पर भी विचार किया गया था;

(ख) क्या मंत्रीगण इन परिवर्तनों से किसी प्रकार से सम्बद्ध हैं;

(ग) इन सचिवों का नये पदों पर स्थानान्तरण कितने समय के लिये किया गया है और क्या प्रत्येक स्थानान्तरित सचिव ने उस मन्त्रालय में पहले काम कर रखा है जिसमें उसका अब स्थानान्तरण किया गया है;

(घ) यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकारों को योग्य व्यक्तियों की अत्याधिक आवश्यकता है, केन्द्रीय सचिवालय में 3 वर्ष की सामान्य अवधि का नियम कभी लागू नहीं किया जाता;

(ङ) संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के पद वाले कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय में तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं, उन्हें उनकी राज्य सरकारों में स्थानान्तरित कब और कैसे करने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या गत 6 महीनों में अन्य सेवाओं से भी सचिव तथा अवर सचिव के पदों पर कुछ नियुक्तियां की गई हैं और यदि हां, तो क्या ऐसा विज्ञापन देने तथा संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया गया ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). विभिन्न मंत्रालयों में सरकार के सचिव के पदों पर अधिकारियों का चयन इन पदों के लिए उनके ज्ञान, दक्षता तथा सर्वोपरि उपयुक्तता को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया था। अधिकारियों को इन विशेष पदों पर तब तक के लिए नियुक्त करके रखा जाता है, जब तक कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो तथा उनका कार्य संतोषजनक हो।

(घ) तथा (ङ) : अवर सचिवों, उप सचिवों तथा संयुक्त सचिवों तथा ऊपर के पदाधिकारियों का कार्यकाल क्रमश: तीन, चार, और पांच वर्ष है। इस कार्यकाल को केवल विशेष कारणों से तथा लोकहित को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले अधिकारियों की वापसी के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर उचित ध्यान न दिया जाता है। आमतौर पर सचिव स्तर के अधिकारियों की वापसी के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है। यह कहना सही नहीं है कि सामान्य कार्यकाल सम्बन्धी नियम का पालन नहीं किया जाता।

(च) पिछले छः महीनों में दो पदों पर नियुक्ति जिनमें एक पद अतिरिक्त सचिव का है, तथा दूसरा सचिव का है, भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर किसी अन्य सेवा से की गई थी। विद्यमान नियमों के अन्तर्गत ये नियुक्तियां विज्ञापन अथवा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद ही भरने की अपेक्षा नहीं थी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्रीमती परिमल घोष तथा उनके पुत्र को कलकत्ता में उनके निवास-स्थान पर छुरा घोंप दिये जाने का समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "श्रीमती परिमल घोष तथा उनके पुत्र को कलकत्ता में उनके निवास-स्थान पर छुरा घोंप दिये जाने का समाचार ।"

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 14 दिसम्बर को प्रातः लगभग 8.30 बजे कुछ व्यक्ति कलकत्ता में श्री परिमल घोष के मकान में घुसे तथा उन्होंने उनकी पत्नी श्रीमती माधुरी घोष तथा उनके पुत्र श्री दीप्तिमान घोष पर आक्रमण किया । श्रीमती घोष को मामूली चोटें आईं तथा वे खतरे से बाहर बताई जाती हैं । श्री दीप्तिमान घोष को कई चोटें आईं तथा उन्हें हस्पताल में आपरेशन कराना पड़ा । बताया जाता है कि अभी तक वे डाक्टरों के निरीक्षण में है । मुझे विश्वास है कि श्री परिमल घोष को अपनी सहानुभूति प्रकट करने तथा उनके पुत्र के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने में सम्पूर्ण सदन मेरे साथ है । पुलिस द्वारा मामले की जांच अभी जारी है । अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान मंत्री महोदय के साथ-साथ मैं भी श्रीमती परिमल घोष तथा उनके पुत्र के प्रति महानुभूति प्रकट करता हूं तथा कामना करता हूं कि वे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें । पश्चिमी बंगाल में ऐसी घटनाएँ अब प्रतिदिन घटती हैं, कुछ समाज विरोधी तत्व भी राजनीतिक दलों की ओट में ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस सम्बन्ध में पकड़े गये, वे कौन हैं; वे गुण्डे हैं अथवा किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हैं ? क्या पुलिस को पता था कि उन्हें इस दुर्घटना से पूर्व धमकी भरे पत्र भी मिले थे; यदि हां तो उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ? क्या पुलिस की जांच के साथ-साथ कोई केन्द्रीय जांच विभाग भी सम्बद्ध किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आज पश्चिमी बंगाल में जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उनमें से यह एक मुख्य घटना है जिसमें एक महिला पर आक्रमण किया गया है । मैं माननीय सदस्य की इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ समाज-विरोधी तत्व नक्सलवादियों के नाम से ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं । दूसरी ओर नक्सलवादी भी ऐसे लोगों की सहायता लेते हैं । अतः यह बताना कठिन है कि अपराधी कौन हैं । परन्तु निश्चित रूप से इन्हें समाज-विरोधी तत्व तो कहा ही जा सकता है । क्योंकि इस सम्बन्ध में जांच पडताल चल रही है, अतः इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहूगा ।

मेरे पास इस बारे में भी कोई अधिक जानकारी नहीं है कि उन्हें पहले धमकी भरे पत्र मिले थे या अथवा उन पर पहले भी आक्रमण किया गया था । जहां तक उनकी रक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, यदि वें चाहेंगे तो इसका प्रबन्ध किया जायेगा । यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्र की ओर से जांच पड़ताल में भी सहायता की जायेगी ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, I would like to know whether this incident of stabbing is any way related to a news item published in 'Genshakti' that the son of Shri Parimal Ghosh named Diptiman was giving shelter to some Naxalists who use to attack C.P.M. people and whether all the assailants were the neighbourers. May I also know whether some political parties are backing the violent activities in West Bengal and if so, whether such parties will be banned? Is it a fact that Police is afraid of naxalistes there?

Shri K. C. Pant : I do not know whether the news item published in 'Genshakti' referred to by hon. member and this incident of stabbing are in any way connected with each other . This is being enquired into. Regarding the other question I want to tell that the name of the one person out of the three persons arrested was registered in F. I. R. at Police Station. As regards the police being afraid of the Naxalites, I would like to appreciate the policeman who are faithfully and corageously discharging their duties in such precarious conditions. As regards the check on anti-social activities, I want to make it clear that anybody who violates the law of the land or indulges in anti-national activities will be dealt with severely under the law.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, we condemn this incident of attack on Mrs. Parimal Ghosh. It appears from such incidents that anti-social elements are indulging in such incidents with the connivance of police. That is why the police has become inactive in West Bengal. I would like to know whether Government will appoint a commission to inquire that whether the police has any connivance with anti-social elements. Will Government provide protection to them compulsorily irrespective of the fact whether they want it or not. ? In the end I want to know that whether his wife is a director to any press.

Shri K. C. Pant : Sir, the question of hon. member is based on the assumption that the police is responsible for all voilent activities happening in West Bengal. I have got no information about the connivance of police with naxalites or anti-national elements so there is no point in appointing a commission for this purpose. As regards the arrangement regarding protection, we will provide protection to them. In reply to last question I want to say that she is a director.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : श्रीमती परिमल घोष तथा उनके पुत्र पर किये गये हमले से ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी बंगाल में हो रही हिंसा की घटनाओं मे एक नया मोड़ आ गया है । इस सन्दर्भ मे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नक्सलवादियों ने इस बार केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों पर आक्रमण करने की गुप्त योजना बनाई है ? क्या सरकार ने कभी इस बात की जांच की है कि कितनी हिंसक घटनाएं नक्सलवादियों अथवा समाज-विरोधी तत्वों द्वारा की जाती हैं और कितनी समाज के दुर्बल वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय के प्रतिकार के परिणाम स्वरूप की जाती हैं ? क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि वह पश्चिमी बंगाल में व्याप्त हिंसा के कारणों का पता लगायेंगे ? वर्तमान स्थिति में जो हिंसा हो रही है, क्या उससे प्रतिक्रियावादियों तथा निहित स्वार्थों के हाथ मजबूत नहीं होंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने नक्सलवादियों के उच्च अधिकारियों को मारने के इरादे के बारे में पूछा है। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी मिली है जिसे मैं पहले ही बता चुका हूं। इस समय मैं इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं बता सकता हूं। जहां तक हिंसा के निदान का सम्बन्ध है, हमने यह पता लगाने का कई बार प्रयास किया है कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है, किन्तु यह बताना कठिन है कि कौनसी हिंसा की घटना नक्सलवादियों द्वारा की गई है अथवा कौनसी दुर्बल वर्ग पर हो रहे अन्याय की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप हुई हैं। यदि समाज विरोधी तत्व और नक्सलवादी एक-साथ मिल जाते हैं तो उनमें अन्तर कर पाना भी कठिन होता है।जहां तक हिंसा के मूल कारणों का सम्बन्ध है, हम सब मानते हैं कि उन कारणों को आर्थिक तथा सामाजिक उपायों से दूर किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में यह विचारणीय है कि क्या हिंसा को हिंसा से ही दबाया जा सकता है। महात्मा गांधी का दृष्टिकोण सदैव यह रहा था कि हिंसा को शान्तिपूर्ण उपाय से जीता जाए। इस दृष्टि से हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों को शान्तिप्रिय लोगों से पृथक रखने का प्रयास किया जाता है।

वह जानना चाहते थे कि क्या श्री वी.ल घोष को इस बारे में पहले कोई चेतावनी मिली थी। पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है।

यह भी पूछा गया है कि क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का सम्बन्ध किस दल से है। इस सम्बन्ध में भी मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं सभी मामलों की जांच की जा रही है तथा उनके बारे में उचित समय पर सूचना दे दी जावेगी।

यदि माननीय सदस्य को अन्य घटनाओं से सम्बन्धित करने वालों के बारे में कोई जानकारी है तो वह हमें बता सकते हैं। उससे हमें भारी लाभ हो सकता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति): मैं श्री के०के० शाह की ओर से दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4580/70.)**

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृहकार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं;

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) सातवा संशोधन विनियम, 1970 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1944 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 1954 का 1970 का 11वाँ संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1955 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1970, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1956 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय वन सेवा (प्रारम्भिक भर्ती) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 नवम्बर 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1957 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय वन सेवा (सेवा-मुक्त आपात कमीशन-प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1970, में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1958 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—4581/70]

विद्युत (पूर्ति) अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदन

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु. ल. राव) : मैं (1) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 19 मार्च, 1970 को उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ गठित विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 1961-66 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन ।

(दो) पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 1966-67 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन ।

(तीन) पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4582/70)

(2) उपयुक्त मद (3) में उल्लिखत प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—4583/70.)** ।

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : I beg to lay on the Taole a copy of Notification No. S. O. 3764 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 17th November, 1970 regarding the management of the India United Mills Limited, Bombay (Maharas-

htra), under sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. [**Placed in Library. See No. L.T.-4584/70.**]

A copy of the Export of Fish and Fish Products (Inspection). Amendment Rules, 1970, (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 3801 in Gazette of India dated the 25th November, 1970, under sub-section (3) of section 17 of the Export (Quality, Control and Inspection) Act, 1963. [**Placed in Library. See No. L.T.-5585/70.**]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इन संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) कि 8 दिसम्बर, 1970 को लोक-सभा द्वारा पास किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि 8 दिसम्बर, 1970 को लोक-सभा द्वारा पास किये गये विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

70 वां प्रतिवेदन

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिमा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 70 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति

16 वां तथा 17 वां प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी (कोकराघाट) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) समाज कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग)—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आवास सुविधाएं—सम्बन्धी 16वां प्रतिवेदन ।

(2) समाज कल्याण विभाग तथा शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावासी सुविधाएं —सम्बन्धी 17 वां प्रतिवेदन ।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : Sir I raise on a point of order. Thirteenth and fifteenth reports were placed on the table yesterday but no mention has been made to the fourteenth report. Hindi version of the seventeenth and eighteenth reports have also not been made available to us.

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, Hindi version of these reports should be made available regularly.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, in Rajya Sabha all papers are laid on the table both in Hindi and English. The same procedure should be followed in this House. (*Interruption*)

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

7 वां प्रतिवेदन

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

'इन्डियाज चाइना वार' के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : 9 नवम्बर 1970 को मैंने सदन को सूचित किया था कि मैंने अपने मंत्रालय की इस बात की जांच करने के लिए कह दिया है कि क्या सदन में उल्लिखित उद्धरण मेक्सवेल की पुस्तक से है अथवा 3 अन्य प्रकाशित पुस्तकों (जनरल कौल, ब्रिगेडियर दाल्वी और श्री मानकेकर) से अथवा वे कहीं बाहर से लिए गए थे । मैंने यह भी कहा था कि इस जांच के जो भी परिणाम निकलेंगे मैं उनसे सहमत हूंगा ।

2. नेविल मेक्सवेल की पुस्तक में बहुतसी घटनाओं और कागजों का उल्लेख है । इस ने उनमें से कई अनुमान निकाले हैं । जांच से पता चलता है कि उन्होंने उक्त तीन प्रकाशनों से काफी सामग्री ली है । कई पैरे ऐसे हैं जो उक्त इन तीन प्रकाशनों में नहीं मिलते हैं । ऐसे कई स्त्रोत प्रतीत होते हैं जिन पर नेविल मेक्सवेल ने इस पैरों मे दिए गए अनुमानों और सामग्री पर निर्भर किया है । इस प्रकार के अध्ययन के पश्चात यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मेक्सवेल की गुप्त कागजों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई पहुंच थी । सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघनों की कुछ सम्भावनाओं से इन्कार किया नहीं जा सकता है । इसलिए मैं मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवा रहा हूं । इस जांच के पश्चात यदि सरकारी गोपनीयता अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन का पता चलता है तो ऐसे उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय, मंत्री महोदय, के कहने के अनुसार अनेक ऐसे गद्यांश हैं जो इन प्रकाशनों में नहीं मिलते । वास्तव में उन्हें गद्यांश पर पैरा कहना उचित नहीं है । वास्तव में व उद्धारण हैं तथा उन्हें 'कोमों' के अन्दर रखा गया है । दूसरे मंत्री महोदय कहते है कि उनसे कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता अतः यह वक्तव्य बड़ी चालाकी से तैयर किया गया है तथा भ्रम

में डालने वाला है। इस वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघनों की कुछ सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरों से मामले की जांच कर रहा हूं।

मैंने गत माह की 9 तारीख को जब यह मामला उठाया था तथा मैंने अपने वक्तव्य में जो बातें उठाई थीं उन सभी बातों का उत्तर इस वक्तव्य में नहीं दिया गया। जहाँ तक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का प्रश्न है मंत्री महोदय ने आश्वासन दिलाया है कि यदि उसका उल्लघन पाया गया तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच करेगा तथा मंत्री महोदय उसकी सूचना सदन को देंगे। किन्तु मैंने जो मामला उठाया था उस पर अभी निर्णय किया जा सकता है।

मेरा निवेदन है कि इस मामले पर पूरी तरह वाद-विवाद कराया जाये अथवा आप मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लें। मैंने जो दस्तावेज तैयार किये थे वे आप के पास हैं अतः मैं विवश हूं। उन्हें लौटा दिया जाना चाहिये था क्योंकि हमारे पास उनकी अधिक प्रतियां नहीं हैं। मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के समक्ष रखी जाये तो हमारे शत्रुओं को काफी जानकारी मिल जायेगी। सरकार इस बात की दोषी है कि वह सदन को जिन दस्तावेजों और सूचनाओं को नहीं बताना चाहती वही दस्तावेज अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि आज किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। किन्तु इस मामले की सूचना दी गई थी तथा आज लगभग उस बात को दो महीने बीत गये हैं। आश्चर्य की बात हैं कि उस पुस्तक को कोई भी व्यक्ति चार दिन में पढ़ सकता है। मंत्री महोदय को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं तब भी वे दो महीने में उसकी जांच नही कर सके। इसके अतिरिक्त लेखक स्वयं मानता है कि सरकारी दस्तावेजों तक उसकी पहुंच है। यदि मंत्री महोदय के पास फाइल हो तो दूसरा उन्हें प्रमाण मिल सकता है। लेखक अपनी पुस्तक में कहता है कि "मैंने भारत सरकार तथा भारतीय सेना की अप्रकाशित फाइलों और प्रतिवेदनों से सामग्री प्राप्त की है। मुझे इस कार्य में अधिकारियों ने सहायता की है' उसने सेना के प्रतिवेदनों को भी उद्घृत किया है। **(व्यवधान)**

आपने सरकार को इस मामले का अध्ययन करने तथा उस पर निष्कर्ष निकालने के लिये 6 सप्ताह का समय दिया किन्तु इस अवधि में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। उस समय भी मंत्री महोदय ने इस दस्तावेज को सभा के समक्ष रखने से साफ इंकार कर दिया था। जब यह सिद्ध हो गया है कि यह दस्तावेज अन्य व्यक्तियों के पास पहुंच चुका है। अतः इसे भी यदि सभा के समक्ष रखने से इंकार किया जाता है तो क्या यह सभा का अपमान नहीं है? मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकारी गोपनीय दस्तावेजों से कुछ साक्ष्यों के लिये जाने की सम्भावना है। इन सब बातों से वीदित होता है कि उक्त पुस्तक गोपनीय दस्तावेजों से ली गई सामग्री पर आधारित है। महोदय, आप को हमारी सुरक्षा करनी है क्योंकि यह पहला अवसर नहीं है जब सभा का अपमान किया गया है इससे भी पहले मंत्री महोदय ने 2 सितम्बर 1963 को यही कहा था कि सदन में ऐसी बातों की चर्चा नहीं की जा सकती। जो दस्तावेज एक विदेशी प्राप्त कर सकता है उनकी जानकारी सदन में नहीं दी जा सकती यह बात समझ में नहीं आती। अतः मैं आप से अनुरोध करता हूं कि मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये। मैं आपके साथ बैठकर आपको इस पुस्तक से ऐसे कई उद्धरण बता सकता हूं जिन से यह बातें सिद्ध हो जायेंगी।

मैंने आपको जो लिखा है तथा जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उनके आधार पर क्या आप आदेश देंगे कि उक्त दस्तावेज सभा-पटल पर रखा जाये। मेरा निवेदन है कि आप मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to make submission (**Interrruption**).

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दे दिया है तथा नियमानुसार इस वक्तव्य पर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। श्री नाथपाई ने जो विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है वह अभी मेरे विचाराधीन है। मैंने उस पर अभी तक अपना विनिर्णय नहीं दिया है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : इसीलिये यह आवश्यक हो जाता है कि इस सम्बन्ध में हमें कुछ कहने का अवसर दिया जाये।

श्री नाथ पाई : आप के आदेशों का किसी ने उल्लंघन नहीं किया। माननीय सदस्य तो कुछ बोलने के लिये आपसे समय की मांग कर रहे है। मंत्री महोदय ने इस बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया कि उस पुस्तक की कितनी प्रतियां हैं। **(व्यवधान)**

श्री जगजीवन राम : केवल एक।

श्री नाथपाई : वह प्रति किसके पास थी ?

श्री जगजीवन राम : मंत्री मण्डलीय सचिवालय।

श्री नाथपाई : अध्यक्ष महोदय। मेरे प्रश्न का उन्होंने एक महत्वपूर्ण उत्तर दिया है। उन्होंने बताया है कि केवल एक प्रति है जो मंत्री मण्डलीय सचिवालय के पास है। अब आपका कार्य और भी सरल हो गया।

श्री जगजीवन राम : आपने पूछा कि कितनी प्रति हैं। मैंने उत्तर दिया है कि इस समय केवल एक प्रति है।

Shri Madhu Limaye : Sir, we support the demand made by Shri Nath Pai.

The hon. Minister has accepted, "There are number of passages in Maxwelb's book which can not be traced to these publications". "These publications" means Gen. Kaul's, Brig. Dalvi's and Shri Mankekai's."

He has also admitted that quotations have also been taken from several other documents. Government have failed to take any decision for the last two months. In this case we are prepared to help the Government and we assure you, sir, that within twelve hours we will be able to prepare a list of those quotations. It is a matter of contempt of the House. Therefore, this matter should be decided by to-morrow positively.

Privilege Motion submitted by shri Nath Pai should be allowed to be discussed to-day. Kindly accept it.

Shri Kanwar lal Gupta : I also request you, sir, that the privilege motion of shri Nath Pai should be accepted because the statement of the hon. Minister is evasive.

He has admitted it indirectly that the quotations cited in the book are the same as given in the report. It could not be established as to who has stolen it or leaked it out:

If the quotations have been extracted from that report, it is obviously a case of breach of privilege of the House. On one hand an information has been concealed from the house whereas it has been furnished to an outsider. I request that the matter should be referred to the Privileges Committee.

श्री क० नारायणराव (बोम्बिली) : यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि यह प्रश्न भारत की सुरक्षा से सम्बन्धित है । श्री नाथ पाई ने कहा है कि लेखक ने इस बात का उल्लेख किया है कि उसने सरकारी दस्तावेजों से जानकारी एकत्र की है। यह भी संभव है कि उसने जानकारी कुछ अवांछित साधनों से प्राप्त कर ली हो । दूसरी संभावना यह भी है कि किसी की गल्ती अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यवाही से यह जानकारी उसे प्राप्त हुई हो । तीसरी बात यह कि अगर सभी रिपोर्ट की प्रतिलिपि वह सभा पटल पर रखते हैं, तो उसे विस्तृत प्रचार मिलेगा और वह भारत की सुरक्षा के हित में नहीं होगा, अत: श्री नाथ पाई के सुझाव को स्वीकार न किया जाय ।

श्री श्रीपाद अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण): मैं श्री नाथ पाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यह अत्याधिक गम्भीर मामला है । सामान्य कर्मचारी को सरकारी रहस्य प्रकट करने के बहाने बर्खास्त कर दिया जाता है, फिर इस प्रकार के गम्भीर प्रश्न को दबा देने का कोई औचित्य नहीं हैं ।

मुख्य प्रश्न मनोवृत्ति का है । स्वाधीनता के 22 वर्ष पश्चात् भी देश की जनता और यहाँ तक कि बड़े नेताओं को भी कोई सम्मान नहीं मिलता, जबकि यहां पर विदेशी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री रंगा (श्रीकाकुमल) : मैं श्री नाथ पाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री नाथ पाई द्वारा दो माँगे की गई हैं, पहली तो यह कि इस मामले पर विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में चर्चा की जाय, दूसरी यह कि इस मामले पर चर्चा को प्राथमिकता दी जाय । मैं इन दोनों का समर्थन करता हूं ।

कुछ सदस्यों का यह विचार है कि इस मामले का विस्तृत रूप से प्रचार न किया जाय उनका कहना है कि किसी की गल्ती से या किसी की साँठगाँठ से बाहरी व्यक्तियों ने जानकारी प्राप्त कर ली होगी परन्तु गल्ती किस की थी ? सरकार ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट की दो प्रतिलिपियाँ थीं जो प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सर्वोच्य अधिकारियों के पास सरकारी गोपनीय दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित थीं ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की सलाहकार समिति में भी 24 अक्टूबर को इस प्रश्न को उठाया गया था और प्रतिरक्षा मन्त्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था । इस सदन द्वारा प्रतिरक्षा मन्त्री को प्रतिरक्षा का दायित्व समूचे राष्ट्र-हित को ध्यान में रखकर सोंपा गया है न कि प्रतिरक्षा

मन्त्रालय के कुछ अधिकारियों का बचाव करने के लिए । जनता और विशेष रूप से संसद सदस्यों के समक्ष यह तथ्य रखा जाना चाहिए कि मैक्सवेल ने कौन-कौन से अंश उस रिपोर्ट से उद्धृत किये हैं ।

इसलिए इस विषय पर चर्चा करने अथवा रिपोर्ट पेश किये जाने की अस्वीकृति की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर न लें ।

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : It is really a serious matter that an important Report of Defence Ministry, which was a secret document, was made available to a foreign author or a correspondent. Keeping in view the seriousness of the matter the hon.' ble Minister has assured to conduct an enquiry into the matter and to take serious action against the offender. There is no contradiction in his statements and hence, question of breach of privilege does not arise.

The Henderson Brooks Report is not to be discussed here in the house. Firstly Enquiry Report should be discussed here. It has to be established whether the Report has been leaked out or not. Therefore, his request should not be accepted.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर): यह रिपोर्ट 1963 में प्रस्तुत की गई थी । उसके बाद बराबर यह माँग की जाती रही कि इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, परन्तु यह माँग सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई। अब इस रिपोर्ट के कुछ अंश किसी विदेशी पुस्तक में प्रकाशित होते हैं, तो क्या यह सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं है । अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : इस सदन की समिति यह समझती है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर सदन में चर्चा की जाय अथवा इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह निर्णय ले लेते हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सोंप दिया जाय, तो यह इस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तर्क सुनने के लिए तैयार हूं, परन्तु हमें प्रश्न के प्रक्रिया सहित सभी पहलुओं पर ध्यान रखना है । प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का निर्धारण आप लोगों ने ही किया है और मुझे इस नियमों से ही मार्ग दर्शन लेना है ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मुझे दो बातें कहनी है-एक तो यह कि यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और इसमें इस सदन के सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न अन्तर्निहित है, दूसरी यह कि अगर यह दस्तावेज किसी विदेशी नागरिक को उपलब्ध कर दिया जाता है, तो क्या इस दस्तावेज को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की माँग को ठुकराया जा सकता है ? कदापि नहीं । मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि निष्कर्ष रूप में यह कहना कठिन है कि मैक्सवेल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन दस्तावेजों को उपलब्ध किया गया था अथवा नहीं । रिपोर्ट मन्त्रिमन्डलीय सचिव के पास है, और मेरा अनुरोध है कि पुस्तक के अंगों का इस रिपोर्ट से आपके कक्ष में मिलान किया जाय ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The main point is whether the references and quotations are based on the Henderson Brooks Report or not. If there is not a risk to the potentiality of the country defence, it is really a serious matter. The hon'ble minister has not placed all the details before the house. He has stated that he has two copies of Henderson Brooks Report in his position and they are not available to any person. It is a wrong statement of facts. He dose not have in his any possession the manuscript, typed copy and the notes of the report. He has concealed all these facts and hence, the matter should be reffered to the Privileges Committe.

श्री हेम बरूआ (मंगलदायी) मन्त्री महोदय ने अभी अभी कहा है कि हेन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट की सिर्फ एक प्रति मंत्रिमन्डलीय सचिव के पास हैं । मैक्सवैल ने स्वयं कहा है कि उसने सरकारी दस्तावेजों से अंश उद्धृत किये हैं । इस बात का आपको निश्चय करना चाहिए ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : There is no doubt about it that it is an important matter, but main point is whether discussion should be held just now or at a later stage. The hon. Minister has never denied the possibility of having access to certain secret documents by Maxwell, but it is not proper to place the Henderson Brooks Report here and give it world-wide publicity (*Interruptions*) The hon.'ble Minister has already ordered an Enquiry that how the report had been leaked out and the offenders would be punished. There would be a fruitful discussion only when Report of Enquiry Committee is submitted.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : 1963 में मंत्री महोदय ने रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने से मना कर दिया था और उसके पश्चात जैसा कि मैक्सवेल ने स्वयं कहा है कि ये दस्तावेज उसे उपलब्ध कर दिये गये थे । अधिकारियों ने संसद को विश्वास में नहीं लिया और एक विदेशी को दस्तावेज उपलब्ध कर दिये गये । जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि उत्तरदायी अधिकारी कौन है ? इन अधिकारियों ने संसद के विशेषाधिकार का हनन किया है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chavan might recall that when he become Defence Minister, he had criulated certain conclusions of that Report at that time. Five paragraphs were related to the military failure;how these questions have come up for discussion on account of failure of Ministerial intelligence. Shri Tiwary, a senior member of the House has also admitted that certain prohibition of that report have been published in the book "India-China war" written by Maxwell. Foreigh gang is already active in this country which gets military secrets at all costs. This matter is obviously a serious breach of privilage of the house and may please be allowed to be discussed as such.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : मैं श्री नाथ पाई की इस माँग का समर्थन करती हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय । 1963 में, हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट से कुछ सारांश संसद के समक्ष रखे गये थे । उस समय मैंने पं० जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया था कि सम्पूर्ण रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाय । उस समय उन्होंने कहा था कि सारी रिपोर्ट तो मैंने भी नहीं देखी और वह सेना मुख्यालय के पास है । उस समय तीन रिपोर्टें थीं । एक सेना मुख्यालय के पास थी, एक मंत्रिमंडल सचिवालय में थी । अब मंत्री महोदय द्वारा यह कहना कि रिपोर्ट एक ही है समझ में आने वाली बात नहीं ।

मेरा अनुरोध है कि इन मामलों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा विचार किया जाय क्योंकि ये मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित हैं । यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस सदन के बारे में आपके विचारार्थ, मैं दो तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

1952 में श्री गुरूपदस्वामी ने एक गुप्त फाइल के गुम हो जाने की बात उठाई थी और सदन में इस पर उचित रूप से चर्चा हुई थी ।

ऐसे ही दो उदाहरण और हैं । श्री साहू जैन के मामले में श्री दफ्तरी, श्री सन्याल तथा श्री विश्वनाथ शास्त्री ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसकी एक एक प्रति मेरे तथा श्री होमीदाजी के पास उपलब्ध है । सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रतिवेदन की केवल एक प्रति उपलब्ध है। हमने एक प्रति प्रस्तुत की तो अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि प्रतिवेदन की मूल प्रति सभा पटल पर रखी जाय।

एक दूसरे मामले में श्री होमीदाजी तथा मैंने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत की थी तब भी अध्यक्ष महोदय ने यही व्यवस्था की कि सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करे।

उड़ीसा में श्री बीजू पटनायक के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । श्री कामथ ने उसकी एक प्रति सदन में प्रस्तुत की थी । प्रतिवेदन के कुछ अंश सदन में पढ़कर भी सुनाये गये थे ।

इस मामले में निर्णय करने के लिये आप थोड़ा समय ले सकते हैं। आप अपनी विवेक शक्ति से काम करें और इस मामले में अपना निर्णय दें यदि यह मामला एक विदेशी से छुपा नहीं है तो यह इस सदन के लिये भी गुप्त नहीं रहना चाहिये । यदि मंत्री महोदय ने विशेषाधिकार का हनन किया है, यदि ऐसा नहीं भी किया गया है तो वह अप्रत्यक्षरूप से भ्रष्ट अधिकारियों को समर्थन दे रहे हैं। इस मामले को प्रकाश में लाया जाना चाहिये।

Shri Lakhan Lal Kapur (Kishanganj) : It is quite evident from the statement made by the hon. Minister that the foreigner had got the copy on the report and on the basis of that report he has got that book published. Why an enquiry through CBI is being conducted when it has been established that the report was passed on to the foreigner from the Secret file which was in possession of Cabinet Secretary? What would be found out by the enquiry committee ? Privilage motion should be accepted since the file was in possession of Cabinet Secretary.

If you do not want to place the report on the table of the House, kindly place it before the speaker and the senior members of the House, so that it might he ascertained that the report is correct or not.

श्री अमृत नाहटा (बाडमेर) : श्रीमन्, पहले आप यह निर्णय करें कि लेखक का यह कहना कि उन्होंने हैन्डरसन के प्रतिवेदन से उदाहरण दिये हैं सच है कि नहीं । यदि यह सत्य है तो भी आपको इसकी सत्यता के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री से जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । यदि मंत्री महोदय इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिवेदन के तथ्यों का रहस्य खुल गया है तो वे अपने गुप्तचर विभाग द्वारा यह पता लगाएं कि यह सब किस प्रकार हुआ है । इसका पता चल जाने के पश्चात जो अधिकारी इस रहस्य के खुल जाने के लिये अपराधी पाए जाएं उनको कार्यालय गोपनीयता

अधिनियम तक अन्य दूसरे अधिनियमों के अन्तर्गत दन्डित किया जाए। इसके पश्चात ही सदन को ऐसी चर्चा करने का अधिकार है कि क्या वास्तव में विशेषाधिकार हनन का कोई मामला हुआ है ?

एक ओर तो माननीय सदस्य यह माँग करते हैं कि प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाय क्योंकि वे इसे गोपनीय महत्व की दस्तावेज नहीं समझते हैं और दूसरी और यह कहते हैं कि जिस प्रतिवेदन को प्रकाश में लाना था वह पुस्तक में क्यों छपा। इस प्रकार इनके अपने मत में ही विरोधाभास है।

अत: यह जानकारी प्राप्त करना मंत्री महोदय पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि क्या वास्तव में कोई अपराध हुआ है। यदि हुआ है तो कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार है ? अपराधियों को दंड दिया जाना चाहिये। इसके पश्चात ही यह निर्णय किया जा सकता है कि क्या वास्तव में सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया गया है।

श्री सोनावने (पंढ़रपुर) : आपके निर्णय करने से पहले मैं, तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि हमें यह ज्ञात नहीं है कि किस व्यक्ति के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

दूसरे यह कि क्या लेखक अधिकारियों को फंसाने के विचार से, जिन्होंने उसे जानकारी देने से मना कर दिया था, गलत वक्तव्य नहीं दे सकता। अत: लेखक द्वारा कही गई बात को सच नहीं समझा जाना चाहिये।

तीसरे यह कि, प्रतिरक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इसकी जांच कराएंगे। यदि मंत्री महोदय ऐसा न कहते तो माननीय सदस्य जांच की बात उठाते और अब उन्होंने स्वयं ही जांच कराने की बात कही है तो माननीय सदस्यों ने दूसरी बात उठा दी है। यह उचित नहीं है।

श्री एस० कण्डप्पन (मैसूर) : श्री अमृत नाहटा ने जो कथन के विरोधाभास की बात कही है वह गलत नहीं है। अनेक सदस्यों ने बहुत पहले से यह बात उठाई है कि सरकार जिन दस्तावेजों को गोपनीय बताती है वे गोपनीय नहीं है। जब सरकार विपक्ष की मांग पूरा करना नहीं चाहती तो यह कहकर टाल देती है कि यह गोपनीय दस्तावेज है। यह उचित नहीं है क्योंकि इससे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती है। इस मामले का सरकार को शीघ्र ही पता लगाना चाहिये और यदि पुस्तक में कोई गलत बात छपी है तो तुरन्त ही उसका विरोध करना चाहिये। सदस्य इस जानकारी के लिये सरकार को समय देने के लिए तैयार हैं। यदि सदन में इस विषय पर चर्चा की जाय तो मामला बहुत सीमा तक स्पष्ट हो सकता है। श्री मैक्सवैल ने जो तथ्य दिये है वे ठीक हैं अथवा नहीं यह तभी पता चल सकता है जब प्रतिरक्षा-

मंत्रालय से सम्बद्ध दस्तावेज प्राप्त हो जाएं । मंत्री महोदय को इस मामले से सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत करने चाहिये ताकि ऊपर चर्चा की जा सके ।

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : If we do not acceding to the demand produce a report on the Table of the House on the plea that it is a secret document it dose not mean that we do no want to take the House into confidence or we disbelive the hon. members. The idea behind this is that after presenting the report on the Table nothing will remain secret and everything will be made public.

I would have accepted this matter as a breach of privilege if we could have given this report to somebody else having refused to produce it on the Table of the House. If some body is found guilty of reveating the secrethe would he severly dealt with, but I donot think that there is any breach of privilage of the House. I would like to repeat it again that if the Government dose not place any document on the Table of the House it dose not mean that they have got no confidence in members of the House. If there exists such a feeling it should be removed.

अध्यक्ष महोदय : जब विवरण प्रस्तुत किया गया था तो मेरा विचार था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, केवल श्री नाथ पाई अपनी बात का स्पष्टीकरण करेंगे मैंने इस सम्बन्ध में दो बातें सोची थीं । पहली यह कि क्या सरकार ने परम्परा के विरूद्ध प्रतिवेदन के तथ्यों का उद्घाटन किया है । दूसरे यह कि क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन को अध्ययन करने के लिये किसी को दिया है । मंत्री महोदय ने इन दोनों बातों से इन्कार किया है और इस सम्बन्ध में पर्याप्त स्पष्टीकरण कर दिया है । अतः मेरे विचार में यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ।

अब इस प्रश्न के दो पहलु रह जाते हैं । यह गुप्त दस्तावेज है फिर भी पुस्तक में इसके उद्धरण दिये गये हैं । यदि एक महत्वपूर्ण गोपनीय तथ्यों को इस प्रकार रहस्योद्घाटन होता है तो यह उचित नहीं है ।

श्री नाथ पाई इस महत्वपूर्ण मामले को प्रकाश में लाये हैं इसके लिये हम उनके आभारी हैं । इस सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण रहस्यों का इस प्रकार उद्घाटन नहीं होना चाहिये ।

इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । अब हमें यह देखना है कि इसका क्या परिणाम निकलता है । इसके पश्चात इस विषय पर चर्चा की जायगी । मेरा विचार यह है कि जो कुछ भी सदन में चर्चा होती है वह प्रकाश में आनी चाहिये । समस्त राष्ट्र से संबंध रखने वाले विषयों को हम गुप्त क्यों रखें । जांच समिति का प्रतिवेदन आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये, उसके पश्चात सदन में चर्चा के लिये स्वीकृति दे दी जायगी ।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteenth of the Clock

---

{ मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा ३ बजकर ३ मिनिट म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha Re-assembled after lunch at three minutes past fifteen of theClock }

{ श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुई
Shrimati Sushila Rohatgi *in the chair* }

सभा का कार्य

संसद कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कल राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम में रूप भेद करने सम्बन्धी प्रस्तावों को निपटाने के पश्चात सरकार राज्य सभा द्वारा पारित, कृषि पुनर्वित निगम (संशोधन) विधेयक, 1970 को विचार तथा पास करने के लिये प्रस्तुत करेगी। अतः कल निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायगा।

(1) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम में रूप भेद करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर आगे विचार।

(2) राज्य सभा द्वारा पारित, कृषि पुनर्विज्ञ निगम (संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार करना तथा पारित करना।

(3) अपराधिक दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1970 विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा।

(5) पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर चर्चा मध्याह्न 6 बजे।

मेरा अनुरोध है कि कृषि पुनर्वित निगम विधेयक के सम्बन्ध में सदस्यों को आज 5 बजे म० प० तक संशोधन भेजने की अनुमति दी जाय।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव को चर्चा किये बिना ही स्वीकार कर लिया जाय।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने संशोधन पेश करने के लिये 5 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है।

स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल भी अनेक सदस्यों ने यह मांग की थी कि प्रधान मंत्री के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों से सम्बन्धित निर्णय के बारे में चालू सत्र समाप्त होने से पूर्व ही एक वक्तव्य देना चाहिये। उन्हें यह बताना चाहिए कि इस सम्बन्ध में विधेयक इसी सत्र में लाया जायेगा अथवा अगले या विशेष सत्र में।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : I support all that Shri Banerjee said in regard to privi perses. It should be clarified by hon. Minister by making announcement in the House that whether the Lok Sabha will be dissolved or special session will be called for this purpose.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Earlier also we have asked for a discussion on the fourth Five Year Plan, as it is one of the most important issues. Fifteen hours were allotted to it but it appears from the statement of the Minister to-day that it will not be possible to have a discussion on the Fourth Plan during this session. I request that time should be made available for a discussion on it over by extending the session by one or two days. Government should also make a statement on the Supreme Court judgement on privi purses.

श्री धोरेश्वर कलिता (गोहाटी) : एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स के कर्मचारी हड़ताल पर है। डा० कर्णसिंह ने दो बार सभा में वक्तव्य दिये हैं। किन्तु अब तक कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला है। हम चाहते हैं कि हमें विमान चालकों की हड़ताल पर सभा में चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह देश में वैमानिक अध्ययन की स्थिति का अध्ययन करे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, के विकास और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यहां की नगर पालिका का क्षेत्र संसद के अधीन आता है इसलिये दिल्ली के लिये महाराष्ट्र अधिनियम जैसा अधिनियम संसद द्वारा बनाया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि श्री रघुरामैया को दिल्ली के विकास तथा उसको आधुनिक बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये जिससे वहां का दूषित वातावरण ठीक हो सके।

Shri Randhir Singh (Rohtak): I want that a Bill providing for the abolition of privy purses should be brought before this House as soon as possible. Either this session should be extended for this purpose or a new session should called in January. Government should also make statement regarding ceiling on urban property. I also want a statement before this session ends on Delhi Police.

श्री क० नारायणराव (बोब्बिली) : जहां तक भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों और निजी थैलियों को समाप्त करने का प्रश्न है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। ऐसे कार्य संवैधानिक तरीकों से भी किये जा सकते हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : रूई निगम इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के हाथों में कठपुतली मात्र बन गया है। इस फेडरेशन ने कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके रुई के मामले में संकट पैदा कर दिया है। इस मामले पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

Shri Vidhya Dhar Bajpai (Amethi): As we have t o amend the Constitution in order to tackle every new situation whenever it develops, I feel that the Constitution of India should be written again and this Parliament should be converted into the Constituent Assembly and it should be asked to pass a new Constitution within three years.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : अत्यधिक शीघ्रता से काम प्राय: बिगड़ जाता है। प्रिवी-पर्स विधेयक और बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के सम्बन्ध में यह बात ठीक उतरी है। अत: माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जल्दी न करे और प्रधान मंत्री उपयुक्त समय लेकर इस संबंध में वक्तव्य दें।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : देश में रूई का सचमुच अभाव है। सरकार को

रुई के आयात के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सूती मिलों के बन्द होने की नौबत न आये और श्रमिकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : I support the demand of hon. members for bringing a Bill for abolition of privy purses. Untouchability (Offences) Bill should also be brought soon.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : If Government intend to dissolve the Lok Sabha they should bring Bill for abolition of privy purses in this very session. Secondly Bihar is a backward state. The work on Gandak project has been stopped on account of shortage of funds. I request that the work on same should be resumed soon.

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने बडे महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री और सम्बद्ध मंत्रियों तक उन्हें पहुंचाएंगे ।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 के रूपभेद के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS RE : MODIFICATION OF NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

सभापति महोदय : अब हम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण) स्कीम, 1970 के रूप भेद से सम्बन्धित प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे । जो सदस्य अपने प्रस्ताव पेश करना चाहे, वे अपने प्रस्ताव पेश करें ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में, जो 17 नवम्बर, 1970 की सभा पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूप-भेद किया जाये अर्थात :—

खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

"(ग) मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन द्वारा प्राथमिकता का क्रम बताते हुए दी गई 3 व्यक्तियों की नाम-तालिका में से एक निदेशक";

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।' [1]

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत

बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में जो 17 नवम्बर 1970 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें, अर्थात् :—

(एक) खण्ड 2 के उपखन्ड (च) के परन्तुक में 'पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर "पचास प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(दो) खन्ड 3 में "यथासम्भव शीघ्र पश्चात्" के पश्चात "साठ दिन के भीतर" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(तीन) खन्ड 3 के उपखन्ड (ख) की मद संख्या [एक] में "छः सप्ताह" के स्थान पर "तीन सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(चार) खन्ड 3 के उपखन्ड (घ) में "रिजर्व बैंक" के पश्चात "और निक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(पाँच) खन्ड 3 के उपखण्ड (ङ) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

"(ङ) दो निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार की राय में कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा जहां कहीं भी यह बातलागू होती हो कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वा ले ऐसे संस्थानों अथवा निकायोंके साथ परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

परन्तु यह भी की इस प्रकार नियुक्त किये जाने वाले दो निदेशकों में से एक को भारत के दक्षिणी राज्यों में से नाम-निर्देशित किया जायेगा ।"

(छः) खण्ड 3 के उपखंड (ङ) के पश्चात यह अन्तः स्थापित किया जाये——

"(ङङ) दो निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार की राय में क्रमशः कर्मकारों तथा शिल्पियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात नियुक्त किये जायेंगे;"

(सात) खण्ड 3 के उपखंड (च) में "पांच निदेशकों" के स्थान पर "चार निदेशक" प्रतिःस्थापित किया जाये;

(आठ) खन्ड 9 के उपखन्ड (1) के परन्तुक में "केन्द्रीय सरकार" के पश्चात "विधिमान्य कारणों के आधार पर और" अन्त स्थापित किया जाये;

(नौ) खन्ड 16 के उपखन्ड (4) में "बोर्ड" के पश्चात् "विधिमान्य कारणों के आधार पर" अन्तःस्थापित किया जाये;

(दस) खन्ड 16 के उपखन्ड (5) में "प्रादेशिक सलाहकार समिति" के पश्चात "विधिमान्य कारणों के आधार पर" अन्तःस्थापित किया जाये;

यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'

[2]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक

(प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में, जो 17 नवम्बर, 1970 को सभापटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें, अर्थात:—

(एक) खन्ड 3 के उपखन्ड (ख) की मद (एक) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

"(एक) निदेशक बोर्ड में एक निदेशक प्रतिनिधि संघ द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।"

(दो) खन्ड 3 के उपखन्ड (ग) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये:—

"(ग) बैंक अधिकारी को निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में प्रतिनिधि संघ द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;"

(तीन) खन्ड 9, उपखन्ड (3) के पश्चात यह जोड़ा जाये—

"परन्तु यह भी कि यदि कोई कर्मकार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला निदेशक प्रतिनिधि संघ का विश्वास खो देता है तो उसे हटा दिया जाये, और उसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाये, जिसके लिये प्रतिनिधि संघ द्वारा सिफारिश की गई हो परन्तु यह भी कि (क) यह परिवर्तन पूर्व नियुक्ती से कम से कम एक वर्ष पश्चात किया जाये और (ख) निदेशक बोर्ड में किसी व्यक्ति विशेष काम करते रहने का विरोध 60 प्रतिशत कर्मकार कर्मचारियों द्वारा किया जाये।";

(चार) खन्ड 13, उपखन्ड (2) के पश्चात यह जोड़ा जाये—

"(2क) प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधि संघ के प्रतिनिधि को भी सम्मीलित किया जाये, जैसा कि स्कीम के खन्ड 2(च) में विनिश्चित किया गया है।";

(पाँच) खन्ड 14 में निम्नलिखित उपखन्ड जोड़ा जाये—

"(2) सलाहकार समिति में प्रतिनिधि संघ का प्रतिनिधि भी हो जैसा की स्कीम के खन्ड 2 (च) में विनिश्चित किया गया हैं।"

(छः) खन्ड 15, उपखन्ड 2 के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये--

"(2क) इस प्रकार की समितियों में प्रतिनिधि संघ का एक प्रतिनिधि भी हो जैसा कि स्कीम के खन्ड 2 (च) में विनिश्चत किया गया हैं।";

(सात) खन्ड 16, उपखन्ड (4) और (5) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये--

"(4) प्रतिनिधि संघ के प्रतिनिधि को प्रतिनिधि संघ के परामर्श से ही हटाया जायेगा और इस प्रकार रिक्त हुए पद को प्रतिनिधि संघके परामर्श से भरा जायेगा।"

यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'

[3]

श्री मुरासोली मारन् (मद्रास दक्षिण) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में जो 17 नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूप भेद किये जाये, अर्थात:--

(एक) खन्ड 3 में उपखन्ड (ख) की मद (1) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये--

"(i) राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मकार हों एक निदेशक उन्हीं के द्वारा गुप्त मतदान से साधारण बहुमत के आधार पर निर्वाचित किया जायेंगा।";

(दो) खन्ड 3 में उपखन्ड (ग) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये--

"(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों में से जो कर्मकार न हों, एक निदेशक उन्हीं के द्वारा गुप्त बेलटकी रीति से साधारण बहुमत के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।;"

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'[4]

श्री समरेन्द्र कुन्दू (बालासौर) : मैं अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की धारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध), स्कीम 1970 में, जो 17 नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें, अर्थात् :--

(एक) खंड 2 में, उपखंड (च) के परन्तुक में "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर "दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खंड 3 में, उपखंड (ख) में, (मद iii) (क) में "पाँच" के स्थान पर 'दो" प्रतिस्थापित किया जाये ;

(तीन) खंड 3 में, उपखड (ग) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

(ग) बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मकार न हों, एक निदेशक उनके संघ द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों में से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जायेगा । ऐसे संघ जिनके सदस्यों की संख्या अपने बैंक के कुल कर्मचारियों का 30 प्रतिशत है, दो व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेंगे और मतदान को संक्रमणीय पद्धति द्वारा मतदान किया जायेगा;";

(चार) खंड 3 में उपखंड़ (च) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

"(च) (i) दो से अनधिक निदेशक, जो बैंककारी उद्योगों के बारे में विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान रखते हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श कर के नियुक्त किये जायेंगे;

(ii) यथास्थिति संसद का एक सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किया जायेगा;";

(पांच) खंड 8 में उपखंड (2) के अन्त में यह जोड़ा जाये—

"परन्तु ऐसे सम्बलम तथा भत्ते 2,000 रुपये से अधिक और फीस और उपलब्धियाँ 500 रु० प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिएं ;"

(छः) खंड 7 में, उपखंड (2) के अन्त में यह जोड़ा जाये—

"परन्तु यह पद तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं होना चाहिये और सरकार द्वारा इसका नवीकरण किया जाना चाहिए।;"

(सात) खंड 10 में, उपखंड (ग) के पश्चात यह जोड़ा जाये—

" (घ) यदि वह या उसके निकट के सगे-सम्बन्धियों की व्यापार अथवा वाणिज्य में कोई अभिरूचि है अथवा वह या वे किसी ऐसी फर्म या कम्पनी के भागीदार हैं, जिसका उक्त बैंक में वाणिज्यिक हित है ।;"

(आठ) खंड 13 में, उपखंड (2) में "चार अन्य निदेशकों के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये:—

"सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे चार निदेशकों में से दो निदेशक बैंक के कर्मकारों द्वारा और बैंक के गैर-कर्मकार कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे ।;"

(नौ) खंड 15 में, उपखंड (2) में मद (ग) के पश्चात् यह जोड़ा जाये—

"(घ) प्रत्येक राज्य से, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रादेशिक सलाहकारी समितियों में सम्मिलित हो, एक संसद् सदस्य और विधान सभा का एक सदस्य ।";

(दस) खंड 15 में उपखंड (3) में अन्त में यह जोड़ा जाये—

"वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री की अनुपस्थिति में संसद् सदस्य बारी-बारी से अध्यक्षता करेगा । और प्रादेशिक सलाहकार समितियों की वर्ष में तीन से कम बैठकें नहीं होंगी;"

(ग्यारह) खंड 17 में उपखंड (1) में अन्त में यह जोड़ा जाये:—

"परन्तु बैठक में भाग लेने के लिये ऐसी फीस 30 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी"

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।" [8]

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में, जो 17 नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें, अर्थात्:—

खंड 3 में उपखंड (ख) की मद (i) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये:—

"(i) राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मकार हों, दो निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक के सभी कर्मकार कर्मचारियों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा चुने जायेंगे । निदेशक के ऐसे पद के लिये उम्मीदवारों के नाम प्रतिनिधि संघ और किसी अन्य पंजीकृत संघ या संघों द्वारा जिनकी न्यूनतम सदस्यता राष्ट्रीयकृत बैंक के कुल कर्मचारियों की 10 प्रतिशत है, दिये जाने चाहिए तथा ऐसा प्रत्येक संघ या ऐसे यथास्थिति, दो से अधिक नाम नहीं दे सकते । मतदान मतदान की संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जायेगा और प्रत्येक कर्मकार कर्मचारी दो मत दे सकेगा ।

सत्यापन की कार्यवाही में विलम्ब होने की दशा में, उपर्युक्त ढंग से यथास्थिति, संघ या संघों द्वारा दिए गए नामों में से लाटरी निकाल कर दो निदेशक चुने जाएंगे।"

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।' [9]

श्री मुरासोली मारन् (मद्रास दक्षिण) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:—

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 में, जो 17 नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूप भेद किये जाये अर्थात्:—

(एक) खंड 9 में उपखण्ड (1) में "के अधीन" के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये—"निर्वाचित अथवा";

(दो) खंड 9 में, उपखण्ड (1) में, "पुनर्नियुक्ति" **के स्थान पर** "पुनर्निर्वाचन अथवा पुनर्नियुक्ति" **प्रतिस्थापित** किया जाये;

(तीन) खंड 9 में, उपखंड (1) के परन्तुक में "(ख), (ग)," का **लोप** किया जाये;

(चार) खंड 11 में, उपखण्ड (3) में "उपखण्ड (ख) या उपखंड (ग) के अधीन नामनिर्देशित" **के स्थान पर** "उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित" **प्रतिस्थापित** किया जाये;

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:—

"यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण, अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970, में जो 17, नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखि रूपभेद किये जायें, अर्थात्:—

(एक) खण्ड तीन में, उपखण्ड (ज) के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु यह कि एक बैंक में एक से अनधिक निदेशक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत के स्टेट बैंक या भारत के रिजर्व बैंक में अधिकारी या निदेशक के रूप में काम कर रहा हैं या पहले किसी समय कामकर चुका है और एक बैंक का अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबन्ध निदेशक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भारत के स्टेट बैंक या भारत के रिजर्व बैंक के अधिकारी

या निदेशक के रूप में काम करता रहा है या पहले काम कर चुका है ; और दो से अनधिक निदेशक (अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, यदि कोई हो, और ऐसे निदेशक सहित, जिसका इस परन्तुक में पहले उल्लेख है, भारत सरकार के अधिकारी होंगे ।"

(दो) खण्ड 19 के **पश्चात्** यह **अन्तःस्थापित** किया जाये--

"20. **राष्ट्रीयकृत बैंक वर्ष बन्द होने के 6 मास के अन्दर लेखापरीक्षित लेखे प्रकाशित करेंगे**--राष्ट्रीयकृत बैंक लेखा वर्ष के बन्द होने के 6 मास के अन्दर, वर्ष के दौरान किये गये अपने लेन-देन का राजस्व लेखा और लेखा वर्ष बन्द होने की तिथि को अपनी अस्तियों और दायित्वों का सन्तुलन पत्र तैयार करेंगे और उसको विधिवत लेखापरीक्षा कराने के पश्चात् उसे प्रकाशित करेंगे उसे और संसद के समक्ष भी रखेंगे ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी विशेष मामले में इस समय को 3 मास तक बढ़ा सकेगी ।

21. **कार्यकुशलता सम्बन्धी परीक्षा** की जायेगी--एक राष्ट्रीयकृत बैंक बैंकों की कार्यकुशलता के स्तरों के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कार्यकुशलता सम्बन्धी परीक्षा करने हेतु एक समिति नियुक्त करेगा, जिसमें अपने से भिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के दो अधिकारी, जिन्हें बैंकिंग कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है और एक व्यवसायिक लेखापरीक्षक होंगे ; और ऐसी समिति राष्ट्रीयकृत बैंक को कार्यकुशलता के स्तरों तथा प्रबन्ध में सुधार करने के लिए सुझाव तथा सिफारिशें करने की दृष्टि से अपने कार्य में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनायेगी ।

और राष्ट्रीयकृत बैंक का बोर्ड ऐसी समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान देगा और जहां तक व्यवहार्य होगा उसके सुझावों और सिफारिशों को क्रियान्वित करेगा; और यदि बोर्ड उससे सहमत न हो तो वह उसके कारण भारत के रिजर्व बैंक को बतायेगा जो उस मामले में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।"

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।'

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में जो 17 नवम्बर, 1970 को सभा पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूप में भेद किये जायें, अर्थात्:

(एक) खण्ड 3 में, उपखण्ड (ख) की मद (i) में "छ" के स्थान पर "चार" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(दो) खण्ड 3 में, उपखण्ड (ख) की मद (iii) (क) में, "पांच" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(तीन) खण्ड 3 में, उपखण्ड (घ) के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु यह कि निक्षेपकर्ताओं के ऐसे प्रतिनिधि की राष्ट्रीयकृत बैंक में जमाराशि औसतसे कम हो।"

(चार) खण्ड 3 में, उपखण्ड (ङ) में "कृषकों" से पहले" "छोटे" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(पांच) खण्ड 7 का लोप किया जाये ।

(छः) खण्ड 8 में, उपखण्ड (1) में, "का पात्र होगा" के स्थान पर "का पात्र नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(सात) खण्ड 9 में उपखण्ड (3) में, "उत्तराधिकारी" के पश्चात्, "तीन महीने के अन्दर" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(आठ) खण्ड 14 में,"सभी अन्य व्यक्ति" के पश्चात्," जो समाज-सेवी या क्षेत्र से संसद् की किसी सभा के सदस्य हों" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(नौ) खण्ड 14 में, "भागतः अन्य व्यक्ति" के पश्चात्, "जो समाजसेवी हों या संसद् की किसी सभा के सदस्य" अन्तःस्थापित किया जाये ।

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा इस संकल्प से सहमत हो ।"

श्री सरदार अमजद अली (बसीरहट) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम् 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970, में जो 17 नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूप भेद किये जायें, अर्थात्:—

(एक) खण्ड 9 में, उपखण्ड (1) में परन्तुक में, "रिर्जव बैंक से परामर्श के पश्चात्" के पश्चात् "तथा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(दो) खंड 9 में उपखण्ड (1) में, परन्तुक में "किसी निदेशक को" के पश्चात् "दुर्व्यवहार अथवा कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा का दोषी पाये जाने पर" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(तीन) खण्ड 9 में, उपखण्ड (2) में, "निदेशक" के पश्चात् "ऐसी अवधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाये अथवा" अन्तःस्थापित किया जाये ।"

श्री जे० एम० लोबो प्रभू (उदीपी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण, में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में जो 17 नवम्बर, 1970 को सभा पटल रखी गई थी । निम्नलिखित रूपभेद किये जायें, अर्थात्:--

(एक) खण्ड 3 में, उपखण्ड (क) में, "रिजर्व बैंक" के पश्चात "और निदेशक मण्डल" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(दो) खण्ड 3, में उपखण्ड (घ) में, "बैंक के" के पश्चात् "प्रथम दस" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(तीन) खण्ड 3 में उपखण्ड (ङ) में क्रमशः कृषकों, कर्मकारों और शिल्पियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है के स्थान पर "कृषकों, कर्मकारों और शिल्पियों में प्रख्यात हैं" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(चार) खण्ड 3 में उपखण्ड (च) में, "जो ऐसे किसी एक या अधिक विषयों की बाबत जिनकी राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यकरण में लाभदायक होने की संभावना है, विशेष ज्ञान या प्रयोगात्मक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे" के स्थान पर "जो वाणिज्य, उद्योग, अर्थशास्त्र, वित्त तथा परिवहन में विशेष ज्ञान या प्रयोगात्मक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से हो, वाणिज्य-मण्डल सहित, इन विषयों के सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा नामों की तालिका प्रस्तुत किये जाने पर, सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(पांच) खण्ड 5 में, उपखण्ड (1) में, "रिजर्व बैंक" के पश्चात् "और निदेशक मण्डल" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(छः) खण्ड 8 में, उपखण्ड 2 में "अवधारित करें" से पहले "सरकारी क्षेत्र में समतुल्य पदों के वेतनों के तदनुरूप" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(सात) खण्ड 9 में, उपखण्ड (1) में परन्तुक में "रिक्ति को भरने के लिए" के पश्चात, "उसको प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्" अन्तःस्थापित किया जाये ।

(आठ) खण्ड 15 में, उपखण्ड 2 (क) में, केन्द्रीय सरकार द्वारा" के पश्चात् "वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों सहित निर्दिष्ट संस्थानों द्वारा पेश किये गये "नामों में से," अन्तःस्थापित किया जाये ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।'

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

'यह सभा संकल्प करती है कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसरण में राष्ट्रियकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में जो 17 नवम्बर, 1970 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूप भेद किये जायें, अर्थात् :—

(एक) खंड 2 में, उपखंड (च) में "सम्यक् सत्यापन के पश्चात्" के स्थान पर "गुप्त मतदान द्वारा सदस्य-संख्या का पता लगाने के पश्चात्" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(दो) खंड 2 में उपखंड (ज) का लोप किया जाये ।

(तीन) खंड 3 में, उपखंड (ख) की मद (i) और (ii) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

"(i) राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मकार हो, एक निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा जिसका नाम प्रतिनिधि संघ द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा और यह तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई संसूचना की तारीख से जिसमें प्रतिनिधि संघ से नाम प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है छः सप्ताह से अधिक नहीं होगी ।

(ii) (क) जहां राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई प्रतिनिधित्व संघ नहीं है, या

(ख) जहां ऐसा प्रतिनिधि संघ विद्यमान होते हुए भी विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर कोई नाम नहीं देता अथवा देने में असफल रहता है, या

(ग) जहां प्रतिनिधि संघ द्वारा जिस व्यक्ति का नाम दिया जाता है वह इस उपखंड की मद (iii) अथवा खंड 10 के अधीन निरर्हित है,

वहां केन्द्रीय सरकार, अपने विवेकानुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक के ऐसे कर्मकार को जिसे वह उचित समझे, ऐसे बैंक का निदेशक नियुक्त कर सकती है;"

(चार) खंड 3 में, उपखंड (ग) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(ग) (i) राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मकार नहीं हों, एक निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा जिसका नाम प्रतिनिधि संघ द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा और यह तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई संसूचना की तारीख से जिसमें

प्रतिनिधि संघ से नाम प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है छः सप्ताह से अधिक नहीं होगी ।

(ii) (क) जहां राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों का, जो कर्मकार नहीं हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई प्रतिनिधि संघ नहीं है, या

(ख) जहां ऐसा प्रतिनिधि संघ विद्यमान होते हुए भी विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर कोई नाम नहीं देता अथवा देने में असफल रहता है, या

(ग) जहां प्रतिनिधि संघ द्वारा जिस व्यक्ति का नाम दिया जाता है वह खंड 10 के अधीन निरर्हित है,

वहां केन्द्रिय सरकार, अपने विवेकानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक के ऐसे कर्मचारी को जो कर्मकार नहीं है, जिसे वह उचित समझे, ऐसे बैंक का निर्देशक नियुक्त कर सकती है;"

(पाँच) खण्ड 9 में, उपखण्ड (1) के परन्तुक में "(ख) और (ग)" का लोप किया जाये ।

(छः) खण्ड 9 में. उपखण्ड (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, यह जोड़ा जाये--

"परन्तु यह भी कि खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन नियुक्त निदेशक को, प्रतिनिधि संघ के 60 प्रतिशत से अन्यून सदस्यों द्वारा, उसमें अविश्वास व्यक्त किये जाने पर, पद से हटाया जा सकेगा ।"

(सात) खण्ड 13 में, उपखण्ड 2 में, "उपखण्ड (छ) और (ज)" के स्थान पर "उपखण्ड (ख), (छ) और (ज)" प्रतिःस्थापित किया जाये ।

(आठ) खण्ड 14 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये--

"परन्तु यह कि जब बोर्ड एक निदेशक अथवा निदेशकों सहित एक सलाहकार समिति का गठन करता है तो निदेशक अथवा निदेशकों में से कम से कम एक, जैसा भी हो, खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) अथवा उपखण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किया गया निदेशक होगा ।"

(नौ) खण्ड 15 में, उपखण्ड (2) में, भाग (ग) के पश्चात्, यह अन्तःस्थापित किया जाये--

"(घ) प्रतिनिधि संघ का नामनिर्देशित एक प्रतिनिधि ।"

(दस) खण्ड 16 में, उपखण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाये--

"परन्तु यह कि प्रतिनिधि संघ का कोई भी नामनिर्देशित प्रतिनिधि, प्रतिनिधि-संघ की परामर्श के बिना नहीं हटाया जायेगा तथा ऐसे नामनिर्देशित प्रतिनिधियों के हटाये जाने के कारण हुई रिक्तियां प्रतिनिधि संघ के परामर्श से भरी जायेगी।

(ग्यारह) खण्ड 16 में, उपखण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाये--

"परन्तु यह कि प्रतिनिधि संघ का कोई भी नामनिर्देशित प्रतिनिधि, प्रतिनिधि संघ की परामर्श के बिना नहीं हटाया जायेगा तथा ऐसे नामनिर्देशित प्रतिनिधियों के हटाये जाने के कारण हुई रिक्तियाँ प्रतिनिधि संघ के परामर्श से भरी जायेंगी।"

(बारह) प्रथम अनुसूची का लोप किया जाये।

यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।'

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : बैंक राष्ट्रीयकरण के अभी बहुत उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकले हैं। बैंकों में जमाराशि में वृद्धि हुई है, यह प्रसन्नता की बात है लेकिन अभी भी जब कोई साधारण व्यक्ति इन बैंकों में जाता है तो उसके साथ बैंकों के राष्ट्रीयकृत किये जाने से पूर्व का सा व्यवहार किया जाता है। बैंकों से इन साधारण व्यक्तियों को यदि सहायता प्राप्त होगी तो ये व्यक्ति सरकार के लिये बहुत सहायक सिद्ध होंगे। अत: सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये। यदि सामान्य जनता को बैंकों से अधिक से अधिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त होंगी तब ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ का अनुभव किया जा सकेगा।

जन साधारण को ऋण देने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऋण देने के बारे में बैंकों को दिये गये निदेशों की जानकारी जनता को नहीं दी जाती। यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऐसा किया जाता था लेकिन अब ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है और बैंकों से सम्पर्क स्थापित करने वाले व्यक्तियों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिये।

निदेशक बोर्ड की नियुक्ति में विलम्ब के कारण देश में असन्तोष है। सरकार जब किसी सम्बन्ध में निर्णय लेती है तो उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिये। उक्त निर्णय को लिये 18 महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बकों को इस मामले में शीघ्र निदेश जारी करने चाहिये और बैंकों द्वारा जनता को उक्त

लाभ दिये जाने चाहिये । जनता को यह अनुभव होना चाहिये कि देश में बैंक प्रणाली में परिवर्तन आ गया है ।

फसल के मौसम में सोने के विरुद्ध छोटी राशि का ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण देने के लिये और अधिक काउन्टर खोलने चाहिये । यदि किसान साहूकार के पास ऋण लेने के लिये जाते हैं तो उन्हे 50 से 60 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है । ऋण लेने वाले व्यक्तियों की भीड़ को कम करने के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया को अपनी सभी वर्तमान शाखाओं में और काउन्टर खोलने चाहिये । लेकिन सुझाव देने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया । स्टेट बैंक ने राज्यों में अपना एक काउन्टर खोला हुआ है जिससे केवल एक धनी किसान ही लाभ उठा पाते हैं । छोटे छोटे कृषक नहीं ।

यदि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाये तब ही जनता यह अनुभव करेगी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उनके पक्ष में एक नया परिवर्तन हुआ है ।

जैसे अन्य कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त संघों के द्वारा नामों की तालिका का सुझाव देने की छूट है इस प्रकार अधिकारियों के बारे में भी उक्त प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये ।

स्टेट बैंक के प्रबन्धकों और अधिकारियों के बीच तीन वर्ष बाद एक समझौता हुआ है । इसको क्रियान्वित करने में देरी नहीं होनी चाहिये । सरकार को सम्बन्धित अधिकारियों के बिच मित्रता का वातावरण पैदा करना चाहिये ।

अधिकारियों के संघ द्वारा जिन तीन व्यक्तियों के नामों का सुझाव दिया है उनमें से एक व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिये ।

श्री म० सुदर्शनम (नरसारावपेट): राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने और उसमें सुधार करने के लिये दो बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । सर्वप्रथम बैंक अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ होने चाहिये और उन्हें एकाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये । दूसरे उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिये तथा उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये । रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा उनके कार्य में अधिक हस्तक्षेप करने से बैंक अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर सकेंगे । यद्यपि रिजर्व बैंक को, सैन्ट्रल बैंक के रूप में, निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये लेकिन उसे उनके कार्य में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

बैंक कार्य में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को ही निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिये ।

लघु तथा माध्यमिक उद्योगों से व्यक्तियों को विभिन्न बोर्डों में नियुक्त किया जाना चाहिये । बैंकों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये उनका उनमें प्रतिनिधित्व आवश्यक है ।

निदेशकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए । रिजर्व बैंक और भारत सरकार को नीति सम्बन्धी निदेश मौखिक न देकर लिखित देने चाहिये । बैंकों के प्रबन्धको और अध्यक्ष पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए ।

बैंकों में कार्यकुशलता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कार्यकुशलता के बिना बैंकों का कार्य करना कठिन है।

नई शाखाएं खोलने तथा बैंकों का विकास करने आदि के बारे में बैंकों को व्यक्तिगत निर्णय लेने चाहिए। बैंक के बोर्डों में नियुक्त निदेशकों, विशेषकर प्रबन्ध निदेशकों और अध्यक्षों को बैंक के कार्य का अनुभव होना चाहिये। बैंक के प्रबन्ध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिये वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दस वर्ष का बैंक के काम का अनुभव आवश्यक होना चाहिये।

केवल मात्र भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को बैंकों में नियुक्त करने से काम नहीं चलेगा। अतः इस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

यह दुर्भाग्य की बात है कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंक उद्योग में आशानुकुल सुधार नहीं हुआ है।

बैंकों में आजकल बहुत अधिक हड़तालें हो रही हैं। हाल ही की हड़ताल से खजाने को 12 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यह एक गम्भीर मामला है। अनुशासन को हर कीमत पर बनाये रखा जाना चाहिये। बैंकों के कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। सरकार को इस बात पर भी तुरन्त ध्यान देना चाहिए कि बैंक लोगों को अन्य क्या सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि बैंक अपने आर्थिक तथा सामाजिक कर्तव्य पूरे करें। बैंकों को उत्पादिता, पूंजी निवेश की सेवाएं, आयकर परामर्श सम्बन्धी तथा ऐसी ही अन्य सेवाएं भी प्रदान करनी चाहिए।

चीनी के भण्डार जमा हो गये हैं। इस वर्ष भी फसल अच्छी हुई है अतः और अधिक भंडारों के जमा हो जाने की आशंका है। चीनी उद्योग को ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का दिया जाना आवश्यक है ताकि वह गन्ना उत्पादकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : विधेयक के पास होने के ठीक 8 महीने पश्चात सभा इस योजना पर विचार कर रही है। उस समय भी यह आशंकायें व्यक्त की गई थी कि सरकार इस कार्य में विलम्ब करेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विलम्ब के क्या कारण हैं। इससे बैंकों के प्रबन्ध में एक निश्चय ही हानि हुई है। आशा है कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय विलम्ब के कारणों का भी उल्लेख करेंगे।

राष्ट्रीयकरण के 18 महीनों के अनुभव को ध्यान में रखकर ही इस योजना पर विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन बैंकों के कार्य पर भारत के रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण था और सभी बैंक उसके मार्गदर्शन में ही कार्य करते थे। उस समय इन बैंकों ने सरकार तथा ग्राहकों के लिए संतोषजनक कार्य किया था परन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात रिजर्व बैंक को पीछे डाल दिया गया है। वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि एक ओर तो रिजर्व बैंक के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और दूसरी

और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध को अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं । बैंकिंग संस्थानों में वे सुपर बास बन गये हैं। ये प्रतिनिधि बैंको के दिन प्रतिदिन के कामों में हस्तक्षेप करते हैं । राष्ट्रीयकरण के समय सरकार ने यह तर्क दिया था कि बैंकों पर एकाधिकार नियंत्रण अवश्य समाप्त होना चाहिए। परन्तु उस समय बैंकों के अनेक निदेशक होते थे। अब उन पर वित्त मंत्रालय का एकाधिकार है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इटली तथा फ्रांस जैसे देशों में प्रबन्धक ढांचे का अध्ययन करें । अध्ययन करने पर उनको पता लगेगा कि उन देशों में बैंकों का स्वायत्त ढांचा बना हुआ है । कुछ देशों में बैंकों के निदेशक मण्डल में सिविल सेवा के अधिकारियों को नहीं लिया जाता। यदि हम बैंकों का स्वायत्त ढांचा तथा उनकी क्षमता बनाये रखना चाहते हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें सिविल सेवा के अधिकारी बैंकों के प्रबन्ध में कम से कम हस्तक्षेप करें ।

सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इन बैंकों में स्पर्धा तत्व को बनाये रखा जायेगा ताकि इनकी सेवा खराब न हो । परन्तु इस समय चौदह बैंक वित्त मंत्रालय के अधिन कार्य कर रहें हैं । और वित्त मंत्रालय का निर्णय सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होता है । उनमें प्रतिस्पर्धा का कोई तत्व शेष नहीं है । बैंकों के प्रबन्धकों को कुछ भी रियायत नहीं दी जाती है जिससे वे अन्य बैंकों की तुलना में अच्छे परिणाम दिखा सकें ।

बैंकों की सेवा में बहुत अधिक गिरावट आ गई है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज के कमजोर वर्गों को तथा किसानों को ऋण की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा सके । यह सच है कि कुछ ऋण इन लोगों को दिया गया है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या जिस प्रकार यह ऋण उन लोगों को दिया गया है उससे वे लोग प्रसन्न हैं । वास्तव में बैंकों में भी भ्रष्टाचार फैल गया है । जब तक कोई किसान अथवा उद्यमी बैंक अधिकारी को प्रसन्न नहीं करता उसे ऋण नहीं मिलता है । ऋण के लिये जो शर्तें रखी गई हैं वे इतनी कठोर हैं कि उनको पूरा करना गरीब किसानों के लिए बहुत कठिन है । क्या राष्ट्रीयकरण का यही उद्देश्य था ?

बैंकों की सेवाओं में भी बहुत गिरावट आ गई है। कई सप्ताहों तक चैकों को भुनाया नहीं जाता है । कई बैंक छोटे नोटों को स्वीकार नहीं करते हैं । व्यापार सम्बन्धी दस्तावेजों को कई सप्ताह तक सम्बन्धित पार्टियों को नहीं दिया जाता है । जनता वर्तमान बैंक सेवा से प्रसन्न नहीं हैं ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात पिछले 18 महीनों मे 2000 नई शाखाएं खोली गई हैं । यह एक अच्छी बात है इससे बैंक की गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकेगा । परन्तु बैंकों के जमा खातों मे पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है । वृद्धि लगभग स्थिर है । पिछले वर्षों मे हुई वृद्धि को देखते हुए गत ग्यारह महीनों मे बैंकों में कम से कम 500 करोड़ रुपये जमा होने चाहिए थे । परन्तु बढ़ी हुई बैंकों की शाखाओं को देखते हुए जमाराशि मे कम से कम 100 रुपये की वृद्धि होनी चाहिये थी । परन्तु ऐसा नहीं हुआ है और दूसरी ओर इनके व्यय में वृद्धि हो गई है । बैंक कर्मचारियों के वेतन मे हाल में जो वृद्धि की गई है इससे 20 करोड़ रुपये का व्यय और बढ़ जायेगा । इससे बैंकों के कार्यकाल तथा अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस समय बैंक छोटे किसानों से 12 प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं । क्या इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था । सरकार को इस

बारे मे कुछ मार्ग र्शी सिद्धांत निर्धारित करने चाहिए थे ताकि बैंक राष्ट्रीयकरण का कुछ उद्देश्य प्राप्त हो जाता ।

इस योजना में निदेशक मंडल के गठन की व्यवस्था है और प्रत्येक निदेशक मंडल में पन्द्रह निदेशक होंगे । इनमें चौदह निदेशक सरकार द्वारा एक अथव दूसरे तरीके से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे । और केव निदेशक कर्मचारियों का ही इसमें एक प्रतिनिधि होगा । इसके अतिरिक्त परामर्श-दात्री समितियां तथा प्रादेशिक सलाहकार समितियों के गठन की भी व्यवस्था है । इनमें सदस्यों की नियुक्ति भी स कार के विवेक पर निर्भर करती है ।

मैं जानना चाहत हूं कि सरकार ने राजनीतिक शक्ति के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या पूर्वोपाय किये हैं । इस बात के लिए भी क्या गारंटी है कि सरकार द्वारा जिन लोगों को इन मंडलों तथा समितियों के लिए चुना जायेगा वे सम्बन्धित हितों का प्रतिनिधित्व करने योग्य होंगे ।

अधिनियम में पैसा जमा करने वालों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है परन्तु योजना में इस बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं दिये गये हैं । धन जमा कराने व लों में से प्रतिनिधि चुनने से पूर्व उनसे परामर्श किया जाना चाहिये ता कि सभी लोग इस बारे में संतुष्ट हो कि जो व्यक्ति चुना गया है वह उनका प्रतिनिधित्व करने योग्य है । मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि इस मामले में सरकार का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा ।

भविष्य में शीघ्र ही एक ऐसा समय आने वाला है जबकि बैंकों से उधार लेने व लों में अधिक संख्या किसानों की ही होगी । अतः किसानों का एक ही प्रतिनिधि होना पर्याप्त नहीं है । निदेशक मंडल में किसानो के कम से कम दो प्रतिनिधि होने चाहियें अर्थात्उत्तर भारत से तथा दूसरा दक्षिण भारत से । व्यापारियों तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इन वर्गों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इस समय यही वर्ग बैंकों से सबसे अधिक अर्थात लगभग 80 प्रतिशत ऋण लेते हैं । अतः माननीय मंत्री को इस बारे में आश्वासन देना चाहिए कि कम से कम दो प्रतिनिधि इन वर्गों के भी लिए जायेंगे ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं माननीय मंत्री से केवल आश्वासन चाहता हूं कि सरकार जो पांच निदेशक नियुक्त करेगी उनमें से दो व्यक्ति इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के सक्षम होंगे । निदेशक मण्डल में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । ऐसी व्यवस्था की गई है कि पन्द्रह प्रतिशत सहायता वाले कार्मिक संघ को प्रतिनिधि कार्मिक संघ समझा जायेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल अनेक कार्मिक संघ बन गये हैं और इसमें प्रत्येक अवस्था पर हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है । बैंकों में इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए । इसलिए मैंने संशोधन दिया है कि 50 प्रतिशत सहायता वाले कार्मिक संघों को ही प्रतिनिधित्व कार्मिक संघ समझा जाना चाहिए । यदि हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाना चाहते हैं । और यदि हम उनमें प्रतिस्पर्धा के तत्व को बनाये रखना चाहते हैं तो हमें बैंकों के स्वायत्त ढांचे को बनाये रखना चाहिए । वित्त मंत्रालय तथा सिविल सेवा के अधिकारियों को इनके कार्यकाल में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Once again I congratulate the Government for nationalising the banks. My hon. friend Shri Patodia has just now stated that efficiency of banks have reduced after nationalisation. The same thing was said at the time of nationalisation of Insurance companies. The efficiency of the insurance companies has now been increased. The capitalists were exploiting the deposits of the banks for their own selfish ends. I agree that discipline should be maintained in the banks. But I want to know whether the demands of the bank employees were illegal. If they were so why they have been accepted ? In my view the increase in wages was justified and that is why that increase has been given to them. That was not at all in proper. I want to assure the house on behalf of the All India Bank Employees Association that bank employees will cooperate Governments, with more vigour.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए
Shri Prakoshvir Shastri *in the chair*]

It has been associated in the scheme that those unions who have 15 percent membership will be considered representative unions. In this connection I have given my amendment. I would like to say that All India Bank Employees Association should be considered as representative union. This is the only representative union according to me. The Government should accept the names given by the union for directorship in the Board of Directors. I would like to suggest that in the clause 3, sub-clause (c) should be substituted by the bank officer to be nominated by the representative union as Director on the Board of Directors. In clause following should be added :

"Provided that if a Director represents the workman staff loses confidence of the representative union, he should be remined and a person recommended by the union representative, should be appointed as a Director in his place provided that (a) the change should be made after at least one year of earlier appointment and (b) at least 60 per cent workmen staff oppoess continuance of a particular person on the Board of directors".

It does not mean that I oppose the provision which is there in the scheme. simply want that this proviso be adved to that.

I would also suggest that in clause 13, after sub-clause (2) the following may be inserted.

"(2A) The management committee should also include a nominee of the representative union, as determined in terms of clause 2 (f) of the scheme".

Similarly I want that the Advisory Committee should have a nominee of the representative union determined in terms of clause 2(f) of the scheme".

I would also suggest that a nominee of the representative union shall be removed in consultation with the representative union and the vacancy so caused should be filled in consultation with the representative union.

The farmers should also be given due representation in the Board of directors. Only that person should be nominated in the Board of Directors who himself is a farmer and who knows the difficulties of the farmers.

I hope Government will accept the amendment moved by Shri Ramavtar Shastri so that we may get an opportunity to support this scheme.

The Government should accept the suggestions made in the scheme particularly in regard to the employees. Shri Surendra Nath Dwivedi has suggested that representative organisation should be decided by ballot. But the Indian National Trade Union Congress has not accepted this so far. We are always prepared to accept the ballot system. But as far as the All India Bank Employees Association is concerned, it is a representative union and nothing short of it. Therefore, the Government should accept there nomination. I hope that this suggestion will be accepted by the Government.

The Rule provides for the increase in the membership from 50 to 60 percent. I would say that we can show 100 percent membership. Therefore nomination of this association should be accepted. The scheme is not immutable. I request that amendments to it may be accepted.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : The scheme with regard to the Nationalised banks has been prepared belatedly. Nationalisation of banks had created new hopes in the minds of the people and it evoked a new wave of enthusiasm throughout the Country. It is a fact that after the nationalisation of banks, the credit policy of the banks has improved. All allegations against their are baseless. Of course, the credit policy needs to be made more liberal so as to enable the small traders and needy peasants to get more loans. The management of the banks needs to be replaced.

Those in the banks do not want the nationalisation to become successful. Therefore it is imperative that a constant vigil is kept on them. I want this work to be entrusted to a Minister in the Finance Ministry having first-hand knowledge of the banking system. The success in our socialistic measures depends on the success of nationalisation of banks. But there should be no bungling in the implementation of scheme. The Govenment should give serious consideration of this.

As far as the clauses of the scheme are concerned, I would make a suggestion that in the appointment of the two whole time directors, the Managing Director should be consulted. It is the Managing Director and the two Directors who are to ensure the functioning of the banks. Therefore there should be a co-ordination of their functions. Otherwise the entire functioning of the banks will be paralysed. Therefore the Government should take a serious note of it.

The Government have decided to nominate fifteen directors. Some of them will be representatives of some organisations. I would make a suggestion in this regard that small consultative committees should be set up on local basis representing various interests. These committees should be given power to supervise informally the functioning as well as the policy matters of the banks.

Although it is a fact that two thousand new branches have been opened in various parts of the country since nationalisation, this alone will not yield desirable results.

There are about five lakh villages in the country. Credit facilities should be made available to the millions of small peasants and small traders. I would suggest that arrangement should be made to establish a lead bank in each district so as to meet the growing requirements of each district. The lead bank should chalk out necessary schemes and fix a target so as to achieve it within a fixed time.

I would welcome the suggestion made by Shri S. M. Banerjee, that in the Board of Directors, small peasants should get ample representation. We are not unaware of the fact

that there are big farmers in the country who are as rich as any leading industrialist. They should be prevented from occupying key posts in the banks. Besides Harijans, and other backward classes should also be given adequate representation in the Board of Directors. I support this scheme.

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मंदसौर) : बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए अब एक वर्ष से ऊपर हो गया है। अब हमें यह देखना है कि क्या हम राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। कुछ मानदंडों के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीयकरण से संक्षिप्त लाभ हुआ है। या नहीं ये मानदंड हैं– जमा राशि में वृद्धि, सेवा में कार्यकुशलता, कृषकों, छोटे कामगारों तथा उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण दिया जाना, पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राशि का उपलब्ध कराया जाना, आदि।

मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि जमा पूंजी में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मगर सच यह है कि बचत में या जमा पूंजी में वृद्धि नहीं हुई है। अधिकांश नई शाखाओं का काम घाटे में चल रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद यह नीति निर्धारित की गई थी कि कृषकों को सस्ती दरों में ऋण दिये जाएंगे। राजस्थान में किये गए अध्ययन से पता चलता है कि किसानों को 1,000 रुपए ऋण प्राप्त करने के लिए 52 रुपए खर्च करना पड़ता है जबकि पहले उन्हें 2.50 रुपए खर्च करने पर 1000 तकाबी ऋण मिलता था। अब स्टैम्प पर 15 रुपए, पंजीकरण पर 12.50 रु., एडवोकेट को 15 रुपए। अन्य प्रमाणपत्र तथा आवेदनपत्र को 6.50 रु. तथा उस शपथपत्र के लिए जिस में यह बताया जाता है कि किसान की ओर बकाया नहीं है 3 रु. खर्च किया जाना पड़ता है। इसके अलवा बैंक के प्रबन्धक को किसी न किसी रूप में कुछ राशि दी जानी पड़ती है। मध्यस्थ लोगों को भी ऋण की राशि का कुछ प्रतिशत दिया जाना पड़ता है। पहले तकाबी ऋण की ब्याज दर 6 प्रतिशत थी और अब यह 9 प्रतिशत हो गई। आवेदन पत्रों पर विचार करने में भी अधिक समय लिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इन सारी औपचारिकताओं को समाप्त किया जाना चाहिए और किसानों को सस्ती दर में ऋण दिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि बैंकों के कर्मचारियों को अधिक वेतन मिले। मगर उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। उन्हें अधिक कुशलता और अनुशासन से काम करना चाहिए। आज बैंकों के कर्मचारियों की कुशलता में दुखद रूप से ह्रास हुआ है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के दो अधिकारी और एक लेखा-परीक्षक की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो प्रत्येक बैंक की कार्यकुशलता की परीक्षा करेगी। उक्त समिति कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक सिफारिश देगी और संबंधित बैंक इन सिफारिशों पर विचार कर व्यावहारिक सुझावों को कार्यान्वित करेगा। अगर बैंक किन्हीं सिफारिशों से सहमत न होगा, तो उसे रिजर्व बैंक को इसके कारण बताने होंगे और रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में आवश्यक निदेश जारी करेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसकी ओर ध्यान दें।

मैंने एक अन्य संशोधन प्रस्तुत किया है कि वित्त वर्ष के समाप्त होने के छः महीन के अन्दर राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपना लेखा प्रस्तुत करना चाहिए। अब स्थिति यह है कि जुलाई,

1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद अब तक इन बैंकों ने लेखा प्रस्तुत नहीं किया। अतः यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि बैंकों को छः महीने के अन्दर लेखा प्रस्तुत करना चाहिए।

जहाँ तक उद्योगों को ऋण दिये जाने का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा मौका कभी नहीं आने दिया जाये जबकि ऋण के अभाव में उत्पादन बन्द करना पड़े। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। पिछड़े इलाकों में ऋण की सुविधायें बहुत ही अपर्याप्त हैं। महाराष्ट्र में 31,000 लोगों के लिए एक बैंक की सुविधा है। पंश्चिम बंगाल में 63,000 लोगों के लिए, असम में 1,23,000 लोगों के लिए और उड़ीसा में 1,52,000 लोगों के लिए एक बैंक की सुविधा है। मध्यप्रदेश में स्थिति इससे भी बदतर है। अतः पिछड़े इलाकों में बैंकों की अधिक शाखायें खोली जानी चाहिए।

जहां तक निदेशक बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक को और सरकार को एक एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहिए। शेष सभी व्यक्तियों को जमाकर्ताओं में से तथा समाज के अन्य वर्गों में से लिया जाना चाहिए। कर्मचारियों का प्रतिनिधि बैंक कर्मचारी होना चाहिए। बाहर से राजनैतिक नेताओं को बैंक के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने न देना चाहिए। वैसे ही, सरकारी निदेशकों को भी तीन साल के बाद सेवानिवृत्त होना चाहिए, जैसे अन्य निदेशकों के बारे में बताया गया है।

बैंक का अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक व्यवसायिक बैंककार होना चाहिए। बैंक के कार्यकरण में एकीकृत नीति अपनाई जानी चाहिए। अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक एक ही व्यक्ति हों। वैसे ही निदेशक बोर्ड को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रबन्ध समितियों को इस में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तभी बैंक कुशलता से कार्य कर सकेगा।

उड़ीसा के लिए पटसन मिल के सम्बन्ध में प्रस्ताव

MOTION REGARDING JUTE MILL FOR ORISSA

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उड़ीसा राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक पटसन मिल स्थापित करने की अविलम्बनीयता तथा वांछनीयता पर विचार किया जाए।"

उड़ीसा में पटसन मिल स्थापित करने की मांग नई नहीं है। सरकार हमेशा यह जवाब देती आई है कि इसमें कई कठिनाइयाँ है, और अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार इसके अनुकूल नहीं है। बहरहाल, सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है, यह ख़ुशी की बात है। 11, नवम्बर को मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि उड़ीसा में पटसन मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। हमारे देश में इस समय कुल मिलाकर 79 मिल हैं जिनमें 64 मिल पश्चिम बंगाल में, पांच आन्ध्र में, तीन बिहार में और एक उत्तरप्रदेश में है। उड़ीसा में

पटसन के कुल उत्पादन का छः प्रतिशत होता है। मगर उड़ीसा में एक भी पटसन मिल की स्थापना नहीं हुई है।

कलकत्ता में 40 मील के अन्दर कई मिल हैं। वहां पत्तन की सुविधा है, सस्ती दर पर आन्तरिक यातायात की सुविधा है और श्रम की उपलब्धता है। अब इन मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। इस कारण से बढ़िया किस्म का माल तैयार करने में बाधा हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी स्थिति काफी अच्छी है।

इन मिलों के आधुनिकीकरण पर भी सरकार विचार कर रही है ताकि मन्डी भारत के अनुकुल रहे। इनके आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण की 42 करोड़ रुपये की एक योजना भी तैयार की गई थी, किन्तु इससे लाभ उठाने के लिए भी कुछ मिल आगे नहीं आ रहे है, क्योंकि विधि-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में और अन्य बाधाओं को ध्यान में रखते हुए वे ऐसा नहीं करना चाहते। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्य के लिए ऐसे स्थान को चुना जाये जहां से इस उद्योग से विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सके और देश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके। इस दृष्टि से उड़ीसा सर्वोपयुक्त स्थान है। उड़ीसा में स्थित एक पटसन मिल से माल विश्व की मंडी में भी भेजा जा सकेगा और देश में उपयोग के लिए भी। उड़ीसा में पटसन का कुल उत्पादन 4.5 लाख टन होता हैं जो न केवल एक मिल के लिए बल्की दो मिलों के लिए पर्याप्त होगा। जहाँ तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, लगभग 2.5 लाख पटसन श्रमिक कलकत्ता और उड़ीसा में बेरोजगार भटक रहे हैं। यदि उड़ीसा में एक मिल लगा दी जाये, तो उसमें लगभग 1200 श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। उड़ीसा में कटक जिले के केन्द्रपाड़ा जगतसिंहपुर–नियाली क्षेत्र में पटसन की उपज अधिक होती है। अतः पारादीव में मिल लगाना ठीक होगा, क्योंकि यहां माल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक अन्य बात इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मिल सहकारी क्षेत्र में लगाया जाये जिससे जनसाधारण को अधिक लाभ हो। यदि यह सहकारी क्षेत्र में होगा तो कुछ किसान भी इससे शेयर खरीद लेंगे। यदि राज्य सरकार अपना पटसन मिल लगाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह उन गैर सरकारी पार्टियों को समर्थन देने की घोषणा करें, जो पटसन मिल स्थापित करने के इच्छुक हैं। उड़ीसा में मिल की स्थापना से वहां के किसानों को पटसन का उचित मूल्य मिलेगा। इसके लिये लोगों ने आन्दोलन किये हैं और अभ्यावेदन भी दिये है। अतः सरकार को उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।

श्री श्रध्दाकर सूपकार (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, इस समय उड़ीसा में 60,000 टन पटसन प्रतिवर्ष पैदा होती है। पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह उत्पादन बढ़कर 80,000 टन हो जायेगा। पटसन के सदुपयोग के लिये तथा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए और उड़ीसा मे व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए पारादीप (उड़ीसा) में पटसन मिल की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिए। जबकि बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई मिलें है तो उड़ीसा में कम से कम एक मिल तो होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं श्री द्विवेदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्र०के०देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, जिसमे उन्होंने उड़ीसा में पटसन मिल की सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में तत्काल

लगाये जाने की आवश्यकता तथा वांछनीयता पर बल दिया है । हम उड़ीसा में न केवल एक मिल बल्कि कई मिल चाहते हैं । उड़ीसा में इस समय 60,000 लाख टन पटसन का उत्पादन होता है । भविष्य में उत्पादन और भी अधिक बढ़ेगा । पटसन के उत्पादन वाले राज्यों में उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पटसन मिल नहीं है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उड़ीसामें पटसन मिल की माँग उचित है । उड़ीसा में मिल लग जाने पर उड़ीसा में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या भी बहुत हद तक हल हो जायेगी क्योंकि पटसन मिल में अधिक बेरोजगार श्रमिकों को काम देने की क्षमता होती है । इससे पारादीप पत्तन का विकास भी होगा हमारे देश में जूट से दूसरे स्थानों पर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है साथ ही देश में पटसन की मांग में भी वृद्धि हुई है । साथ ही उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना से कलकत्ता के मिलों पर हमारी निर्भरता भी समाप्त हो जायेगी और पटसन उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा । इससे देश की अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Chairman, I extend my thanks to Shri Surendranath Dwivedy, who has brought a motion about the urgency and desirability of setting up a Jute Mill in Orissa. The production of Jute in Orissa is 60000 tonnes which is 6 percent of the country's total production. The demand for setting up a Jute mill in Orissa has been hanging since for the last five years. There has been marked increase in the demand of Jute in country as well as in international market. Moreover, Jute is our traditional item of export. Taking all these factors into account Government should pay more attention to Jute Industry. Existing jute mills should be modernized. In the end, I would like to say that the demand for setting up a Jute mill in Orissa either in public or cooperative sector is a reasonable one. Govennment should announce that a Jute mill will be set up there. With these words, I support the motion of Shri Dwivedi.

Shri Shrichand Goyal (Chandigarh) : Mr. chairman, I think that justice has not been done to Orissa. Neither a steel plant nor a Jute mill has been set up there despite, the fact that that state abounds in natural resources. Moreover, per capita income of Orissa is much lower than that of other states. If the Central Government is serious about raising the standard of living of the people of Orissa, it should set up a Jute mill in Orissa as soon as possible.

Shri Ishag Sambhali (Amrolia) : Mr. chairman, I congratulate Shri Dwivedi for moving this motion for setting up a Jute mill in Orissa. On behalf of the Communist Party I support his motion. A Jute mill either in public or corperatiue sector should be set up in Orissa. Government should also pay attention to the Jute mills in private sector, because 2 lakh and 38 thousand Jute workers are on strike in these mills at present and a loss of one crore of rupees is being sustained daily. With these words, I support this motion.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उड़ीसा एक उपेक्षित राज्य है, हालांकि वहां प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है । उड़ीसा में कुशल श्रमिक भी बहुत है जिन्हें अन्य राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है । दूसरे पटसन पैदा करनेवाले किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता । उनका निरन्तर शोषण किया जा रहा है । पसटन के व्यापार में आढ़तियों और एकाधिक रवादियों का बोलबाला है । जिसका परिणाम यह हो रहा है कि एक किसान को पटसन 35 से 40 रुपये प्रति मन बेचना पड़ता है जबकि पटसन के उत्पादन पर 65 रुपये प्रति मन की लागत आती है ।

सरकार भी पटसन के उत्पादन और व्यापार की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। जो पटसन से तैयार बोरी का कपड़ा आज 1 या 2 रुपये प्रति मीटर बेचा जाता है, यदि उसे अच्छी प्रकार से पोषाकी कपड़े के रूप में तैयार किया जाये, तो वही 15 से 20 रुपये मीटर तक बेचा जा सकता है। अमरीका की डेढ़म प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा चुका है कि पटसन को रूई के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। भारत में रूई के अभाव को देखते हुए सरकार इस अनुसंधान का लाभ क्यों नहीं उठाती ; साथ ही पटसन का डंठल भी बहुत कीमती है। उससे कृत्रिम संश्लिष्ट रेशा तैयार किया जा सकता है। सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

मैं श्री द्विवेदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्र में एक जूट मिल की स्थापना की जानी चाहिये। यह मिल आधुनिक ढंग की होनी चाहिये जिसमें हर किस्म की वस्तुयें बनाई जा सकें।

मैं जानता हूं कि सरकार इस विषय में कुछ नहीं करेगी क्योंकि अगले निर्वाचन के लिये सरकार को पुराने मिल मालिकों से पैसा लेना है।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : उड़ीसा के लोगों की यह माँग बहुत दिनों से चली आ रही है तथा उचित है। सरकार पिछड़े हुये राज्यों के विकास के लिये वर्षों से आश्वासन दे रही है परन्तु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उड़ीसा में 1967 के पश्चात से कोई नया उद्योग अब तक स्थापित नहीं किया गया है।

उड़ीसा के निवासियों की उत्कट इच्छा है कि सहकारी क्षेत्र में वहाँ एक जूट मिल की स्थापना की जानी चाहिये और इस मिल में केवल निर्यात योग्य वस्तुओं का ही निर्माण किया जाना चाहिये।

सरकार को जूट के उत्पादन की ओर भी ध्यान देना चाहिये। जूट उत्पादकों की दशा भी बड़ी शोचनीय है। उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। राज्य व्यापार निगम गांवों से किसानों द्वारा उत्पादित जूट खरीदने में असफल रहा है।

अब जूट कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है। प्रबन्धकों ने जो आश्वासन दिये थे वे पूरे नहीं किये गये हैं, मंत्री महोदय को अपने उत्तर में इस बारे में अवश्य कुछ बताना चाहिये।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : I support Shri Dwivedy's motion for a Jute mill in Orissa which would be helpful in improving the economic condition of the farmers. This Industry should expand its facilities up to North Bihar so that the Jute which has to take to Calcutta for sale would be consumed there and the farmers would be benifitted. This would result in production increase and thereby completing the national requirements.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस मिल की स्थापना सहकारी क्षेत्र में ही की जानी चाहिये। इस मिल की स्थापना श्रीकाकुलम के निकट ही होनी चाहिये। इस क्षेत्र में बहुत जूट पैदा होता है। अतः यहां के किसानों को मिल की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

Shri Ram Subhag Singh (Buxer) : Asam Bihar Orissa and Tripura are the main Jute producing centers and the reagon of economically backwardness of these states

may be attributed to the abscence of Jute mill in these areas, the Government should take steps to improve the economic conditions of these regions.

The Minister of Food and Agriculture (**Shri F. A. Ahmad**) : We are going to set up a Jute mill in Assam.

Shri Ram Subhag Singh : Only laying a foundation stone is not enough, we should arrange for early production in the newly established plants. So far as the question of establishing factories in Orissa is concerned, we should pay more attention to it so that the Jute of the area might be consumed and economic condition of the people be improved.

I support the proposal to start a Jute mill in Orissa in public or co-operative rector Besides this I want that there should be a decentralization of Jute Mills.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I support this move whole heart edly. It is necessary to set up Jute mill in Orissa for the betterment of farmers there.

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूँ तभी से सोच रहा हूं कि जूट के विषय में सभा में चर्चा होनी चाहिये। श्री द्विवेदी जी ने इस मामले को सदन में उठाया है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं भी एक ऐसे क्षेत्र का निवासी हूं जहां जूट पैदा होता है और मुझे जूट उत्पादकों के दयनीय स्थिति का पता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में जूट उत्पादकों का शोषण किया जाता है। देश के विभाजन के पश्चात किसानों ने समय की चुनौती स्वीकार की और जूट का उत्पादन बढाया। विभाजन से पूर्व जूट की पैदावार 16 लाख गाँठों के लगभग थी तथा उसके पश्चात यह उत्पादन 60 से 70 लाख गाँठों के लगभग पहुंच गया।

हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य किस प्रकार मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकारी क्षेत्र में जूट निगम की स्थापना की जायगी जो जूट उत्पादकों की कठिनाइयों पर विचार करेगी तथा प्रमुख रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगी:--

(i) उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिये मूल्य समर्थन सम्बन्धी कार्यवाही करना, (ii) सुरक्षित भंडार के लिये कच्चा जूट खरीदना, (iii) आवश्यकता पड़ने पर कच्चे जूट का आयात, (iv) जूट से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात सम्बन्धी कार्य। निगम की स्थापना के पहले सुरक्षित भंडार तथा मूल्य समर्थन आदि का कार्य राज्य व्यापार निगम को सौंपे गये थे। राज्य व्यापार निगम का कार्य संतोषप्रद नहीं है।

उड़ीसा तथा बिहार में जूट की 12 लाख गांठों का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 260,000 गांठों, आसाम में 11 लाख गाँठें, बिहार में 761,000 गाँठें, उड़ीसा में 438,000 से 600,000, पश्चिम बंगाल में 36,99,000 गांठों का उत्पादन होता है। आसाम में केवल एक मिल है जिसमें अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है, बिहार में 3 मिल हैं जिनमें से दो कार्य नहीं कर रही हैं और एक हाल ही में बन्द हो गई है। पश्चिम बंगाल

में 64, मध्य प्रदेश में एक, उत्तर प्रदेश में 3 मिलें हैं। इस मामले में उड़ीसा की स्थिति बहुत खराब है वहां जूट की पैदावर भी अच्छी है अतः वहां एक मिल अवश्य स्थापित की जानी चाहिये। मेरा विचार शीघ्र ही एक समिति की स्थापना करने का है जो उड़िसा, बिहार और असाम में जूट के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेगी। हम तीन महीने के अन्दर सर्वेक्षण कार्य पूरा करना चाहते हैं और सरकारी क्षेत्र में जूट मिल की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिये एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। सामान्य उत्पादकों से इतनी बड़ी राशि प्राप्त हो पाना संभव नहीं है। अतः यदि सम्भव हुआ तो मिल की स्थापना सरकारी क्षेत्र में की जायगी और यदि सम्भव न हो सका तो यदि उड़ीसा, बिहार और आंध्र में गैर सरकारी क्षेत्र में मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं स्वीकार करता हूं कि उड़ीसा, बिहार आंध्रप्रदेश और असम में जूट मिलों की स्थापना नितांत आवश्यक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि हमारी मिलें पुरानी हैं। जिन मिलों की स्थापना अब की जायगी वे सभी आधुनिक ढंग की होंगी। हमारे देश में आधुनिक ढंग की मिलों की आवश्यकता है। देश में बहुत सी जूट मिलें हैं परन्तु इनमें उत्पादन मूल्य बहुत अधिक बैठता है अतः आधुनिक ढंग की ऐसी मिलों की आवश्यकता है जिनमें उत्पादन मूल्य कम आये तथा हम विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सके।

हड़ताल के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। मैं कर्मचारी वर्ग तथा मजदूर संघों से अनुरोध करता हूं कि वे जूट मिलों की हड़ताल को समाप्त करें। देश को प्रतिदिन 60 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। यदि मजदूरों को कुछ आपत्तियां हैं तो उन पर विचार किया जा सकता है परन्तु यह हड़ताल समाप्त की जानी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने उड़ीसा तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में जूट मिलों की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस की है और उन्होंने उड़ीसा में जूट मिल की स्थापना के लिये कार्यवाही करने के बारे में कहा है। सर्वेक्षण समिति को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि किन क्षेत्रों में अच्छे जूट का उत्पादन होता है क्योंकि तभी उन क्षेत्रों में मिल स्थापित करने की मांग पर बल दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इस मिल की स्थापना जून 1971 तक हो जानी चाहिये।

केन्द्रीय मछली पालन निगम**

CENTRAL FISHERIES CORPORATION**

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : केन्द्रीय मत्स्य निगम को बन्द करने का प्रस्ताव था। वास्तव में निगम बन्द किया जा चुका है। पहले यह आश्वासन दिया गया था कि निगम का संचालन पश्चिम सरकार करेगी।

** आधे घंटे की चर्चा

** Half an hour discussion

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुये
Shri K. N. Tiwary *in the chair.*]

पश्चिम बंगाल सरकार ने निगम को अपने अधिकार में लेने से इंकार कर दिया है । पश्चिम बंगाल सरकार निगम को अपने अधिकार क्षेत्र में ले अथवा न ले परन्तु इतना अवश्य है कि निगम बन्द होने जा रहा है । इस मत्स्य निगम में 246 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुवा है । निगम के बन्द हो जाने पर इन कर्मचारियों का क्या होगा इसकी मुझे चिंता है । क्या इन कर्मचारियों को कोई अन्य कार्य दिया जायगा । सरकार जब तक इन कर्मचारियों के रोजगार का प्रबंध नहीं कर दे उसे निगम को बन्द करने का अधिकार नहीं है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम और माडर्न बेकरी आदि में रोजगार दिया जायगा । क्या इन संस्थाओं ने इन कर्मचारियों को रोजगार देने की बात मान ली है ।

ये कर्मचारी ऊंचे वेतन पाने वाले नहीं हैं, इनमें कुछ को तो बहुत कम वेतन मिलता है अत: मंत्री महोदय को निगम बन्द करने से पहले इसके रोजगारों आदि के विषय की ओर ध्यान देना चाहिये ।

यदि निगम घाटे में चल रहा है तो हमें घाटे के कारणों पर विचार करना चाहिये, निगम को बन्द नहीं करना चाहिये । यह निश्चित ही शर्म की बात है कि 1965-66 से 1967-69 की अवधि के केन्द्रीय मत्स्य निगम को 20,37,022 रुपये की हानि हुई है । मंत्रि महोदय इस हानि का कारण बतायें । ज्ञापन में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करने के लिए कहा गया है परन्तु वास्तव में किया कुछ भी नहीं गया है । कोई भी प्रशीतक यूनिट स्थापित नहीं की गई है जिससे बहुत सी मछलियां जो आज बेकार हो जाती हैं बेकार न हों और पश्चिम बंगाल से इनका निर्यात किया जा सकता था ।

मछलियों की बहुत कमी है । कलकत्ते में 10,000 टन मछलियों की प्रति दिन आवश्यकता है । केवल 35,000 टन मछलियाँ उपलब्ध हो पाती हैं । कलकत्ता में लूटमार मची हुई है जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं । 24 परगनों के 110 मत्स्य केन्द्र लूटे गये हैं । श्री हरेकृष्ण कोनार ने खुले आम कहा था कि "मत्स्स केन्द्रों पर अधिकार करो, ये केन्द्र आपके हैं ।"

संयुक्त मोर्चा सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसे यह पता लगाने का कार्य सौंपा गया कि मत्स्य पालन केन्द्रों में बेनामी भूमि कहां कहाँ पर है । मत्स्य पालन केन्द्रों में 33,000 एकड़ भूमि बताई गयी थी । जब इस समिति ने उपरोक्त विषय का विस्तार से अध्ययन किया तो पता चला कि 24 परगनों के मत्स्य पालन केन्द्रों में से किसी के पास भी बेनामी भूमि नहीं है । अत: मत्स्यपालन केन्द्रों में केवल लूट के कारण ही लूटा गया था । जिसके कारण कलकत्ता में मछलियों की बहुत कमी हो गई ।

कोरिया में प्रति व्यक्ति मछली का वार्षिक उपयोग लगभग 37 कि. ग्राम होता है, चीन में यह उपयोग 31 कि. ग्राम और भारत में 2.7 किलोग्राम होता है । इस पर भी पश्चिम बंगाल में

मछलियों की कमी हो जाने से वहां के व्यक्तियों के भोजन की स्थिति क्या होगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

हमें मत्स्य नौकायें प्राप्त होने की आशा थी। जापानी मत्स्यनौकायें उष्णकटिबन्धीय प्रदेशों में कार्य नहीं कर सकीं तो क्या सरकार ने इसके लिये कोई और प्रबंध किया है?

मत्स्यपालन के विकास की अच्छी सम्भावनायें हैं। अतः इन कर्मचारियों को निकालने से कोई लाभ नहीं होगा। जब हम विभिन्न प्रकार के मत्स्य पालन केन्द्रों का विकास कर सकते हैं तो कर्मचारियों को निकालना ठीक नहीं है। सम्पूर्ण सुंदरबन क्षेत्र अविकसित क्षेत्र है। मंत्री महोदय ने कहा था कि सुन्दरबन में मत्स्य पालन के विकास हेतु चार वर्ष के लिये 50 लाख की राशि की जा रही है। परन्तु 1 वर्ष में 10 लाख की राशि लगाने से यह विकास सम्भव नहीं होगा। यदि मत्स्य पालन का विकास करना है तो इसके लिये और अधिक धन की आवश्यकता होगी, प्रशीतक डिब्बे तथा प्रशीतक गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की आशा बंधायें, इन्हें काम दिलायें।

उन दिनों में भी कलकत्ता को एक बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा सकता था और मत्स्य उद्योग में भी विकास हो सकता था।

सरकार नाडिया में इस कार्य को अपने हाथ में नहीं ले रही है। इस उद्योग का विकास करके सस्ते दामों में मछलियां प्राप्त करनी चाहियें ताकि लोग उन्हें खा सकें और उनका तथा भावी पीढ़ियों का स्वास्थ्य अच्छा हो।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारी बेरोजगार नहीं होंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि मत्स्य निगम घाटे में चल रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी उचित जांच की गई है? यदि किसी कुप्रबन्ध के कारण कोई विशेष निगम, मत्स्य निगम घाटे में चलता है तो उसका यह मतलब नहीं है कि उस निगम को बन्द कर दिया जाये। इससे सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। इसी तरह यदि सरकार घाटे में चलती है तो कोई उसकी समाप्ति के लिए भी कह सकता है। बहुत से ऐसे निगम हैं जो घाटे में चलते है। यदि रेलवे घाटे में चले तो क्या उसे भी बन्द कर दिया जायेगा? मत्स्य निगम को बिलकुल बन्द नहीं किया जाना चाहिये। कुछ बड़े फेरी वाले मछली वाले है जो 12 रुपये से 14 रुपये प्रति किलो तक मछली बेचते हैं। वे नहीं चाहते हैं।

क्या मंत्री महोदय पूरे मामले की जांच करने के लिए किसी संसदीय समिति का गठन करेंगे। और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इसे बन्द नहीं किया जाना चाहिये और सभी कर्मचारियों को उनके काम पर बहाल किया जाना चाहिए।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I fully support the views expressed by Shri S. M. Banerjee. It is a matter of great regret that the Corporation is runnig into loss and it is going to be closed. May I know the reasons for which the Corporation has sustained loss?

May I know whether there was no adequate supply of fish or the fish-catching arrangements were not being utilised to their full capacity ?

Secondly, the people of Calcutta eat fish and I want to know the alternative arrangements being evolved to supply fish to those people so that their demand may be met in time.

Thirdly, the employees of the said corporation will lose their jobs if it is closed. Would the hon. Minister assur that not even a single employee will lose his job and in case they are put in such a situation, they will be given unemployment benefit until they are provided with altrnative jobs?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It is wrong to close the Central Fisheries Corporation. May I know:—

1. whether any conspiracy has been made by pheriwalas to close it down and if so, whether the Government would hold any enquiry?

2. the position regarding fish catch and its sale in Calcutta ?

3. while there is crisis in this Corporation, are the Government prepared to grant special financial assistance to this Corporation as they do in the case of other Corporation? Are the Government prepared to regularise 145 casual labourers so that they may easily be absorbed in other departments if unfortunately this Corporation is closed?

When the Government going to take a final decision in this regard?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : श्रीमती इला पालचौधरी जो हमारे वरिष्ठ साथियों में से एक है, ने यह चर्चा उठाई है । उन्होंने अपना संदेह ठीक ही व्यक्त किया है कि यदि निगम को बन्द कर दिया जायेगा तो स्वाभाविक है कि उसके कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे । उन्होंने कहा कि हमने निगम को बन्द करने का निर्णय ले लिया है । इस सम्बन्ध में हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और मामला अभी विचाराधीन है ।

मैं माननीय सदस्य श्री बनर्जी, श्री रामावतार शास्त्री, श्री शिवचन्द्र झा के सूचनार्थ निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की हमें चिंता है और हम उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने का हर सम्भव प्रयास करेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री ने कुछ आंकड़े दिये हैं। जहां तक नियमित कर्मचारियों का संबंध है, संख्या 132 सही है परन्तु नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या 125 है। श्री रामावतार शास्त्री द्वारा दिये गये आंकड़ों में अंशकालिक श्रमिक भी शामिल हैं। उनके लिये वैकल्पिक रोजगार ढूंढ़ने का हम

प्रयास करेंगे । हम इस बात की पूरी सावधानी रखेंगे कि उन्हें सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में लगाया जाये ।

श्रीमती इला पालचोधरी ने मछली उद्योग के विकास के बारे में बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय मत्स्य निगम ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है । पश्चिम बंगाल मछली उद्योग के विकास के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है । उनका यह विचार है कि इस उद्योग के लिये कुल 50 लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। ऐसी बात नहीं है । 4 वर्ष की अवधि में केवल सुन्दरवन में मछली उद्योग का विकास करने के लिये 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे ।

सामान्यतया अन्तरदेशीय मछली विकास का विषय एक राज्य विषय है परन्तु पश्चिम बंगाल के मामले में हमने अपने अधिकार क्षेत्र से अलग होकर सुन्दरवन अन्तरदेशीय मछली उद्योग के विकास को केन्द्रीय परियोजना के रूप में ले लिया है । यह कहना सही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में मछली उद्योग का विकास नहीं हुआ है । गत चार वर्ष में अन्तर देशीय मछली उत्पादन 1.34 लाख टन से बढ़कर 2.14 लाख टन हो गया है जो लगभग 80 प्रतिशत है ।

पहले रायचौक बंदरगाह का उल्लेख किया गया था । रायचौक बंदरगाह के लिये अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी गई है तथा इस पर 1 करोड़ 80 लाख रुपये लागत आयेगी । केन्द्र इस परियोजना में धन लगायेगा ।

जर्मन प्रजातांत्रिक गणतन्त्र से आयात किया हुआ एक 104 फुट का जहाज समुद्री मछली उद्योग के विकास तथा सर्वेक्षण के लिये कलकत्ता बन्दरगाह पर रखा जाने वाला है । मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के वे सदस्य जो मछली उद्योग के विकास में रूचि रखते हैं, इन मामलों को राज्य सरकार के समक्ष उठायें और अन्तरदेशीय मछली उद्योग और तट दूर मछली उद्योग के विकास के लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करें और यह देखें कि राज्य सरकार इन मामलों में अधिक रूचि लेती है । पश्चिम बंगाल में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिये जिससे मछली उद्योगों के विकास और यन्त्रीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिले ।

गन्ने के मूल्य तथा चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा

DISCUSSION ON SUGAR POSITION AND CANE PRICE

[**श्री वासुदेवननायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : I would like to point out the problems being faced by suger industry and also like to give suggestions for their solution. It is about 36 years since the setting up of the Sugar Control Board and various other institutions for dealing with the problems of sugar industry and the only solution they found out is that when the production of sugar is enough, the price of sugar cane should be reduced and when there is shortage of sugar then the price of sugar cane should be increased. During 1967-68 when there was acute shortage of sugar and it was sold at about Rs. 4 to

Rs. 6 per kilogram, the measure of partial de-control was adopted. According to that measure sugar was to be sold in the open market at higher rate and the mills had to give the profit gained thereby to the sugar cane growers so that they might be encouraged for yielding good crop of sugarcane. This policy worked well in 1968-69 but it was beneficial only when there was shortage of sugar. Now when there is plenty of sugar, and the result of pursuing that policy is that the price of sugar available in the open market and levy suger is almost the same. Even in this year inspite of the assurances given to the sugar cane growers that they would get higher price of their sugar cane, they are not getting more than Rs. 7.37 paise.The result of the fluctuation in its price is that some time the yield is less result while at other time it is more. I would therefore, like to know whether his Ministry and experts can not find out any such solution by which the factories get suger cane regularly and the suger cane growers may not suffer but on the other hand they may get incentive to grow more and more suger cane.

Now-a-days the consumption of sugar has increased but we have no such scheme whereby the production of suger could match the demand every year. About 20 lakh tonnes of sugar is in stock with the sugar mills. It is estimated that 40 lakh tonnes of sugar will be produced this year, last year 42 lakh tonnes of sugar was produced and the banks granted advances of more than Rs. 200 crores of rupees. The Banks should grant advances of more than Rs. 400 crores of rupees. It is the necessary to please the sugar cane growers by giving them price of sugar cane in the reason itself.

There are two Wage Boards in the whole country for Sugar Industry. These Wage Boards decide everything aboute the rate and price of sugar and sugar cane. The Ministries of Labour, Finance and his ministry did not make any comment on the impropriety of the Board. But the price of sugar has not been revised and the recommedations made by the Board which were to be implemented since November 1969 have not yet been implemented. If the workers of sugar factories are not given their arrears, there may be country-wide strike.

The surplus production of suger cane be disposed in two ways : *i. e.* by increasing its export and creating a buffer stocks. I think it is suitable to Government because there will be shortage in the production of sugar due to the present policy. If it is done by the Government, they can send sugar from buffer stock in the market and balance in the rates may be created.

The Central Government sanctioned thousand crores of rupees for sugar industry but the per acre production of sugar in Uttar Pradesh could not increase, Why? In the States of Maharashtra, Andhra Pradesh, Mysore etc. the production of suger cane increases because there are adequate sources of irrigation but in Uttar Pradesh the sources of irrigation are not adequate. A council namely Development Council for Sugar Industry is there but it is a bogus council. It sits once in a year. It decides nothing and does nothing. I do not know why it has been created. The Government officers are included in this council. Had there been any minister, its recommedations might have been attended to. Had the findings etc. been brought to his notice this problem would not have arisen.

The Government must pay their attention to it.

Shri K. N. Tiwari (Bettiah): Government earns a lot of revenue through the production of Sugarcane. Its extent can not even be imagined by most of the people. Inspite of all this Government is not paying proper attention towards this Industry. Sugar policy in the year 1970-71 has not been announced uptill now. It should have been done. Keeping in view the huge production of sugar and taking into account backlog

stocks and present consumption of sugar in the country there would he a surplus of about 35 lakh tons of sugar in stocks. It is, therefore suggested that sugar should be decontrolled. Government could have buffer stock of sugar as suggested by Sen Commission in order to meet the challenge of hoarderors black marketers. I would refer to a deficiency felt by the cane growers. They do not get timely payment for their sugar cane from mill owners. I know that there are a few farmers who have not received payments for the last 2-3 years. In order to make payments to shop keepers and traders the cane growers have to draw advances from Banks aganist their productions. Government should pay due attention to this aspect so that cane-growers could get payment for the supplies they make to mills. There is one particularity about this industry and that is that after evey two-three years there is either over production or under production. During the phase of over production the Cane-grower have to face difficulty in disposing of their produce. At times they have to burn their produce. As a result thereof the acreage under sugar cane cultivation is decreased. Then there is price rise and demand or sugar cane also. To avoid all these situations there should be proper planning and coordination between Central and State Governments in this regard.

It was decided that price for that quantity of sugar which would remain nuconsumed out of the production for the year 1969-70 would be fixed by the Government. This has not been done so far. Announcement in this regard should be made at an early date.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : सभापति महोदय, कुछ समय में चीनी के उत्पादन पर यदि ध्यान दें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि कृषकों एवं उद्योग को उचित तथा समय पर सहायता दी जाये तो उसके फलकारी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उद्योग के दीर्घकालिक रूप पर विचार करते समय हमें उद्योग तथा कृषि दोनों के आपसी संबंधों पर भी विचार करना आवश्यक है क्योंकि चीनी उद्योग ऐसा उद्योग है जिसका दोनों से सम्बन्ध है। अतः चीनी उद्योग के दीर्घकालीन विकास के लिए सुनियोजित योजना बनाई जानी चाहिये क्योंकि हमने जो प्रगति पिछले दो-तीन वर्षों में प्राप्त की है वह इस प्रकार की योजना के बिना उत्पादन की संभावित क्षमता के अनुरूप स्थायी नहीं रह सकेगी।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा चीनी संबंधी नीति की घोषणा सितम्बर मास से पूर्व कर दी जाती थी परन्तु इस बार ऐसा नहीं किया गया है। जिसके कारण उद्योग में कुछ अनिश्चितता की स्थिति व्याप्त हो गई है। इस नीति की घोषणा शीघ्रता से की जानी चाहिये जिससे इस उद्योग से सम्बद्ध सभी वर्गों को उद्योग की वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सके।

चीनी के उत्पादन में कमी अथवा अधिकता के कारण इस उद्योग ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। इस बार प्रथम बार देश के सामने चीनी के अत्यधिक उत्पादन के कारण एक नयी स्थिति पैदा हो रही है जिसको यदि ठीक प्रकार से अग्रिम कदम उठाकर हल नहीं किया गया तो इस चीनी-मौसम समाप्त होने पर यह स्थिति सरकार के लिए एक विशेष समस्या बन जायेगी।

निर्यात बढ़ाना इस समस्या के हल का एक रूप है। दूसरा रूप है आंतरिक खपत बढ़ाना। अब तक चीनी के कम उत्पादन के कारण हमने इसकी आंतरिक खपत को हतोत्साहित किया था परन्तु अब स्थिति यह है कि हमें जनता को इस दिशा में उत्साहित करना चाहिये क्योंकि मुख्य रूप से इन आन्तरिक खपत पर ही उद्योग का भविष्य निर्भर करता है।

इन परिस्थियों में नियन्त्रित बिक्री एवं खुली बिक्री के लिए चीनी के संबंध में उत्पादन शुल्क की विभिन्नता भी उचित नहीं है। यह नीति उस समय तो उचित थी जब कम उत्पादन के कारण देश में चीनी की अत्यधिक कमी थी। आज की परिस्थितियों में उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए उसका कोई औचित्य नहीं है।

इस स्थिति से निबटने का एक और हल है जिसकी ओर कई सदस्यों ने संकेत किया है। वह हल है कि सरकार चीनी का सुरक्षित-भंडार स्थापित करे। किसी उत्पादन के उत्पादन में कमी अथवा अधिकता की स्थिति का सामना करने के लिए यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है। उत्पादन में गिरावट की स्थिति में भंडार की सहायता से मांग की पूर्ति हो सकती है तथा उत्पादन में अधिकता की स्थिति में उसका सुरक्षित-भंडार बनाया जा सकता है।

गन्ने के मूल्य निर्यात करने की नीति में परिवर्तन भी आवश्यक है। यह एक ऐसा विषय है कि यदि हमने इस विषय में उदारता बरती तो परिणाम विपरित भी हो सकते हैं। उस स्थिति में किसान गन्ने का उत्पादन बढ़ायेंगे जो कि न तो उद्योग के लिए और न ही देश के लिये लाभप्रद स्थिति होगी। अतः इस दिशा में गन्ने के उत्पादन गन्ना बुवाई के लिये भूमि की सीमा आदि के सन्बन्ध में सुस्पष्ट नीति होनी चाहिये जिससे कि न तो गन्ने की कमी हो और न ही उसकी अधिकता।

खोई का उपयोग भी चीनी उद्योग से सम्बन्धित एक अन्य समस्या है। आजकल इसे चीनी मिलों द्वारा ईंधन के रूप में जलाया जाता है। मेरा अनुरोध है कि इसे ईंधन के रूप में नहीं जलाना चाहिये तथा इसके विपरीत कागज तथा नगदी उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग होना चाहिये। इसी प्रकार शीरे का उपयोग भी होना चाहिये। इन उपोत्पादों के संबंध में सरकार समन्वित नीति अपनाये। चीनी उद्योग के कागज उद्योग तथा शीरा के उपभोक्ताओं तथा उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इनके उपयोगों के प्रश्न पर विचार करना चाहिये जिससे कि जलाने अथवा फालतू करने के स्थान पर इनका कच्चे मालों के रूप में उपयोग सुनिश्चित हो सके।

Smt. Savitri Shyam (Aoula) : Mr. Chairman, Sugar Industry is a major industry of U.P. and Bihar. There are 71 Suger Mills in U.P. alone and 85,000 people are engaged in this Industry in one way or the other. But the Government has not adopted any national policy about this Industry since the setting up of this Industry in 1936. Government has always adopted *ad hoc* policy in this regard. The price in sugarcane is fixed at the last minute without any principle,

[श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K.N. Tiwari *in the Chair*]

Sen commission had fixed a criteria for fixing the cane prices butt he report has not been implemented so far. The policy of mixed economy in the country has helped private sector of the sugar Industry more. Private sector has availed of most of the Government facilities and resources. It got exemption of excise duty, it got facilities for extension and expansion of the Industry. But it neglacted the farmer and other workes connected with this Industry.

It is therfore the need of the hour that Government should take over this Industry itself or run it in Co-operative sector.

It has been said that consumption of sugar may be increased. But it can not increase with decrease in purchasing power of the purchasers. Its consumption as well as its exports have actually gone down. Government should set up a Commission to analyse all these aspects.

Government should be firm in fixing the price of sugarcane. Once it is fixed, Government should not bring them down under any pressure. It should see that Canegrowers actually get that price. Unless it is done, there would be an agitation in the country. Acaerge under sugarcane should be decreased and in its place other cash crops such as cotton should be encouraged.

Mr. Chairman : Hon. member should conclude now. We do not have much time. We are to couclude by 7 p.m., *(Interruption)*

श्री एम. नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं;

"कि इस चर्चा की अवधि को आधा घंटा और बढ़ा दिया जाये।"

Mr. Chairman : But if we allow so much freedom of speech even then we would not be able to conclude . I agree to half an hour's extension. We would adjourne at 7.30 p.m.

Smt. Savitri Shyam : Mill owners owe Rs. 22 crores to cane growers. Efforts should be made to get them this amount. Then the Development Cess was collected from Farmers for their benefit. Its accounts should be provided to this House. Sick mills should be completely closed and other mills should be taken over and run in Co-operative Sector without paying any compensation.

Shri Raghuvir Sigh Shastri (Baghpat) : The prevailing prices of sugar cane is totally insufficient and unsatisfactory. It is gret injustice to the farmers that he has to pay more for industrial products.

Secondly, an hon.'ble member has suggested that farming area for sugar cane should be reduced and alternative crops should be cultivated in that area. This suggestion is not practicable as cotton can not be grown in an area where sugar cane is produced. When the farmers increased the wheat production, the prices of wheat went down very low. It is a very strange sort of planning. I therefore, submit that farmers should be encouraged by way of increasing prices of sugarcane.

On 25th November, 1970 the hon.'ble Minister had stated that the sugar mills had to pay 21 crores of rupees as arrears to the farmers. No concrete measure has been taken for the payment of that money. The demand of Indian Sugar Mills Association is fully justified that the mills should be allowed incrased credit from banks against their huge accumulated stocks. The limit of bank credit should be enhanced from Rs. 210 crores to Rs. 450 crores and this matter should be considered keeping in mind the interest of the farmers.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, it is a matter of regret that .. **.... **..so much neglect for the farmers.....

Mr. Chairman : This would not be recorded. (*Interruptions*)

Shri Randhir Singh (Rohtak) : ** I am talking about All India Radio.....

Mr. Chairman ; You can speak to your own Minister about All India Radio (*Interruptions*).

Shri Randhir Singh : **

Mr. Chairman : All the members are paid to attend the House (*Interruption*).

Shri Randhir Singh : I strongly protect this attitude. These persons are the enemy of the farmers.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Monthly sugar quota should be released according to the cousumption. It is a justified demand that price of sugar should be reduced, but it should not be done at the cost of farmers. The excise duty should be reduced, but not the price of sugar cane.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : The Govt. has not announced its sugar policy so far and as a result thereof there is a feeling of fear and insecurity in the minds of farmers as well mill owners. I therefore, urgeupon the Government to announce its sugar policy at an early date.

Secondly there is a question of control and partial de-control on sugar. So far as my party is concerned we do not want control on any kind of goods as it leads to black marketing.

Next there is strange problem of huge accumulating stock of sugar. We have carried over 21 lakh tons of sugar from previous year. Forty lakh tons of sugar is likely to be produced during the current year. Our internal consumption of sugar is likely to be of the order of 34 lakh tons whereas 3.5 lakh tons of sugar is likely to be exported in the current year. As the huge sugar stock is to be held up, money is not forthcoming to the mill owners.

I would support the suggestion of making a buffer stock of one million tons of suger as recommended by the Sen Commission. Such a step would self-check black marketing and price rise in case of scarcity of sugar. Secondly, export of sugar should be enhanced. The demand of sugar industry for increased credit facility to the extent of Rs. 450 crores or Rs. 500 crores should be accepted. So far as Wage Board is concerned the Industry was already accepted its recommendations. The fact has to be taken into consideration by the Government.

If sugar is de-controlled, the Government would not be able to fix the price of sugar. The policy of partial de-control, evolved by Shri Jagjivan Ram is justified as it helped check black marketing in sugar.

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** Not recorded.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Mr. Chairman, Shri Randhir Singh has said it is absolutely correct that this discussion is concerned with 85 percent of totol population of the country.

Shri Randhir Singh : ** This question is concerned with All India Radio. I would go on hunger strike against this insult and injustic to farmers ** ** When there is a discussion regarding wage increase of just 50 or 100 people, representative of A. I. R. is alwayes present, but when a discussion concerning fifty crores of people is taking place here, no AIR representative is present. The AIR representative should apologise for such a behaviour.

श्री चेंगलराय नायडू (चित्तूर) : क्या संसद की कार्यवाही सिर्फ मजदूरों और व्यापारियों के लिए ही चलती है ।

श्री रणधीर सिंह : मैं आकाशवाणी के बारे में कहना चाहता हूं ।

Shri Tulshidas Jadhav : This question is concerned with seventy to seventy five percent of the total population, who are agriculturists. Even now 38·43 lakh tons of sugar is yet to be sold.

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Communitry Development and Co-operation (Shri Anna Sahib Shinde) : No. It is not correct.

Shr Tulshidas Jadhav : Previously there was accumulated stock of 21·83 lakh tons of sugar which was now gone to 16·60 lakh tons.

श्री रणधीर सिंह : मुझे अत्यधिक दुख है कि इस देश के किसानों के साथ अत्याधिक अन्याय किया जाता है । सदन की कार्यवाही वृत्तान्त को नोट करने के लिए आकाशवाणी का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे वहां बैठे हुए हैं । एक ही बात को सौ-सौ बार क्यों कहा जाता है ?

श्री चेंगलराया नायडू : वे अभी-अभी आये हैं ।

श्री रणधीरसिंह : × × मुझे बहुत खेद है कि आकाशवाणी का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : × × (**व्यवधान**)

× × पृष्ठ 16203 पर सभापति महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

×× Not recorded - *vide* chairman's order on page 16203.

सभापति महोदय : अब श्री रामावतार शास्त्री और अन्य सदस्य भी बोलने लगे। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)** अगर यही स्थिति जारी रही, तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा।

श्री रणधीर सिंह : मैं विरोध स्वरूप बहिर्गमन करना चाहता हूं। मैं वाद-विवाद में भाग नहीं ले रहा। मैं तो आकाशवाणी के बारे में कह रहा था।

इसके पश्चात लोकसभा गुरुवार, 17 दिसम्बर 1970/ 20 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, December 17, 1970/Agrahayana 20, 1982 (Saka).

NAI DUNIA PRESS INDORE-340-3-71